SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 22

(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 22

(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)

विषय-सूची

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		iii
	कार्यकारी सारांश		v
	ऊर्जा समूह		
अध्याय I	**कोयला मंत्रालय**		
1.1	वन विनियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1
1.2	अधिक संग्रहित ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	5
1.3	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन परिचालन	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	9
अध्याय II	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		
2.1	अवसंरचना सुविधा के निर्माण पर निष्फल व्यय	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	39
2.2	उचित सत्यापन की कमी के कारण निष्फल निवेश	ऑयल इंडिया लिमिटेड	43
अध्याय III	**विद्युत मंत्रालय**		
3.1	भंडारों का भौतिक सत्यापन और उस पर आंतरिक नियंत्रण	दामोदर घाटी निगम	48
	औद्योगिक समूह		
अध्याय IV	**वित्त मंत्रालय**		
4.1	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड का परिचालन	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	52
4.2	पुनर्बीमा प्रचालन	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	92
अध्याय V	**भारी उद्योग मंत्रालय**		
5.1	चाय प्रभाग का परिचालन निष्पादन	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	147

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ संख्या
अध्याय VI	**इस्पात मंत्रालय**		
6.1	रोलिंग मिलों का प्रदर्शन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	163
6.2	भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्पात पिघलने की वर्कशॉप-III की स्थापना और संचालन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	204
6.3	सीएमओ/सेल की वितरक योजना का निष्पादन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	221
6.4	दुर्गापुर स्टील संयंत्र में नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में विलंब	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	233
अध्याय VII	**पर्यटन मंत्रालय**		
7.1	आईटीडीसी द्वारा संपदाओं का प्रबंधन	भारतीय पर्यटन विकास निगम	237
	अवसंरचना समूह		
अध्याय VIII	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**		
8.1	उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह न होने और संग्रह में विलंब के कारण राजस्व की हानि	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	259
अध्याय IX	**लेखापरीक्षा के आग्रह पर सीपीएसई द्वारा की गई वसूली तथा सुधार/ संशोधन।**		
9.1	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली		265
9.2	लेखापरीक्षा के आग्रह पर सुधार/ संशोधन		265
अध्याय X	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (वाणिज्यिक)**		266
	अनुलग्नक		269

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 15 मंत्रालयों एवं 4 विभागों **(अनुलग्नक-I)** के अधीन आने वाली सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा उन्हें अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कंपनियाँ अधिनियम की धारा 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन भी होती हैं।

3. कुछ निगमों एवं प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले सांविधिक नियमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जानी अनिवार्य है। ऐसे पाँच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदर घाटी निगम के संबंध में संबंधित संविधियों में सीएजी को उनका एकमात्र लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। एक निगम अर्थात् केंद्रीय भंडारण निगम के संबंध में, केंद्रीय भंडारण निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की नियुक्ति सरकार द्वारा सीएजी की सलाह पर की जाती है। सीएजी को वैसी लेखापरीक्षा करने का अधिकार है जैसा वह आवश्यक समझें।

4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अंतर्गत, सरकारी कंपनी अथवा निगम के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

5. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आठ मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 15 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित 10 व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां एवं पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आगे तीन समूहों अर्थात् ऊर्जा, उद्योग तथा अवसंरचना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के अंतर्गत छः लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, उद्योग समूह के अंतर्गत आठ

तथा अवसंरचना समूह के अंतर्गत एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2024-25 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए थे, किंतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। जहाँ आवश्यक लगा, वहाँ 2024-25 के पश्चात की अवधि से संबंधित विषयों को भी सम्मिलित किया गया है।

6. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियाँ/निगमों अथवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम' के सभी संदर्भों का अभिप्राय 'केंद्रीय सरकारी कंपनियाँ/निगमों' से माना जाए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो।

7. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।

8. लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के प्रबंधन तथा उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

I परिचय

1. इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों तथा निगमों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं, यह नमूना जाँच भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) अथवा मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों के अंतर्गत आयोजित की गई।

2. इस प्रतिवेदन में आठ मंत्रालयों/विभागों के अधीन 15 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) से संबंधित 10 व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ तथा पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इन मंत्रालयों/विभागों को तीन समूहों अर्थात् ऊर्जा, उद्योग तथा अवसंरचना समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के अंतर्गत छः, उद्योग समूह के अंतर्गत आठ तथा अवसंरचना समूह के अंतर्गत एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति सम्मिलित है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई काम कर रहे हैं, मसौदा अभ्युक्तियाँ भेजी गईं ताकि प्रत्येक मामले में उन्हे उत्तर/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक भी चार अभ्युक्तियों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 3 में दर्शाया गया है। इससे पूर्व, संबंधित सीपीएसई के प्रबंधन को मसौदा अभ्युक्तियाँ भेजी गई थीं, जिनके उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से समाहित किया गया है।

3. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई से संबंधित हैं:

क्रम सं.	**मंत्रालय/विभाग (संबंधित सीपीएसई)**	**पैराग्राफ की संख्या**	**जिन अनुच्छेदों के संबंध में मंत्रालय/विभाग के उत्तर प्रतीक्षित थे उनकी संख्या**
ऊर्जा समूह			
1.	कोयला (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड)	3	1
2.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड)	2	2
3	विद्युत (दामोदर घाटी निगम))	1	0
उद्योग समूह			
5	वित्त (एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)	2	0
6	भारी उद्योग (एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड)	1	0
7	इस्पात (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	4	0
8	पर्यटन (भारतीय पर्यटन विकास निगम)	1	1
अवसंरचना समूह			
9	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)	1	0
योग		**15**	**4**

4. व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹20,539.40 करोड़ है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित व्यक्तिगत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- चार अनुच्छेदों[1] में ₹350.21 करोड़ की राशि अंतर्निहित है जो नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं, अनुबंध के नियम एवं शर्तों आदि का अनुपालन न किए जाने से संबंधित है।
- सात लेखापरीक्षा अनुच्छेदों[2] में ₹609.70 करोड़ की राशि अंतर्निहित है जो संगठनों के वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता से संबंधित है।
- आठ लेखापरीक्षा अनुच्छेदों[3] में ₹13,678.68 करोड़ की राशि अंतर्निहित है जो त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त योजना निर्माण से संबंधित है।
- चार लेखापरीक्षा अनुच्छेदों[4] में ₹5,900.81 करोड़ की राशि अंतर्निहित है जो अपर्याप्त/दोषपूर्ण अनुवीक्षण से संबंधित है।

यह उल्लेखनीय है कि अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में एक से अधिक श्रेणियों की अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं तथा तदनुसार अभ्युक्तियों के अंतर्गत राशि को वर्गीकृत किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के निर्देश पर सीपीएसई द्वारा की गई "वसूली एवं सुधार/संशोधन" संबंधी एक अध्याय भी सम्मिलित है। इस अध्याय में दो पैराग्राफ हैं, अर्थात् (क) 11 सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा के निर्देश पर वर्ष 2024-25 के दौरान ₹60.02 करोड़ की राशि की वसूली की गई, तथा (ख) लेखापरीक्षा के आग्रह पर तीन सीपीएसई द्वारा पाँच मामलों में सुधार/संशोधन किए गए।

II प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

---

[1] *अनुच्छेद संख्या 1.1, 1.3, 4.1 एवं 4.2*

[2] *अनुच्छेद संख्या 1.2, 1.3, 2.2, 4.1, 4.2, 6.4 तथा 7.1*

[3] *अनुच्छेद संख्या 1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2 तथा 7.1*

[4] *अनुच्छेद संख्या 3.1, 6.1, 6.2 तथा 8.1*

समूह: ऊर्जा

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वन विनियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना वन भूमि के उपयोग को गैर-वनीय प्रयोजनों (खनन गतिविधियों) हेतु व्यपवर्तित किया। यह व्यपवर्तन न केवल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन था, बल्कि इससे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लंघन हुआ। परिणामस्वरूप, सीसीएल को ₹7.84 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

(पैरा 1.1)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिक संग्रहित ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने समय पर अंतरिम टैरिफ समायोजन लागू नहीं किया तथा राजस्थान स्थित बारसिंगसर तापीय विद्युत स्टेशन के डिस्कॉम्स से अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार वसूलना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, उच्च लिग्नाइट अंतरण मूल्य अधिक होने की जानकारी होने के बावजूद एनएलसीआईएल ने स्वतः ही ऊर्जा प्रभार में कमी नहीं की तथा अतिरिक्त बिल किए गए एवं वसूल की गई ऊर्जा प्रभार राशि वापस नहीं की। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त वसूल की गई ऊर्जा प्रभार राशि की वापसी पर ₹14.51 करोड़ का परिहार्य ब्याज व्यय हुआ।

(पैरा 1.2)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन परिचालन

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की स्थापना नवंबर 1985 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। एसईसीएल ने 28.21 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन (वर्ष 1985-86 में) के साथ खनन कार्य शुरू किया, जो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 187.38 एमटी हो गया। लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान एसईसीएल द्वारा किए गए खनन कार्यों तथा संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया

गया कि एसईसीएल ने कोयला उत्पादन तथा अतिरिक्त भार हटाने के लक्ष्यों को सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा आकलित क्षमता के अनुरूप निर्धारित नहीं किया। साथ ही, लक्ष्यों के निर्धारण हेतु विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करने के लिए किसी नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण भी नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीर्घ अवधि से खराब पड़ी भारी अर्थ मूविंग मशीनों (एचईएमएम) और सेवामुक्त की जा चुकी मशीनों की उत्पादकता का आकलन किए बिना ही उन्हें विचार में लिए जाने के कारण, उत्पादन और अतिरिक्त भार हटाने के लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई। परिचालकों की कमी के कारण न केवल एचईएमएम निष्क्रिय पड़ी रहीं, बल्कि इससे लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी उजागर किया गया कि अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने तथा अनुवीक्षण संबंधी चूकों के कारण कंपनी को ₹8.62 करोड़ की हानि हुई। गुणवत्ता आश्वासन हेतु सीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुपालन न किए जाने/उल्लंघन के मामले भी पाए गए। अनुवीक्षण संबंधी चूक के कारण (-)100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति न करने से अतिरिक्त राजस्व अर्जित नहीं किया जा सका तथा ₹35.74 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर भी खो दिया गया। इसके अतिरिक्त, फ्लाई ऐश डंपिंग प्रभारों का अंतिम निर्धारण न होने के कारण एसईसीएल को यह व्यय अपने स्वयं के निधियों से वहन करना पड़ा तथा तापीय विद्युत संयंत्रों से उक्त व्यय की वसूली से वंचित रहना पड़ा, जो अप्रभावी योजना निर्माण को दर्शाता है। **इस संबंध में यह अनुशंसा की जाती है कि एसईसीएल को लक्ष्यों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और विचार किए जाने वाले कारकों/मापदंडों को निर्धारित करते हुए एक नियमावली/ मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।**

(पैरा 1.3)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अवसंरचना सुविधा के निर्माण पर निष्फल व्यय

पारादीप रिफाइनरी (रिफाइनरी) में 1 अप्रैल 2020 तक 100 प्रतिशत बीएस-VI मानकों के अनुरूप मोटर स्पिरिट के उत्पादन हेतु आवश्यक अवसंरचना की व्यापक विश्लेषण तथा पहचान के अभाव के कारण ₹32.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। रिफाइनरी के परिचालन

के स्थिरीकरण के लंबित रहने के दौरान, आवश्यक अवसंरचना की परिकल्पना रिफाइनरी के स्वयं के परिचालन आँकड़ों के स्थान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अन्य रिफाइनरियों के परिचालन आँकड़ों के आधार पर की गई, जबकि इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि रिफाइनरी के परिचालन के स्थिर होने के पश्चात प्रबंधन विश्लेषण में मौलिक रूप से बदलाव आ सकता है। साथ ही, नई अवसंरचना की आवश्यकता प्रस्तावित करने से पूर्व रिफाइनरी में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना के डिजाइन आधार की भी उपेक्षा की गई।

(पैरा 2.1)

ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उचित सत्यापन की कमी के कारण निष्फल निवेश।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपने साझेदारों के साथ वर्ष 2006 में नाइजीरिया के ओपीएल 205 में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहित की, किंतु इस निवेश से नगण्य उत्पादन प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 तक कोई उत्पादन नहीं हुआ तथा वर्ष 2021 तक केवल 0.57 मिलियन बैरल उत्पादन ही हुआ। यह अधिग्रहण/निवेश का निर्णय अपर्याप्त समुचित सावधानी पर आधारित था, जिसमें वित्तीय, विधिक तथा तकनीकी सलाहकारों द्वारा इंगित बाधाओं के बावजूद अलेखापरीक्षित, अपूर्ण तथा पुराने आँकड़ों पर निर्भरता रखी गई। साथ ही, निदेशक मंडल के समक्ष त्रुटिपूर्ण आरक्षित अनुमान भी प्रस्तुत किए गए। उचित तत्परता के अभाव के कारण ₹353.43 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ।

(पैरा 2.2)

दामोदर घाटी निगम में भंडारों का भौतिक सत्यापन और उस पर आंतरिक नियंत्रण।

दामोदर घाटी निगम ने एक परियोजना हेतु दो ट्रांसफार्मर की खरीद की, किंतु बाद में परियोजना को रोक दिया गया, जिससे वे अप्रयुक्त रह गए। वर्ष 2017 में उनके संरक्षण के लिए उनमें ट्रांसफार्मर तेल भरा गया था। वर्ष 2020 में डीवीसी ने दोनों ट्रांसफार्मर से लगभग 1.40 लाख लीटर ट्रांसफार्मर तेल तथा एक ट्रांसफार्मर से 45 टन तांबे के तार की चोरी का पता लगाया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022 तक डीवीसी के पास उच्च मूल्य की सामग्रियों के संरक्षण अथवा निरीक्षण हेतु कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध नहीं थी। भंडारों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया, जिसके कारण

चोरी का पता नहीं चल सका। कर्मचारियों/सुरक्षाकर्मियों की गलती बीमा कवरेज के क्षेत्र में न आने के कारण ₹9.28 करोड़ का बीमा दावा अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा भौतिक सत्यापन के अभाव के कारण प्रबंधन को ₹9.28 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 3.1)

<u>समूह: उद्योग</u>

एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड का परिचालन

एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड का गठन नवंबर 2003 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण एवं परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण का व्यवसाय संचालित करने हेतु इसे अक्टूबर 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत किया गया।

यह लेखापरीक्षा मुख्य परिचालन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अर्थात् बैंकों/वित्तीय संस्थानों से एनपीए ऋण खातों के अधिग्रहण तथा वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अधिग्रहित ऋण खातों से वसूली हेतु अपनाई गई समाधान प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एएसआरईसी द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नहीं किया गया, बल्कि उसने विक्रेता बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्यांकन पर उसकी पर्याप्तता/विश्वसनीयता का सत्यापन किए बिना ही भरोसा किया। मूल्यांकन हेतु 20 प्रतिशत का एकरूप छूट कारक लागू किया गया, जिसके समर्थन में कोई औचित्य अभिलेखित नहीं किया गया। एसआर आधार पर अधिग्रहित मामलों में, बिना किसी लिखित औचित्य के नकद-आधारित मूल्य पर 150 प्रतिशत का एक निश्चित गुणक लागू किया गया था, जिससे अधिक मूल्यांकन का जोखिम उत्पन्न हुआ। एसआर आधार पर अधिग्रहित ऋण खातों में अधिग्रहण लागत, अंतर्निहित प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से अधिक थी, जिससे एएसआरईसी को बढ़े हुए निवेश जोखिम का सामना करना पड़ा।

यह भी पाया गया कि चार उच्च-मूल्य वाले एनपीए ऋण खातों में एएसआरईसी द्वारा निर्धारित छः माह की योजना अवधि के भीतर समाधान योजनाएँ तैयार/अनुमोदित नहीं की गईं। समाधान योजनाएँ विलंब से तैयार/अनुमोदित की गईं, जो आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है।

एएसआरईसी द्वारा व्यक्तिगत खाते की प्रकृति, जटिलता अथवा वाद-विवाद की स्थिति की परवाह किए बिना एकमत से पाँच वर्ष की समाधान अवधि अनुमोदित की गई। इसका कोई औचित्य नहीं था तथा यह सम्यक् परीक्षण प्रतिवेदन के विपरीत था, जिसमें कम वसूली अवधि (तीन माह से तीन वर्ष) दर्शाई गई थी।

उधारकर्ताओं से प्राप्त एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे बिना ही अस्वीकार कर दिया गया। उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना तथा अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण के कारण हुई यह अस्वीकृति, निर्णय-लेने में खराब पर्यवेक्षण एवं पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है।

पैरा में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा निम्नलिखित की अनुशंसा करती है:

- ***एएसआरईसी को बोलियां जमा करने से पहले अंतर्निहित प्रतिभूतियों/परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।***
- ***एएसआरईसी ऋण खातों के मूल्यांकन में छूट गुणांक को लागू करने के लिए एक जोखिम-आधारित मैट्रिक्स विकसित करने पर विचार करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों की अधिग्रहण कीमत परिसंपत्ति-विशिष्ट जोखिम और वसूली प्रोफाइल पर आधारित हो।***
- ***एएसआरईसी यह सुनिश्चित करे कि अन्य एआरसी से एनपीए ऋण खातों के अधिग्रहण से संबंधित पर्याप्त प्रक्रियाएं प्रचालन नियमावली में सम्मिलित है।***
- ***एएसआरईसी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित जांच स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक ऋण खाते के लिए समाधान योजना अपने प्रचालन नियमावली और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में निर्धारित छः महीने की समय सीमा के भीतर तैयार और अनुमोदित की जाए।***

- ***एएसआरईसी प्रचालन नियमावली के प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओटीएस प्रस्तावों से निपटने में अधिकृत व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। एएसआरईसी यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसे अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए मूल्यांकन/निर्धारण पर्याप्त रूप से प्रलेखित हैं और ऐसी समीक्षा के बाद सभी प्रस्तावों को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं और विधिवत प्रलेखित किए जाते हैं।***

(पैरा 4.1)

सामान्य बीमा कंपनियों का पुनर्बीमा प्रचालन

सभी चार[5] सामान्य बीमा कंपनियाँ अपनी अभिग्रहण क्षमता बढ़ाने, अभिग्रहण परिणामों को स्थिर रखने तथा आपदाओं एवं प्राकृतिक विपदाओं से अपनी वित्तीय स्थिति की सुरक्षा हेतु पुनर्बीमा (आरआई) परिचालन करती हैं। पुनर्बीमा कार्यक्रम भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) विनियमों के अनुसार इस उद्देश्य से तैयार किया जाता है कि देश के भीतर अधिकतम प्रतिधारण सुनिश्चित हो, जोखिम का विविधीकरण हो तथा तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता में वृद्धि हो।

सभी चार सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पुनर्बीमा कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में आईआरडीएआई के पुनर्बीमा विनियमों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया (2018-24)। प्रतिधारण नीति, फ्रंटिंग तथा अनर्ह सीमा-पार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय के नियोजन में पुनर्बीमा विनियमों के उल्लंघन पाए गए। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार जोखिम प्रतिधारण एवं हस्तांतरण में विचलन के कारण बीमा कंपनियों पर अत्यधिक जोखिम प्रतिधारण का जोखिम पड़ा और परिणामस्वरूप ₹254.98 करोड़ की हानि हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से डाटाबेस में कमियाँ तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र में खामियां पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य/त्रुटिपूर्ण प्रीमियम हस्तांतरण, प्रीमियम आकलन की गणना में त्रुटियाँ तथा संधि शर्तों का उल्लंघन होने से

---

[5] *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसी), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसी), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसी) तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईए)*

₹5.31 करोड़ का प्रभाव पड़ा। लेनदारी के प्रबंधन में कमियाँ पाई गईं, क्योंकि पुनर्बीमाकर्ताओं को खातों के प्रस्तुतिकरण, प्राप्तियों को समय पर टैग करने, देयों की निगरानी और वसूली करने और शेष राशि के मिलान में मौजूदा तंत्र में कमियां देखी गईं।

पैरा में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा निम्नलिखित की अनुशंसा करती है:

- ***यूआईआईसी और एनआईसी को निवल प्रतिधारण के निर्धारण और पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रतिधारण नीति तैयार करने और उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।***

- ***सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के विचलनों से बचने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करें।***

- ***पीएसजीआईसी, लेन-देन के विवरण तैयार करने और शुरुआती चरण में ही विचलनों का पता लगाने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणालियों तथा प्रबंधन सूचना प्रणालियों को अद्यतन एवं उनका उपयोग करे।***

- ***पीएसजीआईसी को प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में दलालों/पुनर्बीमाकर्ताओं के खातों को अद्यतित करने के लिए, प्राप्तियों और भुगतानों के शेषों का विवरण समय पर और नियमित आधार पर एकत्र करने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए।***

(पैरा 4.2)

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के चाय प्रभाग का परिचालन निष्पादन

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के चाय प्रभाग जिसने वर्ष 2017-18 से 2024-25 के दौरान कंपनी के कुल राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान उसके निष्पादन में गिरावट आई, जिससे कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। कंपनी के पास अपने चाय प्रभाग की उत्पादकता एवं वित्तीय निष्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई अभिलेखित, व्यापक एवं समयबद्ध रणनीति उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2017-2024 के दौरान अपने चाय बागानों की प्रति हेक्टेयर उपज

में गिरावट के बावजूद, कंपनी द्वारा वर्ष 2019-20 के बाद न तो कोई वृक्षारोपण किया और न ही आवश्यक सिंचाई सुविधाएं स्थापित की गईं।

अपने चाय बागानों से हरी पत्तियों की उपलब्धता में कमी तथा अन्य चाय उत्पादकों से खरीदी जाने वाली पत्तियों की खरीद में गिरावट के कारण, वर्ष 2018-19 से चाय फैक्ट्रियों में स्थापित क्षमता की तुलना में चाय उत्पादन में निरंतर गिरावट देखी गई। चाय प्रभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2024-25 के दौरान ₹692.30 करोड़ की लक्षित बिक्री प्राप्ति में कमी दर्ज की गई, तथापि इसके बावजूद कोई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक एवं सत्यापन योग्य योग्य लक्ष्य निर्धारण, गतिशील विपणन रणनीति तथा निष्पादन मानक, समीक्षा मानदंडों और दलालों के लिए क्रमिक परिणामों को निर्दिष्ट करने वाला कोई दस्तावेजी ढाँचा उपलब्ध नहीं था।

पैरा में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा निम्नलिखित की अनुशंसा करती है:

- ***कंपनी को अपनी चाय के बागानों में चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ने, नई झाड़ियाँ लगाने और सिंचाई के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार करने के लिए एक तय समय-सीमा के भीतर, योजनाबद्ध और मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके।***

- ***बेहतर बाज़ार खोज प्रयासों के माध्यम से, चाय कारखानों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए, अन्य चाय उत्पादकों से गुणवत्तापूर्ण चाय की पतियों की खरीद बढ़ाई जानी चाहिए।***

- ***कंपनी को चाय की मात्रा, गुणवत्ता और मांग को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए, गतिशील विपणन रणनीति अपनानी चाहिए और चूक करने वाले मध्यस्थ को दंडित करना चाहिए जबकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यस्थ को प्रोत्साहित करना चाहिए।***

(पैरा 5.1)

सेल में रोलिंग मिलों का प्रदर्शन

एक समेकित इस्पात संयंत्र में रोलिंग मिलें, कच्चे इस्पात को बिलेट्स, ब्लूम्स और स्लैब्स के रूप में रोल करके प्लेट, शीट, स्ट्रिप, कॉइल, स्ट्रक्चर, रेल, बार एवं रॉड जैसे तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती हैं। इस प्रकार, ये मिलें बाजार में तैयार इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेल में 32 रोलिंग/फिनिशिंग मिलें थीं, जिनमें से मार्च 2024 तक 30 परिचालन में थीं।

विभिन्न इस्पात संयंत्रों की रोलिंग मिलों को परिचालन और यांत्रिक बाधाओं के साथ-साथ आवश्यक मात्रा में कच्चे माल की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ा, जिससे वार्षिक व्यावसायिक योजना के अनुसार तैयार इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान सभी परिचालित रोलिंग मिलों में वार्षिक व्यवसाय योजना की तुलना में उत्पादन उपलब्धि का प्रतिशत 58.10 प्रतिशत से 111.99 प्रतिशत के बीच रहा। यूनिवर्सल रेल मिल में वार्षिक व्यावसायिक योजना की तुलना में रेल उत्पादन कम रहने के कारण वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में ₹1,461.30 करोड़ के संभावित योगदान की हानि हुई। परिणामस्वरूप, वर्ष 2016-2024 के दौरान सेल भारतीय रेलवे को रेल की कुल मांग का औसतन केवल 75.86 प्रतिशत ही आपूर्ति कर सका। नई मिलों की स्थापना, नई भट्टियों के अधिष्ठापन तथा मानकीकरण सुविधाओं जैसी आधुनिकीकरण परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं और इनके समय पर पूरा होने से सेल की रोलिंग मिलों के निष्पादन में सुधार हो सकता था।

विभिन्न परिचालन कारणों से रोलिंग मिलों के समयपूर्व खराब होने के कारण वर्ष 2018-24 के दौरान ₹137.23 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, रोलिंग मिलों द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक विद्युत एवं ऊष्मा की खपत भी की गई। रोलिंग मिलों में अग्निशामक यंत्रों, अग्नि पहचान एवं अलार्म प्रणाली आदि की पर्याप्तता से संबंधित सुरक्षा विषयक कमियाँ भी पाई गईं। सेल को रोलिंग मिलों के परिचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली विभिन्न बाधाओं का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि तैयार इस्पात उत्पादों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके तथा अर्ध-निर्मित उत्पादों की बिक्री के कारण संभावित योगदान हानि से बचा जा सके।

पैरा में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा निम्नलिखित की अनुशंसा करती है:

- ***कंपनी हॉट स्ट्रिप मिल के उत्पादन में बाधा डालने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए प्रयास करे, जिससे हॉट स्ट्रिप मिल पर निर्भर अन्य मिलें भी प्रभावित होती हैं, ताकि हॉट रोल्ड कॉइल/प्लेट/शीट और कोल्ड रोल्ड उत्पादों जैसे तैयार इस्पात उत्पादों की बिक्री से अपने राजस्व को अनुकूलित किया जा सके।***

- ***प्रबंधन तैयार स्टील की बिक्री से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सेमीकंडक्टर वाहनों की संख्या कम करने के प्रयास करे। संयंत्र बार मिल की स्थापना में तेजी ला सकता है, मध्यम संरचनात्मक मिल को स्थिर करे और व्हील एंड एक्सल संयंत्र तथा मध्यम संरचनात्मक मिल से उत्पादन को अधिकतम करने के लिए परियोजनाएं शुरू करे।***

- ***कंपनी रोलिंग मिलों में बिजली और गर्मी की खपत के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करे ताकि मिलों के लाभदायक संचालन को अधिकतम किया जा सके।***

(पैरा 6.1)

भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्पात पिघलने की वर्कशॉप-III की स्थापना और संचालन।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निदेशक मंडल ने (अप्रैल 2007 में) भिलाई इस्पात संयंत्र में कच्चे इस्पात की कुल उत्पादन क्षमता सात मिलियन टन प्रतिवर्ष प्राप्त करने हेतु आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के अंतर्गत चार मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली एसएमएस-III की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एसएमएस-III ने मार्च 2018 में, छः वर्ष से अधिक के विलंब के बाद, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011 से 2018 के दौरान प्रतिवर्ष चार मिलियन टन कच्चे इस्पात के संभावित उत्पादन की हानि हुई। यह विलंब संविदाकारों को कार्यस्थल सौंपने में विलंब, अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विलंब, सिविल एवं संरचनात्मक पैकेज के पूर्ण होने में विलंब, यूनिवर्सल बीम मिल के स्थगन तथा सहायक पैकेजों के क्रियाशील होने में विलंब आदि के कारण हुआ। उत्पादन में संभावित हानि के अतिरिक्त, भिलाई इस्पात संयंत्र ने विलंब अवधि हेतु अतिरिक्त

पर्यवेक्षण प्रभार (₹24 करोड़), संविदाकार को विलंब अवधि के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (₹19.15 करोड़), क्षतिग्रस्त सामग्रियों के प्रतिस्थापन (₹4.89 करोड़), सामग्री की चोरी (₹5.53 करोड़) तथा एसएमएस-III के अवयवों हेतु वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त व्यय भी वहन किया। एसएमएस-III की स्थापना एवं कार्यप्रणाली से परियोजना की योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में अनेक परिचालन संबंधी त्रुटियाँ उजागर हुईं। **इस संबंध में यह अनुशंसा की जाती है कि प्रबंधन एसएमएस-III परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे ताकि भविष्य में ऐसी चूक की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यह एसएमएस-III में वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर होने वाले आवर्ती व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए। संयंत्रों में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की सभी परियोजनाओं में सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना प्राथमिकता होनी चाहिए।**

(पैरा 6.2)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वितरक योजना का निष्पादन

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एक संरचित वितरक-डीलर नेटवर्क के माध्यम से अपनी खुदरा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक द्विस्तरीय वितरक योजना (नवंबर 2016) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य बाजार पहुंच में सुधार करना, ग्राहक मूल्य बढ़ाना और बाजार हिस्सेदारी तथा शुद्ध बिक्री वसूली करना था। लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए द्विस्तरीय वितरकों के माध्यम से खुदरा बिक्री से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वितरक योजना अपनाए जाने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी कम्पनी द्वारा इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। पर्याप्त भंडारण उपलब्ध होने के बावजूद कम्पनी खुदरा बिक्री हेतु वार्षिक व्यवसायिक योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी तथा उपलब्धि 55 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच रही। वास्तविक बिक्री दस लाख टन के लक्ष्य से कम रही, जिसके परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में कमी तथा बिक्री से होने वाली में गिरावट आई। चिन्हित 71 समूहों में से केवल 48 को ही आच्छादित किया गया, जिससे 23 क्लस्टर सेवाओं से वंचित रह गए तथा बाजार में पहुँच

सीमित रही। इसके अलावा, बिक्री का अधिकांश हिस्सा कुल डीलरों में से सीमित संख्या में डीलरों (4.91 प्रतिशत) के पास केंद्रित था।

कंपनी द्वारा वितरकों के साथ किए गए अनुबंधों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने तथा वितरकों एवं उनसे संबद्ध डीलरों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की बारीकी से अनुवीक्षण करने में असमर्थता के कारण खुदरा क्षेत्र में सेल की बाजार वृद्धि सीमित रही।

पैरा में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा निम्नलिखित की अनुशंसा करती है:

- ***कंपनी सभी चिन्हित समूहों में वितरकों की नियुक्ति के लिए सक्रिय कदम उठाए और समय-समय पर चिन्हित समूहों के निष्पादन की समीक्षा करे।***
- ***खुदरा क्षेत्र में सेल उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए वितरकों और डीलरों के माध्यम से योजना और उसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए।***

(पैरा 6.3)

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में विलंब

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नए ऑक्सीजन संयंत्र (1250 टीपीडी) की स्थापना में भूमि पट्टे की शर्तों एवं नियमों को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के कारण ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु मौजूदा अनुबंध को आगे बढ़ाना पड़ा तथा सेल पर ₹172.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। सेल बोर्ड के निर्देश (नवंबर 2020) के बावजूद जिसमें भूमि स्वीकृतियाँ अग्रिम रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया था, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने अपूर्ण प्रस्ताव (सितंबर 2021) प्रस्तुत किया, जिसके कारण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया तथा विलम्ब हुआ, इसके बाद भूमि मूल्यांकन की समय सीमा समाप्त होने के कारण 10 महीने का विलंब हुआ। यद्यपि वर्ष 2021 से ही मूल्य बोलियाँ उपलब्ध थीं, तथापि अनुबंध अगस्त 2023 में ही प्रदान किया गया, जिसके कारण इस महँगी व्यवस्था को अक्टूबर 2028 तक जारी रखना आवश्यक हो गया।

(पैरा 6.4)

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संपदाओं का प्रबंधन

आईटीडीसी निगम द्वारा संपदा प्रबंधन के लेखापरीक्षा में कंपनी के होटलों एवं भूस्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेजों की उपलब्धता तथा रखरखाव में कमियाँ पाई गईं, जिसके कारण संपत्तियों पर अतिक्रमण तथा उससे संबंधित विधिक विवाद उत्पन्न हुए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडीसी, अशोक होटल तथा सम्राट होटल के संबंध में भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) को भूमि किराया तथा उल्लंघनों के लिए ₹94.07 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। आईटीडीसी ने न तो उल्लंघनों को हटाने के संबंध में एलएंडडीओ को समय पर उत्तर दिया और न ही बकाया देयों का भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त, आईटीडीसी द्वारा अपनी संपदाओं के प्रबंधन में योजना निर्माण तथा प्रभावी निर्णय लेने की कमी पाई गई। आईटीडीसी ने होटल कलिंग अशोक के पुराने ब्लॉक को पुनः प्रारंभ करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जो फरवरी 2000 से बंद पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा पिछले 24 वर्षों से अनुपयोगी रहा तथा आईटीडीसी को ₹20.25 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर में एक विशाल भू-भाग पिछले 54 वर्षों से आईटीडीसी के पास बिना किसी उत्पादक उपयोग, विकास अथवा राजस्व सृजन के पड़ा हुआ था।

कोसी कलां स्थित आईटीडीसी की संपत्ति पिछले साढ़े पाँच वर्षों से बंद पड़ी थी। आईटीडीसी ने अक्टूबर 2021 से कोसी स्थित संपत्ति को पुनः परिचालित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, आईटीडीसी ने आनंदपुर साहिब, पंजाब में व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना तथा निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एक परियोजना क्रियान्वित की। दोषपूर्ण योजना के कारण, यह अपूर्ण परियोजना पिछले 24 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई है। साथ ही, आईटीडीसी ने होटल नीलाचल अशोक, पुरी को पुनः परिचालित करने के लिए समय पर निर्णय नहीं लिया और न ही उसके किसी वैकल्पिक उपयोग पर विचार किया, जिसके कारण यह होटल लगभग दो दशकों से बंद पड़ा है। आईटीडीसी की अनिर्णयता के कारण भवन तथा उससे संबंधित परिसंपत्तियों की स्थिति खराब होती गई, और इसके परिणामस्वरूप इसके संभावित मूल्य में कमी आने की संभावना थी।

(पैरा 7.1)

<u>समूह: अवसंरचना</u>

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह न होने और संग्रह में विलंब के कारण राजस्व की हानि।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार, सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में राजमार्ग खंड के पूर्ण होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण प्रारंभ किया जाना आवश्यक था। तथापि, प्रक्रियात्मक विलंब तथा बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की खराब सड़क स्थिति के कारण पेराली टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण नहीं हो सका तथा तमिलनाडु स्थित कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नलगरम टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण में विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, एनएचएआई ₹68.72 करोड़ का टोल राजस्व अर्जित नहीं कर सका।

(पैरा 8.1)

अध्याय I: कोयला मंत्रालय

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1.1 वन विनियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की नॉर्थ उरीमारी खुली खदान ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु 11.11 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग के लिए रूपांतरित किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त रूपांतरित भूमि के लिए वन स्वीकृति का नियमितीकरण कराने में ₹7.84 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) कोयला खनन गतिविधियों में लगी हुई है, जिन्हें संबंधित अधिनियमों एवं संविधि प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित वन विनियमों के अनुरूप संचालित किया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुपालन में वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (दिसंबर 1996) निर्देश दिया कि किसी भी "वन" क्षेत्र में किसी गैर वनीय गतिविधि के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी तथा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना देश के किसी भी राज्य में किसी भी वन क्षेत्र में चल रही सभी गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बंद की जाएँ। एमओईएफएंडसीसी ने (दिसंबर 2007) स्पष्ट किया कि जंगल झाड़ी भूमि एक प्रकार की वन भूमि है, जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। अतः जंगल झाड़ी भूमि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में गैर वनीय उद्देश्यों के रूपांतरण के लिए एमओईएफएंडसीसी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 2 (ii) में यह भी प्रावधान है कि वन भूमि को, उसके स्वामित्व की परवाह किए बिना, किसी भी गैर वनीय प्रयोजन हेतु उपयोग परिवर्तन करने के सभी प्रस्तावों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी तथा इसका अनुपालन न किया जाना उक्त अधिनियम का

उत्तर में, प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि (अक्टूबर 2025)।

- 2.84 हेक्टेयर जेजे वन भूमि, जिस पर उल्लंघन की सूचना दी गई थी, पुरानी विद्यमान पतरातू-सयाल साइडिंग का भाग थी। अतः यह कहा जा सकता है कि उक्त वन भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से बहुत पहले से ही गैर वनीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा था।

- विचाराधीन वन भूमि का उपयोग करते समय कंपनी द्वारा यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं था, क्योंकि उक्त भूमि खंड का उपयोग वर्ष 1970 से पूर्व, अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पहले से ही किया जा रहा था।

- 11.11 हेक्टेयर वन भूमि में रामगढ़ प्रभाग के अंतर्गत आने वाली 2.84 हेक्टेयर जंगल झाड़ी वन भूमि तथा हजारीबाग पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली 8.27 हेक्टेयर वन भूमि शामिल थी।

- हजारीबाग पश्चिम के मंडलीय वन अधिकारी के कार्यस्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में 8.27 हेक्टेयर वन भूमि पर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं पाया गया। रामगढ़ के डीएफओ द्वारा 2.84 हेक्टेयर वन भूमि पर जिस उल्लंघन की सूचना दी गई थी, वह वास्तव में 1970 के दशक के प्रारंभ में निर्मित पहले से मौजूद पतरातू-सयाल साइडिंग के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित था। इस परिप्रेक्ष्य में, कार्यकारी अभिकरण ने 1980 से पहले तोड़ी गई/पहले से मौजूद साईडिंग वन भूमि पर काम जारी रखा।

- यद्यपि सीसीएल के पास कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम के अंतर्गत भूमि की स्थिति के संबंध में एक बचाव योग्य विधिक स्थिति थी, तथापि चरण-I वन स्वीकृति में संपूर्ण 11.11 हेक्टेयर क्षेत्र पर एनपीवी के पाँच गुना तथा प्रतिपूरक वनीकरण राशि के दस गुना के बराबर भुगतान की शर्त रखी गई। प्रबंधन ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए दीर्घकालिक वाद-विवाद से बचने तथा मामले का अंतिम निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु ₹7.84 करोड़ की शास्ति मांग को चुनौती न देने का निर्णय लिया, जिससे परियोजना का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

उत्तर में, प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि (अक्टूबर 2025)।

- 2.84 हेक्टेयर जेजे वन भूमि, जिस पर उल्लंघन की सूचना दी गई थी, पुरानी विद्यमान पतरातू-सयाल साइडिंग का भाग थी। अतः यह कहा जा सकता है कि उक्त वन भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से बहुत पहले से ही गैर वनीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा था।

- विचाराधीन वन भूमि का उपयोग करते समय कंपनी द्वारा यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं था, क्योंकि उक्त भूमि खंड का उपयोग वर्ष 1970 से पूर्व, अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पहले से ही किया जा रहा था।

- 11.11 हेक्टेयर वन भूमि में रामगढ़ प्रभाग के अंतर्गत आने वाली 2.84 हेक्टेयर जंगल झाड़ी वन भूमि तथा हजारीबाग पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली 8.27 हेक्टेयर वन भूमि शामिल थी।

- हजारीबाग पश्चिम के मंडलीय वन अधिकारी के कार्यस्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में 8.27 हेक्टेयर वन भूमि पर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं पाया गया। रामगढ़ के डीएफओ द्वारा 2.84 हेक्टेयर वन भूमि पर जिस उल्लंघन की सूचना दी गई थी, वह वास्तव में 1970 के दशक के प्रारंभ में निर्मित पहले से मौजूद पतरातू-सयाल साइडिंग के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित था। इस परिप्रेक्ष्य में, कार्यकारी अभिकरण ने 1980 से पहले तोड़ी गई/पहले से मौजूद साईडिंग वन भूमि पर काम जारी रखा।

- यद्यपि सीसीएल के पास कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम के अंतर्गत भूमि की स्थिति के संबंध में एक बचाव योग्य विधिक स्थिति थी, तथापि चरण-I वन स्वीकृति में संपूर्ण 11.11 हेक्टेयर क्षेत्र पर एनपीवी के पाँच गुना तथा प्रतिपूरक वनीकरण राशि के दस गुना के बराबर भुगतान की शर्त रखी गई। प्रबंधन ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए दीर्घकालिक वाद-विवाद से बचने तथा मामले का अंतिम निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु ₹7.84 करोड़ की शास्ति मांग को चुनौती न देने का निर्णय लिया, जिससे परियोजना का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

- इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परियोजना ने वन स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, और इस प्रकार निगरानी और परिचालन में कोई चूक नहीं हुई है।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (दिसंबर 1996) में कहा कि किसी भी वन क्षेत्र में किसी गैर वनीय गतिविधि के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किसी भी वन भूमि को, उसका स्वामित्व किसी के भी पास हो, गैर वनीय प्रयोजन हेतु उपयोग/परिवर्तन के सभी प्रस्तावों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

- सीसीएल ने मई 2017 में कार्य सौंप दिया तथा संबंधित भूमि की वन स्थिति सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। आवेदन जुलाई 2018 में प्रस्तुत किया गया था। वन प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीसीएल द्वारा जेजे की भूमि पर कार्य शुरू करने के कारण शास्ति लगाया गया था, जबकि उसका भूमि उपयोग रूपांतरण आवेदन अभी भी विचाराधीन था। सीसीएल ने इसे स्वीकार किया (अप्रैल 2023)।

- प्रबंधन द्वारा "विवेक के तौर पर", शास्ति का भुगतान करने का निर्णय इस तथ्य का खंडन नहीं करता है कि सांविधिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना वन भूमि का उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य वित्तीय व्यय हुआ।

इस प्रकार, पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 11.11 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वनीय प्रयोजनों हेतु उपयोग करना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके कारण सीसीएल को ₹7.84 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

यह पैरा फरवरी 2026 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2026)।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड

1.2 अधिक संग्रहित ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

एनएलसी इंडिया ने अंतरिम टैरिफ समायोजन लागू नहीं किया तथा राजस्थान के बारसिंगसर ताप विद्युत स्टेशन के डिस्कॉम्स से अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारो को वसूलना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, उच्च लिग्नाइट अंतरण मूल्य की जानकारी होने के बावजूद, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने न तो स्वतः ही ऊर्जा प्रभारों में कमी की और न ही अतिरिक्त बिल किए गए एवं संग्रहित ऊर्जा प्रभारों की अंतरिम वापसी की। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त रूप से संग्रहित ऊर्जा प्रभारों की वापसी पर ₹14.51 करोड़ का परिहार्य ब्याज व्यय हुआ।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) लिग्नाइट खनन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन कार्य में लगी है। एनएलसीआईएल, तमिलनाडु राज्य के नैवेली में चार ताप विद्युत स्टेशन (टीपीएस) तथा राजस्थान के बारसिंगसर में एक ताप विद्युत स्टेशन के साथ-साथ एकीकृत खदानों का संचालन करती है।

प्रत्येक पाँच वर्षीय टैरिफ अवधि के प्रारम्भ में, विद्युत उत्पादन कंपनियाँ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) (टैरिफ के नियम एवं शर्तें) विनियमों के आधार पर विद्युत उत्पादन में शामिल लागतों का आकलन करती हैं तथा अनंतिम टैरिफ याचिका प्रस्तुत करती हैं, जिसके आधार पर सीईआरसी अनंतिम टैरिफ आदेश जारी करता है। ये कंपनियाँ प्रथम दो वर्षों के दौरान किए गए व्यय के आधार पर तृतीय वर्ष में सीईआरसी से अंतरिम टैरिफ समायोजन (अंतरिम समायोजन) हेतु अनुरोध भी कर सकती हैं। टैरिफ अवधि की समाप्ति पर, प्रारम्भ में निर्धारित अनंतिम टैरिफ की समीक्षा की जाती है एवं वास्तविक व्ययों के आधार पर समायोजन (अंतरिम समायोजन) किया जाता है तथा सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश (समायोजन आदेश) जारी किए जाते हैं। ऊर्जा अथवा क्षमता प्रभारों की किसी भी अल्प-वसूली या अधिक-वसूली की राशि, ब्याज सहित, ग्राहकों (डिस्कॉमों) से वसूल की जाती है अथवा उन्हें वापस कर दी जाती है।

जिन एकीकृत विद्युत परियोजनाओं में खदानें और टीपीएस दोनों शामिल हैं, उनके लिए अलग-अलग टैरिफ याचिकाएं दायर की जाती हैं, जैसे खनन कार्यों के लिए खदान टैरिफ याचिकाएं और विद्युत उत्पादन गतिविधियों के लिए विद्युत टैरिफ याचिकाएं। विद्युत

टैरिफ याचिकाओं में ऊर्जा प्रभारों में मुख्यतः प्राथमिक ईंधन (लिग्नाइट) तथा द्वितीयक ईंधन (हाई स्पीड डीजल एवं फर्नेस ऑयल) की लागत सम्मिलित होती है, लिग्नाइट अंतरण मूल्य (एलटीपी) ऊर्जा प्रभारों का प्रमुख घटक होता है। खदानों के टैरिफ/ अंतरिम समायोजन आदेशों में सीईआरसी द्वारा अनुमोदित एलटीपी को टीपीएस के ऊर्जा प्रभारों की गणना हेतु अपनाया जाता है।

एनएलसीआईएल ने राजस्थान स्थित बारसिंगसर खदानों के लिए टैरिफ अवधि 2014-19 हेतु अपनी अनंतिम टैरिफ याचिका सीईआरसी को प्रस्तुत की (अक्टूबर 2015), जिसे सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया (मई 2017)। उक्त आदेश के आधार पर, एनएलसीआईएल ने टैरिफ अवधि की समाप्ति तक डिस्कॉम को ऊर्जा प्रभारों का बिल भेजा। टैरिफ अवधि 2014-19 की समाप्ति के पश्चात, एनएलसीआईएल ने वास्तविक व्यय के आधार पर सीईआरसी के समक्ष समायोजन याचिका प्रस्तुत की (दिसंबर 2019) । हालाँकि, समायोजन याचिका में निर्धारित लिग्नाइट अंतरण मूल्य (एलटीपी)[1] सीईआरसी के अनंतिम टैरिफ आदेशों (मई 2017) के अनुसार टैरिफ अवधि 2014-19 के प्रत्येक वर्ष हेतु एलटीपी[2] से कम था। इस प्रकार, एनएलसीआईएल ने संपूर्ण अवधि के दौरान डिस्कॉम्स से अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों का बिल वसूल किया। तत्पश्चात, सीईआरसी से प्राप्त समायोजन आदेशों (जून 2022) के आधार पर, एनएलसीआईएल ने वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभारों की अतिरिक्त बिलिंग की गणना की तथा ₹70.67 करोड़ की अतिरिक्त बिल राशि के साथ ही ₹42.63 करोड़ का ब्याज (अप्रैल 2014 से जून 2022 तक), सितंबर 2022 से प्रारम्भ होने वाली छः किस्तों में वापस कर दिया।

इसके अतिरिक्त, एनएलसीआईएल ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹888 प्रति मीट्रिक टन के एलटीपी (जैसा कि अनंतिम टैरिफ याचिका 2014-19 में माना गया था) के आधार पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान ऊर्जा प्रभारों का बिल बनाना जारी रखा, जबकि एनएलसीआईएल द्वारा दायर वर्ष 2019-24 हेतु अनंतिम टैरिफ याचिका (दिसंबर 2022)

---

[1] ***2014-15: ₹746/मीट्रिक टन; 2015-16: ₹581/मीट्रिक टन; 2016-17: ₹667/मीट्रिक टन; 2017-18: ₹723/मीट्रिक टन और 2018-19: ₹704/मीट्रिक टन***

[2] ***2014-15: ₹768/मीट्रिक टन; 2015-16: ₹714/मीट्रिक टन; 2016-17: ₹766/मीट्रिक टन; 2017-18: ₹825/मीट्रिक टन और 2018-19: ₹888/मीट्रिक टन***

में उल्लिखित पाँच वर्षों में से चार वर्षों के लिए एलटीपी[3] ₹888 प्रति मीट्रिक टन से कम था। परिणामस्वरूप, एनएलसीआईएल ने सीईआरसी के 2019-24 के अनंतिम टैरिफ आदेश की प्राप्ति (मार्च 2024) के बाद मई 2024 से शुरू होने वाली छः किस्तों में ₹67.41 करोड़ की अतिरिक्त एकत्रित राशि के साथ ₹24.72 करोड़ का ब्याज (अप्रैल 2019 से मई 2024) वापस कर दिया।

लेखापरीक्षा में एनएलसीआईएल की निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं, जिनके परिणामस्वरूप अतिरिक्त रूप से संग्रहित ऊर्जा प्रभारों पर परिहार्य ब्याज भुगतान हुआः

- एनएलसीआईएल ने टैरिफ अवधि 2014-19 के तीसरे वर्ष (अर्थात् 2016-17) में, प्रथम दो वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर, अंतरिम समायोजन हेतु आवेदन करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया, जिससे उस वर्ष से कम एलटीपी के कारण ऊर्जा प्रभारों को कम किया जा सके।

- यद्यपि एनएलसीआईएल ने वास्तविक व्यय के आधार पर तमिलनाडु में नैवेली खदानों के लिए वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु वर्ष 2016-17 से आगे के लिए एलटीपी को स्वतः ही कम कर दिया था (मई 2016), परंतु उसने बारसिंगसर खदानों के लिए एलटीपी में इस प्रकार की कमी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान स्थित बारसिंगसर ताप विद्युत स्टेशन के डिस्कॉम्स को अतिरिक्त बिल का भुगतान करना पड़ा।

- एनएलसीआईएल ने अप्रैल 2019 से वर्ष 2019-24 की टैरिफ अवधि हेतु डिस्कॉम्स को उच्च ऊर्जा प्रभार की बिलिंग जारी रखी, जबकि उसने क्रमशः वर्ष 2014-19 तथा 2019-24 की टैरिफ अवधियों के लिए कम एलटीपी के आधार पर समायोजन याचिका तथा अनंतिम याचिका दायर की थी (दिसंबर 2019 एवं दिसंबर 2022)।

- एनएलसीआईएल को अतिरिक्त बिलिंग की जानकारी थी, फिर भी उसने सीईआरसी के आदेश प्राप्त होने से पूर्व स्वतः संज्ञान लेकर अंतरिम धनवापसी नहीं की।

[3] *2019-20: ₹842 प्रति मीट्रिक टन; 2020-21: ₹931 प्रति मीट्रिक टन; 2021-22: ₹806 प्रति मीट्रिक टन; 2022-23: ₹812 प्रति मीट्रिक टन; तथा 2023-24: ₹829 प्रति मीट्रिक टन।*

> लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएलसीआईएल की कार्यशील पूंजीगत ऋणों[4] पर देय ब्याज दरें, अतिरिक्त संग्रहण किए गए प्रभारों की धनवापसी[5] पर देय ब्याज दरों से कम थीं। अतः अतिरिक्त बिल किए गए ऊर्जा प्रभारों के लिए स्वतः संज्ञान लेकर अंतरिम धनवापसी न करने के कारण एनएलसीआईएल को ₹14.51 करोड़ का परिहार्य ब्याज व्यय[6] वहन करना पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि उसने पूर्ववर्ती अवधि के वास्तविक परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्यय के आधार पर अनुमानों के साथ टैरिफ याचिका दायर की थी। तथापि, समायोजन के समय वास्तविक परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में कमी आई, क्योंकि अधिभार (ओवरबर्डन) हटाने तथा लिग्नाइट उत्खनन कार्यों के बाह्य-स्रोतन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई गई थी। प्रबंधन ने यह भी बताया कि महामारी की स्थिति के कारण सीईआरसी द्वारा समायोजन आदेश जारी करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागत में वृद्धि हुई। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए कहा (फरवरी 2024) कि अतिरिक्त संग्रहण की गई राशि की वापसी सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुपालन में की गई थी। इसके अतिरिक्त, ब्याज की प्राप्तियां/भुगतान चक्रीय प्रकृति के थे।

मंत्रालय एवं प्रबंधन ने उत्तर में अंतरिम समायोजन के विकल्प का उपयोग न किए जाने तथा उच्च ऊर्जा दरों पर प्रभार वसूलना जारी रखने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया। एनएलसीआईएल, दिसंबर 2019 में (वर्ष 2014-19 की टैरिफ अवधि के लिए) समायोजन याचिका दायर करते समय तथा दिसंबर 2022 में (वर्ष 2019-24 की टैरिफ अवधि के

---

[4] ***कार्यशील पूंजी उधार दरें 1.01.2020 से 31.07.2020 की अवधि के लिए सात प्रतिशत और 1.08.2020 से 18.03.2024 की अवधि के लिए 5.34 प्रतिशत थीं।***

[5] ***धनवापसी पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 10.50 प्रतिशत से लेकर 13.50 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न थी।***

[6] ***एनएलसीआईएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैरिफ प्रभाव संबंधी आँकड़ों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा, ₹14.51 करोड़ के परिहार्य ब्याज की गणना की गई अर्थात् – (i) ₹9.03 करोड़: टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों की ब्याज दरों से अधिक 1.01.2020 से 10.06.2022 की अवधि के लिए डिस्कॉम को भुगतान किया गया परिहार्य ब्याज भुगतान; (ii) ₹4.64 करोड़: 01.01.2023 से 18.03.2024 की अवधि के लिए वापसी राशि (₹60,13,59,256) पर टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों की ब्याज दरों से अधिक डिस्कॉम्स को किया गया परिहार्य ब्याज भुगतान; तथा (iii) ₹0.84 करोड़: 1.01.2023 से 18.03.2024 की अवधि के लिए वापसी राशि (₹7,27,77,997) पर संग्रहित किए गए अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों के लिए परिहार्य ब्याज शामिल है।***

लिए) अनंतिम टैरिफ याचिका दायर करते समय अतिरिक्त बिलिंग से अवगत था। तथापि, एनएलसीआईएल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए न तो ऊर्जा प्रभारों में संशोधन किया और न ही वर्ष 2014-19 की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी के अंतिम आदेश (जून 2022) तथा वर्ष 2019-24 में सीईआरसी के अनंतिम टैरिफ आदेश (मार्च 2024) प्राप्त होने से पूर्व अंतरिम धनवापसी की पहल की।

इस प्रकार, ऊर्जा प्रभारों की अतिरिक्त वसूली के परिणामस्वरूप बारसिंगसर ताप विद्युत स्टेशन के डिस्कॉम्स को ₹14.51 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1.3 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन परिचालन

1.3.1 परिचय

भारत में तापीय कोयले के प्रचुर भंडार तथा इसकी किफायती कीमत के कारण विद्युत उत्पादन में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व के सभी देशों में कोयला उत्पादन के मामले में भारत, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मार्च 2024 तक भारत में कुल कोयला भंडार[7] 389.42 बिलियन टन (बीटी) था, जिसमें से छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में अनुमानित कोयला भंडार 92.24 बिलियन टन (बीटी) है, जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 23.68 प्रतिशत है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के पास चार कोयला क्षेत्र हैं, जिनमें सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड (23.28 बीटी), कोरबा कोलफील्ड (13.03 बीटी), मांड-रायगढ़ कोलफील्ड (50.66 बीटी) और रामकोला और तातापानी कोलफील्ड (5.28 बीटी) शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित हैं।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) कोयला क्षेत्र का प्रशासनिक मंत्रालय है तथा कोयला ब्लॉकों के अन्वेषण के आवंटन/सुपुर्दगी, कोयला भंडारों के विकास एवं दोहन से संबंधित नीतियों और रणनीतियों के निर्धारण की समग्र जिम्मेदारी उसी की है। एमओसी के अधीन महारत्न

[7] *देश में कुल कोयला भंडार में मापित/प्रमाणित भंडार (212.21 बीटी), संकेतित भंडार (148.72 बीटी) तथा अनुमानित भंडार (28.49 बीटी) शामिल हैं। देश के कोयला भंडारों को उनकी उपलब्धता के संबंध में विश्वास स्तर के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित भंडार, संकेतित भंडार तथा मापित/प्रमाणित भंडार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।*

कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सात पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक सहायक कंपनियाँ हैं, जिनमें एसईसीएल एवं एक खदान योजना तथा परामर्शदाता कंपनी, सीएमपीडीआईएल भी शामिल है। सीएमपीडीआईएल को भूवैज्ञानिक अन्वेषण एवं ड्रिलिंग, परियोजना नियोजन एवं डिजाइनिंग, अभियांत्रिकी सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरणीय सेवाओं आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सीएमपीडीआईएल, सहायक कंपनियों/खदानों के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए कोयला उत्पादन तथा भूमि की ऊपरी परत को हटाने की क्षमता का भी आकलन करता है। भारत में कोयला उत्पादन खुली खदान (ओसी) तथा भूमिगत खदान (यूजी) खनन पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है।

खुली खदान

भूमिगत खदान

खुली खदान खनन में, भूमि की ऊपरी परत पर मौजूद मिट्टी, पत्थर तथा अन्य पदार्थ जिन्हे अधिभार (ओबी) कहा जाता है, को हटाने के पश्चात कोयले का निष्कर्षण किया जाता है। भूमिगत खनन में, कोयले का निष्कर्षण मिट्टी की ऊपरी परत को हटाए बिना किया जाता है।

सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन तथा अधिभार हटाने का कार्य विभागीय संसाधनों के माध्यम से तथा बाह्यस्रोतों के माध्यम से किया जाता है। विभागीय संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए अधिभार हटाने, कोयला उत्पादन, कोयला परिवहन आदि कार्यों के लिए बाह्यस्रोत का विकल्प अपनाया जाता है।

1.3.2 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की रूपरेखा

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) का निगमित गठन नवंबर 1985 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

के बाद एसईसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है। एसईसीएल ने वर्ष 1985-86 में 28.21 मीट्रिक टन (एमटी) कोयला उत्पादन के साथ अपना परिचालन प्रारंभ किया था, जो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 187.38 मीट्रिक टन (एमटी) हो गया। वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान देश के कुल कोयला उत्पादन में एसईसीएल की हिस्सेदारी 18.31 प्रतिशत से 21.59 प्रतिशत के बीच रही, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है।

तालिका 1.1: भारत, सीआईएल और एसईसीएल का वर्षवार कोयला उत्पादन

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	भारत में कुल कोयला उत्पादन	सीआईएल द्वारा कुल उत्पादन	एसईसीएल में कोयले का उत्पादन	देश के कोयला उत्पादन में एसईसीएल की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
2018-19	728.72	606.89	157.35	21.59
2019-20	730.87	602.13	150.55	20.60
2020-21	716.08	596.22	150.61	21.03
2021-22	778.21	622.63	142.52	18.31
2022-23	893.19	703.20	167.01	18.70
2023-24	997.23	773.64	187.38	18.79

1.3.3 कोयले के प्रेषण की रूपरेखा

एसईसीएल द्वारा उत्पादित कोयले की आपूर्ति मुख्यतः विद्युत क्षेत्र (74.89 प्रतिशत से 87.31 प्रतिशत) को की गई, जबकि इस्पात, सीमेंट, उर्वरक तथा स्पंज लौह क्षेत्रों के उपभोक्ता भी एसईसीएल से कोयला लेते हैं। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान कोयले का वर्षवार उत्पादन तथा क्षेत्रवार प्रेषण का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: एसईसीएल द्वारा वर्षवार कोयले का उत्पादन और प्रेषण

वर्ष	एसईसीएल द्वारा कुल कोयला उत्पादन	कुल प्रेषण	क्षेत्रवार प्रेषण							
			विद्युत		सीमेंट		उर्वरक		अन्य[8]	
	(एमटी)	(एमटी)	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत
2018-19	157.35	156.02	128.14	82.13	2.82	1.81	0.73	0.47	24.33	15.59
2019-20	150.55	141.93	114.69	80.81	3.21	2.26	0.63	0.44	23.40	16.49
2020-21	150.61	138.77	103.92	74.89	2.08	1.50	0.46	0.33	32.31	23.28
2021-22	142.52	155.77	129.70	83.27	1.53	0.98	0.36	0.23	24.18	15.52

[8] *इसमें स्पंज लौह क्षेत्र को किया गया प्रेषण भी शामिल है।*

वर्ष	एसईसीएल द्वारा कुल कोयला उत्पादन	कुल प्रेषण	क्षेत्रवार प्रेषण							
			विद्युत		सीमेंट		उर्वरक		अन्य[8]	
	(एमटी)	(एमटी)	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत
2022-23	167.01	160.04	139.73	87.31	1.35	0.85	0.15	0.09	18.81	11.75
2023-24	187.38	180.59	147.97	81.94	1.73	0.96	0.19	0.11	30.70	16.99

(स्रोत: एसईसीएल वार्षिक रिपोर्ट)

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एसईसीएल में कोयले का उत्पादन 2018-19 में 157.35 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 187.38 मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार, कोयले की आपूर्ति भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर 2018-19 में 156.02 मीट्रिक टन से 2023-24 में 180.59 मीट्रिक टन हो गई है।

1.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन

लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान एसईसीएल द्वारा किए गए खनन परिचालनों तथा उनसे संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा की गई। 21 मार्च 2024 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों तथा क्षेत्र से अवगत कराया गया। लेखापरीक्षा के दौरान एसईसीएल के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गई। निकास सम्मेलन 25 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा में उठाई गई अभ्युक्तियों के आधार पर मसौदा प्रतिवेदन तैयार की गई जिसमें प्रबंधन/मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों को भी शामिल किया गया है।

1.3.5 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

1.3.5.1 क्षमता मूल्यांकन और लक्ष्यों का निर्धारण:

(क) कोयला उत्पादन:

एसईसीएल द्वारा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के कोयला-समृद्ध क्षेत्रों में स्थित खुली खदानों (ओसी) तथा भूमिगत खदानों (यूजी) से कोयले का उत्पादन किया गया। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) प्रतिवर्ष एसईसीएल की सभी खदानों की क्षमता का आकलन कोयले के उत्पादन और अधिभार (ओबी)[9] हटाने

[9] *खुली खदानों में कोयले का उत्खनन केवल मिट्टी, पत्थर आदि की ऊपरी परतों को हटाने के बाद ही किया जा सकता है। मिट्टी, पत्थर आदि की इस ऊपरी परत को अधिभार कहा जाता है।*

के संदर्भ में वार्षिक आधार पर करता है। कोयला उत्पादन तथा अधिभार हटाने के लक्ष्यों का निर्धारण विभिन्न कारकों, जैसे मशीनों की क्षमता/उपलब्धता एवं उनकी कार्यशील स्थिति, परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले कोयले के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करता है। एमओसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल अपनी सभी सहायक कंपनियों को कोयला उत्पादन तथा अधिभार हटाने के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य/वार्षिक कार्ययोजना (एएपी) लक्ष्य प्रदान करता है।

एसईसीएल द्वारा कोयला उत्पादन तथा अधिभार हटाने संबंधी खनन गतिविधियाँ विभागीय तथा बाह्यस्रोतों दोनों माध्यमों से संचालित की जाती हैं। विभागीय तरीके में कोयला उत्पादन एवं अधिभार हटाने का कार्य विभागीय संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि बाह्यस्रोत के तरीके में इन गतिविधियों का निष्पादन बाह्य संविदाकारों को नियुक्त करके किया जाता है। वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान कोयला उत्खनन क्षमता की तुलना में निर्धारित लक्ष्यों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	सीएमपीडीआईएल द्वारा आकलित क्षमता			वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	कमी प्रतिशत
	एसईसीएल	विभागीय	बाह्यस्रोत	एसईसीएल	एसईसीएल
2018-19	166.60	34.06	132.54	167.00	(0.24)
2019-20	174.22	25.45	148.77	170.50	2.14
2020-21	181.69	46.54	135.15	172.00	5.33
2021-22	188.49	40.34	148.15	172.00	8.75
2022-23	206.90	63.70	143.20	182.00	12.03
2023-24	227.90	66.39	161.51	197.00	13.56

(स्रोत: एसईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य 167 मीट्रिक टन (एमटी) से 197 मीट्रिक टन (एमटी) के बीच था, जबकि आकलित उत्पादन क्षमता 166.60 मीट्रिक टन (एमटी) से 227.90 मीट्रिक टन (एमटी) के बीच थी। वर्ष 2018-19 को छोड़कर,

सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, कोयला उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य हमेशा आकलित खान क्षमता की तुलना में कम रहे।

वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.4: एसईसीएल के कोयला उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	उपलब्धि	कमी प्रतिशत
2018-19	167.00	157.35	5.78
2019-20	170.50	150.55	11.70
2020-21	172.00	150.61	12.44
2021-22	172.00	142.51	17.15
2022-23	182.00	167.01	8.24
2023-24	197.00	187.38	4.88

(स्रोत: एसईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि समीक्षाधीन पिछले छः वर्षों में एसईसीएल अपने कोयला उत्पादन लक्ष्यों को किसी भी वर्ष प्राप्त नहीं कर सका। लक्ष्य प्राप्ति में कमी 4.88 प्रतिशत से 17.15 प्रतिशत के बीच रही।

वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन के वर्षवार लक्ष्यों तथा विभागीय एवं संविदात्मक तरीकों से प्राप्त उपलब्धि और योगदान का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.5: एसईसीएल के कोयला उत्पादन के विभागीय और संविदात्मक तरीकों के लक्ष्य, उपलब्धि और योगदान

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि			कुल उपलब्धि में योगदान का प्रतिशत	
	एसईसीएल	योग	विभागीय	संविदात्मक	विभागीय	संविदात्मक
2018-19	167.00	157.36	35.36	122.00	22.47	77.53
2019-20	170.50	150.55	37.90	112.65	25.18	74.82
2020-21	172.00	150.60	47.20	103.40	31.34	68.66
2021-22	172.00	142.51	41.82	100.69	29.34	70.66

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि			कुल उपलब्धि में योगदान का प्रतिशत	
	एसईसीएल	योग	विभागीय	संविदात्मक	विभागीय	संविदात्मक
2022-23	182.00	167.01	47.19	119.82	28.25	71.75
2023-24	197.00	187.38	57.72	129.66	30.80	69.20
योग	1060.50	955.41	267.19	688.22	27.97	72.03

(स्रोत: एसईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पता चला कि वर्ष 2018-24 के दौरान कोयले के कुल उत्खनन के मुकाबले विभागीय तरीके से उत्पादन का योगदान 22.47 प्रतिशत से 31.34 प्रतिशत तक रहा, जबकि संविदात्मक तरीके से उत्पादन का योगदान कुल उत्पादन में 68.66 प्रतिशत से 77.53 प्रतिशत तक रहा। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में केवल एसईसीएल ने विभागीय तथा बाह्यस्रोत के तरीके हेतु अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को अलग-अलग निर्धारित नहीं किया। एसईसीएल के कोयला उत्पादन में दूसरी सबसे बड़ी सहायक कंपनी होने के बावजूद भी, विभागीय तरीके से इसके निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए, किसी मानदंड के अभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कोयला उत्खनन बढ़ाने के लिए विभागीय क्षमता की भी समीक्षा नहीं की। एसईसीएल में विभागीय निष्पादन में सुधार के लिए किसी समीक्षा तंत्र की स्थापना संबंधी कोई पहल अभिलेखों में दर्ज नहीं पाई गई।

समीक्षा में पाया गया कि सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए कोयला उत्पादन हेतु खदानों की क्षमता का आकलन सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जाता है, तथापि एसईसीएल ने विभागीय तथा बाह्यस्रोत तरीकों के लिए अपने वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित नहीं किए। किसी भी मानदंड के अभाव में, विभागीय या बाह्यस्रोत के माध्यमों से एसईसीएल के निष्पादन का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

(ख) अधिभार हटाना

वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधिभार हटाने की क्षमता तथा निर्धारित लक्ष्यों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.6: अधिभार हटाने की क्षमता का आकलन एवं लक्ष्य

(आंकड़े एमसीयूएम में हैं)

वर्ष	सीएमपीडीआईएल द्वारा आकलित क्षमता			वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			कमी प्रतिशत		
	एसईसीएल	विभागीय	बाह्यस्रोत	एसईसीएल	विभागीय	बाह्यस्रोत	एसईसीएल	विभागीय	बाह्यस्रोत
2018-19	288.02	117.52	170.50	266.00	86.50	179.50	7.65	26.40	(5.28)
2019-20	309.92	129.81	180.11	268.00	97.07	170.93	13.53	25.22	5.10
2020-21	317.34	119.02	198.32	306.00	107.16	198.84	3.57	9.96	(0.26)
2021-22	363.82	138.62	225.20	250.00	100.00	150.00	31.28	27.86	33.39
2022-23	309.61	134.61	175.00	280.00	105.00	175.00	9.56	22.00	0.00
2023-24	337.36	123.86	213.50	310.00	96.50	213.50	8.11	22.09	0.00

(स्रोत: एसईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि हालांकि विभागीय और बाहरी दोनों माध्यमों के लिए कोयला उत्पादन का कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था, फिर भी एसईसीएल ने दोनों माध्यमों के लिए ओवरबर्डन (कोयला खदान के ऊपर की मिट्टी/चट्टान) हटाने के लक्ष्य निर्धारित किए थे। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान ओवरबर्डन हटाने का लक्ष्य 250 मिलियन घन मीटर से 310 मिलियन घन मीटर के बीच था। सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकित खदानों की क्षमता की तुलना में ओवरबर्डन हटाने का वार्षिक लक्ष्य हमेशा कमतर (निचले स्तर पर) रखा गया था। इसके अलावा, विभागीय माध्यम के मामले में 2018-19 से 2023-24 के दौरान और बाह्यस्रोतन माध्यम के मामले में 2019-20 और 2021-22 के दौरान लक्ष्य निर्धारण में कमी देखी गई।

वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान ओवरबर्डन हटाने के वार्षिक लक्ष्यों और उसके मुकाबले हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7: ओवरबर्डन हटाने का लक्ष्य और उपलब्धि

(आंकड़े मिलियन घन मीटर में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			*उपलब्धि*			प्रतिशत की कमी		
	एसईसीएल	विभागीय	वाह्यस्रोत	एसईसीएल	विभागीय	वाह्यस्रोत	एसईसीएल	विभागीय	वाह्यस्रोत
2018-19	266.00	86.50	179.50	183.45	72.43	111.02	31.03	16.27	38.15
2019-20	268.00	97.07	170.93	164.74	67.72	97.02	38.53	30.24	43.24
2020-21	306.00	107.16	198.84	196.37	73.37	123.00	35.83	31.53	38.14
2021-22	250.00	100.00	150.00	195.22	68.43	126.79	21.91	31.57	15.47

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			*उपलब्धि*			प्रतिशत की कमी		
	एसईसीएल	विभागीय	वाहयस्रोत	एसईसीएल	विभागीय	वाहयस्रोत	एसईसीएल	विभागीय	वाहयस्रोत
2022-23	280.00	105.00	175.00	263.39	63.50	199.89	5.93	39.52	(14.22)
2023-24	310.00	96.50	213.50	321.19	50.13	271.06	-3.61	48.05	(26.96)

(स्रोतः एसईसीएल द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

उपरोक्त तालिका की समीक्षा से पता चला किः

- वर्ष 2023-24 को छोड़कर, एसईसीएल ने पिछले छः वर्षों (2018-19 से 2023-24) के दौरान कभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया। इस दौरान लक्ष्यों में 5.93 प्रतिशत से 38.53 प्रतिशत के बीच कमी दर्ज की गई।

- समीक्षाधीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में विभागीय माध्यम से ओवरबर्डन हटाने के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके और यह कमी 16.27 प्रतिशत से 48.05 प्रतिशत के बीच रही।

- बाह्यस्रोतन माध्यम के मामले में, एसईसीएल ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, हालाँकि वर्ष 2018-19 से 2021-2022 के दौरान 15.47 प्रतिशत से 43.24 प्रतिशत के बीच कमी रही।

- जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, वाह्यस्रोत माध्यम द्वारा ओवरबर्डन हटाने का प्रदर्शन/ उपलब्धि, विभागीय माध्यम के प्रदर्शन से बेहतर थी।

(ग) लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच के अंतर का विश्लेषण:

क्षमता के आकलन/ लक्ष्यों के निर्धारण और उसके मुकाबले हासिल की गई उपलब्धियों से संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

(i) लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नियमावली:

एसईसीएल सहित कोयला उत्पादन करने वाली किसी भी सहायक कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को बताने वाली कोई नियमावली या मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं की है। साथ ही, लक्ष्य तय करते समय किन कारकों/मानकों पर विचार किया जाना चाहिए, यह भी परिभाषित नहीं किया गया है।

विभागीय और बाह्यस्रोतन माध्यमों के बीच लक्ष्यों को विभाजित करने के लिए भी कोई तय कारक/मानक/कार्यप्रणाली मौजूद नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप नियमावली/ मानक संचालन प्रक्रिया के अभाव में, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ii) अर्थ मूविंग मशीनरी:

भारी अर्थ मूविंग मशीनरी बड़ी मशीनें होती हैं जिनका उपयोग ओपनकास्ट (खुली) खदानों में हर साल बड़ी मात्रा में कोयला और ओवरबर्डन की खुदाई करने, उन्हें हटाने और उनके परिवहन के लिए किया जाता है; जैसे कि - ड्रैगलाइन, शॉवेल, डम्पर, डोजर, ड्रिल और सरफेस माइनर। वृहद ओपनकास्ट माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली ड्रैगलाइन में रस्सियों से लटका हुआ एक बड़ा बकेट (बाल्टीनुमा ढांचा) होता है,जो भारी मात्रा में ओवरबर्डन को "घसीटकर" हटाता है और ट्रकों का उपयोग किए बिना उसे सीधे खाली पड़ी जगह में डाल देता है।

चित्रः शॉवेल-डम्पर संयोजन

शॉवेल एक खुदाई करने वाली मशीन है, जिसे टूटे/बिखरे हुए पत्थरों और खनिजों को खोदने तथा उन्हें डम्पर जैसे परिवहन वाहनों में लादने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डम्पर एक भारी-भरकम वाहन है, जिसे विशेष रूप से खनन क्षेत्र से भारी मात्रा में ओवरबर्डन या कोयले को किसी निपटान स्थल या प्रसंस्करण संयंत्र तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डोजर का उपयोग मलबे को धकेलने, जमीन को समतल व साफ करने और परिवहन मार्गों के रखरखाव के लिए किया जाता है। ड्रिल का काम जमीन में गहरे और सीधे छेद करना है ताकि उनमें विस्फोटक सामग्री भरी जा सके। चूंकि शॉवेल जैसी विशाल मशीनें ठोस चट्टान की सीधे खुदाई नहीं कर सकती हैं, इसलिए चट्टान को सबसे पहले विस्फोटकों का उपयोग करके छोटे टुकड़ों में "तोड़ा" जाता है।

सरफेस माइनर एक खुदाई करने वाली मशीन है, जो लगातार कोयले को काटने, पीसने (क्रश करने) और लोड करने के लिए एक घूमने वाले कटिंग ड्रम का उपयोग करती है। यह पूरी प्रक्रिया एक ही बार में पूरी हो जाती है, जिससे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (विस्फोट करने) की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

चित्र: सरफेस माइनर्स

खराब पड़ी हुई भारी अर्थ मूविंग मशीनरी वे मशीनें हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स (पुर्ज़े) उपलब्ध नहीं थे, और ऐसी मशीनों की मरम्मत करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं था।

ऐसी खराब मशीनों को एसईसीएल द्वारा सर्वे-ऑफ (उपयोग से बाहर घोषित) कर दिया जाता है। जाँच में यह सामने आया कि कुल 193 भारी अर्थ मूविंग मशीनों में से 80 भारी अर्थ मूविंग मशीनें एक वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवधि से खराब पड़े हुए थे। इसके बावजूद, सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा क्षमता का आकलन करते समय, इन खराब पड़ी मशीनों को उनकी 100 प्रतिशत क्षमता पर गिना गया था। वर्ष 2023-24 तक समय-अवधि के अनुसार इन खराब मशीनों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.8: खराब पड़ी भारी अर्थ मूविंग मशीनरी का समयावधि विश्लेष

क्रम संख्या	खराबी की अवधि	भारी अर्थ मूविंग मशीनरी संख्या में
1	एक से दो वर्ष	32
2	दो से तीन वर्ष	21
3	तीन से चार वर्ष	15
4	चार से पाँच वर्ष	3
5	पाँच वर्ष से 11 वर्ष	9

यह भी देखा गया कि लंबे समय से भारी अर्थ मूविंग मशीनरी के खराब पड़े होने के बावजूद, एसईसीएल के तकनीकी विभाग ने आने वाले वर्षों के लिए इन मशीनों की उपलब्धता का आकलन करने हेतु कोई समीक्षा नहीं की। साथ ही, क्षमता आकलन में इन मशीनों को शामिल न करने के लिए सी.एम.पी.डी.आई.एल. को कभी भी सूचित नहीं किया गया।

इस प्रकार, इन खराब पड़ी हुई भारी अर्थ मूविंग मशीनों की उपलब्धता का बिना किसी तकनीकी विश्लेषण के क्षमता आकलन के विचार करना, गलत क्षमता आकलन का कारण बना।

(iii) खदानों की विभागीय उत्खनन और परिवहन क्षमता में तालमेल न होनाविसंगति/

एसईसीएल खनन गतिविधियों/कोयला निकालने के लिए 'सरफेस माइनर' का उपयोग करता है, जिसका इसके कुल कोयला उत्पादन में लगभग 64.08 प्रतिशत का योगदान है, और निकाले गए कोयले के परिवहन (ढुलाई) के लिए यह टिपर्स का उपयोग करता है। बाकी बचे कोयले को शॉवेल-डम्पर के संयोजन (कांबिनेशन) से निकाला जाता है, जिसमें खुदाई शॉवेल से की जाती है और कोयले के परिवहन के लिए डम्पर का उपयोग किया जाता है। तदनुसार, शॉवेल-डम्पर के उपयोग के मामले में, निष्कर्षण और परिवहन क्षमता का समन्वयन/ तालमेल सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है।

समीक्षा से पता चला कि शॉवेल-डम्पर के मामले में खदानों की उत्खनन और परिवहन क्षमता में हमेशा विसंगति रहती है। परिणामस्वरूप, जहाँ उत्खनन क्षमता परिवहन क्षमता से अधिक थी, वहाँ शॉवेल बेकार खड़ी रहीं। इसी तरह, जहाँ परिवहन क्षमता उत्खनन क्षमता से अधिक थी, वहाँ डम्पर बेकार खड़े रहे।

लेखापरीक्षा ने गेवरा खदान में भारी अर्थ मूविंग मशीनरी की उत्खनन और परिवहन क्षमताओं में विसंगति के कारणों की जाँच की। इसमें पाया गया कि तदनुरूपी पर्याप्त 240-टन डम्पर्स के बिना ही 42- मीट्रिक टन वाले शॉवेल्स की खरीद की गई, फरवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक समान क्षमता वाले 15/16 मीट्रिक टन वाले शॉवेल्स के बिना 150-टन डम्पर्स को शामिल किया गया एवं 100-टन डम्पर्स के लिए शॉवेल्स की कमी थी; इन सभी कारणों ने इस विसंगति को बढ़ावा दिया।

इस प्रकार, सुचारू खनन कार्यों के लिए खदान की उत्खनन और परिवहन क्षमता का आपस में तालमेल होना आवश्यक है। दोनों क्षमताओं में विसंगति के कारण संसाधन बेकार पड़े

रहे और लक्ष्यों का निर्धारण भी गलत हुआ। इसलिए, एसईसीएल को संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए किसी भी खदान की उत्खनन और परिवहन क्षमता में तालमेल बिठाना चाहिए था।

(iv) संचालकों की कमी:-

खनन गतिविधियों में सुचारू संचालन हेतु भारी अर्थ मूविंग मशीनों को प्रशिक्षित संचालकों की आवश्यकता होती है। एसईसीएल में वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान तैनात सरफेस माइनर, शॉवेल्स और डम्पर्स के विभागीय संचालकों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले पदस्थ कार्मिकों का विश्लेषण नीचे विस्तार से दिया गया है:

तालिका 1.9: संचालकों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संचालकों की संख्या

वर्ष	सरफेस माइनर			शॉवेल्स / उत्खनक			डम्पर		
	संस्वीकृत पद (संख्या)	पदस्थ कार्मिक (संख्या)	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत पद (संख्या)	पदस्थ कार्मिक (संख्या)	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत पद (संख्या)	पदस्थ कार्मिक (संख्या)	कमी (प्रतिशत)
2018-19	0	0	0	268	287	(7.09)	1246	1071	14.04
2019-20	8	0	100	295	260	11.86	1474	1057	28.29
2020-21	15	0	100	330	236	28.48	1549	1069	30.99
2021-22	38	0	100	273	298	(9.16)	1812	1268	30.02
2022-23	38	20	47.37	227	291	(28.19)	1905	1415	25.72
2023-24	38	24	36.84	279	263	5.73	1728	1438	16.78

(स्रोतः एसईसीएल द्वारा प्रस्तुत डेटा)

एसईसीएल में कोयले का उत्खनन कार्य मुख्य रूप से 'सरफेस माइनर' के माध्यम से किया जाता था, जो कि 64.08 प्रतिशत से अधिक है। तथापि, जैसा कि तालिका में देखा जा सकता है, सरफेस माइनर के संचालकों की भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, शॉवेल और डंपर संचालकों की भी कमी है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, संचालकों की कमी के कारण विभागीय भारी अर्थ मूविंग मशीनें निष्क्रिय पड़े रहे।

इसके उत्तर में, प्रबंधन/ मंत्रालय ने (जून 2025) निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया:

- क्षमता आकलन और लक्ष्य निर्धारण के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि समझौता ज्ञापन का लक्ष्य कोल इंडिया लिमिटेड के स्तर पर निर्धारित किया जाता है तथा एसईसीएल का वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य, एसईसीएल के विभिन्न खदानों के क्षमता आकलन पर विचार करते हुए एसईसीएल के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के

बाद कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के अनुरूप होता है। कोयले का उत्पादन और ओवरबर्डन (आर एंड आर) हटाना कई मुद्दों पर निर्भर करता है, जैसे भूमि की बाधाएं, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी मुद्दे, ग्रामीणों का विरोध, ओवरबर्डन अनुबंध को अंतिम रूप देने में विलंब, प्रमुख भूगर्भीय व्यवधान, संविदाकारों की विफलता, पर्यावरण मंजूरी संबंधी मुद्दे आदि। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एसईसीएल को भूमि/आरएंडआर वन मंजूरी, स्वीकृतियों की स्थिति का तेजी से पता लगाने, सक्रिय सामुदायिक संपर्क और संविदाकारों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करना चाहिए। एसईसीएल के वार्षिक उत्पादन को लगातार समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए रणनीतिक योजना और अंतर-एजेंसी समन्वय को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।

- उत्खनन और परिवहन क्षमता के बीच तालमेल न होने के संबंध में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि उत्खनन और परिवहन क्षमता के बीच यह असंतुलन डंपरों के 'लीड' (परिवहन दूरी) में बदलाव के कारण था, जिसे वर्ष 2021-22 के दौरान 240 टन क्षमता वाले छः डंपरों को चालू करके कम किया गया है। हालांकि, भूमि संबंधी बाधाओं के कारण इस असंतुलन की समस्या का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वर्तमान में, 10 घन मीटर[10] वाले शॉवेल और 100 टन क्षमता वाले डंपरों के बीच क्षमता का कोई असंतुलन नहीं है।
- संचालकों की कमी के संबंध में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि संचालकों की कमी थी, तथापि पात्र विभागीय कर्मचारियों में से चयन करके इस समस्या का समाधान कर लिया गया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है:

- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एसईसीएल के लिए कोयला उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय, विभिन्न बाधाओं और खदान की क्षमता का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए था, जैसे कि खदान की भूखनन परिस्थितियाँ, ओवरबर्डन अनुबंध को अंतिम रूप देने में विलंब पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के मुद्दे, संविदाकारों की विफलता आदि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा अपने उत्तरों में रेखांकित किया गया है। ये

[10] ***क्यूबिक मीटर***

कारक प्रबंधन को भली भांति ज्ञात थे, इसके बावजूद सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकित खदानों की क्षमता की तुलना में ओवरबर्डन हटाने और कोयला उत्खनन के वार्षिक लक्ष्य कम निर्धारित किए गए थे।

- उत्खनन और परिवहन क्षमता के मध्य तालमेल न होने के संबंध में, प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि उत्खनन और परिवहन क्षमता में असंतुलन परियोजना रिपोर्ट के प्रावधानों के विपरीत भारी अर्थ मूविंग मशीनों की खरीद न करने और उनके अनुचित परिनियोजन के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसमें पर्याप्त डंपरों के बिना उच्च क्षमता वाले शॉवेल को शामिल करना और इसके विपरीत डंपर शामिल करना शामिल है। उल्लिखित कारण जैसे कि डंपर लीड का कम होना या भूमि संबंधी बाधा, इन नियोजन में कमी के परिणामस्वरूप उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने को न्यायसंगत नहीं ठहराते हैं।
- संचालकों की कमी के संबंध में, यह एक तथ्य है कि संचालकों की कमी थी जिसने विभागीय कोयला उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारी अर्थ मूविंग मशीनों का निष्क्रिय पड़े रहना जारी रहा। इसके अलावा, प्रबंधन ने भारी अर्थ मूविंग मशीनों की निष्क्रियता को स्वीकार किया है, जिसमें वर्ष 2021-22 से कमी आई है। यह अपर्याप्तता और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, खराब श्रमबल कार्मिक नियोजन (मैनपावर प्लानिंग) इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुछ खदानों में आवश्यकता से अधिक संचालक हैं जबकि अन्य खदानों में संचालकों की कमी है; अतिरिक्त संचालकों को कमी वाली खदानों में तैनात करके उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था।

अनुशंसा 1: एसईसीएल को लक्ष्यों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और विचार किए जाने वाले कारकों/मापदंडों को निर्धारित करते हुए एक नियमावली/ मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।

1.3.5.2 अनुबंध प्रबंधन

एसईसीएल में कोयला उत्पादन मुख्य रूप से ओपनकास्ट खनन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें ओवरबर्डन को हटाने के बाद कोयला निकाला जाता है। एसईसीएल तीन माध्यमों से कोयले का उत्पादन करता है,

क) पूर्णतः विभागीय प्रणाली

ख) आंशिक रूप से विभागीय और आंशिक रूप से बाह्यस्रोतों (बाह्यस्रोतन) प्रणाली द्वारा;

ग) पूर्णतः बाह्यस्रोत प्रणाली जैसे कि एमडीओ[11]

खनन अनुबंध भारी अर्थ मूविंग मशीनों को किराये पर लेने के लिए दिए गए थे, जिसमें ओवरबर्डन हटाने और कोयला निकालने वाले संविदाकारों को हटाए गए ओवरबर्डन और निकाले गए कोयले की मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाता था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, एसईसीएल ने ₹94,476.66 करोड़ मूल्य के 2788 अनुबंध (खनन और गैर-खनन दोनों अनुबंध) आवंटित किए।

लेखापरीक्षा ने आवंटित 183 खनन अनुबंधों में से 52 खनन अनुबंधों (सभी चार एमडीओ अनुबंधों सहित) से संबंधित अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(क) अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करके संविदाकार को अनुचित लाभ:

एसईसीएल ने कुसमुंडा क्षेत्र में 2 वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स एस.एस. माइनिंग जेवी कंपनी (मैसर्स एसएसएम) को 90.73 मीट्रिक टन कोयले की कटाई के लिए सरफेस माइनर किराये पर लेने और टिपरों में 70.65 मीट्रिक टन कोयले की लोडिंग का कार्य आवंटित (जून 2019) किया था। कार्य आदेश के अनुसार, कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि जून 2021 थी।

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) एक अंतर-सेवा संगठन है जो कौशल प्रशिक्षण, रोजगार प्लेसमेंट और स्व-रोजगार के अवसरों के माध्यम से पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है। कोल इंडिया लिमिटेड और डीजीआर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के (उपनियम -12) के अनुसार, कंपनी पूर्व सैनिक संविदाकारों को कार्य आवंटन के लिए सहायता प्रदान करेगी जैसे कि (क) लोडिंग और परिवहन (ख) वैगन लोडिंग और (ग) कोई भी अतिरिक्त प्रकार का कार्य जो व्यावहारिक और उपलब्ध हो। पूर्व सैनिक संविदाकारों को

[11] ***कोयला सेक्टर में माइन डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लंबी अवधि (25 साल या खदान की पूरी अवधि) के लिए किए जाने वाले समझौते हैं, जिनमें प्राइवेट कंपनियां खुदाई, ट्रांसपोर्टेशन और पुनर्वास का काम संभालती हैं।***

कार्य का आवंटन डीजीआर और संबंधित कोयला सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के बीच आपसी सहमति के बाद ही माना जाएगा। तदनुसार, कुसमुंडा क्षेत्र में शेष कटे हुए 20.08 मीट्रिक टन कोयले की लोडिंग मौजूदा पूर्व सैनिक (ईएसएम) संविदाकारों द्वारा की जानी थी।

अनुबंध अवधि के दौरान, जून 2021 तक, मैसर्स एसएसएम ने 90.73 मीट्रिक टन की निर्धारित मात्रा के मुकाबले 49.23 मीट्रिक टन (54.26 प्रतिशत) कोयले की कटाई का कार्य और 70.65 मीट्रिक टन की अनुबंधित मात्रा के मुकाबले 21.40 मीट्रिक टन (30.29 प्रतिशत) की लोडिंग का कार्य किया। चूंकि कार्य निष्पादन के लिए लंबित था, एसईसीएल ने इन कारणों का हवाला देते हुए अनुबंध को छः महीने (दिसंबर 2021 तक) के लिए बढ़ाने की अनुमति (मई 2021) दी कि उक्त कार्य के लिए नया टेंडर अभी तक अंतिम रूप नहीं लिया जा सका था और मौजूदा कार्य को अतिरिक्त समय के लिए बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि, पूर्व सैनिक संविदाकार ने अपनी निर्धारित मात्रा को (नवंबर 2020) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।

विस्तारित अवधि के अंत में (दिसंबर 2021), संविदाकार ने 54.68 मीट्रिक टन (60.27 प्रतिशत) कोयले की कटाई की और 23.96 मीट्रिक टन (33.91 प्रतिशत) कोयले की लोडिंग की। इसके पश्चात, संविदाकार को दोनों कार्यों के लिए जून 2022 तक एक और विस्तार दिया गया। कोयले की कटाई के लिए मार्च 2023 तक दो और विस्तार दिए गए। इसके बावजूद, कुल कोयले की केवल 68.83 मीट्रिक टन मात्रा (75.86 प्रतिशत) की कटाई की गई और लोडिंग केवल 23.96 मीट्रिक टन रही।

अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- कोल इंडिया लिमिटेड के अनुबंध प्रबंधन नियमावली (2014) के उपनियम 6.2 में उल्लेख है कि यदि कैलेंडर महीनों के दौरान कार्य की औसत दैनिक प्रगति कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित दर से कम होती है, तो संविदाकार पर जुर्माना लगाया जाएगा।

- मैसर्स एसएसएम द्वारा अपना अनुबंध पूरा करने में विफल रहने के कारण, एसईसीएल को ईएसएम संविदाकारों से उच्च दर (₹9.45 से ₹10.79) पर 18.55

मीट्रिक टन कोयले की लोडिंग करवानी पड़ी, जिसके लिए एसईसीएल को ₹18.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

- लेखापरीक्षा द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद, कार्यात्मक निदेशकों ने भी (मार्च 2025) पुष्टि की कि मैसर्स एसएसएम की कमी वाली मात्रा को पूरा करने के लिए उच्च दर पर ईएसएम संविदाकार को शामिल करने के कारण अनुबंध अवधि में ₹19.13 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा। कार्यात्मक निदेशकों की समिति ने (मार्च 2025) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ईएसएम संविदाकारों को शामिल करने के लिए दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने की अनुशंसा की और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना आवंटित कार्य से विचलन की अवधि के दौरान शामिल संबंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक और क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, मई 2025 तक, एसईसीएल ने मैसर्स एसएसएम संविदाकार से ₹10.51 करोड़ की राशि वसूल कर ली है। शेष ₹8.62 करोड़[12] की राशि वसूल की जानी अभी बाकी है।

प्रबंधन ने उल्लेख किया (जुलाई 2025) कि संविदाकार मैसर्स एसएसएम ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान 23.96 मीट्रिक टन कटे हुए कोयले की लोडिंग की थी। गैर-ईएसएम परिवहन संविदाकारों की अनुपलब्धता के कारण, ईएसएम संविदाकारों को उच्च दर पर मैसर्स एसएसएम के कटे हुए कोयले की लोडिंग और परिवहन करने की अनुमति दी गई ताकि उत्पादन सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके अतिरिक्त, भूमि की बाधाओं से जुड़े मुद्दों के कारण कोयले की कटाई में और परिवहन संविदाकारों की अनुपलब्धता के कारण कोयले की लोडिंग में व्यवधान उत्पन्न हुआ। यदि ईएसएम एजेंसियों को 18.60 मीट्रिक टन की अतिरिक्त लोडिंग निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी गई होती, तो अनुबंध की अवधि के दौरान लगभग 18.60 मीट्रिक टन के उत्पादन का नुकसान हो सकता था। उत्पादन के इस नुकसान की तुलना में, ईएसएम संविदाकारों के माध्यम से लोडिंग कराने पर किया गया अतिरिक्त भुगतान नगण्य था। मंत्रालय ने प्रबंधन के इन विचारों का समर्थन (सितंबर 2025) किया है।

[12] ***₹19.13 करोड़ - ₹10.51 करोड़ = ₹8.62 करोड़***

प्रबंधन/मंत्रालय के इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एसईसीएल को या तो कमी वाली मात्रा को पूरा करने के लिए मैसर्स एसएसएम से ही लोडिंग का पूरा कार्य करवाना चाहिए था या फिर समझौते के अनुसार जुर्माना लगाना चाहिए था। इसके बजाय, कमी वाली मात्रा की लोडिंग के लिए उच्च दर पर ईएसएम संविदाकारों को शामिल करने के कारण एसईसीएल को ₹19.13 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा, जो प्रबंधन के स्तर पर निगरानी में हुई चूक को दर्शाता है; क्योंकि अप्रैल 2022 के कोल इंडिया लिमिटेड अनुबंध प्रबंधन नियमावली के उपनियम 13 में भी यह प्रावधान है कि संविदाकार की विफलता से होने वाले किसी भी नुकसान का आकलन और उसकी वसूली कंपनी द्वारा की जाएगी।

एसईसीएल के कार्यात्मक निदेशकों ने भी यह विचार व्यक्त किया (मार्च 2025) कि इस मामले में, उच्च दर पर ईएसएम संविदाकारों को नियुक्त करने से एसईसीएल को न केवल ₹19.13 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय नुकसान हुआ, बल्कि ईएसएम संविदाकारों को शामिल करने के लिए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न करके अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया। इस प्रकार, अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का पालन न करने और निगरानी में हुई चूकों के कारण कंपनी को ₹8.62 करोड़ की राशि का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

(ख) संविदाकार से वसूली करने में विफलता

कोल इंडिया लिमिटेड के अनुबंध प्रबंधन नियमावली (अनुबंध प्रबंधन नियमावली-2014) के विशेष नियमों और शर्तों का खंड 16 यह निर्धारित करता है कि लोडिंग और अनलोडिंग बिंदु के बीच वजन में अंतर का हर महीने मिलान किया जाएगा और अनलोडिंग बिंदु पर अंतर पाए जाने की स्थिति में, कम पाए गए कोयले के मूल्य की कटौती संबंधित परिवहन संविदाकार की सुरक्षा जमा राशि से तत्कालीन प्रचलित दर के दोगुने पर की जाएगी, जिसमें सभी रॉयल्टी और उपकर शामिल होंगे।

एसईसीएल ने चिरमिरी खदान के संबंध में लोडिंग बिंदु से चिरमिरी रेलवे साइडिंग तक क्रश किए गए कोयले के परिवहन का कार्य जनवरी 2020 में मैसर्स आनंद कार्बो प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) को आवंटित किया था। यह कार्य 1 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था और 9 जनवरी 2023 तक वैध था।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि अनुबंध की अवधि के दौरान, मैसर्स आनंद कार्बो प्राइवेट लिमिटेड ने लोडिंग बिंदु से निर्धारित रेलवे साइडिंग तक 20.11 लाख टन कोयले का परिवहन किया। हालांकि, रेलवे साइडिंग पर वजन के आधार पर केवल 20.05 लाख टन कोयला ही प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 6549.93 टन (0.06 लाख टन) कोयले की कमी पाई गई। कोयले की इस कम आपूर्ति के कारण, अनुबंध की शर्तों के अनुसार संविदाकार से ₹3.21 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी। हालांकि, प्रबंधन ने कोल इंडिया लिमिटेड के अनुबंध प्रबंधन नियमावली के खंड 16 के अनुसार वजन के कारण कोयले की कमी के लिए ₹3.21 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जो प्रबंधन के स्तर पर निगरानी संबंधी चूक को दर्शाता है।

यह भी देखा गया कि एसईसीएल के पास संविदाकार की ₹1.96 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि थी, जिसे इन देय के एवज में समायोजित किया जा सकता था। इस प्रकार, अनुबंध पूरा होने (जनवरी 2023) के बाद भी एसईसीएल संविदाकार से ₹1.25 करोड़ की राशि वसूल करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने सूचित किया (जून 2025) कि फाइल प्रक्रियाधीन है और संविदाकार को अनुबंध के सामान्य नियमों और शर्तों (जीटीसी) के अनुसार शेष वसूली योग्य राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने (जुलाई 2025) प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रबंधन लंबित देय की वसूली के लिए सुरक्षा जमा की राशि को रोक सकता है। हालांकि, सुरक्षा जमा राशि को समायोजित करने के बाद भी संविदाकार से ₹1.25 करोड़ की राशि वसूल की जानी बाकी है।

1.3.5.3 कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट) के संबंध में अनुबंध प्रबंधन नियमावली से विचलन

अनुबंध प्रबंधन नियमावली (अप्रैल 2022) के अनुबंध खंड 4.2 में यह निर्धारित है कि कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा अनुबंध मूल्य के वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजगामार खदान में कंटीन्यूअस माइनर (मशीन) की आपूर्ति के एक अनुबंध के लिए निविदा जून 2022 में जारी की गई थी और अनुबंध के वार्षिक

मूल्य के 5 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत की दर से कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा पर विचार करते हुए दिसंबर 2022 में मैसर्स गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आवंटित किया गया था। निर्धारित दर से कम दर पर कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा पर विचार करना अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में है।

इस प्रकार, अनुबंध प्रबंधन नियमावली का अनुपालन न करने के कारण, न केवल कंपनी के पास कार्य निष्पादन सुरक्षा की कम राशि जमा रही, बल्कि यह प्रबंधन के स्तर पर निगरानी संबंधी कमियों को भी दर्शाता है।

प्रबंधन ने उल्लेख किया (जून 2025) कि इस मामले में कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा राशि को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के बजाय भूलवश 3 प्रतिशत पर ही बनाए रखा गया था। मंत्रालय ने सूचित किया (जून 2025) कि कंपनी ने चुनौतीपूर्ण और अस्पष्ट परिस्थितियों में सद्भावना से काम किया, महामारी के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन किया और प्रतिधारण राशि की कटौती के माध्यम से अपने वित्तीय हितों की रक्षा करना जारी रखा।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रबंधन/मंत्रालय ने माना कि यह कोविड महामारी के दौरान हुई एक चूक थी, जिसे प्रतिधारण राशि की कटौती के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा।

1.3.5.4 कोयले का गुणवत्ता आकलन: ग्रेड समीक्षा के बिना कोयले की गुणवत्ता में गिरावट

कोल इंडिया लिमिटेड ने नमूनाकरण (सैंपलिंग) प्रक्रिया के लिए कोयला गुणवत्ता आश्वासन नीति (अगस्त 2020) पर एक दिशानिर्देश तैयार किया था। उपरोक्त दिशानिर्देश में यह प्रावधान है कि यदि तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा विश्लेषित किए गए 50 प्रतिशत से अधिक नमूनों के परिणामों में लगातार तीन (3) महीनों तक तीन या अधिक ग्रेड की गिरावट होती है, तो इन साइडिंग/फीडिंग खदानों के घोषित ग्रेड की समीक्षा की जानी चाहिए।

एसईसीएल ने कोलियरी कंट्रोल रूल्स, 2004 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 के अनुसार कुसमुंडा खदान के कोयला ग्रेड को जी-11 घोषित किया था।

समीक्षा से पता चला कि नमूना लिए गए कोयले में से 50 प्रतिशत से अधिक नमूनों को मई 2021 से अगस्त 2022 के महीनों में तीन या अधिक ग्रेड नीचे कर दिया गया था।

हालांकि, इस गिरावट की कोई समीक्षा नहीं की गई, जो कोयला गुणवत्ता आश्वासन नीति के अनुरूप नहीं है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जून 2025) कि ग्रेड में गिरावट/उन्नयन इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि समीक्षा की सीमा को पूरा कर सके और कोल इंडिया लिमिटेड के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रेड परिवर्तन की घोषणा की जा सके। प्रबंधन/मंत्रालय के इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्रेड में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी जिसके कारण कोल इंडिया लिमिटेड के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

1.3.5.5 भूमिगत खदानें

एसईसीएल में भूमिगत खनन या तो साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल)/लोड हॉल डम्पर (एलएचडी) के साथ अर्ध-यांत्रिक (सेमी-मैकेनाइज्ड) पद्धति के माध्यम से या कंटीन्यूअस माइनर (मशीन) के साथ पूर्णतः यांत्रिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, एसईसीएल के पास 41 संचालित भूमिगत खदानें हैं। वर्ष 2018-2024 के दौरान, भूमिगत खदानों से कोयले का उत्पादन 76.17 मीट्रिक टन था।

भूमिगत खदानों की व्यवहार्यता (वायबिलिटी) के लिए कार्य योजना का पालन न करना

कोयला सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक (अगस्त 2016) आयोजित की गई थी और भूमिगत खदानों के प्रदर्शन, उत्पादन क्षमता और श्रमबल के युक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सितंबर 2016 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने नवंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- समिति ने 10 खदानों की पहचान की थी, जिनमें से छः खदानों के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना पहले से ही अस्तित्व में थी और शेष चार खदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/ योजना का सुझाव दिया गया था। यह देखा गया कि दो खदानों[13] के लिए योजना/पीआर सात वर्ष के विलंब के साथ अक्टूबर 2023 और

[13] ***राजेन्द्र यूजी एवं बरताराई यूजी खदान***

दिसंबर 2023 में तैयार की गई थी। साथ ही, नौ वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी दो खदानों[14] के लिए कोई अध्ययन/योजना तैयार नहीं की गई थी।

- इसके अलावा, छः खदानों के संबंध में समिति ने अनुशंसा की थी कि वित्तीय चिंताओं के कारण उत्पादन गतिविधि के पूर्ण या आंशिक बाह्यस्रोतन का प्रयास किया जा सकता है तथा बाह्यस्रोतन की लागत का आकलन किया जा सकता है। यदि यह व्यवहार्य न हो, तो इन खदानों को मार्च 2020 तक चरणबद्ध तरीके से बंद (फेज आउट) कर दिया जाए। समीक्षा से पता चला कि इन छः खदानों के बाह्यस्रोतन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और एक खदान को वर्ष 2019 में चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। इसके अलावा, शेष पांच खदानों को बाह्यस्रोत पर देने या चरणबद्ध तरीके से बंद करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

संघर्ष कर रही खदानों को पुनर्जीवित करने या बंद करने की वर्ष 2016 की योजना के बावजूद, एसईसीएल ने इस पर कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की कि कार्य को वाह्यस्रोत पर दिया जाए या उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाए।

1.3.5.6 बिजली क्षेत्र (पॉवर सेक्टर) को क्रश किए गए कोयले की बिक्री

(i) (-)100 मिमी आकार के क्रश किए गए कोयले की आपूर्ति न करने के कारण अतिरिक्त राजस्व की हानि

कोयला मंत्रालय ने (दिसंबर 2014) निर्णय लिया था कि कोयला कंपनियां बिजली क्षेत्र को (-)100 मिमी आकार के कोयले की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए थे।

एसईसीएल ने भाटगांव क्षेत्र के तहत जगन्नाथपुर ओसी खदान में 1260 दिनों की अवधि के लिए कोयले की क्रशिंग और परिवहन का कार्य मैसर्स आर.के. ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शंस

[14] *नवापारा यूजी एवं रामनगर यूजी खदान*

लिमिटेड (आरकेटीसी) को आवंटित (जुलाई 2020) किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयले को (-)100 मिमी आकार में क्रश करना शामिल था।

अनुबंध के विशेष नियमों और शर्तों के खंड 13 में यह निर्धारित किया गया था कि संविदाकार की विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान का आकलन कंपनी द्वारा किया जाएगा और उसकी वसूली संविदाकार से की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

1. (-) 100 मिमी आकार के कोयले की अधिसूचित कीमतें ₹87 प्रति टन थीं, जबकि (-)250 मिमी आकार के कोयले के लिए यह ₹56 प्रति टन थीं। इस प्रकार, कोयला मंत्रालय /कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशों का पालन करके एसईसीएल, (-)250 मिमी कोयले की आपूर्ति के मुकाबले (-)100 मिमी कोयले की आपूर्ति करके ₹87 प्रति टन का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकता था। (-)100 मिमी कोयले के लिए क्रशिंग की लागत ₹8.24 प्रति टन थी।

2. संविदाकार ने नियत तिथि 11 अगस्त 2021 के मुकाबले केवल 14 जनवरी 2022 को क्रशर स्थापित किया, जिसमें 156 दिनों का विलंब हुआ। इस विलंब की अवधि के दौरान खदानों ने बिजली क्षेत्र (पॉवर सेक्टर) को (-)250 मिमी आकार के 4.98 लाख टन कोयले की आपूर्ति की।

3. कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशों का पालन न करने के कारण, एसईसीएल ने संविदाकार की विफलता की वजह से उस अवधि के दौरान (-)250 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति करके ₹22.76[15] प्रति टन की दर से ₹1.14 करोड़[16] का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

4. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अवसर के इस हानि की राशि को संविदाकार से वसूल किया जाना चाहिए था। हालांकि, एसईसीएल ने संविदाकार से इसकी वसूली के लिए कोई पहल नहीं की है। इस प्रकार, निर्देशों और अनुबंध की शर्तों का पालन न करने

[15] ***₹87 - ₹56 - ₹8.24 = ₹22.76***

[16] ***498390.73 टन (विलंब अवधि के दौरान आपूर्ति की गई मात्रा) * ₹22.76 की दर = ₹11353340.80 = ₹1.14 करोड़***

के कारण, एसईसीएल संविदाकार से ₹1.14 करोड़ की राशि वसूल करने का अवसर खो बैठा।

प्रबंधन ने उल्लेख किया (जून 2025) कि पुनर्विनियोजन तथा प्रबंधन के कारण उत्पन्न बाधाओं के कारण लक्षित मात्रा 32.88 लाख टन से घटाकर 18.83 लाख टन कर दी गई थी एवं संविदाकार की ओर से कोई कमी नहीं थी। यह भी कहा गया कि कंपनी द्वारा साइजिंग शुल्क के मद में ₹55.72 लाख की राशि रोक ली गई है।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी ने मात्रा को विनियोजित करके क्रशर की स्थापना की चूक अवधि को नियमित कर दिया। इसके अलावा, वसूली गई राशि वांछित मात्रा में कमी के लिए खंड-6.2 के अंतर्गत शास्ति के रूप में है न कि खंड-13 के अनुसार। क्रशर की स्थापना की चूक अवधि के लिए (-) 250 मिमी कोयले की बिक्री के कारण कंपनी द्वारा छोड़ा गया अतिरिक्त राजस्व ₹1.14 करोड़ है।

(ii) कोयले की क्रशिंग के लिए बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग न करना

कोयला मंत्रालय ने (दिसंबर 2014) इस बात पर विशेष बल दिया था कि कोयला कंपनियां बिजली क्षेत्र को (-) 100 मिमी आकार के कोयले की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके आलोक में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए थे।

मूल्य अधिसूचना (अगस्त 2017) के अनुसार, उपभोक्ताओं से वसूलने योग्य अधिसूचित क्रशिंग शुल्क (-)200 मिमी से (-)250 मिमी आकार के कोयले के लिए ₹56 प्रति टन और (-)100 मिमी आकार के कोयले के लिए ₹87 प्रति टन था। कोयले को (-)100 मिमी आकार में क्रश करने की लागत ₹10.16 प्रति टन थी।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि कुसमुंडा और गेवरा खदानों में क्रशिंग की सुविधा होने के बावजूद, एसईसीएल ने वर्ष 2021 से 2024 के दौरान बिजली संयंत्रों को (-) 200 मिमी से (-)250 मिमी आकार के बिना क्रश किए गए कोयले की आपूर्ति की। उक्त अवधि के दौरान, कुसमुंडा खदान की क्रशिंग क्षमता 4.38 मीट्रिक टन से 19.53 मीट्रिक टन के बीच थी, जबकि गेवरा खदान की क्रशिंग क्षमता 7.92 मीट्रिक टन से 14.49 मीट्रिक टन के बीच थी। यह भी पाया गया कि कुसमुंडा खदान की क्षमता जो 1.57 मीट्रिक टन से 10.71

मीट्रिक टन के बीच थी, बेकार पड़ी रही। गेवरा खदान की क्रशिंग क्षमता 6.30 मीट्रिक टन से 11.29 मीट्रिक टन के बीच का बेकार रहा। निर्धारित निर्देशों का पालन करके, प्रबंधन द्वारा ₹20.84 प्रति टन (क्रशिंग लागत को घटाकर शुद्ध राशि) का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार, निर्धारित निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण, कंपनी ने ₹35.74 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया **(अनुलग्नक-II)**।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उल्लेख किया (जून 2025) कि बिजली संयंत्रों को (-)250 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति करने के पीछे क्रशिंग अवसंरचना की कमी, मांग में उतार-चढ़ाव, रैक की उपलब्धता, उत्पादन में अचानक आई तेजी और पुराने स्टॉक को तेजी से खाली करना जैसे कारण उत्तरदायी थे।

प्रबंधन के इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-24 के दौरान दोनों खदानों, कुसमुंडा में 35.88 प्रतिशत से 54.83 प्रतिशत के बीच और गेवरा में 77.73 प्रतिशत से 79.55 प्रतिशत के बीच में क्रशर (-100 मिमी आकार) की क्षमता का कम उपयोग हुआ था। इसके अतिरिक्त, मोबाइल क्रशरों को किराए पर लेकर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता था और अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जा सकता था।

(iii) पूंजीगत व्यय की वसूली न होना

एसईसीएल ने रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए अक्टूबर 2005 में गेवरा खदान की 6.15 हेक्टेयर भूमि मैसर्स गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 20 वर्षों के लिए पट्टे (लीज़) पर दी थी। इसके समझौते पर जुलाई 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। पट्टा समझौते को अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया था। एसईसीएल बोर्ड ने निर्देश दिया था (अप्रैल 2006) कि रेलवे ट्रैक के विकास के लिए एसईसीएल द्वारा किया गया कोई भी व्यय उपयोगकर्ता एजेंसी यानी (मैसर्स जीएसईसीएल) से वसूल किया जाना चाहिए। एसईसीएल ने वर्ष 2006 और 2017 के बीच रेलवे ट्रैक के उन्नयन पर ₹4.08 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया, जो उपरोक्त साइडिंग से परस्पर जुड़ा हुआ था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- एसईसीएल ने अक्टूबर 2005 में बिना किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए मैसर्स जीएसईसीएल को उपयोग का अधिकार प्रदान कर दिया था। समझौते पर लगभग तीन वर्ष के विलंब के साथ जुलाई 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस विलंब के कारण को अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया।

- रेलवे ट्रैक के विकास के लिए एसईसीएल द्वारा किए गए किसी भी व्यय की वसूली के संबंध में बोर्ड के विशिष्ट निर्देशों (अप्रैल 2006) के बावजूद, रेलवे ट्रैक के विकास के लिए किए गए ₹4.08 करोड़ के पूंजीगत व्यय की वसूली के लिए न तो मूल और न ही संशोधित समझौते में कोई खंड शामिल किया गया था।

- अप्रैल 2019/दिसंबर 2022 में, एसईसीएल ने मैसर्स जीएसईसीएल को ₹4.08 करोड़ के भुगतान के लिए नोटिस जारी किए और इसके उत्तर में, मैसर्स जीएसईसीएल ने यह हवाला देते हुए (अप्रैल 2020/जून 2020) ऐसी देनदारी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एसईसीएल द्वारा रेलवे ट्रैक के उन्नयन पर व्यय साझा करना समझौते की शर्तों के परे था।

- एसईसीएल ने वास्तविक आंकड़ों के आधार पर हर साल पट्टा किराए (लीज़ रेंट) को संशोधित करने के संबंध में 2017 में दिए गए बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके विपरीत, एसईसीएल ने वर्ष 2017 से बिना किसी पुनर्मूल्यांकन के किराए में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि जारी रखी। साथ ही, बोर्ड के निर्देश के विरुद्ध, मैसर्स जीएसईसीएल के साथ संशोधित पट्टा समझौते के अनुसार, वास्तविक इनपुट के आधार पर हर तीन साल में वार्षिक पट्टा किराए का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। हालांकि, यह कार्य भी अभी किया जाना बाकी था।

प्रबंधन ने उल्लेख किया (जून और अक्टूबर 2025) कि वर्ष 2019-24 के लिए पट्टा किराए (लीज़ रेंट) का संशोधन अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2025) कि एसईसीएल ने वास्तविक आंकड़ों के आधार पर हर साल पट्टा किराए को संशोधित करने के संबंध में 2017 में दिए गए बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने वर्ष 2017 से 2024 तक बिना किसी पुनर्मूल्यांकन के किराए में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि जारी रखी, जिससे वित्तीय हानि हुई। साथ ही, एसईसीएल साझा अवसंरचना पर खर्च किए गए

₹4.08 करोड़ से अधिक की राशि वसूलने के लिए पट्टा समझौतों में एक खंड शामिल करने में विफल रहा।

इस प्रकार, एसईसीएल यथोचित सावधानी बरतने में विफल रहा और अपने बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ के पूंजीगत व्यय की वसूली नहीं हो सकी।

(iv) फ्लाई एश डंपिंग शुल्कों को अंतिम रूप न देने के कारण अतिरिक्त व्यय

खदान के खाली स्थानों को फ्लाई एश से भरना कोयला कंपनियों के लिए व्यवहार्य विकल्पों में से एक माना गया है। बालू के स्थान पर भूमिगत खदानों को भरने और परित्यक्त खुली खदानों के खाली स्थानों को भरने में भारी मात्रा में फ्लाई एश का उपयोग किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली फ्लाई एश का अधिक मात्र में उपयोग हो जाता है, अन्यथा जो एक प्रमुख प्रदूषक है।

उपरोक्त के अनुरूप, पॉन्ड एश के कुशल और सुरक्षित डंपिंग को सुनिश्चित करने के लिए कोरबा क्षेत्र के संबंध में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और थर्मल पावर प्लांटों के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित (अक्टूबर 2018) किया गया था। समझौता ज्ञापन के खंड 6 के अनुसार, एसईसीएल को माणिकपुर खदान के खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर एश के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी, प्रबंधन और नियंत्रण करना था, और किए गए व्यय को टीपीपी द्वारा यथानुपात आधार पर साझा किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि समझौता ज्ञापन के अनुसार, एसईसीएल को सभी संबंधित गतिविधियों की निगरानी, प्रबंधन और नियंत्रण करना था तथा राख की डंपिंग के लिए एक अनुबंध निष्पादित करना था। हालांकि, अनुबंध करने के बजाय, एसईसीएल ने किसी संविदाकार को काम पर रखने के बजाय काम के निष्पादन के लिए अपने स्वयं के विभागीय उपकरणों और श्रमबल को तैनात करके नवंबर 2018 से खदान के खाली स्थानों में फ्लाई एश की डंपिंग खुद ही प्रारम्भ कर दी। यह गतिविधि मार्च 2023 तक जारी रही।

यह भी देखा गया कि यद्यपि एसईसीएल ने टीपीपी से लिए जाने वाले शुल्क की दर निकालने और दावा की जाने वाली अंतिम राशि निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन (मई 2021) किया था, फिर भी अगस्त 2024 तक फ्लाई एश डंपिंग की दर को

अंतिम रूप नहीं दिया गया था। माणिकपुर खदान ने मार्च 2023 तक टीपीपी से वसूलने योग्य राशि ₹20.74 करोड़ आंकी (मई 2024) थी।

इस प्रकार, किसी अनुबंध के अभाव एवं दरों को अंतिम स्वरूप न दिए जाने के कारण लगभग छः वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी एसईसीएल को अपने स्वयं के धन से यह खर्च वहन करना पड़ा और वह टीपीपी से इस व्यय की वसूली से वंचित रहा, जो एसईसीएल प्रबंधन के स्तर पर अप्रभावी नियोजन और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

प्रबंधन ने उल्लेख किया (जून 2025) कि शुरू में नवंबर 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि से संबंधित दावा तैयार किया गया था, लेकिन दावा अवधि को संशोधित कर नवंबर 2018 से मार्च 2023 कर दिया गया और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे शीघ्रातिशीघ्र वसूल लिया जाएगा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2025) कि टीपीपी से किसी लिखित सहमति के बिना एमओयू की शर्त के अनुसार फ्लाई एश की डंपिंग के शुल्कों के लिए दावे पेश करने में प्रक्रियात्मक विलंब और समय पर कार्रवाई की कमी के कारण धन की अनावश्यक रुकावट और ब्याज की संभावित हानि हुई।

1.3.6 सर्वोत्तम प्रथाएं

एसईसीएल ने अगस्त 2012 में गेवरा खदान में इन-मोशन वेब्रिज सहित कोल हैंडलिंग प्लांट के निर्माण का अनुबंध दिया था। निर्माण कार्य पूरा हो गया था और खदान अक्टूबर 2018 से संचालित थी। इस मामले में, उच्च अंडर-लोडिंग शुल्कों के कारण, प्रबंधन ने विचार-विमर्श के बाद एक बेहतर वजन मशीन "प्री वे बिन" स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसने अंडर-लोडिंग को काफी कम कर दिया है। यह कंपनी के वित्तीय हित में प्रबंधन की सक्रिय निगरानी को दर्शाता है।

1.3.7 निष्कर्ष

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन (ओबी) हटाने के लक्ष्य को सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकित क्षमता के अनुरूप नहीं रखा। एसईसीएल ने विभागीय और वाह्यस्रोत मोड के लिए कोयला उत्पादन के अपने वार्षिक लक्ष्यों को अलग से परिभाषित नहीं किया। किसी मानक के अभाव में, विभागीय या वाह्यस्रोत मोड के माध्यम से एसईसीएल के प्रदर्शन का विश्लेषण नहीं किया जा सका। एसईसीएल ने लक्ष्यों के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों/पैरामीटरों को परिभाषित करने वाली कोई नियमावली (मैनुअल)/एसओपी तैयार नहीं की। इसके अलावा, खनन क्षमता आकलन के लिए ऐसी खराब पड़ी भारी अर्थ मूविंग मशीनरी पर विचार किया गया, जिनका कोई आवधिक तकनीकी आकलन नहीं किया गया था। भारी अर्थ मूविंग मशीनों की उत्खनन और परिवहन क्षमता में विसंगति भी विद्यमान थी। संचालकों की कमी के कारण भारी अर्थ मूविंग मशीनें बेकार पडी रहीं। अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का पालन न करने और निगरानी में कमियों के कारण कंपनी को ₹8.62 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

गुणवत्ता आश्वासन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के दिशानिर्देशों का पालन न करने/उल्लंघन करने के मामले सामने आए। (-)100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति न करके अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में विफलता के रूप में निगरानी संबंधी कमियां देखी गईं और ₹35.74 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया गया। साथ ही, फ्लाई एश डंपिंग शुल्कों को अंतिम स्वरूप न दिए जाने के कारण एसईसीएल को स्वयं के धन का व्यय करना पड़ा और वह थर्मल पावर प्लांटों से इस व्यय की वसूली से वंचित रहा, जो अप्रभावी नियोजन को दर्शाता है।

अध्याय II: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.1 अवसंरचना सुविधा के निर्माण पर निष्फल व्यय

1 अप्रैल 2020 तक 100 प्रतिशत बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकता के व्यापक विश्लेषण और पहचान की कमी के कारण, पारादीप रिफाइनरी में ₹32.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

भारत सरकार ने 16 सितंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 तक पूरे देश में 100 प्रतिशत बीएस-VI ग्रेड ईंधनों के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की पारादीप रिफाइनरी (रिफाइनरी), जिसने 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की डिजाइन क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता के साथ 2016 में अपना परिचालन शुरू किया था, वह (31 जनवरी 2017 को) 100 प्रतिशत बीएस-IV मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का उत्पादन कर सकती थी, लेकिन तत्कालीन रिफाइनरी विन्यास के अनुसार इसके द्वारा बीएस-VI[1] ग्रेड मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का केवल आंशिक उत्पादन ही किया जा सका। कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 जनवरी 2017 को आयोजित अपनी बैठक में, तत्कालीन रिफाइनरी विन्यास के तहत निर्धारित 1 अप्रैल 2020 की लक्षित तिथि तक, रिफाइनरी में 100 प्रतिशत बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (15 एमएमटीपीए क्रूड थ्रूपुट स्तर) के उत्पादन के लिए चरण-I (व्यवहार्यता रिपोर्ट) के प्रस्ताव को ₹4,049 करोड़ की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड ने परियोजना-पूर्व गतिविधियों जैसे कि अनुज्ञप्तिकर्ता का चयन, प्रोसेस पैकेज तैयार करना, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, पर्यावरण प्रभाव आकलन आदि के लिए ₹533 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी। निदेशक मंडल[2] की 31 जनवरी 2017 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में, 100 प्रतिशत बीएस-VI ग्रेड मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए आइसोमराइजेशन यूनिट और आईएनडीएमएएक्स-गैसोलीन

---

[1] इसके तहत, अन्य बातों के अलावा, ईंधन में सल्फर की मात्रा को बीएस-IV के 50 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) से घटाकर 10 पीपीएम करना ज़रूरी था।

[2] ईंधन में सल्फर की मात्रा को 10 पीपीएम तक कम करने के लिए।

हाइड्रो डिसल्फराइजेशन यूनिट को स्थापित करना आवश्यक था, जो पहले रिफाइनरी में स्थापित नहीं थीं। इसके लिए रिफाइनरी में आईएसओएम इकाइयों और आईजीएचडीएस इकाइयों के लिए बुनियादी डिजाइन इंजीनियरिंग पैकेज तैयार करने हेतु अनुज्ञप्तिकर्ताओं को कार्यादेश (अप्रैल 2018 से सितंबर 2018) जारी किए गए और इसके लिए ₹32.02 करोड़ की राशि जारी की गई।

निदेशक मंडल ने 17 मई 2019 की अपनी बैठक में, 9 मार्च 2019 की संशोधित डीएफआर[3] की समीक्षा करते समय, यह संज्ञान लिया कि रिफाइनरी केवल मौजूदा सुविधाओं के साथ ही 100 प्रतिशत बीएस-VI अनुपालन वाले एमएस का उत्पादन कर सकती है और इसके लिए आईएसओएम यूनिट तथा आईजीएचडीएस यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट के बीडीईपी को तैयार करने पर हुए व्यय को निष्फल होने से बचाने के लिए इन बीडीईपी का उपयोग न केवल पारादीप रिफाइनरी के विस्तार परियोजना के लिए बल्कि कंपनी की अन्य रिफाइनरियों की विस्तार परियोजनाओं के लिए भी करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

इसे ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने अगस्त 2021 तक रिफाइनरी में 100 प्रतिशत बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल के उत्पादन के लिए ₹3,361 करोड़ की अनुमानित लागत की अंतिम निवेश स्वीकृति (17 मई 2019 को) प्रदान की। इसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, रिफाइनरी की क्षमता विस्तार तक आईएसओएम यूनिट की आवश्यकता को स्थगित कर दिया गया और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया गया। हालांकि, निर्मित सुविधा के उपयोग के लंबित रहने के कारण, कंपनी द्वारा अक्टूबर 2021 में ₹32.02 करोड़ की राशि का प्रावधान कर दिया गया।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि

---

[3] *मूल डीएफआर नवंबर 2018 में प्रस्तुत की गई थी, हालांकि चरण-I में प्रदान की गई एमएस उत्पादक सुविधाओं की समीक्षा के लिए दिसंबर 2018 में गठित कंपनी की आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने (21 जनवरी 2019) के बाद, संशोधित डीएफआर प्रस्तुत की गई थी।*

- 100 प्रतिशत बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता की परिकल्पना जनवरी 2017 में की गई थी, जो रिफाइनरी के अपने परिचालन डेटा पर आधारित नहीं थी, बल्कि कंपनी की अन्य रिफाइनरियों में मौजूदा इकाइयों के उपलब्ध डेटा पर आधारित थी। ऐसा करते समय और इतने लंबे समय से इस व्यवसाय में होने के बावजूद, प्रबंधन ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि एक बार जब रिफाइनरी का परिचालन स्थिर हो जाएगा और उसका अपना परिचालन डेटा उपलब्ध होगा, तो आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता के संबंध में प्रबंधन का विश्लेषण मौलिक रूप से बदल सकता है, जैसा कि मई 2019 के बोर्ड मूल्यांकन के दौरान हुआ।

- नवंबर 2007 में अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैक्यूम गैस ऑयल हाइड्रोट्रीटर[4] के डिजाइन आधार के अनुसार, रिफाइनरी बिना आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट के भी बीएस-VI अनुपालन वाले एमएस का उत्पादन कर सकती थी। हालांकि, 31 जनवरी 2017 की निदेशक मंडल की बैठक में इन इकाइयों की आवश्यकता का प्रस्ताव रखने से पहले प्रबंधन द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई। अनुज्ञप्तिकर्ता ने भी (जनवरी 2019 में) इस तथ्य की पुष्टि की कि वीजीओ हाइड्रोट्रीटर का डिजाइन बिना आईएसओएम और आईजीएचडीएस यूनिट के बीएस-VI अनुपालन वाले एमएस का उत्पादन करने में सक्षम था।

- निदेशक मंडल (मई 2019) को दिए गए स्पष्टीकरण के विपरीत, कंपनी द्वारा आज दिनांक तक (दिसंबर 2025 तक) यानी आईएसओएम यूनिट को स्थगित करने और आईजीएचडीएस यूनिट को हटाने के बोर्ड के निर्णय की तारीख से लगभग सात वर्ष बीत जाने के बाद भी, आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट के बीडीईपी का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं ढूंढा जा सका। इसके बजाय, कंपनी ने उपर्युक्त बोर्ड निर्णय के तीन वर्षों के भीतर ही इन इकाइयों के बीडीईपी पर खर्च किए गए ₹32.02 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सात साल से

---

[4] ***यह परिशोधन प्रक्रिया के दौरान भारी फीड में सल्फर, नाइट्रोजन और धातु संदूषकों को कम करता है।***

अधिक समय पहले तैयार किए गए बीडीईपी, कंपनी की किसी अन्य रिफाइनरी के लिए अभी भी प्रासंगिक हैं या नहीं, यह संदेहास्पद था क्योंकि प्रत्येक रिफाइनरी का अपना विशिष्ट विनिर्देश होता है, जैसा कि पहले बिंदु में देखा गया है।

इस प्रकार, रिफाइनरी में आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता का बेहतर और अधिक व्यापक विश्लेषण करने से ₹32.02 करोड़ के इस निष्फल व्यय से बचा जा सकता था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (6 अगस्त 2024) में बीडीईपी तैयार करने के लिए अनुज्ञप्तिकर्ता के चयन के अपने निर्णय को निम्नलिखित आधारों पर उचित ठहराया:

- अनुज्ञप्तिकर्ता ने (मार्च 2016 में) पुष्टि की थी कि वीजीओ हाइड्रोट्रीटर से मिलने वाले फीड में सल्फर की मात्रा अधिक थी और रिफाइनरी के तत्कालीन विन्यास के अनुसार इसे 10 पीपीएम के स्तर तक नीचे नहीं लाया जा सकता था।
- परियोजना की आगामी कार्रवाइयों जैसे कि डीएफआर और निवेश प्रस्ताव तैयार करने के लिए बीडीईपी तैयार करना आवश्यक था।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है:

- मौजूदा वीजीओ हाइड्रोट्रीटर का डिजाइन ऐसा था कि बिना आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट के भी बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट का उत्पादन किया जा सकता था, इस बात पर प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया गया।
- रिफाइनरी ने 2016 में चरणबद्ध तरीके से अपना परिचालन शुरू किया था, जिसके कारण बीएस-VI अनुपालन वाले ईंधनों के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर निर्णय लेने के लिए कोई विश्वसनीय परिचालन डेटा तैयार नहीं किया जा सका। यह कारक जनवरी 2019 में अनुज्ञप्तिकर्ता के रुख में आए बदलाव के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जब उसने रिफाइनरी में बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता के संबंध में मार्च 2016 की अपनी पुष्टि को बदल दिया था।

- संशोधित डीएफआर और उसके परिणामस्वरूप तैयार निवेश प्रस्ताव रिफाइनरी के अपने परिचालन डेटा के अनुरूप तैयार किए गए थे, और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता नहीं थी।

- निदेशक मंडल की बैठक में 17 मई 2019, बीडीईपी पर किए गए व्यय को तब निष्फल माना गया था जब तक कि उनके वैकल्पिक उपयोग की संभावना न तलाश ली जाए। इन बीडीईपी के किसी भी वैकल्पिक उपयोग के लंबित रहने के कारण, उन पर खर्च किए गए ₹32.02 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यह व्यय किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका।

यह प्रस्तर सितंबर 2024 में मंत्रालय को जारी किया गया था, हालांकि, इस अवधि के दौरान जारी किए गए कई अनुस्मारकों (संख्या में 12) के बावजूद मंत्रालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

इस प्रकार, 1 अप्रैल 2020 तक 100 प्रतिशत बीएस-VI अनुपालन वाले मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए आईएसओएम यूनिट और आईजीएचडीएस यूनिट की आवश्यकता के व्यापक विश्लेषण और पहचान की कमी के कारण रिफाइनरी में ₹32.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ऑयल इंडिया लिमिटेड

2.2 उचित सत्यापन की कमी के कारण निष्फल निवेश

नाइजीरिया में ब्लॉक के अधिग्रहण के समय विस्तृत अध्ययन की कमी, अधूरे/पुराने डेटा पर निर्भरता और उचित सत्यापन की कमी के परिणामस्वरूप ₹353.43 करोड़ का निष्फल/व्यर्थ निवेश हुआ।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने मेसर्स सनटेरा रिसोर्स लिमिटेड[5] (एसआरएल) के साथ मिलकर, नाइजीरिया में तेल अन्वेषण लाइसेंस (ओ पी एल) 205 की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी मेसर्स समिट पेट्रोलियम से

[5] *परिचालक होने के नाते*

अधिग्रहीत (अगस्त 2006) की थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अन्य भागीदारों के साथ मिलकर 20 वर्षों के लिए तेल खनन पट्टे के लिए आवेदन (नवंबर 2008) किया था। वर्ष 2009-2016 की अवधि के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ, और वर्ष 2018 से 2021 के दौरान केवल 0.57 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन हुआ।

अभिलेखों की समीक्षा ने निम्नलिखित को प्रकट किया:

i. ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अधिग्रहण के समय सन ग्रुप द्वारा अपनी सहायक कंपनी सनटेरा रिसोर्स लिमिटेड की ओर से (फरवरी/मार्च 2006 में) की गई तकनीकी, विधिक और वित्तीय सत्यापन पर निर्भरता रखी और स्वयं कोई पृथक जाँच पड़ताल नहीं की। वित्तीय सलाहकार (मेसर्स एरिक्स) ने (फरवरी 2006) में अपनी रिपोर्ट में कहा कि सत्यापन मेसर्स समिट के 31 दिसंबर 2005 को समाप्त वर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया था। उन्होंने डाटा/सूचना की सटीकता और पूर्णता के लिए किसी भी उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से असहमति जताई, क्योंकि उन्हें खाता- पुस्तक, सहायक दस्तावेज आदि उपलब्ध नहीं कराया गया था। विधिक सलाहकार ने भी (फरवरी 2006) में सूचित किया कि मेसर्स बैठक ने ओपीएल 205 पर बकाया कार्य-दायित्वों के संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। तकनीकी सलाहकार (मेसर्स आरपीएस एनर्जी) ने (मार्च 2006) में कहा कि उपलब्ध भूकंपीय आंकड़े अत्यंत पुराने थे जो 1971 से 1990 की अवधि के थे। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निवेश संबंधी निर्णय विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि वह वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाहकारों की रिपोर्टों की उपेक्षा करते हुए अलेखापरीक्षित, अपूर्ण और पुराने आँकड़ों पर आधारित था।

ii. तकनीकी सलाहकार मेसर्स आरपीएस एनर्जी ने (फरवरी 2006) की रिपोर्ट में कहा कि संघनित तेल का कुल पुनर्प्राप्य आरक्षित भंडार केवल 18 मिलियन बैरल है। तथापि, तकनीकी सलाहकार की रिपोर्ट के विपरीत, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने (मई 2006) में बोर्ड को प्रस्तुत करते समय यह उल्लेख किया कि ओटियन क्षेत्र के तीन परीक्षित क्षेत्रों से संघनित तेल का कुल पुनर्प्राप्य आरक्षित भंडार 28 मिलियन बैरल था। अतः पुनर्प्राप्य संसाधनों के वे विवरण/आँकड़े, जिनके आधार पर अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था, सही नहीं थे।

iii. विदेशों में परिसंपत्तियों में निवेश से संबंधित डीपीई दिशानिर्देश (जनवरी 2000) के अनुसार विदेशी संपत्तियों में निवेश के लिए प्रस्ताव निदेशक मंडल (बोर्ड) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निदेशक मंडल का निर्णय तकनीकी-आर्थिक मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। ब्लॉक का लाइसेंस जनवरी 2009 में समाप्त होने वाला था। परंतु हाइड्रोकार्बन की खोज की संभावना स्थापित किए बिना ही आपरेटर (ऑयल इंडिया लिमिटेड) ने नवंबर 2008 में ब्लॉक को ऑइल प्रस्पेक्टिव लाईसेंस (ओपीएल) से ऑइल माइनिंग लाईसेंस (ओएमएल) में रूपांतरित करने के लिए आवेदन किया और बोर्ड से पश्चवर्ती अनुमोदन प्राप्त किया, जो विदेशी निवेश संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

iv. वर्ष 2009 से 2016 की अवधि में कोई उत्पादन न होने और वर्ष 2018 से 2021 के मध्य मात्र 0.57 मिलियन बैरल तेल उत्पादन के बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2022 से तेल उत्पादन गतिविधियाँ बंद कर दीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2025 में अपने वित्तीय विवरणों में परियोजना में कुल ₹353.43 करोड़ (40.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश का प्रावधान किया है।

इस प्रकार, उचित जाँच-पड़ताल की कमी तथा वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाहकारों की रिपोर्टों की अवहेलना करते हुए परियोजना में प्रवेश के कारण ₹353.43 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2024)/(नवंबर 2025) में यह उल्लेख किया कि:

I. तीन परीक्षित क्षेत्रों से कुल 28 मिलियन बैरल (एमएमबीबीएलएस) संघनित तेल के पुनर्प्राप्य आरक्षित भंडार का उल्लेख अनजाने में/त्रुटिवश बोर्ड के समक्ष कर दिया गया था। अधिग्रहण के समय, प्रतिष्ठित बाहरी सलाहकारों तथा आंतरिक टीमों के माध्यम से तकनीकी, विधिक एवं वित्तीय उचित जाँच-पड़ताल की गई थी। प्रथम कूप (ओटियन-1) में ही हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता स्थापित हो गई थी, जिसके अंतर्गत आरपीएस एनर्जी ने अतिरिक्त वृद्धि की संभावनाओं के साथ 28 मिलियन बैरल संघनित तेल का अनुमान लगाया था। इस ब्लॉक को तकनीकी रूप से व्यावहारिक तथा रणनीतिक रूप से आकर्षक माना गया था, जो नाइजीरिया के पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ भारत के लिए संभावित

ऊर्जा सुरक्षा लाभ भी सुनिश्चित कर रहा था। उचित जाँच-पड़ताल की इस प्रक्रिया में मानक वैश्विक अन्वेषण पद्धतियों का पालन किया गया था, जिसमें द्विविमीय भूकंपीय आंकड़ों पर निर्भरता और तदुपरांत किए गए मूल्यांकन वेधन भी थे।

II. अधिकारों को बनाए रखने के लिए नाइजीरियाई कानून के अंतर्गत ओपीएल से ओएमएल में लाइसेंस का परिवर्तन आवश्यक हो गया था और यह किसी नए निवेश के निर्णय को नहीं दर्शाता था। अतः ऑयल इंडिया लिमिटेड का यह मत है कि यह अधिग्रहण एक सतर्कतापूर्ण मूल्यांकन पर आधारित था, जिसे प्रारंभिक खोजों द्वारा प्रमाणित किया गया था और इसे प्रचलित कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में निष्पादित किया गया था।

प्रबंधन के उत्तरों पर निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में विचार किया जा सकता है:

- वित्तीय, विधिक और तकनीकी उचित जाँच-पड़ताल की कार्रवाई अलेखापरीक्षित, अपूर्ण एवं अप्रचलित/पुरानी सूचनाओं के आधार पर की गई थी, जिसमें आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में बाहरी सलाहकारों द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकरण व्यक्त किया गया था।

- जबकि ओटियन-1 पर आरपीएस एनर्जी की रिपोर्ट (फरवरी 2006) में तीन परीक्षित क्षेत्रों (ज़ोन 6, 7 और 8) से केवल 18 मिलियन बैरल वसूली योग्य संघनित तेल की ही पुष्टि की गई थी, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अंतिम प्रस्तुति में संपूर्ण क्षेत्रों को परीक्षणित के रूप में वर्गीकृत किया गया और 28 मिलियन बैरल की रिपोर्ट दी गई। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसमें ज़ोन 5 से 10 मिलियन बैरल के अपरीक्षित संघनित तेल को भी शामिल कर लिया था। अतः, बोर्ड का निवेश संबंधी निर्णय प्रमाणित और परीक्षित वसूली योग्य संघनित तेल पर आधारित नहीं था।

- ऑयल इंडिया लिमिटेड को नाइजीरिया में न तो कोई मूर्त लाभ प्राप्त हुआ है और न ही वहां कोई नई परियोजनाएं फलीभूत/मूर्त रूप ले सकी हैं। डीपीई के दिशानिर्देशों की अनदेखी करने के संबंध में समय की कमी का दावा स्वीकार्य/तर्कसंगत नहीं है। लाइसेंस की वैधता अवधि की जानकारी काफी पहले से थी, फिर भी बोर्ड के अनुमोदन से पूर्व ही निवेश प्रतिबद्धताएं कर दी गईं। कार्योत्तर स्वीकृति अनिवार्य पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता का विकल्प नहीं हो सकती।

इस प्रकार, उचित जाँच-पड़ताल की कमी, सलाहकारों द्वारा उजागर किए गए जोखिमों की निर्णय-प्रक्रिया में अनदेखी, ब्लॉक का अत्यल्प उत्पादन और अंततः परिचालन बंद होने के परिणामस्वरूप ₹353.43 करोड़ का अनुत्पादक निवेश हुआ।

यह पैरा फरवरी 2026 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर (अप्रैल 2026 तक) प्रतीक्षित था।

अध्याय III: विद्युत मंत्रालय

दामोदर घाटी निगम

3.1 भंडारों का भौतिक सत्यापन और उस पर आंतरिक नियंत्रण

दामोदर घाटी निगम के बोर्ड ने 13 अक्टूबर 2012 को आयोजित अपनी 606वीं बैठक में, ₹3,238.60 करोड़ की अनंतिम अनुमानित लागत के साथ पारेषण और वितरण अवसंरचना तथा नवीनीकरण और संवर्धन परियोजनाओं के लिए '12वीं योजना मास्टर प्लान' को अपनाने का अनुमोदन प्रदान किया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को दामोदर घाटी निगम के विस्तार कार्यक्रम से 9,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना और घाटी क्षेत्र के भीतर उत्पन्न बिजली की आंतरिक उपभोग के लिए अवसंरचना का समर्थन करना था। ऐसे ही एक पारेषण और वितरण संवर्धन परियोजना के लिए, दामोदर घाटी निगम ने सितंबर 2013 में ₹18.28 करोड़ की लागत से दो परिवर्तक और संबद्ध इन्वेंट्री की आपूर्ति के लिए आदेश दिया। ये परिवर्तक मार्च-जून 2015 के दौरान दामोदर घाटी निगम के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) में प्राप्त हुए थे। इस बीच, पारेषण और वितरण तथा नवीनीकरण और संवर्धन परियोजनाओं को पूरा करने में वित्तीय और समय की कमी का हवाला देते हुए, दामोदर घाटी निगम बोर्ड ने परियोजना लागत को ₹1,105.86 करोड़ तक संशोधित करते हुए (10 मार्च 2016 को आयोजित 626 वीं बैठक) ऐसी परियोजनाओं में कटौती कर दी। जिस पारेषण और वितरण परियोजना के लिए दो परिवर्तक खरीदे गए थे, उसके संशोधित सूची में शामिल न होने के कारण, उस समय उनका उपयोग नहीं किया जा सका। संरक्षण के लिए, (अप्रैल 2017) में उनमें परिवर्तक तेल भरा गया था।

बाद में, भार प्रवाह अध्ययन ने पुराने इकाइयों के बंद होने की स्थिति में एमटीपीएस (एमटीपीएस) में फेज-II 400 केवी (केवी) सिस्टम और फेज-I 220 केवी सिस्टम को जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तदनुसार, एमटीपीएस में दो प्रचालन खंडों (बीएवाईएस) के निर्माण और दो ट्रांसफार्मरों को स्थापित करने के लिए फरवरी 2019 में ₹12.32 करोड़ की लागत से कार्य आदेश दिया गया था। बे के निर्माण के बाद, ट्रांसफार्मरों को साइट तक खींचकर ले जाने के लिए उनमें भरे हुए तेल को निकालना आवश्यक था। हालांकि, इस

प्रक्रिया के दौरान (16 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020) कोई तेल बाहर नहीं निकला। इसके पश्चात, 19 सितंबर 2020 को एक परिवर्तक के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उसमें नहीं के बराबर तेल था, जबकि प्रारंभ में उसमें लगभग 70,000 लीटर परिवर्तक तेल भरा गया था; इसके साथ ही उसका तांबे का वाइंडिंग तार, जिसका वजन लगभग 45 टन था, वह भी गायब था। स्थानीय पुलिस स्टेशन में 21 सितंबर 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस की उपस्थिति में पुनः निरीक्षण (21 सितंबर 2020) करने पर, दूसरे परिवर्तक में भी तेल नहीं पाया गया, जबकि उसमें भी शुरुआत में लगभग 70,000 लीटर तेल भरा गया था; हालांकि उसका तांबे का वाइंडिंग तार सुरक्षित था।

दामोदर घाटी निगम ने इस घटना की जांच के लिए दो समितियों का गठन (1 अक्टूबर 2020 और 8 मार्च 2021) किया, जो क्रमशः 30 अक्टूबर 2020 और 22 मार्च 2021 की अपनी रिपोर्ट में दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति की प्रत्यक्ष संलिप्तता स्थापित नहीं कर सकीं। हालांकि, दोनों रिपोर्टों में दामोदर घाटी निगम के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही इंगित की गई, जिन्हें बाद में (अप्रैल 2024) दोषमुक्त कर दिया गया, सिवाय एक के जिनकी इस बीच मृत्यु हो गई थी। पुलिस जांच किसी अभियोजन के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी और दिसंबर 2025 तक यह मामला एक व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन था।

दामोदर घाटी निगम द्वारा ₹9.28 करोड़ के नुकसान (जिसमें दोनों ट्रांसफार्मरों से गायब हुआ तेल शामिल था, लेकिन एक परिवर्तक के लगभग ₹50 लाख के स्क्रैप मूल्य को समायोजित किए बिना) के लिए दायर किया गया बीमा दावा, बीमा कंपनी द्वारा खारिज (जुलाई 2022) कर दिया गया था और इसके खिलाफ अपील (नवंबर 2025 तक) बीमा कंपनी के पास लंबित थी। इस बीच, एक परिवर्तक जिसका तांबे का वाइंडिंग तार सुरक्षित था, उसे निर्धारित प्लिंथ क्षेत्र में स्थापित कर 27 मई 2022 को चालू कर दिया गया है, जबकि दूसरा क्षतिग्रस्त परिवर्तक मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निपटाया नहीं जा सका।

उपरोक्त के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में होने और इतने लंबे समय से परिवर्तक, केबल जैसी उच्च मूल्य की वस्तुओं से संबद्ध होने के बावजूद, उच्च मूल्य

की वस्तुओं के संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया केवल मार्च 2022 में ही तैयार की जा सकी; वह भी तब जब इस घटना की जांच के लिए गठित समितियों में से एक समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। ऐसी किसी मानक संचालन प्रक्रिया के न होने के नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण स्वयं प्रबंधन द्वारा (जुलाई 2024) उस समय किया गया था, जब यह माना गया कि उच्च मूल्य की वस्तुओं के समय-समय पर निरीक्षण के लिए विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अभाव में, ऐसे निरीक्षणों की उचित आवधिकता और अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

- दामोदर घाटी निगम के भंडार नियमावली में यह उल्लेख था कि पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे वर्ष स्टॉक का निरंतर सत्यापन होना चाहिए ताकि प्रत्येक मद का वर्ष में कम से कम एक बार या आवश्यकता होने पर अधिक बार भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सके। तथापि, जाँच के लिए गठित दोनों समितियों ने स्टोर्स के भौतिक सत्यापन की कमी और आंतरिक नियंत्रण में खामियाँ इंगित कीं। इसके परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मरों से लगभग 1,40,000 लीटर परिवर्तक तेल और लगभग 45 टन तांबे का निकाला जाना प्रबंधन की नजर में नहीं आ सका/पकड़ा नहीं जा सका, जबकि बीमा कंपनी को सौंपी गई रिपोर्ट[1] के अनुसार, इस सामग्री को निकालने के लिए महीनों का समय, 10 टन के ट्रकों सहित भारी मशीनरी और बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी।

- बीमा कंपनी को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है, एमटीपीएस (एमटीपीएस) परिसर की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाती थी, निकाली गई सामग्री बहुत भारी थी और जबरन प्रवेश या निकास का कोई साक्ष्य नहीं था, जिससे भंडार कर्मचारियों/सुरक्षाकर्मियों की संलिप्तता सिद्ध होती है; इस तथ्य को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भी रेखांकित किया था। दामोदर घाटी निगम का बीमा दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बीमित भंडार कर्मचारियों/सुरक्षाकर्मियों की धोखाधड़ी (विश्वासघात) के कारण हुआ नुकसान पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं था। इस प्रकार, तेल और तांबे के वाइंडिंग तार की चोरी के कारण दामोदर घाटी निगम को भारी नुकसान होने के बावजूद, आज तक (दिसंबर

[1] ***बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।***

2025) न तो कोई दोषी पाया जा सका और न ही कोई चोरी हुई सामग्री बरामद की जा सकी। वह अकेला व्यक्ति जिसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उसे भी न्यायालय द्वारा एक बार (अगस्त 2023) बरी कर दिया गया है, हालांकि अदालत के आदेश के खिलाफ एक अपील का निपटारा होना अभी बाकी है।

- दो परिवर्तक स्थापित करने के लिए बे (बीएवाईएस) के निर्माण के ₹12.32 करोड़ के कार्य आदेश (फरवरी 2019) के एवज में ₹21.25 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। हालांकि, केवल एक ही परिवर्तक 27 मई 2022 से स्थापित किया जा सका, जिससे शेष अवसंरचना आज तक (दिसंबर 2025) अप्रयुक्त पड़ी है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों, ट्रांसफार्मरों से चोरी की घटना, ₹9.28 करोड़ के नुकसान और परिवर्तक के निरीक्षण की आवधिकता तथा अभिलेख के प्रमाणित न होने के तथ्य को स्वीकार किया। मंत्रालय ने अपने उत्तर (26 जून 2025) में दावा किया कि मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि भंडारों के भौतिक सत्यापन की कमी और उस पर आंतरिक नियंत्रण में दोषों के कारण प्रबंधन द्वारा भारी-भरकम परिवर्तक तेल और तांबे के वाइंडिंग तार की चोरी का पता नहीं लगाया जा सका। चोरी की घटना के बाद ही, उच्च मूल्य की वस्तुओं के भौतिक सत्यापन के संचालन, अभिलेखन और रिपोर्टिंग के लिए उनके संरक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा सकी।

इस प्रकार, भंडारों के भौतिक सत्यापन की कमी और उसके आंतरिक नियंत्रण में दोषों के कारण ट्रांसफार्मरों से तेल और तांबे के वाइंडिंग तार की चोरी हुई, जिससे ₹9.28 करोड़ की हानि हुई।

अध्याय IV: वित्त मंत्रालय

एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड

4.1 एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड का परिचालन

4.1.1 भारत में परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण (एसेट रिकंस्ट्रक्शन) का उद्गम

देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है और इस सुदृढ़ता के प्रमुख मानकों में से एक गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों का स्तर है। बैंकिंग प्रणाली के सुदृढ़ता के लिए इसके महत्व को देखते हुए, वर्तमान परिदृश्य में गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर 1991 की समिति (नरसिम्हम समिति-I) ने उस समय के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के संकट से निपटने के लिए एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी जैसी संरचना, अर्थात् 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष' की परिकल्पना की थी। इस निधि का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के तुलन पत्रों (बैलेंस शीट) से डूबे और संदिग्ध ऋणों (परिसंपत्तियों) को हस्तांतरित करना था, जिससे ऋणदाता अपने निधि का पुनर्चक्रण कर सकें और उन्हें नई उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में लगा सकें। हालांकि, इस अनुशंसा को लागू नहीं किया गया था।

बाद में, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर 1998 की समिति (नरसिम्हम समिति-II) ने गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के बड़े बकाए की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। समिति का मानना था कि बैंकों के बही-खातों (बुक्स) से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को अलग करने के रूप में वित्तीय पुनर्गठन, बैंकों को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि संदिग्ध और हानि की श्रेणियों में शामिल सभी ऋण परिसम्पत्तियों को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कानूनी ढांचे में बदलाव की अनुशंसा करने वाली विशेषज्ञ समिति (अंध्यारुजिना समिति) (1999-2000) ने अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाइजेशन) के लिए एक कानूनी ढांचे की अनुशंसा की। तदनुसार, समिति के मसौदा प्रतिभूतिकरण विधेयक के आधार पर, भारत

सरकार ने 2002 में 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम' अधिनियमित किया और भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अधिनियम में यह परिकल्पना की गई थी कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा पंजीकृत और विनियमित होंगी। 30 सितंबर 2023 तक, देश में भारतीय रिजर्व बैंक के पास 27 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां पंजीकृत थीं।

4.1.2 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए कानूनी और विनियामक ढांचा

विधिक दृष्टि से, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत और विनियमित होता हैं। वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियाँ या तो अपनी स्वयं के बही-खातों में या प्रतिभूतिकरण[1] और/या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्थापित एक ट्रस्ट के बही-खातों में अधिग्रहीत करती हैं।

विनियामक मोर्चे पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'प्रतिभूतिकरण कंपनियां और पुनर्निर्माण कंपनियां (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश और निर्देश, 2003' जारी (अप्रैल 2003) किए। इन दिशानिर्देशों में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज के संपूर्ण दायरे जैसे कि पंजीकरण, परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के उपाय, कंपनी के कार्य, विवेकपूर्ण मानदंड, वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और संबंधित मामले शामिल थे। इन दिशानिर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगे चलकर (अप्रैल 2022) 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मास्टर सर्कुलर' के रूप में समेकित किया गया, जिसमें 31 मार्च 2022 तक अद्यतन मार्गदर्शन नोटों के साथ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए दिशानिर्देश और निर्देश शामिल थे।

[1] ***प्रतिभूतिकरण से तात्पर्य किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा किसी भी प्रवर्तक से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण से है, चाहे ऐसी कंपनी द्वारा स्वयं निधियां जुटाकर या ऐसी वित्तीय आस्तियों में अविभाजित हित का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिभूति रसीदें जारी करके पात्र खरीदारों से निधि जुटाकर या अन्यथा किया गया हो।***

4.1.3 एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड

एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड को नवंबर 2003 में तत्कालीन कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013) के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एएसआरईसी ने 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण का व्यवसाय करने के लिए अक्टूबर 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण कराया।

4.1.3.1 संगठनात्मक ढांचा

एएसआरईसी का समग्र प्रबंधन निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) में निहित है। वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एएसआरईसी के निदेशक मंडल में सात निदेशक शामिल थे, जिनमें चार स्वतंत्र निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से एक-एक नामित निदेशक और प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल थे।

4.1.3.2 परिचालनों का अवलोकन

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनीयों के व्यावसायिक संचालन में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों का अधिग्रहण और ऋण खातों से वसूली शामिल है, जो निम्नानुसार है:

i. **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों का अधिग्रहण:** गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों की पहचान विभिन्न स्रोतों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय बैंक संघ, संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, बैंकों की वेबसाइटों, सिबिल (सीआईबीआईएल) आदि के माध्यम से की जाती है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां इस उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्टों में या कंपनीयों के बही-खातों में इन खातों के लिए उचित जाँच-पड़ताल करने के बाद द्विपक्षीय सौदों या नीलामियों के माध्यम से बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण खाते अधिग्रहीत करती हैं। ट्रस्ट संरचना में, परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बाद, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कंपनियां एक या अधिक ट्रस्टों के माध्यम से पात्र खरीदारों[2] द्वारा प्रतिभूति रसीदों[3] के अभिदान को आमंत्रित करती हैं।

चार्ट 4.1: अधिग्रहण प्रक्रिया

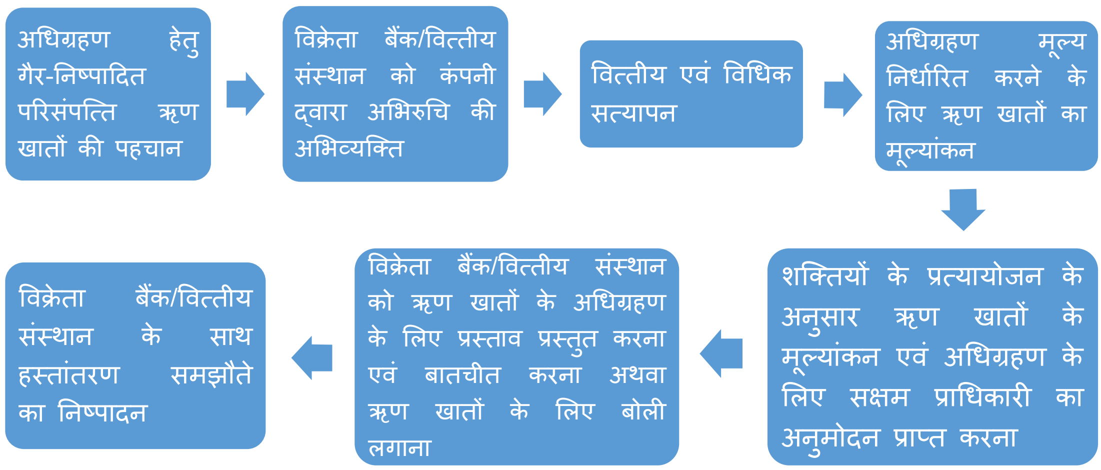

ii. **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों का समाधान/वसूली:** अधिग्रहण के बाद, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां समाधान/वसूली के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। समाधान विभिन्न रूपों में हो सकता है, जिसमें कर्जदार के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन और अधिग्रहण, उधारकर्ता के व्यवसाय के एक हिस्से या पूरे व्यवसाय की बिक्री या पट्टा, उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों के भुगतान का पुनर्गठन, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन आदि शामिल हैं। समाधान के बाद, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां ऋण की वसूली शुरू करती हैं और सुरक्षा रसीदों (एसआरएस) के विमोचन (रिडेम्पशन) पर काम करती हैं। एआरसीएस को बकाया राशि वसूल करने के लिए

---

[2] *पात्र खरीदार से तात्पर्य किसी वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, ट्रस्टी या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) से है जिसे धारा 3(4) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, या म्यूचुअल फंड की ओर से निवेश करने वाली किसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी), या सेबी अधिनियम, 1992 या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक, धारा 7(1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट गैर-संस्थागत निवेशकों की किसी भी श्रेणी, या बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय से है।*

[3] *सरफेसी (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम के अनुसार, प्रतिभूति रसीद से तात्पर्य किसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा किसी पात्र खरीदार को जारी की गई रसीद या अन्य प्रतिभूति से है, जो प्रतिभूतिकरण में शामिल वित्तीय आस्ति में इसके धारक द्वारा खरीदे गए या अधिगहीत किए गए अविभाजित अधिकार, स्वत्व या हित को प्रमाणित करती है।*

पांच वर्ष की अवधि दी जाती है। हालांकि, उनके बोर्डों की मंजूरी से इस अवधि को आठ वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

चार्ट 4.2: समाधान प्रक्रिया

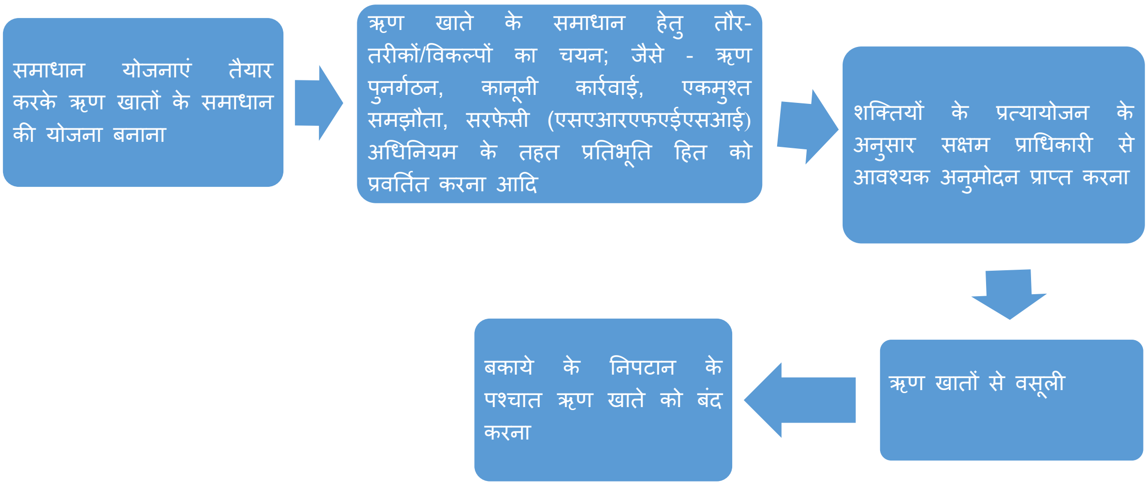

4.1.3.3 वित्तीय स्थिति

वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान एएसआरईसी की वित्तीय स्थिति को **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है। 31 मार्च 2024 तक, एएसआरईसी में सबसे बड़ा शेयरधारक इंडियन बैंक (38.27 प्रतिशत) था, जिसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (26.02 प्रतिशत), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (26.02 प्रतिशत) और भारतीय जीवन बीमा निगम (9.18 प्रतिशत) थे। 31 मार्च 2024 तक, ₹227.49 करोड़ के कुल निवेश में से 88.01 प्रतिशत (₹200.23 करोड़) निवेश उन ट्रस्टों में निवेश से संबंधित था जो प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

4.1.3.4 वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान एएसआरईसी का वित्तीय प्रदर्शन निम्नानुसार था:

चार्ट 4.3: वित्तीय प्रदर्शन

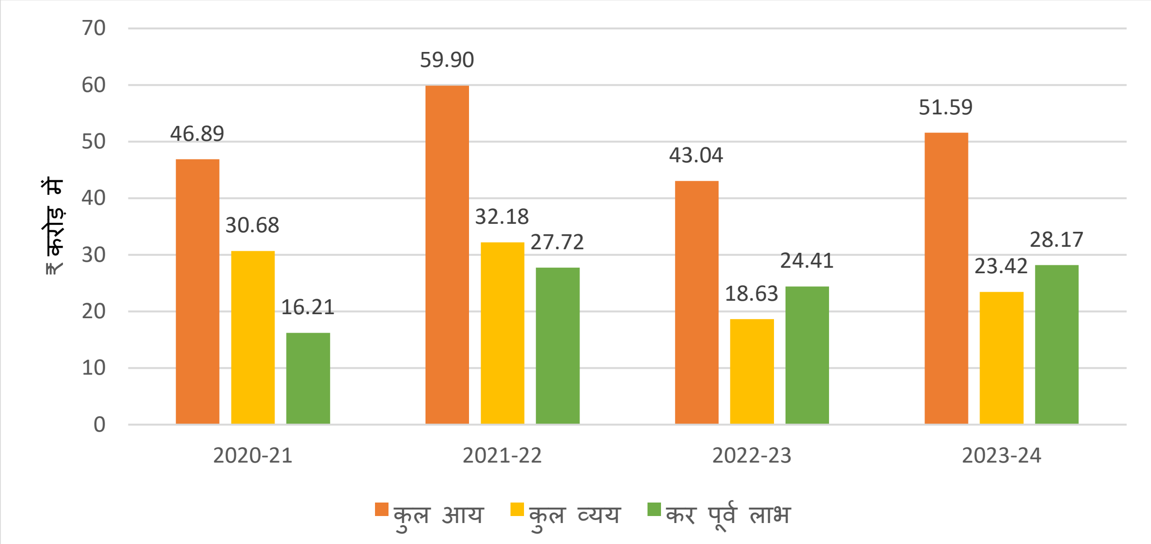

एएसआरईसी वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान लाभ कमाने वाली रही है। इस अवधि के दौरान राजस्व का मुख्य स्रोत ट्रस्टों से मिलने वाली प्रबंधन फीस, सुरक्षा रसीदों (एसआरएस) में निवेश से आय और वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से आय थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 4.1: परिचालनों से राजस्व के प्रमुख स्रोत

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	योग
प्रबंधन शुल्क से आय[4]	36.39	44.11	27.19	34.59	142.28
वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से आय	3.42	6.82	11.24	11.82	33.30
सुरक्षा रसीदों एसआरएस)) में निवेश से आय	5.49	8.30	3.29	4.64	21.72
प्रमुख स्रोतों से कुल राजस्व	**45.30**	**59.23**	**41.72**	**51.05**	**197.30**

4.1.3.5 परिचालनात्मक प्रदर्शन

वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान मुख्य परिचालनात्मक पहलुओं अर्थात् अधिग्रहण और समाधान से संबंधित एएसआरईसी के परिचालनात्मक प्रदर्शन की चर्चा नीचे की गई है:

[4] *ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व*

क) गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों का अधिग्रहण

एएसआरईसी ने 2020-21 से 2023-24 तक चार वर्षों की अवधि के दौरान कुल ₹2,418 करोड़ की गैर निष्पादित-परिसंपत्ति अधिग्रहीत की गई, जिसका विवरण नीचे दिए गए चार्ट में है:

चार्ट 4.4: वर्ष के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण

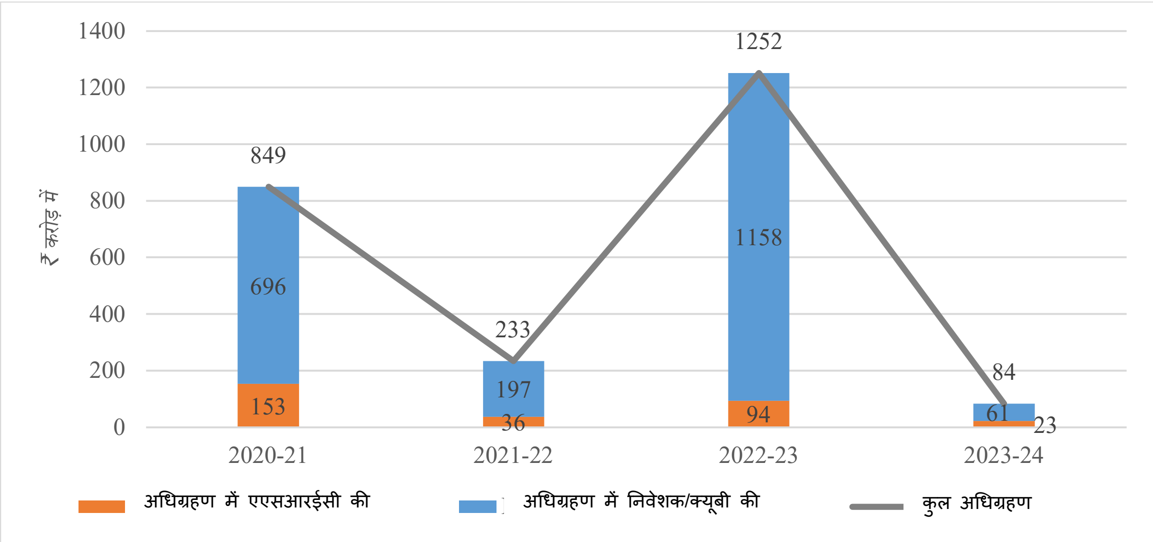

₹2,418 करोड़ के कुल अधिग्रहण में से, ₹10.79 करोड़ के ऋण खाते सीधे एएसआरईसी के बही-खातों में अधिग्रहीत[5] किए गए थे और शेष ऋण खाते ₹2,407.21 करोड़ की अधिग्रहण लागत के साथ ट्रस्टों में अधिग्रहीत किए गए थे, जिसमें एएसआरईसी ने अपने हिस्से के रूप में ₹295 करोड़ का योगदान दिया था। इस प्रकार, ट्रस्टों और अपनी स्वयं के बही-खातों में की गई अधिग्रहण लागत में एएसआरईसी का कुल हिस्सा ₹305.79 करोड़ था।

2020-21 से 2023-24 की चार वर्ष की अवधि के दौरान, वर्ष 2023-24 में किए गए अधिग्रहण सबसे कम थे, जबकि वार्षिक अधिग्रहण की मात्रा वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक (₹1,252 करोड़) थी। वर्ष 2022-23 के दौरान अधिग्रहणों का चरम स्तर तीन सबसे बड़े

5 वित्तीय वर्ष 2022-23 (₹3.09 करोड़) और 2023-24 (₹7 करोड़) के दौरान अधिग्रहण किया गया। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कंपनी के बही-खातों में कोई भी ऋण खाता अधिग्रहण नहीं किया गया था ।

अधिग्रहणों के कारण था जो कुल मिलाकर ₹1,097 करोड़ थे। दो वर्षों, 2021-22 और 2023-24 के दौरान अधिग्रहण तुलनात्मक रूप से कम थे।

***ख)* गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों से वसूली**

एएसआरईसी ने 2020-21 से 2023-24 की अवधि से पहले और इस अवधि के दौरान अधिगृहीत ऋण खातों से ₹962 करोड़ की वसूली की, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 4.5: 2020-24 के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली

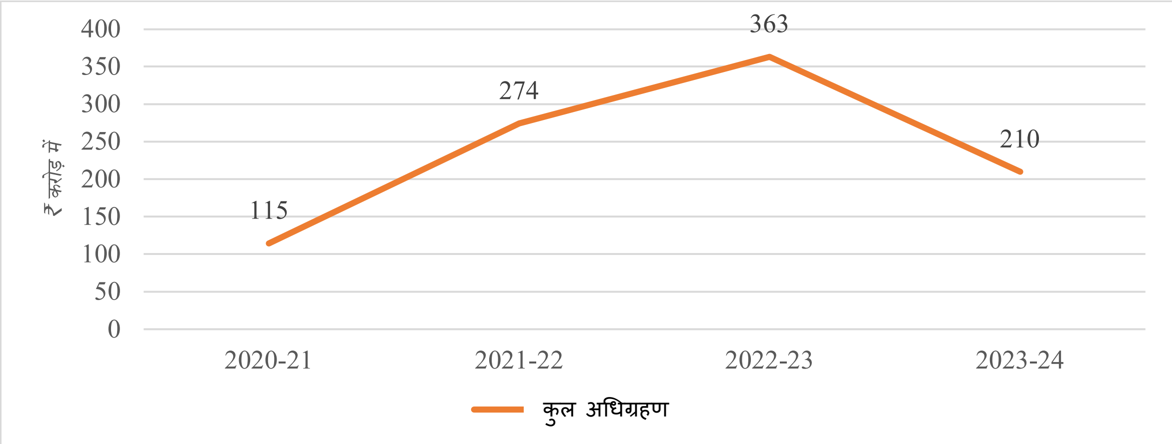

ऋण खातों से एएसआरईसी द्वारा की गई वसूली वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹115 करोड़ से बढ़कर ₹363 करोड़ हो गई। हालांकि, वर्ष 2023-24 में वसूली 42 प्रतिशत घटकर ₹210 करोड़ रह गई।

4.1.3.6 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों के लिए अधिग्रहण के स्रोत

चार वर्षों की अवधि में, यानी 2020-21 से 2023-24 तक, एएसआरईसी ने विभिन्न प्रकार के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण खाते अधिग्रहीत किए। एएसआरईसी द्वारा वहन की गई अधिग्रहण लागत के संदर्भ में प्रत्येक प्रकार के विक्रेता से अधिग्रहीत ऋण खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: अधिग्रहण लागत के संदर्भ में विभिन्न विक्रेताओं से ऋण खातों का अधिग्रहण

(₹ करोड़ में)

बैंकों /वित्तीय संस्थानों का प्रकार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	योग
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	38.90	1.70	16.00	0.00	56.60
सहकारी बैंक	513.02	182.49	55.76	0.00	751.27
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	0.00	23.00	37.69	34.20	94.89
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	297.53	26.25	1,019.79	2.50	1,346.07
निजी क्षेत्र के बैंक	0.00	0.00	122.66	46.50	169.16
सकल योग	**849.45**	**233.44**	**1,251.90**	**83.20**	**2,417.99**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान सबसे अधिक अधिग्रहीत गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से थे, जो कि 56 प्रतिशत (₹1,346 करोड़) थे, इसके बाद सहकारी बैंक 31 प्रतिशत (₹751 करोड़) और निजी क्षेत्र के बैंक सात प्रतिशत (₹169 करोड़) थे। इस अवधि के दौरान विदेशी बैंकों और लघु वित्त बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंकों) जैसे बैंकिंग संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों का कोई अधिग्रहण नहीं हुआ था।

4.1.3.7 वसूली करने के लिए अपनाई गई समाधान की पद्धति

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खाते को विभिन्न तरीकों/पद्धतियों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, जिसमें उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन/अधिग्रहण, ऋणों का पुनर्गठन, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, उधारकर्ता द्वारा देय बकाये का निपटान और ऋण के किसी हिस्से को उधारकर्ता के शेयरों में परिवर्तित करना आदि शामिल हैं। समाधान रणनीति परिसंपत्ति की प्रकृति, उधारकर्ता के कुल ऋण में हिस्सेदारी, परिचालन स्थिति, उद्योग की प्रकृति, प्रवर्तकों के दृष्टिकोण आदि पर आधारित होती है। एएसआरईसी समाधान योजना में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खाते के लिए समाधान की पद्धति का निर्णय लेती है। एएसआरईसी द्वारा अपने परिचालनों की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2024 तक ऋण खातों के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न उपायों को लागू करके की गई वसूलियों की स्थिति नीचे दी गई है:

चार्ट 4.6: विभिन्न समाधान पद्धतियों को लागू करके की गई वसूली

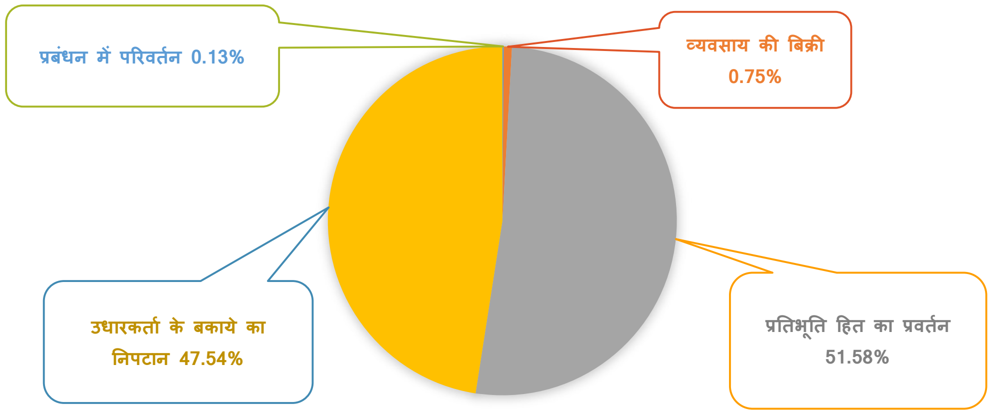

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि एएसआरईसी द्वारा की गई वसूलियों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (51.58 प्रतिशत) के माध्यम से था, जिसके बाद उधारकर्ता के देयों का निपटान[6] (47.54 प्रतिशत) रहा। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, अन्य समाधान उपायों/रणनीतियों जैसे उधारकर्ता के प्रबंधन में परिवर्तन और उधारकर्ता के व्यवसाय की बिक्री को अपनाने से की गई कुल वसूलियां एक प्रतिशत से कम थीं।

4.1.3.8 बाजार हिस्सेदारी

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, भारत में सभी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा अधिग्रहीत किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों वाले ऋण खातों का कुल बही मूल्य ₹10,25,429 करोड़ था, जिसमें एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड का हिस्सा ₹18,600 करोड़ (1.81 प्रतिशत) था। ऋण खातों के अधिग्रहण के मामले में एएसआरईसी की बाजार हिस्सेदारी कम रही, जबकि अक्टूबर 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होने के बाद से एएसआरईसी लगभग दो दशकों से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के व्यवसाय में है।

4.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच की गई थी। इसमें मुख्य परिचालन-जैसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों को हासिल करना-और

[6] *इसे एकमुश्त समझौता भी कहा जाता है।*

उनके समाधान के तरीके की समीक्षा की गई। साथ ही, 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान हासिल किए गए ऋण खातों से हुई वसूली की भी जाँच की गई।

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों का अधिग्रहण:** वर्ष 2020-21 से 2022-23 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान एएसआरईसी द्वारा कुल ₹2,335 करोड़ (₹5,287 करोड़ के मूलधन बकाया के विरुद्ध) के 434 अधिग्रहण किए गए थे। लेखापरीक्षा ने समीक्षाधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर ₹10 करोड़ से अधिक के अधिग्रहण मूल्य वाले ऋण खातों के शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) अधिग्रहणों और ₹10 करोड़ तक के अधिग्रहण मूल्य वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के 2 प्रतिशत अधिग्रहणों का चयन किया है। इस प्रकार, कुल ₹1,782 करोड़ (अधिग्रहण मूल्य के मामले में 76 प्रतिशत) के 38 अधिग्रहणों की विस्तृत जांच की गई।

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों से वसूली:** एएसआरईसी ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 1,169 वसूली मामलों से ₹752 करोड़ की राशि वसूल की। लेखापरीक्षा ने उन वसूलियों का शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) चयन किया है जिनमें वसूल की गई राशि ₹5 करोड़ से अधिक है; उन वसूलियों में से सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के आधार पर 10 प्रतिशत का चयन किया है जिनमें वसूल की गई राशि ₹50 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक है, बशर्ते एएसआरईसी द्वारा धारित परिसंपत्ति के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लेनदेन का चयन किया गया हो; और उन वसूलियों में से सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के आधार पर 2 प्रतिशत का चयन किया है जिनमें वसूल की गई राशि ₹50 लाख से कम थी, बशर्ते एएसआरईसी द्वारा धारित परिसंपत्ति के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लेनदेन का चयन किया गया हो। लेखापरीक्षा के दौरान कुल ₹497 करोड़ (मूल्य के मामले में 66 प्रतिशत) के 65 वसूली मामलों की विस्तृत जांच की गई।

इसमें निहित संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकों, कंपनियों, एआरसी और व्यक्तियों के नामों को मास्किंग कोड का उपयोग करके छुपाया गया है, जैसे बैंकों के लिए बैंक-1 से 17, कंपनियों के लिए कंपनी-1 से 40, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए एआरसी-1 से 3 और व्यक्तियों के लिए एंटिटी-1 से 4।

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षण के संचालन को सुगम बनाने में एएसआरईसी के प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करती है।

4.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.5.1 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ऋण खातों का अधिग्रहण

एएसआरईसी की मुख्य गतिविधि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना और सरफेसी (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम में प्रतिपादित उपयुक्त समाधान रणनीतियों के माध्यम से उनका समाधान करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए एक 'वित्तीय परिसंपत्ति अधिग्रहण नीति' तैयार करना अनिवार्य किया है। आरबीआई के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्ति अधिग्रहण नीति में निम्नलिखित को शामिल करते हुए नीति और दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा: (क) अधिग्रहण के लिए मानदंड/प्रक्रिया, (ख) परिसंपत्तियों के प्रकार और वांछनीय रूपरेखा, तथा (ग) मूल्यांकन प्रक्रिया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिगहीत परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य ऐसा हो जिसका उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके और स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, एएसआरईसी के निदेशक मंडल ने 'परिचालन नियमावली' को मंजूरी दी है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति अधिग्रहण नीति और शक्तियों का प्रत्यायोजन भी शामिल है।

विक्रेता बैंकों/वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों वाले ऋण खातों का अधिग्रहण दो आधारों पर किया जाता है, अर्थात नकद (कैश) आधार पर और प्रतिभूति रसीद आधार पर। नकद आधार पर किए जाने वाले अधिग्रहण में, अधिग्रहण की पूरी लागत का भुगतान विक्रेता को अग्रिम रूप से सीधे कर दिया जाता है, जबकि प्रतिभूति रसीद आधार पर किए जाने वाले अधिग्रहण में, अधिग्रहण लागत का भुगतान विक्रेता बैंक/वित्तीय संस्थान को प्रतिभूति रसीदें जारी करके किया जाता है।

एएसआरईसी के अधिग्रहण परिचालनों से संबंधित निष्कर्षों/कमियों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में रेखांकित किया गया है:

क. मूल्य निर्धारण पद्धति और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों वाले ऋण खातों के लिए अधिग्रहण लागत का निर्धारण

परिचालन नियमावली में निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार, एएसआरईसी के लिए यह आवश्यक है कि वह लागू मूल्यांकन नीति के आधार पर वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से, या तो स्वयं अथवा बाह्य स्रोतों के माध्यम से, ऋण परिसंपत्तियों की वित्तीय एवं विधिक यथोचित सत्यापन और मूल्यांकन करे।

परिचालन नियमावली में उल्लिखित मूल्यांकन नीति के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों/ऋण खातों के मूल्यांकन का आधार काफी हद तक उधारकर्ता की अंतर्निहित परिसंपत्तियों और ऋणदाताओं के पक्ष में सृजित प्रतिभूति से प्राप्त होने वाले नकदी प्रवाह पर निर्भर करेगा। मूल्यांकनकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वसूली की अपेक्षित मात्रा और समय-सीमा का अनुमान लगाए। इसके अतिरिक्त, प्रचलित बाजार परिदृश्य/स्थितियों पर विचार किया जाना आवश्यक है और अधिग्रहण के उद्देश्य से मूल्यांकन के दौरान एक उपयुक्त छूट गुणांक अपनाया जा सकता है, जो व्यवसाय के जोखिम को सही ढंग से दर्शाता हो। साथ ही, नकद (कैश) लेनदेन के लिए अपनाया गया छूट गुणांक, प्रतिभूति रसीद (एसआर) आधार पर होने वाले लेनदेन के छूट गुणांक की तुलना में अनिवार्य रूप से अधिक होना चाहिए।

एएसआरईसी अधिग्रहण के लिए विचाराधीन प्रत्येक ऋण खाते के लिए एक यथोचित सत्यापन रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें तीन खंड शामिल होते हैं, अर्थात सामान्य जानकारी, कानूनी रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट। इसके पश्चात, प्रत्येक समिति को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति या बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति ऋण खाते के अधिग्रहण के लिए बोली मूल्य का निर्धारण, अनुमोदन और आवंटन करती है।

लेखापरीक्षा ने सभी नमूना अधिग्रहण मामलों की समीक्षा की, और निम्नलिखित बातें पाईं:

क.1 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों वाले ऋण खातों के अंतर्निहित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

ऋण खातों का उचित अधिग्रहण मूल्य ज्ञात करने के लिए, एएसआरईसी ने उचित जाँच-पड़ताल प्रक्रिया के दौरान, नमूना जांच के लिए गए सभी 38 मामलों में ऋण खातों से जुड़ी अंतर्निहित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि

एएसआरईसी ने ऋण खातों से जुड़ी अंतर्निहित प्रतिभूतियों के लिए विक्रेता बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर ही भरोसा किया। इसके अतिरिक्त, एएसआरईसी द्वारा ऐसा कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिग्रहण के समय विक्रेता बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर्याप्त/विश्वसनीय हैं और उसके वित्तीय हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024) कि उचित जाँच-पड़ताल के लिए अनुमत 10-15 दिनों का समय कम है और सभी पहलुओं में मूल्यांकन प्राप्त करने, निरीक्षण करने तथा उचित जाँच-पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है। अपने अगले उत्तर (दिसंबर 2024/मार्च 2026) में, प्रबंधन ने उपर्युक्त उत्तर को दोहराया और यह जोड़ा कि अधिकांश मामलों में स्वतंत्र मूल्यांकन संभव नहीं है, क्योंकि या तो अंतर्निहित प्रतिभूति/संपत्ति विक्रेता के कब्जे में नहीं होती है या विक्रेता बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्थल निरीक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। अंतर्निहित प्रतिभूति/संपत्ति का मूल्य बाहरी निरीक्षण, स्थानीय बाजार पूछताछ और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से बेंचमार्किंग के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित एक उत्तर (अक्टूबर 2025) में, प्रबंधन ने कहा कि वह आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए समाधान के चरण में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, अधिग्रहण के चरण में वास्तविक मूल्यांकन के महत्व को स्वीकार करते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया 31 मार्च 2025 से लागू की गई है।

इस उत्तर का अवलोकन एआरसी के लिए विद्यमान आरबीआई विनियामक ढांचे (अगस्त 2014) के आलोक में किया जा सकता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को नीलामी करने वाले बैंकों से पर्याप्त समय (जो 2 सप्ताह से कम न हो) मांगने का निर्देश दिया है ताकि अंतर्निहित परिसंपत्तियों का सत्यापन करके खातों की सार्थक यथोचित तत्परता की जा सके। नमूना जांच (सैंपल) के लिए गए ऋण खातों की समीक्षा करने पर यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में, एएसआरईसी ने एनपीए ऋण खातों को खरीदने के लिए बोलियां जमा करने में एनपीए की बिक्री के प्रस्ताव की तारीख से एक से छः महीने तक का लंबा समय लिया। विक्रेता के पास संपत्ति का कब्जा न होने या विक्रेता द्वारा साइट (स्थल) निरीक्षण की सुविधा न दिए जाने के संबंध में दिए गए उत्तर का अवलोकन इस तथ्य के आलोक में किया जा सकता है कि निवेश जोखिम को

कम करने के लिए संपत्ति का उचित मूल्यांकन एनपीए ऋण खाते के अधिग्रहण के लिए एक पूर्व-अपेक्षित शर्त है। हालांकि, इस मामले में, एएसआरईसी ने विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्यांकन विवरणों की समीक्षा नहीं की है। अधिग्रहण के चरण में एएसआरईसी द्वारा मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया का न होना अति-मूल्यांकन के जोखिम को बढ़ाता है, विशेष रूप से वहां जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियों तक उसकी पहुंच सीमित या बिल्कुल नहीं है।

अनुशंसा 2: एएसआरईसी को बोलियां जमा करने से पहले अंतर्निहित प्रतिभूतियों/ परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

क.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों वाले ऋण खातों का मूल्यांकन

उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में, एएसआरईसी उन गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों के अधिग्रहण मूल्य का आकलन और अनुशंसा करता है जिनके अधिग्रहण का प्रस्ताव है। उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में, नकद आधार पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खाते का अनुशंसित अधिग्रहण मूल्य, गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खाते से जुड़ी अंतर्निहित प्रतिभूति/परिसंपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य होता है, जो तीन कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है; यथा - अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्यांकन, छूट गुणांक और वसूली के लिए अपेक्षित समय। ये कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एएसआरईसी द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों को आवंटित किए जाने वाले अधिग्रहण मूल्य को प्रभावित करते हैं; उदाहरण के लिए, एक उच्च छूट गुणांक एनपीए ऋण खातों के अधिग्रहण मूल्य को कम कर देगा और इसके विपरीत (कम छूट गुणांक मूल्य को बढ़ा देगा)। इसी प्रकार, वसूली के लिए अपेक्षित अधिक समय भी एनपीए ऋण खाते के अधिग्रहण मूल्य को कम कर देगा। गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खाता मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करने पर निम्नलिखित तथ्य पाए गए:-

(i) परिचालन नियमावली के अनुसार, प्रचलित बाजार परिदृश्य/स्थितियों पर विचार किया जाना आवश्यक है और एक उपयुक्त छूट गुणांक अपनाया जा सकता है, जो व्यवसाय के जोखिम को सही ढंग से दर्शाता हो। हालांकि, यह देखा गया कि नमूना जांच 38 मामलों में से 34 मामलों में, ऋण खातों के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए छूट गुणांक को बिना किसी औचित्य के 20 प्रतिशत पर माना गया था (**अनुलग्नक- IV**)।

गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले खातों के मूल्यांकन में बाजार की स्थितियों का आकलन किए बिना एक निश्चित छूट गुणांक लागू करने से गलत मूल्य निर्धारण का महत्वपूर्ण जोखिम रहता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता संभावित रूप से कमजोर होती है। इसके बजाय, परिसंपत्ति-विशिष्ट जोखिम और वसूली प्रोफाइल के अनुरूप गतिशील एवं मामला-विशिष्ट बट्टा दरों का उपयोग करने से एएसआरईसी अधिक सटीक, जोखिम-संवेदी और बाजार-संचालित मूल्यांकन प्राप्त करने में सक्षम होता।

(ii) परिचालन नियमावली के अनुसार, नकद आधार पर होने वाले लेनदेन के लिए अपनाया गया छूट गुणांक, प्रतिभूति रसीद आधार पर होने वाले लेनदेन के छूट गुणांक की तुलना में अनिवार्य रूप से अधिक होना चाहिए। आगे यह पाया गया कि नमूना जांच के लिए गए 38 मामलों में से 23 गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों का अधिग्रहण प्रतिभूति रसीद आधार पर किया गया था। इनमें से 21 अधिग्रहणों (**अनुलग्नक**-V) में यह पाया गया कि प्रतिभूति रसीद आधार पर अनुशंसित मूल्य की गणना, बिना किसी दर्ज औचित्य के, नकद आधार के लिए अनुशंसित अधिग्रहण मूल्य पर 150 प्रतिशत की एक निश्चित दर लागू करके की गई थी। उपर्युक्त के आलोक में, एएसआरईसी द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों के अति-मूल्यांकन का जोखिम बना रहता है, जिससे इससे जुड़ा निवेश जोखिम बढ़ जाता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2024/मार्च 2026) में कहा है कि यद्यपि जोखिम की धारणा के आधार पर छूट गुणांक लागू किए गए थे, लेकिन इसके औचित्य का दस्तावेजीकरण उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्टों में समान रूप से दर्ज नहीं किया गया था। आगे यह उत्तर दिया गया कि 150 प्रतिशत का गुणक रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति रसीद आधार पर अधिगहीत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वसूली रेटिंग पैमाने पर आधारित था। वित्त मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित एक उत्तर (अक्टूबर 2025) में, प्रबंधन ने आगे कहा कि अधिग्रहण के चरण में वास्तविक मूल्यांकन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया 31 मार्च 2025 से लागू की गई है।

यह उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एएसआरईसी ने बिना कोई सहायक औचित्य/आधार दर्ज किए ऋण खातों के अधिग्रहण के समय एक निश्चित छूट गुणांक लागू किया, जिससे इसके परिचालनों में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त,

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर (अर्थात परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के पश्चात) प्रतिभूति रसीदों की ग्रेडिंग/रेटिंग प्राप्त की जानी अनिवार्य है; अतः गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खाते के अधिग्रहण से पूर्व मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए वसूली रेटिंग पैमाने को अपनाना और सभी अधिग्रहणों में एक निश्चित दर (150 प्रतिशत) लागू करना न्यायसंगत नहीं है। बहरहाल, प्रबंधन ने तब से प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है।

अनुशंसा 3: एएसआरईसी ऋण खातों के मूल्यांकन में छूट गुणांक को लागू करने के लिए एक जोखिम-आधारित मैट्रिक्स विकसित करने पर विचार करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों की अधिग्रहण कीमत परिसंपत्ति-विशिष्ट जोखिम और वसूली प्रोफाइल पर आधारित हो।

क.3 अधिग्रहण लागत का अनुमान

एएसआरईसी ने एक ट्रस्ट के गठन के माध्यम से, कंपनी-2 से ₹22.51 करोड़ के बकाया मूलधन वाले कंपनी-1 के एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खाते का अधिग्रहण (सितंबर 2021) किया था। एएसआरईसी की प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति ने ₹23.00 करोड़ में इस अधिग्रहण को मंजूरी (सितंबर 2021) दी थी, जिसमें एएसआरईसी का हिस्सा ₹3.45 करोड़ था।

यह पाया गया कि उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में, एएसआरईसी ने छूट गुणांक 20 प्रतिशत और वसूली के लिए अपेक्षित समय एक वर्ष दर्शाया था तथा प्रतिभूतियों के अंतिम वसूली योग्य मूल्य के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना ₹22.55 करोड़ की थी; और इसी के आधार पर अधिग्रहण के लिए ₹23 करोड़ के मूल्य की अनुशंसा की गई थी, जिसे प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

हालांकि, यह पाया गया कि 20 प्रतिशत का छूट गुणांक और वसूली के लिए एक वर्ष का अपेक्षित समय मानने पर, अंतिम वसूली योग्य मूल्य का शुद्ध वर्तमान मूल्य ₹20.05 करोड़ आता है। हालांकि, प्रतिभूतियों के अंतिम वसूली योग्य मूल्य के एनपीवी को ₹20.05 करोड़ के स्थान पर ₹22.55 करोड़ मानकर ₹23 करोड़ के अधिग्रहण मूल्य को मंजूरी दी गई।

इस प्रकार, अंतिम वसूली योग्य मूल्य के एनपीवी का अत्यधिक आकलन करने के कारण, इस एनपीए ऋण खाते का अधिग्रहण ₹2.56 करोड़[7] की अतिरिक्त लागत पर किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024/दिसंबर 2024/मार्च 2026) कि अधिग्रहण मूल्य ज्ञात करते समय उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में 10 प्रतिशत का छूट गुणांक लागू किया गया था, हालांकि, उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में लिपिकीय त्रुटि के कारण छूट गुणांक 20 प्रतिशत उल्लिखित हो गया था। प्रबंधन ने संबंधित उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में इस सुधार को दर्ज कर लिया है।

इस उत्तर का अवलोकन इस तथ्य के आलोक में किया जाए कि उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में न तो उस औचित्य का उल्लेख था और न ही जोखिम की मात्रा विनिर्दिष्ट की गई थी, जिसके आधार पर दावा किए गए 10 प्रतिशत के छूट गुणांक को अपनाया गया था। अतः, लिपिकीय त्रुटि के संबंध में प्रबंधन के दावे का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सकता है।

क.4 प्रतिभूति रसीद के आधार पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों का मूल्यांकन

परिचालन नियमावली के अनुसार, नकद आधार पर होने वाले लेनदेन के लिए अपनाया गया छूट गुणांक, प्रतिभूति रसीद आधार पर होने वाले लेनदेन के छूट गुणांक की तुलना में अनिवार्य रूप से अधिक होना चाहिए।

जैसा कि ऊपर पैरा 4.1.5.1 (क.2) में पाया गया है, 21 गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों के मामले में, प्रतिभूति रसीद आधार पर मूल्य की गणना नकद आधार के अनुशंसित अधिग्रहण मूल्य पर 150 प्रतिशत की एक निश्चित दर लागू करके की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि इन 21 गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले ऋण खातों में से 11 खातों में, अधिग्रहण लागत उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट अंतर्निहित प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से अधिक थी, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:

[7] *उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट (डीडीआर) में अनुशंसित ऋण खाते के आनुपातिक मूल्यांकन पर विचार करते हुए, अधिग्रहण का अनुशंसित मूल्य ₹20.44 करोड़ आकलित किया गया है। इस प्रकार, अतिरिक्त अधिग्रहण लागत ₹2.56 करोड़ (₹23 करोड़ (-) ₹20.44 करोड़) थी।*

तालिका 4.2: अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य पर अधिग्रहण लागत का आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	एनपीए ऋण खाता	अधिग्रहण वर्ष	अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य	नकदी आधार पर अधिग्रहण के लिए अनुशंसित मूल्य	एसआर आधार पर अधिग्रहण के लिए अनुशंसित मूल्य	एसआर आधार पर अनुमोदित अधिग्रहण लागत	प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii) (vii -iv)
1	कंपनी 3	2020-21	8.45	6.63	9.94	10.50	2.05
2	कंपनी 5	2020-21	10.11	8.00	12.01	11.50	1.39
3	कंपनी 6	2020-21	9.29	7.35	11.02	11.00	1.71
4	कंपनी 7	2020-21	12.70	9.95	14.90	14.50	1.80
5	कंपनी 8	2020-21	9.47	7.40	11.10	10.75	1.28
6	कंपनी 9	2020-21	15.18	10.71	16.06	16.00	0.82
7	कंपनी 10	2020-21	10.83	8.49	12.73	11.50	0.67
8	कंपनी 11	2021-22	28.54	22.38	33.56	33.00	4.46
9	कंपनी 12	2020-21	1.57	1.23	1.84	1.60	0.03
10	कंपनी 13	2020-21	6.90	5.40	8.10	7.50	0.60
11	कंपनी 14	2020-21	5.89	4.67	7.01	7.00	1.11
	योग		**118.93**			**134.85**	**15.92**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹118.93 करोड़ की अंतर्निहित प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के सापेक्ष, एएसआरईसी ने ₹134.85 करोड़ में 11 एनपीए ऋण खातों का अधिग्रहण किया। इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एआरसी प्रचालन का मूल सिद्धांत, किए गए निवेश के लिए उच्च सुरक्षा मार्जिन सुनिश्चित करने और रिटर्न की संभावना बढ़ाने के लिए कम दरों पर एनपीए ऋण खातों का अधिग्रहण करना है हालाँकि, यह देखा गया कि एएसआरईसी ने इन एनपीए ऋण खातों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य से 13 प्रतिशत अधिक (₹15.92 करोड़) पर अधिग्रहीत किया था।

प्रबंधन ने (मई 2024) में कहा कि अधिग्रहण के लिए, विक्रेता बैंकों की आरक्षित मूल्य के बराबर भुगतान करने हेतु ₹134.85 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित परिसंपत्तियों के मूल्य निश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों की विपणन क्षमता पर विचार करना महत्वपूर्ण है और परिसंपत्तियों का प्राप्य मूल्य प्रासंगिक नहीं है। प्रबंधन ने आगे उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि उचित जांच-पड़ताल के चरण में निश्चित मूल्य, विक्रेता बैंक द्वारा निर्धारित वास्तविक आरक्षित मूल्य के बराबर हो भी सकता है या नहीं

भी। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतियों के मूल्य, अधिग्रहण की शर्तों जैसे प्रबंधन शुल्क, वसूली पर प्रोत्साहन आदि पर विचार करने के बाद, बोर्ड/प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति यह तय करती है कि विक्रेता बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य को समान किया जाना है या नहीं। प्रबंधन ने आगे कहा (मार्च 2026) कि अधिग्रहण एसआर आधार पर पोर्टफोलियो-आधारित लेनदेन का हिस्सा थे, जिसमें पृथक मूल्यांकन उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्य निर्धारण समग्र पोर्टफोलियो के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रबंधन ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित एक उत्तर (अक्टूबर 2025) में आगे कहा कि अधिग्रहण चरण में यथार्थवादी मूल्यांकन के महत्व को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2025 से वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया का प्रारम्भ किया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एएसआरईसी ने ऋण खातों के लिए अधिग्रहण लागत को तर्कसंगत रूप से निर्धारित करने के बजाय, केवल विक्रेता द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य को स्वीकार करके अपनी निर्धारित ऋण खाता मूल्यांकन प्रक्रिया को कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त, विक्रेता संस्थानों द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का उल्लेख न तो उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में किया गया था और न ही बोर्ड/प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति के किसी भी कार्यवृत्त में इस पर विचार-विमर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा किए गए दावे के विपरीत, अंतर्निहित परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों का प्राप्य मूल्य प्रासंगिक है क्योंकि यह एनपीए ऋण खाता मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार बनता है। यहां तक कि पोर्टफोलियो-आधारित दृष्टिकोण में भी, व्यक्तिगत ऋण खाता मूल्यांकन महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यह समग्र पोर्टफोलियो मूल्य निर्धारण का आधार बनता है। तथ्य यह है कि 21 में से 11 खातों में, अनुमोदित अधिग्रहण लागत अंतर्निहित प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य से अधिक थी, जो यह इंगित करता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कमी थी। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अधिग्रहण प्रक्रियाओं के लिए एसओपी को अद्यतित करके बाद में सुधारात्मक कार्रवाई की है।

क.5 बिना औचित्य के मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान छूट अवधि का अनुप्रयोग

प्रचालन नियमावली के अनुसार, विभिन्न समाधान रणनीतियों के अंतर्गत लगने वाले समय का अनुमान, चाहे उन रणनीतियों पर समानांतर रूप से विचार किया गया हो या क्रमिक रूप से, मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाएगा। प्राप्ति की अपेक्षित समय-सीमा का अनुमान

लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋण खातों के अधिग्रहण मूल्य को निर्धारित करने में यह एक निर्णायक भूमिका निभाता है।

यह देखा गया कि एएसआरईसी द्वारा अधिग्रहीत 38 नमूना ऋण खातों में से चार नमूना ऋण खातों में दो स्थानों पर डीडीआर में उल्लिखित प्राप्ति की अपेक्षित समय सीमा अलग-अलग थी, अर्थात भाग-1 (सामान्य सूचना) और भाग-3 (मूल्यांकन रिपोर्ट)। एनपीए ऋण खाते के उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में, एनपीए ऋण खाते के अधिग्रहण मूल्यांकन की गणना करते समय, विचारित समय-सीमा (उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट का भाग-III) भाग-I में उल्लिखित समय सीमा से कम थी। यह भी देखा गया कि एक ही उचित जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में दो अलग-अलग समय सीमा अपनाने का न तो कारण/तर्क दिया गया और न ही कम समय सीमा पर विचार करने का कोई कारण दिया गया था। इस प्रकार, मूल्यांकन प्रक्रिया में कम समय को ध्यान में रखते हुए, अधिग्रहण लागत बढ़ जाएगी, जो न केवल भविष्य के संभावित रिटर्न को कम करती है, बल्कि निवेश के सुरक्षा मार्जिन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

समान डीडीआर में अलग-अलग समय सीमा पर विचार करने के लिए किसी भी कारण के अभाव में, दो अलग-अलग समय सीमा के साथ चार एनपीए ऋण खातों के अधिग्रहण मूल्य में अंतर की तुलना नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 4.3: बिना किसी आधार के भिन्न छूट अवधि का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

खाते का नाम	डीडीआर के भाग III में छूट अवधि के अनुसार वास्तविक अधिग्रहण लागत	डीडीआर के भाग I में छूट अवधि के अनुसार (व्युत्पन्न अधिग्रहण लागत अर्थात), लंबी समय सीमा	पृथक समय-सीमा पर विचार करने के कारण अधिग्रहण लागत में अंतर
(i)	(ii)	(iii)	(iv) = (ii-iii)
कंपनी 3	10.50	8.40	2.10
कंपनी 5	11.75	9.40	2.35
कंपनी 11	33.00	29.70	3.30
कंपनी 15 (बैंक 5)	14.15	10.06	4.09
योग	**69.40**	**57.56**	**11.84**

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2024) में कहा है कि डीडीआर के भाग-I में उल्लिखित प्राप्ति अवधि को संशोधित किया गया है और अधिग्रहण लागत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। प्रबंधन ने अपने आगे के उत्तर (मार्च 2026) में कहा है कि मूल्य निर्धारण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विक्रेता बैंक के निर्धारित आरक्षित मूल्य की तुलना में समग्र वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया था। इसने स्वीकार किया है कि विभिन्न प्राप्ति समय-सीमा के दस्तावेजीकरण की कार्यप्रणाली स्थापित नहीं की गई थी और ऋण खातों में वसूली समय-सीमा को स्वीकारने के संबंध में मार्गदर्शन/नीति पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं थी। प्रबंधन ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से भेजे गए एक उत्तर (अक्टूबर 2025) में यह भी कहा कि अधिग्रहण के चरण में यथार्थवादी मूल्यांकन के महत्व को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2025 से वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गयी है।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कोई कारण दर्ज़ नहीं था जिसके आधार पर एएसआरईसी ने इन ऋण खातों में प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय को लागू किया था। किसी भी कारण/आधार के अभिलेख में दर्ज न होने के कारण, प्रबंधन द्वारा किए गए सुधारों की सत्यता/तर्कसंगतता का निर्णय नहीं किया जा सकता है।

क.6 उच्च मूल्यांकन वाले असुरक्षित एनपीए ऋण खाते का अधिग्रहण

प्रचालन नियमावली के अनुसार, किसी भी असुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिग्रहण मूल्य, उसके मूल बकाया के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह नोट किया गया कि 38 नमूना ऋण खातों में से एक नमूना असुरक्षित एनपीए ऋण खाता ₹ 11.50 लाख में अधिग्रहित किया गया था (मार्च 2021)।

एनपीए ऋण खाते का मूल बकाया ₹76.37 लाख था और नियमावली में उल्लिखित सीमा को ध्यान में रखते हुए, अधिग्रहण के लिए 5 प्रतिशत पर अनुमेय अधिकतम मूल्य, ₹3.82 लाख था। हालाँकि, नियमावली में अनुमत सीमा से अधिक कीमत पर खाता अधिग्रहित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण खाते के अधिग्रहण के लिए ₹7.68 लाख का अधिक मूल्यांकन और भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024/दिसंबर 2024/मार्च 2026) कि अधिग्रहण लागत को विक्रेता बैंक के आरक्षित मूल्य के बराबर करने के लिए भुगतान किया गया था जिसे बोर्ड

द्वारा अनुमोदित अधिग्रहण नीति के अनुसार बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि प्रचालन नियमावली, जिसमें अनुमोदित अधिग्रहण नीति सम्मिलित है, ने असुरक्षित एनपीए ऋण खाते के अधिग्रहण के लिए मूल बकाया की 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित सीमा से अधिक कीमतों के लिए असुरक्षित ऋण खातों का अधिग्रहण करने से वसूली का जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि उधारकर्ता से वसूली करने के लिए कोई अंतर्निहित संपत्ति/सुरक्षा नहीं होती है। अधिग्रहण नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि नीति में किसी भी विचलन को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है। हालाँकि, इस मामले में निर्धारित सीमा से अधिक कीमतों के लिए असुरक्षित ऋण खाते के अधिग्रहण की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा नहीं बल्कि बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी।

ख ऋण खातों के अधिग्रहण के लिए प्रक्रियाएं और अनुमोदन

पायी गई कमियों पर निम्नलिखित चर्चा की गई है:

ख.1 कंपनी-16

कंपनी-16 के ऋण खाते को (सितंबर 2010) बैंक-6 से एआरसी-1 द्वारा एसआर आधार पर ₹18.01 करोड़ में एक न्यास के गठन के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें एएसआरईसी और एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी ने निवेशक[8] के रूप में भाग लिया था। ऋण खाते में वसूली न होने के कारण, (एसएआरएफएईएसआई) सरफेसी अधिनियम[9] की धारा 7(3) के अंतर्गत आयोजित एक बैठक में (अगस्त 2018) एसआर धारकों ने संकल्प

---

[8] एसआर धारकों-एएसआरईसी ने ₹9.01 करोड़ (50 प्रतिशत) के एसआर और अन्य परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी ने ₹7 करोड़ (38.87 प्रतिशत) के एसआर की सदस्यता ली थी। चूंकि एएसआरईसी को उधारकर्ता की बंधक संपत्ति के किराए से अपने हिस्से के रूप में ₹0.41 करोड़ प्राप्त हुए, इसलिए इसका बकाया एसआर घटकर ₹8.60 करोड़ हो गया था।

[9] एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 7(3) के अनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली न होने की स्थिति में, एआरसी के पात्र खरीदार, ऐसी कंपनी द्वारा किसी योजना के अंतर्गत जारी किए गए एसआर के कुल मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं रखने वाले एसआर धारक, सभी पात्र खरीदारों की एक बैठक बुलाने के हकदार होंगे और ऐसी बैठक में पारित प्रत्येक प्रस्ताव कंपनी पर बाध्यकारी होगा।

लिया कि एएसआरईसी ऋण खाते के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अप्रैल और मई 2019 में एएसआरईसी द्वारा नीलामी के प्रयासों के बावजूद, किसी बोली के प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण खाते का निपटारा नहीं हुआ था। इसके बाद, सितंबर 2020 में, एसआर धारकों ने एआरसी-1 से एएसआरईसी को ऋण खाते के समनुदेशन के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया था। तदनुसार, एएसआरईसी ने एक नए न्यास के माध्यम से ₹17.90 करोड़ के खाते का अधिग्रहण किया, जिसमें ₹11.22 करोड़ के सुरक्षा रसीद की सदस्यता ली गई, जबकि ₹6.68 करोड़ के शेष सुरक्षा रसीद की सदस्यता अन्य परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा ली गई। एएसआरईसी ने (जनवरी 2021) अंतर्निहित संपत्ति की नीलामी करने का प्रयास किया, जो बोलियों की कमी के कारण असफल रहा। इसके बाद, एएसआरईसी की बोर्ड स्तरीय संकल्प समिति से अनुमोदन के साथ ₹22.35 करोड़ में निजी संधि[10] के माध्यम से अंतर्निहित संपत्ति बेची गई (अगस्त 2021)।

इस संबंध में, निम्नलिखित बातें देखी गईं:

(i) प्रचालन नियमावली में उन प्रस्तावों के मूल्यांकन या अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं किया गया है जहां एएसआरईसी अन्य एआरसी द्वारा गठित ट्रस्टों में एसआर धारक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, शक्तियों के प्रत्यायोजन में ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं है। वर्तमान मामले में, जनवरी 2020 में एसआर धारकों की बैठक के दौरान, एएसआरईसी प्रतिनिधियों ने एआरसी-1 के बकाया एसआर के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, लेखापरीक्षा में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन का कोई दर्ज साक्ष्य नहीं मिला, न ही ऐसे प्रस्ताव को उचित ठहराने वाली कोई आंतरिक टिप्पणी मिली।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024) कि सितंबर 2010 के बाद से ऐसे कोई लेनदेन नहीं हुए हैं। संबंधित समिति द्वारा उसके अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है और बोर्ड विचलन को स्वीकृति देने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त, एसआर धारकों की बैठकों में रखे जा रहे प्रस्तावों से संबंधित प्रबंधन स्तर मूल्यांकन समिति की स्वीकृति दर्ज़ की जाती है। इसने आगे उत्तर दिया (दिसंबर 2024)

[10] ***निजी संधि विधि सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने की एक विधि है जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुमेय है, जहां एआरसी संभावित खरीदारों के साथ सीधे बातचीत करता है।***

कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए पहलुओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित अधिग्रहण नीति (अगस्त 2024) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि न तो प्रचालन नियमावली और न ही शक्तियों का प्रत्यायोजन, अन्य एआरसी से ऋण खातों के अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रदान करता है। ऐसी निर्धारित प्रक्रियाओं के अभाव में, सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की जा सकती है और अनुमोदन को मान्य नहीं किया जा सकता है। जबकि एएसआरईसी ने जून 2024 में अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत किए, प्रबंधन स्तर मूल्यांकन समिति से पूर्व अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संशोधित अधिग्रहण नीति केवल अन्य एआरसी से अधिग्रहण की अनुमति देती है, लेकिन पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं करती है।

(ii) एएसआरईसी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति को एएसआरईसी के ₹5 करोड़ तक के शुद्ध निवेश से जुड़े अधिग्रहणों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि ₹5 करोड़ से अधिक के अधिग्रहणों के लिए बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, एएसआरईसी के निवेश के ₹5 करोड़ से अधिक होने के बावजूद बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, एक नए न्यास के माध्यम से एएसआरईसी ने एआरसी-1 से ₹17.90 करोड़ की लागत से एनपीए ऋण खाते का अधिग्रहण किया (एएसआरईसी का भाग: ₹11.22 करोड़)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024/दिसंबर 2024) कि शुद्ध जोखिम केवल ₹2.62 करोड़ था और अनुमोदन के लिए प्रत्यायोजन प्रबंधन स्तर मूल्यांकन समिति के पास निहित था, जो दर्ज़ किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने (मार्च 2026) इस संबंध में औपचारिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया। वित्त मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित (अक्टूबर 2025) किए गए एक उत्तर में प्रबंधन ने यह भी कहा कि शक्तियों का प्रत्यायोजन समीक्षाधीन है और जहां भी आवश्यक हो, अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए 31 मार्च 2026 से पहले इसे उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एएसआरईसी ने एक नए ट्रस्ट के माध्यम से एनपीए ऋण खाते का अधिग्रहण किया, जिसमें इसकी हिस्सेदारी ₹11.22

करोड़ थी। 2010 में प्राप्त अनुमोदन उस समय एआरसी-1 द्वारा गठित एक न्यास के एसआर की सदस्यता लेने के लिए एक स्वतंत्र निवेश निर्णय से संबंधित था और इसे 2020 में ऋण खाता अधिग्रहण के लिए वास्तविक अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, एएसआरईसी के ₹11.22 करोड़ के हिस्से के आधार पर बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था, न कि केवल ₹2.62 करोड़ की राशि पर। जबकि प्रबंधन ने अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए अपने अधिकारों के प्रत्यायोजन को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है, ऐसा संशोधन पहले से ही अनुसरण की गई अपर्याप्त अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूर्वव्यापी रूप से अनुमोदित नहीं कर सकता है।

अनुशंसा 4: एएसआरईसी यह सुनिश्चित करे कि अन्य एआरसी से एनपीए ऋण खातों के अधिग्रहण से संबंधित पर्याप्त प्रक्रियाएं प्रचालन नियमावली में सम्मिलित है।

ख.2 कंपनी-17 और कंपनी-18

कंपनी-17 और कंपनी-18 को सम्मिलित करते हुए, बैंक-7 ने छः एनपीए खातों के लिए बोलियाँ आमंत्रित कीं (नवंबर 2019), जिसमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2019 थी। हालाँकि, उस समय एएसआरईसी द्वारा बोलियाँ प्रस्तुत करने का विवरण दर्ज़ नहीं था। बाद में, अक्टूबर 2020 में, एएसआरईसी ने इन दो खातों के लिए ₹ 10.62 करोड़ की अंतिम बोली प्रस्तुत की; हालाँकि, एएसआरईसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली का परिणाम भी अभिलेखों में दर्ज नहीं था। इसके बाद, बैंक-7 ने इन ऋण खातों के लिए नीलामी सूचना प्रकाशित की (फरवरी 2021)। एएसआरईसी ने इन ऋण खातों की उचित जांच की, और इसकी प्रबंधन स्तर मूल्यांकन समिति ने 24 फरवरी 2021 को ₹3.08 करोड़ (कंपनी-17) और ₹7.54 करोड़ (कंपनी-18) की बोलियों को अनुमोदित किया। नीलामी 25 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी और बैंक-7 ने एएसआरईसी के ₹10.62 करोड़ के बोली के स्वीकृति (26 फरवरी 2021) की पुष्टि की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोली स्वीकार करने से पहले, एएसआरईसी को उधारकर्ताओं से ₹5 करोड़ प्राप्त हुए थे जो ग्रहणाधिकार मुक्त खाते में रखे गए थे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 4.4: एनपीए ऋण खातों के उधारकर्ताओं से प्राप्तियां

कंपनी-17		कंपनी-18	
प्राप्ति की तिथि	**राशि (₹ करोड़ में)**	**प्राप्ति की तिथि**	**राशि (₹ करोड़ में)**
19 अक्टूबर 2020	1.00	15 अक्टूबर 2020	2.50
19 दिसंबर 2020	0.40	4 दिसंबर 2020	0.50
29 दिसंबर 2020	0.50	-	-
11 फरवरी 2021	0.10	-	-
योग	**2.00**	**योग**	**3.00**

इस संबंध में, निम्नलिखित पाया गया था: -

(i) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, बोर्ड/प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति को एनपीए ऋण खातों के मूल्यांकन और अधिग्रहण को मंजूरी देने की आवश्यकता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत अंतिम बोली के लिए कोई ऐसी स्वीकृति अभिलेख में दर्ज नहीं थी, जो निर्धारित प्रत्यायोजन ढांचे के अनुपालन में नहीं थी। इस प्रकार, एएसआरईसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली वैध नहीं थी।

(ii) प्रचालन नियमावली में यह प्रावधान है कि खातों के अधिग्रहण के दौरान कुछ अवसर हो सकते हैं जहां उधारकर्ता अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए लेनदेन के अंतिम रूप दिए जाने से पहले खाते में अग्रिम भुगतान करने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ करता है कि पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर लेनदेन के अंतिम रूप दिए जाने पर उक्त राशि को विनियोजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लेनदेन के अंतिम रूप दिए जाने तक, इस प्रकार प्राप्त राशि को उक्त उद्देश्य के लिए खोले गए एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एएसआरईसी ने बिना किसी पूर्व पत्राचार या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के, इन दो एनपीए ऋण खातों के सापेक्ष उधारकर्ता से ₹ 5.00 करोड़ प्राप्त किए। यह ध्यान देने योग्य है कि ऋण खातों के अधिग्रहण से पहले और अंतर्निहित परिसंपत्तियों का वास्तविक स्वामी हुए बिना, उधारकर्ताओं से धन स्वीकार करना नैतिक जोखिम को उत्पन्न कर सकता है, जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और अधिग्रहण कार्यों की पारदर्शिता के साथ-साथ अखंडता को भी प्रभावित कर सकता है।

(iii) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, ₹5 करोड़ से अधिक के शुद्ध निवेश वाले अधिग्रहणों के लिए बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

हालांकि, कंपनी-18 के एनपीए ऋण खाते को बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति के बजाय प्रबंधन स्तरीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदन के आधार पर ₹7.54 करोड़ में अधिग्रहित किया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2024) में कहा कि 'पुनर्गठन के लिए बातचीत से तय हुई वित्तीय' नीति के अंतर्गत अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन, उधारकर्ता ने ऋण पुनर्गठन/एकमुश्त समझौता (ओटीएस) वित्तपोषण के लिए एएसआरईसी से संपर्क किया था, लेकिन पूरे ऋण और अंतर्निहित परिसंपत्तियों को सौंपने से इनकार कर दिया था। उधारकर्ता ने एएसआरईसी को यह भी सूचित किया था कि 2018 से बैंक-7 को ओटीएस प्रस्ताव दिए गए थे, हालांकि कोई प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था। ग्रहणाधिकार मुक्त खाते में जमा राशि के संबंध में उधारकर्ता का पत्राचार, अर्थात उधारकर्ता के 1 मार्च 2021 का पत्र भी अभिलेखों में दर्ज है। इस नीति के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा ₹3 करोड़ की राशि भेजी गई थी, और चूंकि समायोजन के बाद शुद्ध निवेश ₹5 करोड़ से कम था, प्रबंधन स्तर मूल्यांकन समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसने आगे उत्तर दिया (दिसंबर 2024/मार्च 2026) कि आरबीआई के हालिया दिशानिर्देशों के आधार पर इस नीति के अंतर्गत अधिग्रहण बंद कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित एक उत्तर (अक्टूबर 2025) में प्रबंधन ने यह भी कहा कि शक्तियों का प्रत्यायोजन समीक्षाधीन है और जहां भी आवश्यक हो, अस्पष्टताओं को रोकने के लिए 31 मार्च 2026 से पहले इसे उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि उपरोक्त नीति केवल वहां लागू थी जहां उधारकर्ता और बैंक के बीच एक ओटीएस/ समझौता पर सहमति हुई थी, जो मामला यहाँ नहीं था क्योंकि बैंक-7 के साथ कोई ओटीएस समझौता नहीं था। उधारकर्ता अक्टूबर 2020 से धन का भुगतान कर रहा था, जबकि उद्धृत पत्राचार मार्च 2021 का है, अर्थात फरवरी 2021 में अधिग्रहण के बाद का। नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित अंतर्निहित अनिश्चितता को देखते हुए, कंपनी-18 के उधारकर्ता प्राप्त ₹3 करोड़ को एएसआरईसी द्वारा निपटान आय के रूप में माना जाना तथा अनुमोदन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण लागत के सापेक्ष इसके बाद का समायोजन उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2020 में अंतिम बोलियों को प्रस्तुत करने की मंजूरी के संबंध में एएसआरईसी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

अनुशंसा 5: एएसआरईसी को ऋण खाते के औपचारिक अधिग्रहण से पहले उधारकर्ताओं से अग्रिम भुगतान स्वीकार करने से बचना चाहिए।

4.1.5.2 अधिग्रहीत एनपीए ऋण खातों का निपटान

एनपीए ऋण खाते के अधिग्रहण के बाद, ऋण खाते से वसूली की दिशा में मूलभूत कदम, अधिग्रहीत संपत्ति के समाधान के लिए एक योजना तैयार करना है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक रणनीति तैयार करना और ऋण से वसूली के लिए समय का अनुमान लगाना है। आरबीआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र (अप्रैल 2022) के अनुसार, अधिग्रहीत ऋण खाते के पुनर्गठन के लिए उपलब्ध उपायों में उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण, ऋणों का पुनर्गठन, सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन, उधारकर्ता द्वारा देय बकाया का निपटान और ऋण के किसी भी हिस्से को उधारकर्ता के शेयरों में परिवर्तित करना सम्मिलित है।

एएसआरईसी ने अपने प्रचालन नियमावली के अंतर्गत एक समाधान नीति तैयार की है जो किसी भी ऋण खाते के प्रस्तावित समाधान के तरीके के लिए पालन की जाने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की शक्तियों का प्रत्यायोजन सक्षम प्राधिकारी, अर्थात, प्रबंधन स्तरीय समाधान समिति, बोर्ड स्तरीय समाधान समिति और कंपनी के निदेशक मंडल को प्रत्येक ऋण खाते के प्रस्तावित समाधान के अनुमोदन/अस्वीकृति के लिए निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने ऋण खाते के अधिग्रहण के 38 नमूना मामलों और वसूली के 65 नमूना मामलों की समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की समीक्षा की और निष्कर्षों/कमियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

क अधिग्रहीत एनपीए ऋण खातों के समाधान की योजना बनाना

संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र (अप्रैल 2022) के अनुसार, एक संपत्ति पुनर्गठन कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तिथि से छः महीने के भीतर, यानी योजना अवधि के भीतर परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए एक योजना तैयार कर सकती है।

एएसआरईसी के प्रचालन नियमावली के अनुसार, अधिग्रहीत वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए योजना अवधि के दौरान समाधान योजना तैयार करने और उचित समाधान रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन समाधान समिति का गठन किया गया है। समाधान योजना में, अधिग्रहीत ऋण खातों का संक्षिप्त मूल विवरण, रखी गई प्रतिभूतियों का विवरण, विक्रेता बैंक/एफआई द्वारा शुरू की गई कार्रवाई, विधिक मामले, एसएआरएफएईएसआई सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई और ऋण के समाधान की अवधि के साथ-साथ अधिग्रहीत ऋण खाते के समाधान के लिए रणनीति/योजना सम्मिलित है।

अधिग्रहीत ऋण खातों के लिए बनाई जा रही समाधान योजनाओं में पायी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

क.1 अधिग्रहीत ऋण खाते के लिए समाधान योजना

एएसआरईसी ने एआरसी-2 से कंपनी-19 (नवंबर 2022) का एनपीए ऋण खाता ₹16 करोड़ में अधिग्रहित किया था। प्रचालन नियमावली के अनुपालन में, एएसआरईसी को अधिग्रहण की तिथि से छः महीने के भीतर अर्थात मई 2023 तक एक समाधान योजना तैयार करनी थी। लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रैल 2024) एनपीए ऋण खाते के लिए कोई समाधान योजना अभिलेख में दर्ज नहीं पाई गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, एएसआरईसी ने 6 दिसंबर 2022 की अनुमोदन तिथि के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत (मई 2024) की थी। हालाँकि, यह पाया गया कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत समाधान योजना में 21 जनवरी 2023 की अंतर्निहित प्रतिभूतियों की मूल्यांकन रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था, जो अनुमोदित समाधान योजना की तिथि के बाद की थी। लेखापरीक्षा द्वारा आगे बताए जाने पर, एएसआरईसी ने बाद में (दिसंबर 2024) 06 फरवरी 2023 की एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि पहले की योजना को सुधारकर अब प्रबंधन स्तर समाधान समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उपर्युक्त को देखते हुए, चूंकि एएसआरईसी ने लेखापरीक्षा के लिए समाधान योजनाओं के दो संस्करण प्रस्तुत किए थे और दूसरी योजना प्रस्तुत करते समय, यह उल्लेख किया कि समिति ने अब योजना को संशोधित किया है, 6 फरवरी 2023 को अनुमोदित होने की

बात कही थी, लेखापरीक्षा समाधान योजनाओं की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में असमर्थ है, अर्थात, क्या योजनाओं को पहले अनुमोदित किया गया था या केवल लेखापरीक्षा टिप्पणी के बाद। यह एएसआरईसी द्वारा समाधान योजनाओं की तैयारी/अनुमोदन में प्रचालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

प्रबंधन ने (मार्च 2026) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा के दौरान दस्तावेज़ीकरण संरेखण मुद्दों के कारण समाधान योजना के कई संस्करण प्रस्तुत किए गए थे और जो दस्तावेज़ीकरण मानकीकरण अंतराल को दर्शाते हैं, जिसे डिजिटल अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है।

प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि देखी गई विसंगतियां केवल दस्तावेजीकरण के मुद्दों के बजाय अनुमोदन प्रक्रिया में प्रणालीगत कमियों का संकेत देती हैं, जैसा कि प्रबंधन द्वारा तर्क दिया गया है। पोस्ट-डेटेड मूल्यांकन इनपुट के संदर्भ के साथ-साथ, असंगत अनुमोदन तिथियों के साथ समाधान योजना के कई संस्करणों की विद्यमानता, यह अनुमोदन की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और समय पर सवाल उठाता है।

क.2 एनपीए ऋण खातों के लिए समाधान योजना तैयार करने में विलंब

अधिग्रहण के 38 नमूना मामलों में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी/मार्च 2023 में अधिग्रहीत चार एनपीए ऋण खातों[11] में समाधान योजनाएं, प्रचालन नियमावली में निर्धारित अधिग्रहण की तिथि से छः महीने की योजना अवधि के भीतर तैयार/अनुमोदित नहीं की गई थीं।

यह पाया गया कि ऋण खातों (₹1,134.44 करोड़ के कुल अधिग्रहण मूल्य के साथ) के लिए समाधान योजनाएं तैयार करने में विलंब 41 दिनों से लेकर 113 दिनों तक का था। यह आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में कमी को दर्शाता है, खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये सभी मामले उच्च मूल्य के अधिग्रहण थे।

[11] ***कंपनी 15 (₹38.10 करोड़), कंपनी-4 - बैंक-3 (₹828.00 करोड़), कंपनी-4 - बैंक-4 (₹122.66 करोड़) और कंपनी-4 - बैंक-1 (₹145.68 करोड़)***

प्रबंधन ने (मई 2024) उत्तर दिया कि समाधान योजनाएं छः महीने की निर्धारित अवधि के भीतर तैयार करके अनुमोदित की गईं और अभिलेखों में दर्ज की गईं। इसने आगे उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि तिथि त्रुटिवश सितंबर के बजाय नवंबर के रूप में उल्लिखित की गईं, जिन्हें बाद में सही कर दिया गया और उसी की प्रतियां प्रस्तुत की गईं।

प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ विरोधाभासी हैं, जिससे समाधान योजनाओं और उनके अनुमोदन से जुड़ी विश्वसनीयता का स्तर कम हो गया है। प्रारम्भ में, प्रबंधन ने कहा कि योजनाओं को निर्धारित छः महीने की अवधि के भीतर अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, बाद में इसने अनुमोदन तिथियों में त्रुटियों को स्वीकार किया और मई/जून 2023 में अनुमोदन को दर्शाते हुए परिशोधित योजनाएँ प्रस्तुत कीं। इस विरोधाभास के साथ-साथ इस तथ्य के साथ कि लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दों पर जोर दिए जाने के बाद ही संशोधन किए गए थे, एएसआरईसी के आंतरिक नियंत्रण और दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करता है। नतीजतन, लेखापरीक्षा अनुमोदन तिथियों की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

प्रबंधन ने (मार्च 2026) उत्तर दिया कि समाधान योजनाएं आम तौर पर समय सीमा के भीतर तैयार की जाती हैं, हालांकि, लिपिक/दस्तावेजीकरण त्रुटियों के कारण विसंगतियां हुईं। इसके अलावा, उच्च-मूल्य मामलों में, कई उधारदाताओं, कानूनी जटिलताओं और विकसित वसूली रणनीतियों के कारण अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। प्रबंधन ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित उत्तर (अक्टूबर 2025) में कहा कि समय पर समाधान योजनाएं तैयार करने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाली एक संशोधित एसओपी तैयार की जा रही है और 31 मार्च 2026 तक जारी होने की उम्मीद है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परिशोधित योजनाएँ लेखापरीक्षा टिप्पणी के बाद प्रस्तुत की गईं थीं। इसके अलावा, प्रचालन संबंधी जटिलताओं के कारण हुए विलंब को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समाधान योजना के अनुमोदन के लिए समय-सीमा को स्पष्ट रूप से एएसआरईसी के प्रचालन नियमावली में निर्धारित किया गया था। पायी गई कमियाँ आंतरिक नियंत्रण और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमियों को दर्शाती हैं।

अनुशंसा 6: एएसआरईसी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित जांच स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक ऋण खाते के लिए समाधान योजना अपने प्रचालन नियमावली और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में निर्धारित छः महीने की समय सीमा के भीतर तैयार और अनुमोदित की जाए।

क.3 पर्याप्त आधार के बिना समाधान योजनाओं में पांच वर्ष की समाधान अवधि को समान रूप से अपनाना

सभी 38 नमूना अधिग्रहण मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन स्तर समाधान समिति ने कानूनी कार्रवाई के लिए सामान्य रूप से आवश्यक समय का हवाला देते हुए समाधान योजनाओं में पांच वर्ष की समाधान अवधि को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। हालांकि, प्रत्येक ऋण खाते के लिए पांच वर्ष की समान अवधि अपनाने का कोई औचित्य नहीं था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग वसूली जोखिम था और इन ऋण खातों के लिए जांच-पड़ताल रिपोर्ट में स्वीकृत अपेक्षित प्राप्ति अवधि तीन महीने से तीन वर्ष तक थी (**अनुलग्नक- IV**)। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को कोई भी अभिलेख नहीं मिला जिससे यह पता चले कि समाधान योजनाओं में उल्लिखित समाधान अवधि को ऋण की प्रकृति, मुकदमेबाजी की सीमा या विक्रेता बैंक/एफआई द्वारा पहले से ही की गई कार्रवाई आदि जैसे कारकों के किसी भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदित किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024) कि डीडीआर अधिग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा है जबकि प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय सीमा समाधान प्रक्रिया से संबंधित है। किसी भी खाते के अधिग्रहण से पहले डीडीआर तैयार किया जाता है जो अधिग्रहण के न्यूनतम मूल्य को निश्चित करने के लिए उस विशेष समय पर संबंधित खाते की स्थिति को दर्ज़ करता है। आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अधिग्रहण की तिथि से छः महीने के भीतर पूरी होने के बाद ही समाधान की योजना का अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा, चल रही मुकदमेबाजी सहित विभिन्न कारकों के कारण वास्तविक समाधान भिन्न हो सकते हैं। खातों के संदर्भ में जटिलता और अनिश्चितता की प्रकृति को देखते हुए, समाधान योजना के साथ डीडीआर की तुलना व्यावहारिक नहीं है। प्रबंधन ने आगे कहा (मार्च 2026) कि आरबीआई द्वारा अनुमत अधिकतम प्रारंभिक समाधान अवधि के आधार

पर समाधान योजनाओं में पांच वर्ष की अवधि को एक विवेकपूर्ण बाहरी मानक के रूप में स्वीकृत किया गया था। प्रबंधन ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से भेजे गए एक उत्तर (अक्टूबर 2025) में यह भी कहा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित एसओपी तैयार की जा रही है और 31 मार्च 2026 तक जारी होने की उम्मीद है।

उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि प्राप्ति का अपेक्षित समय, ऋण खातों के अधिग्रहण के समय ऋण खातों के मूल्यांकन के लिए लागू एक महत्वपूर्ण मानदंड है। इस प्रकार, प्राप्ति/समाधान अवधि अधिग्रहण कार्यों से पूरी तरह से अलग नहीं है। इसके अलावा, जबकि आरबीआई दिशानिर्देश अधिकतम प्राप्ति अवधि पांच वर्ष (आठ वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) निर्धारित करते हैं, वे सभी मामलों में एक समान अवधि अपनाने का आदेश नहीं देते हैं। यह उत्तर कि समाधान परिवर्तनीय कारकों के कारण भिन्न हो सकता है, एएसआरईसी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, क्योंकि सभी ऋण खातों के लिए समाधान योजनाओं में अनुमोदित समाधान/प्राप्ति अवधि को समान रूप से पांच वर्ष माना गया था।

अनुशंसा 7: एएसआरईसी प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय सीमा के अनुमान के लिए एक तर्कसंगत/समान पद्धति अपनाने पर विचार करे और प्रत्येक ऋण खाते के लिए इस तरह के अनुमान के आधार का दस्तावेजीकरण भी करे।

ख एकमुश्त समझौते के माध्यम से समाधान

प्रचालन नियमावली के अनुसार, एकमुश्त समझौता (ओटीएस)/समझौता समाधान के माध्यम से उधारकर्ता द्वारा देय बकाया का वार्ता समझौता, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अधिग्रहीत खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए अपनाए गए उपायों में से एक है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है, यह उपाय कानूनी उलझनों से परे है, कम खर्चीला है और परस्पर लाभकारी होता है। प्रचालन नियमावली में ओटीएस के अंतर्गत बकाया राशि के निपटान के लिए नीति सम्मिलित है जो समझौता/ओटीएस के लिए लागू दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है। ओटीएस प्रस्तावों के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियां निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.5: ओटीएस प्रस्तावों से संबंधित शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रत्यायोजन	सक्षम प्राधिकारी
• ₹5 करोड़ तक के एएसआरईसी के शुद्ध निवेश वाले खातों में ओटीएस प्रस्तावों के लिए और प्रबंधन शुल्क एवं अन्य वसूली इन्सेंटिव सहित 20 प्रतिशत या उससे अधिक का वार्षिक रिटर्न देने के लिए	प्रबंधन स्तर समाधान समिति
• उन खातों में ओटीएस, जहां आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है या किसी जांच प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। • प्रबंधन स्तर समाधान समिति के अधिकार से परे प्रस्तावों के लिए	बोर्ड स्तरीय समाधान समिति

इसके बाद अक्टूबर 2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के लिए नियामक ढांचे में संशोधन किया, जिसके अनुसार उधारकर्ता के साथ बकाया राशि का समाधान केवल स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद किया जाएगा, जिसमें तकनीकी/वित्त/कानूनी पृष्ठभूमि वाले पेशेवर सम्मिलित होंगे। प्रस्ताव का निर्धारण करने के बाद, आईएसी उधारकर्ता के साथ बकाया राशि के निपटान के संबंध में एआरसी को अपनी अनुशंसायें देगा। निदेशक मंडल, आईएसी की अनुशंसाओं पर विचार करेगा और बकाया राशि की वसूली के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा, इससे पहले कि यह तय किया जाए कि उधारकर्ता के साथ बकाया राशि के निपटान का प्रस्तावित विकल्प मौजूदा परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प है और विस्तृत तर्क के आधार पर निर्णय को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में विशेष रूप से दर्ज किया जाएगा। तदनुसार, संशोधित आरबीआई दिशानिर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड द्वारा प्रचालन नियमावली (नवंबर 2022) में संशोधन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 65 नमूना मामलों में से 24 समाधान/वसूली मामलों में ओटीएस प्रस्तावों की स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में प्रक्रिया की समीक्षा की और निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

ख.1 ओटीएस प्रस्तावों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया

24 एनपीए ऋण खातों में से, 16 ऋण खातों के मामले में एक ओटीएस प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे एएसआरईसी द्वारा स्वीकार किया गया था। शेष आठ ऋण खातों में, उधारकर्ताओं से कई ओटीएस प्रस्ताव (अनुलग्नक VI) प्राप्त हुए। इन आठ एनपीए ऋण

खातों में से, ₹17.78 करोड़ और ₹43.60 करोड़ की अधिग्रहण लागत के दो खातों[12] में, उधारकर्ताओं के क्रमशः ₹25 करोड़ और ₹47 करोड़ के उच्चतम ओटीएस प्रस्तावों को मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारियों को संदर्भित किए बिना अस्वीकार कर दिया गया।

शेष छः मामलों में, हालांकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम ओटीएस प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया था, यह देखा गया कि पहले के प्रस्तावों को सक्षम अधिकारियों के विचार के लिए प्रस्तुत किए बिना अस्वीकार कर दिया गया था। यह उचित प्रक्रिया से विचलन और निर्णय लेने में पारदर्शिता एवं उत्तर देही की कमियों की ओर इशारा करता है।

प्रबंधन ने (मई 2024) उत्तर दिया कि कंपनी उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि के समझौते के लिए बातचीत हेतु समाधान टीम के निर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिकृत करती है। उधारकर्ताओं से प्राप्त ओटीएस के प्रस्ताव को विभिन्न मापदंडों पर अधिकृत अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। इसके अलावा, ओटीएस प्रस्तावों को उधारकर्ता द्वारा अग्रिम भुगतान की एक बड़ी राशि के साथ प्रस्तुत किया जाना है जो प्रस्ताव की प्रामाणिकता को निर्धारित करेगा। ओटीएस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद, सभी मामलों में पूर्ण प्रस्ताव को विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाता है। प्रबंधन ने अपने उत्तर (मार्च 2026) में अस्वीकृत ओटीएस प्रस्तावों के लिए दस्तावेज़ों के अभाव को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि कमियों को दूर करने के लिए एसओपी को मजबूत किया जा रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी होने के नाते केवल प्रबंधन स्तर की समाधान समिति, बोर्ड स्तर की समाधान समिति या निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ताओं के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत थे। इसके अलावा, जैसा कि उत्तर दिया गया है, एएसआरईसी द्वारा निर्दिष्ट अधिकृत अधिकारी प्रस्ताव की जांच कर सकते हैं, लेकिन उधारकर्ताओं के प्रस्तावों को अस्वीकार करने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अग्रिम भुगतान के संबंध में, प्रचालन नियमावली में यह निर्धारित किया गया है कि ओटीएस अनुरोध प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित ओटीएस राशि के न्यूनतम पांच प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर जोर दिया जाना चाहिए। हालांकि यह स्वीकार्य ओटीएस प्रस्ताव पर विचार करने के आड़े नहीं आना चाहिए।

[12] ***कंपनी-21 और कंपनी 20***

इस प्रकार, ओटीएस प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अग्रिम भुगतान पूर्वापेक्षा नहीं है।

अनुशंसा 8: एएसआरईसी प्रचालन नियमावली के प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओटीएस प्रस्तावों से निपटने में अधिकृत व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। एएसआरईसी यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसे अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए मूल्यांकन/निर्धारण पर्याप्त रूप से प्रलेखित हैं और ऐसी समीक्षा के बाद सभी प्रस्तावों को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं और विधिवत प्रलेखित किए जाते हैं।

ख.2 ओटीएस प्रस्ताव की अनधिकृत अस्वीकृति के कारण एनपीए ऋण खाते को कम मूल्य पर पुनः आवंटित किया गया

एएसआरईसी ने न्यास के तहत बैंक-8 से कंपनी-21 के ऋण खाते को ₹ 17.78 करोड़ में अधिग्रहित (जून 2017) किया। जनवरी 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, उधारकर्ता ने छः एकमुश्त समझौता (ओटीएस) प्रस्ताव किए, जिसमें सबसे अधिक प्रस्ताव ₹25 करोड़ का था। इसके बाद, बोर्ड स्तरीय समाधान समिति से अनुमोदन (मार्च 2022) के बाद ऋण खाते को ₹19 करोड़ के लिए अन्य एआरसी को पुनः सौंपा गया।

यह देखा गया कि एएसआरईसी ने सक्षम प्राधिकारी से किसी भी अनुमोदन और किसी विश्लेषण/कारण के बिना ओटीएस प्रस्तावों को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया था, कि प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था और वसूली के लिए विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकार, एएसआरईसी द्वारा उधारकर्ता के ओटीएस प्रस्ताव की अनधिकृत अस्वीकृति के कारण एनपीए ऋण खाते के सापेक्ष ₹6 करोड़ की अतिरिक्त राशि को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024/दिसंबर 2024/मार्च 2026) कि ओटीएस प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखे गए थे क्योंकि ये प्रस्ताव स्वीकार्य मानकों के अनुसार नहीं थे। इसके अलावा, चूंकि उधारकर्ता के निदेशक आर्थिक अपराधों में फँसे हुए थे और प्रासंगिक अवधि के दौरान जेल की सजा काट रहे थे, कंपनी ने ऋण खाते में हिस्सेदारी का विनिवेश दूसरे एआरसी में किया। उधारकर्ता/गारंटर पुराने चूककर्ता थे, और प्रस्ताव केवल पूरी वसूली प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के इरादे से प्रस्तुत किए जा रहे थे। समाधान प्रक्रिया में

सम्मिलित अनिश्चितता के कारण, जोखिम कम करने के लिए कंपनी ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण को दूसरे एआरसी को सौंप दिया। प्रबंधन ने आगे स्वीकार किया कि निर्णय के तर्क का दस्तावेज़ीकरण अपर्याप्त था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ₹25 करोड़ (नवंबर 2019) के ओटीएस प्रस्ताव को मूल्यांकन के स्थापित मानकों के सापेक्ष प्रस्ताव में किसी विशिष्ट कमी का हवाला दिए बिना जिसके कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, अस्वीकार करते हुए एएसआरईसी ने केवल यह कहा कि प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था और इसे अस्वीकृत माना जाना चाहिए। इसके अलावा, पुन: सौंपने के लिए बोर्ड स्तरीय समाधान समिति से अनुमोदन (मार्च 2022) प्राप्त करते समय, अनुमोदन के ज्ञापन में केवल यह उल्लेख किया गया था कि पर्याप्त अवसर देने के बावजूद उधारकर्ता के साथ परस्पर समझौता नहीं हो सका। हालांकि, इसमें उधारकर्ता से पहले प्राप्त छः ओटीएस प्रस्तावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, जून 2017 में ऋण खाते के अधिग्रहण से पहले एएसआरईसी द्वारा की गई जांच के दौरान इस तथ्य पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए था कि उधारकर्ता कंपनी के निदेशक नवंबर 2016 से पुलिस हिरासत में थे। इसलिए, प्रस्तावों को अस्वीकार करने और कम मूल्य पर खाते को किसी अन्य एआरसी को फिर से सौंपने के लिए समाधान स्तर पर इस कारक का हवाला देना और उस पर भरोसा करना उचित प्रतीत नहीं होता है, विशेषकर जब नवंबर 2019 में एएसआरईसी द्वारा ₹25 करोड़ का उच्च ओटीएस प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

ग (प्रतिभूति) प्राप्तियों में विनिवेश

आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों (अगस्त 2014) के अनुसार, एआरसी के लिए उनके द्वारा जारी किए गए एसआर के न्यूनतम 15 प्रतिशत को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करना आवश्यक होगा। आरबीआई ने उक्त प्रावधान को संशोधित (अक्टूबर 2022) करके यह निर्धारित किया कि एआरसी एसआर में हस्तांतरणकर्ता के निवेश के न्यूनतम 15 प्रतिशत या जारी किए गए कुल एसआर के 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर एसआर में निवेश करेंगे। आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2022) पर विचार करते हुए, एएसआरईसी ने अपने प्रचालन नियमावली में भी संशोधन किया, और कहा है कि वह 11 अक्टूबर 2022 से पहले बनाई गई प्रत्येक योजना/न्यास के तहत लागू न्यूनतम सीमा मानदंडों के अनुसार एसआर में निवेश जारी रखेगा।

एएसआरईसी ने पात्र क्रेता अर्थात कंपनी-23 के साथ एक न्यास के गठन के माध्यम से बैंक-2 से कंपनी-22 के ऋण खाते को ₹26.25 करोड़ में अधिग्रहित किया। इस न्यास के तहत एएसआरईसी के पास प्रतिभूति प्राप्तियों (एस.आर.) का 15 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि कंपनी-23 के पास शेष 85 प्रतिशत हिस्सा था। इसके बाद, जनवरी 2023 में, एएसआरईसी ने अपने एसआर का 12.5 प्रतिशत हिस्सा कंपनी-23 को ₹3.28 करोड़ मूल्य में बेच दिया और इस प्रकार अपनी हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया और एसआर पर ₹0.61 करोड़ का प्रीमियम बुक किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यास का गठन अक्टूबर 2022 से पहले किया गया था और प्रचालन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को ट्रस्ट के एसआर में 15 प्रतिशत निवेश की सीमा बनाए रखनी चाहिए थी। हालांकि, कंपनी ने प्रचालन नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में और ऐसी कार्रवाई करने के लिए किसी भी पर्याप्त कारण/तर्क के बिना 2.5 प्रतिशत में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश (जनवरी 2023) किया। चूंकि एसआर का विनिवेश एनपीए ऋण खाते के समाधान का हिस्सा है, इसलिए विनिवेश के लिए अनुमोदन बोर्ड/प्रबंधन स्तरीय समाधान समिति से प्राप्त किया जाना था, जो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया था। यह कंपनी के वित्तीय मामलों में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2024) कि यह नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने एसआर के एक हिस्से का विनिवेश करके किसी विशेष खाते में अपने निवेश को कम करता है और/या रिटर्न को अधिकतम करने के लिए खातों के कुछ अन्य स्रोत का अधिग्रहण करने के लिए, उपलब्ध धन का निवेश करता है। इसके अलावा, एसआर का विनिवेश ऋण खातों के समाधान का हिस्सा है, और लेनदेन सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अधिकृत है। इसने आगे उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि एसआर के विनिवेश को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसने आरंभ में एसआर में अधिग्रहण और निवेश को अनुमोदन दिया था। अधिक स्पष्टता लाने के लिए एएसआरईसी ने पहले ही बोर्ड के अनुमोदन (अगस्त 2024) के तहत अपनी प्रतिभूतिकरण नीति में इन पहलुओं को सम्मिलित कर लिया है। प्रबंधन ने यह भी कहा (मार्च 2026) कि जो भिन्नता देखी गई वह संशोधित आरबीआई ढांचे में परिवर्तन के कारण थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि प्रचालन नियमावली ने अक्टूबर 2022 से पहले गठित न्यासों के लिए एसआर में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी अनिवार्य कर दी थी। प्रबंधन द्वारा अपने उत्तर में उद्धृत अनुमोदन प्रबंधन स्तर मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार केवल एनपीए ऋण खातों के अधिग्रहण के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए, प्रबंधन के इस तर्क पर विचार करते हुए कि विनिवेश ऋण समाधान का हिस्सा था, इसका निर्णय लेना मूल्यांकन समिति के दायरे से बाहर था और इसे विधिवत रूप से बोर्ड/प्रबंधन स्तरीय समाधान समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए था।

4.1.6 निष्कर्ष

एनपीए ऋण खातों की अधिग्रहण प्रक्रिया एएसआरईसी के मुख्य कार्यों में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि यह भविष्य की वसूली का आधार बनती है। हालांकि कंपनी के पास अधिग्रहण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रचालन नियमावली और शक्तियों का प्रत्यायोजन है, नियमावली में प्रमुख पहलुओं जैसे कि छूट गुणांक और प्राप्ति के लिए समय-सीमा पर स्पष्टता की कमी है । इसके अलावा, प्रक्रियात्मक चूकें देखी गईं, जिसमें छूट की शर्तों के गलत अनुप्रयोग के कारण अधिग्रहण लागत अधिक हो गई, अंतर्निहित प्रतिभूतियों के मूल्य से अधिक लागत पर अधिग्रहण, और ऐसे उदाहरण जहां सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना अधिग्रहण किया गया था, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

अधिग्रहीत एनपीए ऋण खातों से वसूली को अधिकतम करने के लिए समाधान प्रचालन महत्वपूर्ण हैं, और इन कार्यों में किसी भी विलंब या कमियों का बकाया राशि की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। समाधान योजनाओं की तैयारी में असंगत दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता की कमी समाधान प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। इसके अलावा, मामले के अनुरूप मूल्यांकन के बिना समाधान समय-सीमा का समान अनुप्रयोग, एएसआरईसी के समाधान प्रचालन में अपर्याप्त जोखिम निर्धारण को दर्शाता है। ओटीएस प्रस्तावों को संसाधित करने में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना, और आंतरिक दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एसआर का विनिवेश, आंतरिक नियंत्रण/निरीक्षण तंत्र में कमियों को दर्शाता है।

4.2 पुनर्बीमा प्रचालन

4.2.1 परिचय

बीमा अधिनियम 1938, भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक अधिनियम है। यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को बीमा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए विनियम बनाने का अनुदेश देता है। अन्य अधिनियम (अर्थात, समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991) भी बीमा व्यवसाय की विशेष श्रेणियों (एलओबी) के शासन और इसके कामकाज को विनियमित करते हैं। आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 और आईआरडीएआई (भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं को अनिवार्य अभ्यर्पण) अधिसूचनाएं भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए विधिक रूपरेखा दस्तावेज हैं।

पुनर्बीमा (पुनर्बीमा), बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच जोखिम बांटने की एक व्यवस्था है, जिसके तहत एक बीमाकर्ता[13], जिसे हस्तांतरकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्राथमिक/प्रत्यक्ष बीमा से उत्पन्न होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पुनर्बीमाकर्ता नामक दूसरे बीमाकर्ता को सभी या आंशिक जोखिम हस्तांतरित करता है। पुनर्बीमा कार्यों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात (i) बाहरी पुनर्बीमा और (ii) आंतरिक पुनर्बीमा। बाहरी पुनर्बीमा में, बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता को जोखिम का हिस्सा हस्तांतरित करता है जबकि आंतरिक पुनर्बीमा में, बीमाकर्ता अन्य मूल बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता से जोखिम का हिस्सा स्वीकार करता है। पुनर्बीमाकर्ता कुछ पूर्व निर्धारित राशि से अधिक हानि वहन करता है, अर्थात प्रतिधारण सीमा, जिसे प्राथमिक बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाना है और यह या तो एक प्रकार के जोखिम या पूरे जोखिम श्रेणी पर आधारित है। पुनर्बीमा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अर्थात आनुपातिक और अननुपातिक। आनुपातिक पुनर्बीमा के तहत, पुनर्बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई सभी पॉलिसियों के प्रीमियम का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त होता है, और पुनर्बीमाकर्ता उसी अनुपात में होने

---

[13] *एक ऐसी संस्था जो किसी प्रतिफल के बदले, बीमाकृत व्यक्ति को बीमाकृत जोखिम के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए सहमत होती है।*

वाली हानि का एक हिस्सा वहन करता है। अननुपातिक पुनर्बीमा के मामले में, बीमाकर्ता वर्ष के दौरान शुद्ध अर्जित प्रीमियम पर सहमत दरों से प्रीमियम का भुगतान करेगा।

चित्र :4.1 पुनर्बीमा व्यवस्था

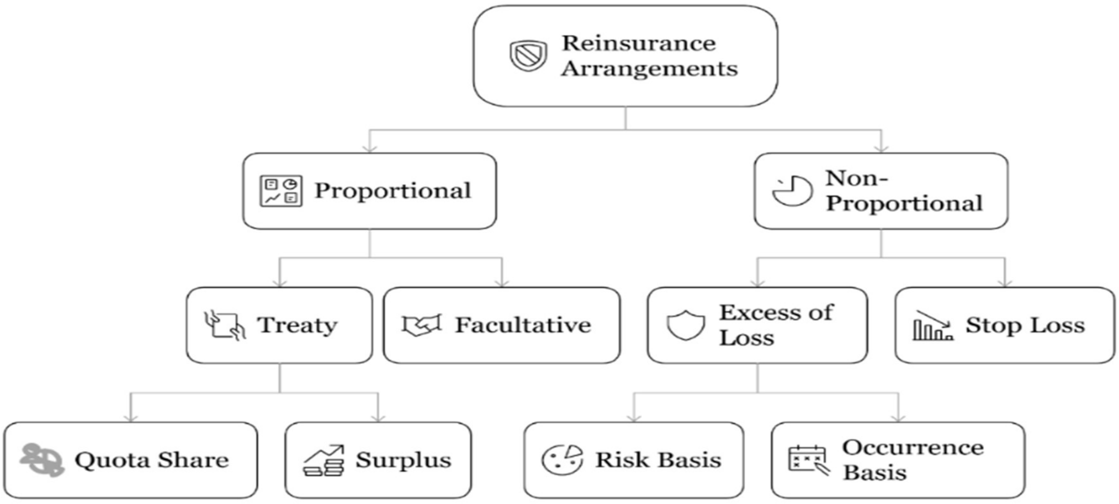

बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता के साथ आनुपातिक संधि निष्पादित करते हैं जहां संधि में सम्मिलित किए गए प्रत्येक जोखिम को हस्तांतरित किया जाएगा और दावों का भुगतान तदनुसार किया जाएगा। कोटा शेयर संधि एक यथानुपात पुनर्बीमा अनुबंध है जहां बीमाकर्ता एवं पुनर्बीमाकर्ता प्रीमियम और हानि को एक निश्चित प्रतिशत में साझा करते हैं। अधिशेष शेयर संधि एक पुनर्बीमा समझौता है जहां बीमाकर्ता जोखिम का एक हिस्सा रखता है, और पुनर्बीमाकर्ता शेष राशि की जिम्मेदारी लेता है। वैकल्पिक पुनर्बीमा, प्रस्ताव और स्वीकृति के आधार पर व्यक्तिगत जोखिम का पुनर्बीमा है, जिसमें पुनर्बीमाकर्ता बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक जोखिम को या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से उसका मूल्य निर्धारित कर सकता है।

अतिरिक्त हानि (एक्सओएल) संधि बीमाकर्ता को प्रतिधारण जोखिम के लिए पुनर्बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें एक निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तिगत (प्रत्यक्ष) नीति हेतु हानि का एक निश्चित स्तर सम्मिलित है। स्टॉप-लॉस संधि वह है जहां पुनर्बीमाकर्ता बीमाकर्ता के अर्जित प्रीमियम के एक निर्दिष्ट राशि या प्रतिशत से अधिक हानि को वहन करता है, जिससे बीमाकर्ता को हानि से बचाया जाता है।

4.2.1.1 भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 3 के अनुसार, प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता के पुनर्बीमा कार्यक्रम को अधिकतम प्रतिधारण, पर्याप्त तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता विकसित करने, सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा कवरेज को सुरक्षित करने और व्यवसाय के प्रशासन को सरल बनाने के लिए चार उद्देश्यों द्‌वारा निर्देशित किया जाएगा।

भारत में चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां (पीएसजीआईसी) हैं, अर्थात्, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईए) मुंबई, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसी) कोलकाता, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसी), नई दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसी), चेन्नई जो प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा प्रचालन करती हैं। भारत में एक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी आरई), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्‌यम और ग्यारह विदेशी पुनर्बीमा शाखाएं (एफआरबी)[14], पुनर्बीमा व्यवसाय कर रही हैं (मार्च 2024)। इसके अलावा, भारत में पुनर्बीमा का कारोबार उन क्रॉस-बॉर्डर पुनर्बीमाकर्ताओं द्‌वारा भी किया जा रहा था, जिनकी भारत में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन जो भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा का कारोबार करते हैं। एकमात्र भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में, जीआईसी आरई को घरेलू सामान्य बीमाकर्ताओं द्‌वारा जारी प्रत्येक पॉलिसी पर अनिवार्य अभ्यर्पण[15] प्राप्त होता है।

4.2.1.2 पीएसजीआईसी का वित्तीय निष्पादन

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए उनके प्रत्यक्ष बीमा और पुनर्बीमा प्रचालन के लिए पीएसजीआईसी का समेकित वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:

***[14]** विदेशी कंपनी की वह शाखा, जो पुनर्बीमा व्यवसाय में संलग्न हो तथा जिसे आईआरडीएआई द्‌वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।*

***[15]** 2018-19 से 2021-22 के दौरान पाँच प्रतिशत एवं 2022-23 के दौरान चार प्रतिशत।*

तालिका 4.6: 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए पीएसजीआईसी का वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	एनआईए	एनआईसी	ओआईसी	यूआईआईसी
1.	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	1,38,521.26	57,982.28	57,452.02	71,296.40
2.	शुद्ध उपगत दावे	1,21,755.52	57,033.49	60,703.29	68,144.51
3.	उपगत दावा अनुपात[16] (प्रतिशत)2/1 * 100)	87.90	98.36	105.66	95.58
4.	शुद्ध कमीशन का भुगतान	11,664.47	4223.18	4249.66	4379.42
5.	लाभ प्रत्यक्ष व्यवसाय) हानि/ सहित] (1-(2+4)]	5,101.27	(3,274.39)	(7,500.93)	(1,227.53)
6.	निवल मूल्य (31 मार्च 2023 स्थिति के अनुसार)	19,919.24	(963.27)	(4,146.93)	(732.00)
7.	शेयर पूंजी (31 मार्च 2023 स्थिति के अनुसार)	824	9,375	4,620	3,905

इसके अलावा, पीएसजीआईसी के पुनर्बीमा कार्यों के निष्पादन की समीक्षा दो भागों में की गई है, अर्थात बाहरी और आंतरिक पुनर्बीमा व्यवसाय। 2018-19 से 2022-23 तक पीएसजीआईसी द्वारा बाहरी पुनर्बीमा अभ्यर्पण और आंतरिक पुनर्बीमा स्वीकृति के परिणाम नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 4.7: पीएसजीआईसी के वाह्य पुनर्बीमा (अभ्यर्पण) व्यवसाय का निष्पादन (2018-19 से 2022-23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	एनआईए	एनआईसी	ओआईसी	यूआईआईसी
1.	हस्तांतरित प्रीमियम	33,472.92	17,960.34	13,105.00	14,732.71
2.	उपगत दावे	21,613.63	15,127.35	10,000.81	12,595.80
3.	उपगत दावे (प्रतिशत में) (2/1*100)	64.57	84.23	76.31	85.50

[16] *उपगत दावा अनुपात (ICR) एक वित्तीय मापदंड है, जो किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित प्रीमियम की तुलना में उद्भूत दावों (भुगतान किए गए तथा बकाया दावों सहित) के कुल मूल्य को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। आईसीआर (ICR) = (उद्भूत दावे / अर्जित प्रीमियम) × 100*

क्रम सं.	विवरण	एनआईए	एनआईसी	ओआईसी	यूआईआईसी
4.	अर्जित कमीशन	2,598.07	1,195.46	1,000.02	1,018.72
5.	कमीशन (प्रतिशत में) (4/1*100)	7.76	6.66	7.63	6.91
6.	**पुनर्बीमा जावक में शुद्ध निर्गम [1-(2+4)]**	**9,261.22**	**1,637.53**	**2,104.17**	**1,118.19**

स्रोत: पीएसजीआईसी का वार्षिक प्रतिवेदन

बाह्य पुनर्बीमा में, बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए वित्तीय और क्षमता सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुनर्बीमाकर्ता के साथ जोखिम साझा किया जाता है। हालाँकि, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के बाह्य पुनर्बीमा व्यवसाय के परिणाम इष्टतम पुनर्बीमा कार्यक्रम, निवल प्रतिधारण नीति, प्रतिधारण को अधिकतम करने, मध्यस्थ/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ शर्तों की बेहतर बातचीत और प्रभावी पुनर्बीमा दावा प्रबंधन द्वारा पुनर्बीमा संचालन के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

तालिका 4.8: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के आंतरिक पुनर्बीमा (स्वीकृतियां) व्यवसाय का प्रदर्शन (2018-19 से 2022-23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	एनआईए	एनआईसी	ओआईसी	यूआईआईसी
1.	स्वीकृत बीमा किस्त	7,039.99	2,166.86	2,343.46	1,172.53
2.	उपगत देय दावा	5,327.94	1,399.94	1,655.37	445.12
3.	आईसीआर (प्रतिशत में)	75.68	64.61	70.64	37.96
4.	भुगतान किया गया कमीशन	1,150.94	248.11	336.43	167.59
5.	कमीशन (प्रतिशत में)	16.35	11.45	14.36	14.29
6.	पुनर्बीमा के निवल (आंतरिक) पारिणाम	561.11	518.81	351.66	559.82

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने आंतरिक पुनर्बीमा व्यवसाय में निवल अंतर्प्रवाह दर्ज किया है, जो आंतरिक पुनर्बीमा व्यवसाय के तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है।

4.2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पुनर्बीमा संचालन की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकीय रूप से चयनित नमूनों[17] के आधार पर संधियों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा का संचालन यह पुष्टि करने के लिए किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पुनर्बीमा संचालन का कार्य भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप किया गया है, और इन कंपनियों में ऐसी उचित प्रक्रियाएं, कार्यप्रणालियां और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र उपस्थित हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि पुनर्बीमा व्यवस्थाएं मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ निष्पादित की जाएं।

लेखापरीक्षा की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक[18] के साथ हुई, जिसमें प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र, मानदंडों और कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया। लेखापरीक्षा ने पुनर्बीमा कार्यक्रम, पुनर्बीमा नियोजन और आंतरिक नियंत्रण आदि से संबंधित अभिलेखों की जांच की। संधियों और संकाय पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के संबंध में, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किए गए चयनित नमूनों के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) से संबंधित चयनित प्रीमियम और दावों के बॉर्डरॉक्स के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आकड़ों का विश्लेषण किया गया। मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसजीआईसी की सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधन और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को जारी किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधन और मंत्रालय के साथ निकास

---

[17] आनुपातिक और गैर-आनुपातिक संधियां (बाह्य और आंतरिक) - हस्तांतरण मूल्य (प्रीमियम राशि) के संदर्भ में कुल समष्टि का 50 प्रतिशत तथा संकाय व्यवस्थाएं (बाह्य और आंतरिक): प्रीमियम, भुगतान किए गए दावों और बकाया दावों में से चयनित मूल्य का 25 प्रतिशत। हालाँकि, संचालन के अधिक परिमाण के कारण एनआईए में कम प्रतिशत का चयन किया गया था।

[18] 19 जुलाई 2023 (यूआईआईसी), 27 सितंबर 2023 (ओआईसी), 11 अक्टूबर 2023 (एनआईए) और 30 जनवरी 2024 (एनआईसी)

सम्मेलन[19] आयोजित की गईं। आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतिम रूप देने में प्रबंधन/मंत्रालय के सुझावों पर विचार किया गया है।

निहित संवेदनशीलता को देखते हुए, पुनर्बीमाकर्ताओं, सीबीआरओं, सह-बीमाकर्ताओं, बीमित व्यक्तियों, दावेदारों, बैंक और दलाल के नामों को मास्किंग कोड (तिरछे अक्षरों में) का उपयोग करके छुपाया गया है; जैसे पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए रेंस 1 से 15, बीमित कंपनियों के लिए इंस्योर्ड कं 1, 2, और 3, सीबीआरओं के लिए सीबीआर 1, 2, और 3, और बैंक के लिए बीके।

4.2.2 पुनर्बीमा कार्यक्रमों का निर्धारण और कार्यान्वयन

बीमा कंपनियां अपनी वित्तीय सुदृढ़ता के अनुरूप जोखिमों के लिए प्रतिधारण सीमा तय करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करती हैं। प्रतिधारण सीमा से अधिक के शेष जोखिम का पुनर्बीमा किया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी हुआ। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 (विनियम) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता का पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों से निर्देशित होगा:

- देश के भीतर अधिकतम संभव प्रतिधारण
- पर्याप्त तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता विकसित करना
- सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा सुरक्षा (कवरेज) सुनिश्चित करना
- व्यवसाय प्रशासन को सरल बनाना

लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-2023 की अवधि के लिए चारों सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। पुनर्बीमा कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में अननुपालन, विचलन और वित्तीय नुकसान देखे गए। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षा में पाए गए पुनर्बीमा विनियम, 2018 के अननुपालन के मामलों पर निम्नलिखित उप-प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

[19] ***18 दिसंबर 2024 (यूआईआईसी), 16 जनवरी 2025 (एनआईसी), 20 जनवरी 2025 (एनआईए), 7 फरवरी 2025 (ओआईसी) और 2 जुलाई 2025 (मंत्रालय)***

4.2.2.1 प्रतिधारण नीति का अभाव

प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता को वित्तीय वर्ष शुरू होने से 45 दिन पहले अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ अपनी प्रतिधारण[20] नीति भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंपनी होती है। विनियम में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता अपनी वित्तीय सुदृढ़ता, जोखिमों की गुणवत्ता और व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप अधिकतम संभव प्रतिधारण बनाए रखेगा और एक उपयुक्त बीमा खंड-वार प्रतिधारण नीति तैयार करेगा। बोर्ड, पुनर्बीमा कार्यक्रम और प्रतिधारण नीति तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवस्थाएं प्रभावी और उपयुक्त हों:

- व्यवसाय मिश्रण, समग्र जोखिम क्षमता, आवश्यक पुनर्बीमा सुरक्षा का प्रकार और सीमा;
- जोखिम संकेंद्रण का स्तर और प्रतिधारण स्तर;
- पुनर्बीमा तंत्र।

इस प्रकार, प्रतिधारण सीमा का निर्धारण वह आधार है जिस पर पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रारूपण और निर्धारण के लिए अद्यतित प्रतिधारण नीति एक पूर्व-आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यूआईआईसी और एनआईसी के पास प्रत्येक व्यवसाय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न जोखिमों के लिए प्रतिधारण सीमा तय करने हेतु कोई प्रतिधारण नीति नहीं थी। प्रतिधारण नीति की यह अनुपस्थिति विनियमों का अननुपालन था। ओआईसी और एनआईए के पास प्रतिधारण सीमा तय करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिधारण नीति उपलब्ध थी।

यूआईआईसी ने बताया (सितंबर 2024) कि पुनर्बीमा विभाग प्रस्तावित पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यवसाय की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रस्तावित प्रतिधारण सीमाएं शामिल होती हैं। एनआईसी ने बताया (जनवरी 2025) कि प्रतिधारण और प्रतिधारण नीति

[20] ***प्रतिधारण का तात्पर्य जोखिम के उस हिस्से से है, जिसे एक बीमाकर्ता स्वयं के खाते से वहन करता है।***

को अंतिम रूप देना हर साल बोर्ड को अनुमोदन के लिए सौंपे जाने वाले पुनर्बीमा कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है।

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि यूआईआईसी में पुनर्बीमा नियामवली का अद्यतन किया जा रहा है और प्रतिधारण नीति एनआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम का हिस्सा है।

प्रबंधन और मंत्रालय का उत्तर प्रतिधारण नीति की अनुपस्थिति के संबंध में विशिष्ट नहीं है क्योंकि यूआईआईसी और एनआईसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रमों में कोई प्रतिधारण नीति शामिल नहीं थी। पुनर्बीमा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रतिधारण सीमाओं के अनुमोदन को पुनर्बीमा विनियमों के अंतर्गत आवश्यक एक अलग प्रलेखित प्रतिधारण नीति का औचित्य और विकल्प नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार, यूआईआईसी और एनआईसी में पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिधारण नीति का न होना पुनर्बीमा विनियमों के अनुरूप नहीं था।

अनुशंसा 9: यूआईआईसी और एनआईसी को निवल प्रतिधारण के निर्धारण और पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रतिधारण नीति तैयार करने और उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

4.2.2.2 अनर्ह सीबीआरओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय का नियोजन

विनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी भारतीय बीमाकर्ता पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान स्टैंडर्ड एंड पुअर की अनिवार्य 'बीबीबी' रेटिंग या किसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी की समकक्ष रेटिंग की तुलना में कम क्रेडिट रेटिंग वाले किसी भी सीबीआर[21] के साथ अपना पुनर्बीमा व्यवसाय नहीं करेगा। कम रेटिंग वाले सीबीआरओं के साथ पुनर्बीमा नियोजन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान बिना रेटिंग वाले और कम रेटिंग (बी, बी+ और बीबी+) वाले अनर्ह सीबीआरओं के साथ नियोजन किए गए थे और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा भारतीय बीमा

[21] *एक विदेशी पुनर्बीमा कंपनी जिसका कारोबार भारत के बाहर स्थापित है और जिसकी निगरानी उसके गृह देश के नियामक द्वारा की जाती है।*

विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना इन अनर्ह सीबीआरओं को प्रीमियम हस्तांतरित किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है।

तालिका 4.9: 2018-19 से 2020-21 तक अनर्ह सीबीआरओं को हस्तांतरित किया गया प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

कंपनी	अनर्ह सीबीआर	हस्तांतरित बीमा -प्रीमियम
एनआईसी	60	417.12
ओआईसी	12	381.74
एनआईए	4	117.82
यूआईआईसी	4	21.59

यूआईआईसी ने बताया (जून 2024) कि पूर्ण नियोजन सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय की पेशकश की गई थी। एनआईसी ने कहा (जनवरी 2025) कि कंपनी ने हमेशा लागू भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों का पालन किया एवं आवश्यक अनुमोदन निदेशक मंडल से लिया गया था तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास दाखिल किया गया था। एनआईसी ने आगे आश्वासन दिया कि बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लागू किया जाएगा। ओआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (फरवरी 2025) और ऐसे सीबीआर के साथ अधिकतम नियोजन पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रावधान का पालन हेतु नोट किया। मंत्रालय ने एनआईसी के उत्तर से सहमति व्यक्त की और कहा कि यूआईआईसी ने इन सीबीआर को हस्तांतरण के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमाओं को बनाए रखा। मंत्रालय ने एनआईए द्वारा अनर्ह सीबीआरओं को प्रीमियम हस्तांतरण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

यह स्पष्ट है कि यूआईआईसी और ओआईसी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा नियोजन करने से पहले भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया था या नहीं। इसलिए, यह विनियमों के अनुरूप नहीं था।

4.2.2.3 प्रीमियम का पूर्ण हस्तांतरण जिसके परिणामस्वरूप 'फ्रंटिंग' हुई

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 में पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करने का आदेश दिया गया है, जिसके अंतर्गत देश के भीतर अधिकतम

प्रतिधारण किया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 में 'फ्रंटिंग' को जोखिम हस्तांतरण की ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें भारतीय बीमाकर्ता अपने द्वारा लिए गए जोखिम का अधिकांश या सम्पूर्ण भाग किसी पुनर्बीमाकर्ता या प्रति- पुनर्बीमाकर्ता[22] को सौंप या हस्तांतरित कर देता है। इसके अलावा, विनियमों में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवस्था फ्रंटिंग नहीं है।

चूंकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत बीमाकर्ता मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि पुनर्बीमा कार्यक्रम व्यावसायिक आवश्यकता, संचालन के परिमाण, वित्तीय सुदृढ़ता, बाजार प्रथा, जोखिम क्षमता, प्रतिधारण नीति के अनुरूप और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुरूप हों। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा अंतिम रूप दी गई पुनर्बीमा व्यवस्थाएं अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुरूप होनी चाहिए। पुनर्बीमा कार्यक्रम को लागू करने में, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को निवल प्रतिधारण सीमाओं, आनुपातिक संधियों का हस्तांतरण, और संकाय व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। पुनर्बीमा कार्यक्रमों की समीक्षा में, यह पाया गया कि यूआईआईसी के अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रमों में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए विमानन (विमान का ढांचा और अतिरिक्त दायित्व बीमा) व्यवसाय श्रेणी में शून्य प्रतिधारण था। इसलिए, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए यूआईआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों ने विमानन (विमान का ढांचा एवं अतिरिक्त दायित्व बीमा) पॉलिसियों में फ्रंटिंग की अनुमति दी जो पुनर्बीमा विनियमों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि, शेष वर्षों (2018-19 से 2020-21) के लिए यूआईआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम और लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2022-23) के लिए अन्य कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रम पुनर्बीमा विनियम संख्या 3(2)(ए)(सी) के अनुपालन में थे।

[22] *रिट्रोसेशन को एक ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक पुनर्बीमाकर्ता, अधिग्रहीत पुनर्बीमाकृत जोखिम का एक हिस्सा दूसरे पुनर्बीमाकर्ता (रिट्रोसेशनियर) को सौंप देता है।*

तालिका 4.10: यूआईआईसी के अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार विमानन (विमान का ढांचा एवं अतिरिक्त दायित्व बीमा) खंड के लिए हस्तांतरण का विवरण

वर्ष	बीमा पत्रों की संख्या	अनिवार्य हस्तांतरण	वैकल्पिक नियोजन	निवल प्रतिधारण	हस्तांतरित प्रीमियम (₹ करोड़ में)
		(प्रतिशत में)			
2021-22	40	5	95	0	7.60
2022-23	43	4	96	0	6.54

स्रोत: यूआईआईसी द्वारा प्रस्तुत विवरण

फ्रंटिंग ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की भूमिका को एक मध्यस्थ तक सीमित कर दिया और यह भारत के भीतर अधिकतम प्रतिधारण के पुनर्बीमा उद्देश्य के विपरीत था।

यूआईआईसी ने बताया (जुलाई 2024) कि उपलब्ध क्षमता का उपयोग आंतरिक व्यवसाय के लिए किया गया था और इसलिए बाहय व्यवसाय को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (जून 2025)। प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि विनियमों ने फ्रंटिंग के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की थी।

इसी तरह, लेखापरीक्षा में हस्तांतरण विवरणों की जांच से यह पाया गया कि एक बीमित (बीमा कंपनी1) को जारी की गई सभी 76 विमानन पॉलिसियों, 331 बड़ी जोखिम वाली अग्नि पॉलिसियों में से एक अग्नि पॉलिसी, और 2.75 लाख पॉलिसियों में से छः देयता बीमाओं के लिए एनआईसी, ओआईसी और यूआईआईसी द्वारा प्रतिधारण शून्य था, जिसके परिणामस्वरूप फ्रंटिंग हुई, हालांकि पुनर्बीमा कार्यक्रम में प्रतिधारण अनिवार्य था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका 4.11: शून्य प्रतिधारण वाली बीमाओं की संख्या जिसके परिणामस्वरूप 'फ्रंटिंग' हुई

वर्ष	कंपनी	व्यवसाय श्रेणी	बीमाओं की संख्या	कुल प्रीमियम (₹ करोड़ में)
2018-19 से 2022-23	एनआईसी	विमानन	76	154.35
2022-23	ओआईसी	अग्नि	1	34.13
2021-22 और 2022-23	यूआईआईसी	देयता	6	21.06

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरण

यूआईआईसी ने बताया (जुलाई 2024) कि विमानन क्षेत्र में नीतियों के अंतर्गामी और बहिर्गामी दोनों पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के कारण कोई 'फ्रंटिंग' नहीं थी, और फ्रंटिंग केवल बहिर्गामी पुनर्बीमा में ही की गई थी। देयता बीमाओं के लिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि यूआईआईसी ने प्रत्येक जोखिम की एक से अधिक परतों में भाग लिया था और यह हवाला दिया कि इसमें कोई फ्रंटिंग नहीं है क्योंकि केवल एक परत के जोखिम को पूरी तरह से सौंप दिया गया था। दो मामलों में, यूआईआईसी ने फ्रंटिंग के औचित्य के रूप में यूक्रेन-रूस युद्ध का हवाला दिया।

मंत्रालय ने उल्लेख किया कि यूआईआईसी देयता बीमाओं में एक अनुगामी (सह-बीमाकर्ता) था और अग्रणी बीमाकर्ता ने **संधि सीमा** के उचित उपयोग के लिए एक ही जोखिम के लिए कई बीमाएँ जारी की थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक बीमा को 100 प्रतिशत हस्तांतरित कर दिया जाता है और दूसरी बीमा को अधिक प्रतिधारित किया जाता है। इसलिए, सभी बीमाएँ एक ही जोखिम के लिए हैं और संयुक्त बीमा राशि तथा पुनर्बीमा हस्तांतरण उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुरूप है। अतः, इन मामलों में कोई 'फ्रंटिंग' नहीं है।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि किसी भी बीमा में संपूर्ण प्रीमियम को सौंपना 'फ्रंटिंग' के दायरे में आता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण नियमों ने फ्रंटिंग की अनुमति देने के लिए किसी भी छूट को मंजूरी नहीं दी थी।

एनआईसी ने बताया (जनवरी 2025) कि विमानन क्षेत्र में, जिन एयरलाइंस के विमान पट्टे पर हैं, वे यह शर्त रखते हैं कि बीमाकर्ता की रेटिंग उच्च होनी चाहिए। इसलिए, एनआईसी को पूरा प्रीमियम हस्तांतरित करना पड़ा क्योंकि उनके पास आवश्यक रेटिंग नहीं थी। हालाँकि, वे विमानन व्यवसाय में उद्योग की प्रथा के अनुसार अंतर्गामी स्वीकृति में भाग ले रहे हैं। ओआईसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि अग्रणी बीमाकर्ता की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए संपूर्ण जोखिम हस्तांतरित किया गया था।

मंत्रालय ने तर्क दिया (जून 2025) कि एनआईसी प्रति जोखिम एक एकल प्रतिधारण बनाए रखता है, और यदि मूल बीमा पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे उसी विमानन जोखिम के पुनर्बीमा पर लागू किया जाता है। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि प्रतिधारण

मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस व्यवस्था को 'फ्रंटिंग' अनुबंध नहीं माना जाना चाहिए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि ओआईसी और यूआईआईसी को अग्रणी बीमाकर्ता की पुनर्बीमा पद्धति को स्वीकार करना पड़ा था, जिसके कारण फ्रंटिंग की स्थिति उत्पन्न हुई।

प्रबंधन और मंत्रालय का उत्तर बीमा में शून्य प्रतिधारण के लिए व्यावसायिक और परिचालन आवश्यकताओं को इंगित करता है।

4.2.2.4 सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का अधिक हस्तांतरण

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 'बीबीबी' से कम रेटिंग वाले कुछ विशिष्ट सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं को विशेष स्वीकृति प्रदान की और इन सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं को कुल पुनर्बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अधिकतम हस्तांतरण की सीमा निर्दिष्ट की थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ओआईसी और एनआईसी में निम्नलिखित निर्दिष्ट सीबीआरओं को निर्दिष्ट प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक हस्तांतरण किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 4.12: सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं को किया गया अधिक हस्तांतरण

सीबीआर	वर्ष	बीमाकर्ता	अधिकतम हस्तांतरण (प्रतिशत में)	किया गया हस्तांतरण (प्रतिशत में)
सीबीआर 2	2018-19	ओआईसी	5	6.83
	2019-20			9.09
सीबीआर 1	2020-21	एनआईसी और ओआईसी	2	10.28 और 4.36
सीबीआर 3		ओआईसी		2.55
सीबीआर 2		एनआईसी		6.37

ओआईसी ने लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (फरवरी 2025) और ऐसे सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अधिकतम प्लेसमेंट से संबंधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए इसे नोट किया तथा भविष्य के संदर्भों के लिए इसे सुनिश्चित करने की बात कही। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून

2025) कि अपनी सभी संधियों एवं वैकल्पिक व्यवस्थाओं का शत प्रतिशत नियोजन सुनिश्चित करने के लिए ओआईसी को कई बार ऐसे सीबीआर से लिखित प्रतिबद्धताएँ स्वीकार करनी पड़ती हैं जिनकी रेटिंग तय मानकों से कम होती है। इनमें से कुछ सीबीआर सरकारी संस्थाएं हैं और बकाये के निपटान में बिना किसी समस्या के पिछले कई वर्षों से उनका सहयोग कर रही हैं। उनके मूल्यवान दीर्घकालिक व्यावसायिक जुड़ाव के कारण, वे अपने प्लेसमेंट में ऐसे सीबीआरओं के साथ निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। बहरहाल, किसी भी प्लेसमेंट को अंतिम रूप देने से पहले, वे सीबीआरओं को एफआरएन नंबर जारी करने से संबंधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के प्रति सचेत रहते हैं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। हालाँकि, ऐसे सीबीआरओं के साथ अधिकतम अनुमत प्लेसमेंट पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट किया गया है और भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

तथ्य यह है कि ऐसे सीबीआरओं को दिया गया व्यवसाय नियमों का एक उल्लंघन था।

एनआईसी ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए उल्लेख किया (जनवरी 2025) कि भविष्य में लेखापरीक्षा के बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्रालय ने कहा (जून 2025) कि एनआईसी ने नियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सीबीआरओं को किए गए अत्यधिक हस्तांतरण की सूचना दी थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने सीबीआरओं को अत्यधिक हस्तांतरण के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अनुमोदन प्रदान नहीं किया था।

4.2.2.5 अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रमों के उल्लंघन में जोखिम का प्रतिधारण

बीमा पॉलिसियों में जोखिम के अत्यधिक प्रतिधारण के कारण उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त जोखिम, बीमाकर्ता की वित्तीय क्षमता और ताकत से अधिक उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानि का कारण बन सकता है। अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रमों के उल्लंघन में अत्यधिक प्रतिधारण विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में पाएं गए थे। अत्यधिक जोखिम के मामलों पर निम्नलिखित उप-प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

क. सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में अत्यधिक प्रतिधारण

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए यूआईआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम (2021-22) में अनिवार्य हस्तांतरण के बाद "संभावित अधिकतम हानि[23]" के आधार पर ₹10 करोड़ के निवल प्रतिधारण का अधिदेश था; विविध अधिशेष संधि में ₹10 करोड़-₹100 करोड़ (संभावित अधिकतम हानि) का हस्तांतरण और ₹100 करोड़ से ऊपर की शेष राशि को वैकल्पिक पुनर्बीमा नियोजन के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

i) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2021-22 के दौरान जारी की गई 24 सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाओं की संभावित अधिकतम हानि ₹122.31 करोड़ से ₹27,333 करोड़ के बीच थी। हालाँकि, पुनर्बीमा कार्यक्रम के उल्लंघन में विविध अधिशेष संधि या वैकल्पिक पुनर्बीमा नियोजन के अंतर्गत हस्तांतरण शून्य था। इसके परिणामस्वरूप यूआईआईसी के निवल खाते पर सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाओं में ₹36,457.78 करोड़ का अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न हुआ (जैसा कि नीचे/ तालिका में दिया गया है), जिसे विविध अधिशेष संधि और वैकल्पिक पुनर्बीमा नियोजन में हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।

तालिका 4.13: सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाओं के अंतर्गत निवल खातों पर अतिरिक्त जोखिम भार

(₹ करोड़ में)

बीमाओं की संख्या	सभी बीमाओं की कुल संभावित अधिकतम हानि	अनिवार्य हस्तांतरण (पांच प्रतिशत)	पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार शुद्ध प्रतिधारण (प्रत्येक पॉलिसी के लिए 10 करोड़)	विविध अधिशेष संधि को हस्तांतरित की जाने वाली संभावित अधिकतम हानि (प्रत्येक बीमा के लिए 100 करोड़)	संभावित अधिकतम हानि जिसके लिए वैकल्पिक पुनर्बीमा की व्यवस्था की जानी थी	यूआईआईसी द्वारा प्रतिधारित संभावित अधिकतम हानि	प्रतिधारित अत्यधिक संभावित अधिकतम हानि (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	38,629.24	1931.46	240	2,400	34,057.78	36,697.78	36,457.78

[23] *एक बीमांकक किसी दुर्घटना की स्थिति में संभावित रूप से होने वाली क्षति की अधिकतम राशि का अनुमान लगाएगा और प्रतिधारण तथा पुनर्बीमा से संबंधित निर्णय इसी अनुमान पर आधारित करेगा।*

यूआईआईसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि बॉर्डरो[24] में दर्शाई गई संभावित अधिकतम हानि त्रुटिपूर्ण थी और इसके कारण के रूप में तत्कालीन समेकित रीइन्शुरन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर से नए जीसी कोर सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला दिया। मंत्रालय ने यूआईआईसी के उत्तर से सहमति जताते हुए (जून 2025) कहा कि ऐसी समस्याओं का अब समाधान कर लिया गया है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली द्वारा जनरेट किए गए बॉर्डरो डेटा की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण होने वाली किसी भी अशुद्धि के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है। पुनर्बीमा कार्यक्रम के विचलन में अतिरिक्त निवल प्रतिधारण जोखिम को बनाए रखने की यूआईआईसी की वित्तीय क्षमता से परे था। दावों के मामले में, इसका गंभीर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ सकता था।

ii) 2,505 पॉलिसियों में से, यूआईआईसी द्वारा एक बैंक को जारी की गई प्रारंभिक जीपीए पॉलिसी (2021-22) पर बॉर्डरो में प्रविष्टि के अंतर्गत एमएसटी को हस्तांतरण शून्य था, जबकि पॉलिसी पृष्ठांकनों में एमएसटी के प्रति हस्तांतरण दर्शाया गया था। प्रारंभिक पॉलिसी के संबंध में दर्शाया गया पीएमएल ₹811.26 करोड़ था, जिसे पॉलिसी पृष्ठांकनों में संशोधित कर ₹100 करोड़ किया गया था। हालांकि, जारी की गई मूल पॉलिसी से एमएसटी या वैकल्पिक व्यवस्था को कोई प्रीमियम हस्तांतरित नहीं किया गया था। पृष्ठांकनों के दौरान पीएमएल को ₹100 करोड़ के रूप में पुन: निर्धारित करते समय, यूआईआईसी ने पुनर्बीमा कार्यक्रम के अधिदेश के अनुसार एमएसटी को भी हस्तांतरण किया। मूल पॉलिसी में एमएसटी के प्रति कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था, इसलिए यूआईआईसी पॉलिसी के अंतर्गत 26 दावों में दावेदारों को भुगतान किए गए ₹1.53 करोड़ में से एमएसटी से ₹1.29 करोड़ की दावा राशि वसूल नहीं कर सकी।

---

[24] ***आनुपातिक संधियों के अंतर्गत यह एक सामान्य प्रथा है कि बीमा सौंपने वाली कंपनी पुनर्बीमाकर्ताओं को एक सूची प्रदान करती है जिसमे संधि के अंतर्गत सौंपे गए जोखिमों का पूरा विवरण होता है। इस सूची को बॉर्डरो कहा जाता है। बॉर्डरो विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं से बकाया राशि वसूलने और भुगतान करने के लिए लेखा विवरण तैयार करने हेतु एक बुनियादी रिकॉर्ड है।***

यूआईआईसी ने कहा (जुलाई 2024) कि पॉलिसी पृष्ठांकनों में पीएमएल को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ किया गया था। मंत्रालय ने (जून 2025) इसे 'एकमात्र घटना' बताया और आश्वासन दिया कि यूआईआईसी भविष्य में सतर्क रहेगी।

यह स्पष्ट है कि मूल जीपीए पॉलिसी के लिए एमएसटी के प्रति शून्य हस्तांतरण के परिणामस्वरूप यूआईआईसी को ₹1.29 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

ख. (स्पेशल कंटिंजेंसी पॉलिसी) में अतिरिक्त प्रतिधारण

स्पेशल कंटिंजेंसी पॉलिसी के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 के यूआईआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में अनिवार्य हस्तांतरण, निवल प्रतिधारण के रूप में ₹20 करोड़ (संभावित अधिकतम हानि), विविध अधिशेष संधि के प्रति ₹100 करोड़ और शेष राशि, यदि कोई हो, का वैकल्पिक पुनर्बीमा किया जाना अधिदेशित था।

लेखापरीक्षा यह पाया गया कि 24 पॉलिसियों में से सात विशेष आकस्मिकता पॉलिसियों में पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार अधिदेशित ₹140 करोड़ (₹20 करोड़ x 7) के निवल प्रतिधारण के मुकाबले वास्तविक निवल प्रतिधारण ₹5,058.46 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹4,918.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिधारण हुआ और एमएसटी को शून्य हस्तांतरण हुआ।

यूआईआईसी ने स्वीकार किया (जुलाई 2024) कि एक पॉलिसी में लेखांकन त्रुटि हुई थी जिसे वर्ष 2023-24 में सुधार लिया गया था, तथा शेष छः पॉलिसियों के मामले में यूआईआईसी की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली में आंतरिक जांच और नियंत्रण की कमी का संकेत दिया जिसके कारण बॉर्डरो में पीएमएल गलत प्रदर्शित हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जून 2025) और कहा कि त्रुटियों को बाद में सुधार किया गया था।

यह स्पष्ट है कि यूआईआईसी अतिरिक्त जोखिम कि स्थिति में थी, जिसे एमएसटी को हस्तानांतरित किया जाना चाहिए था।

ग. व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों में अतिरिक्त प्रतिधारण

एनआईसी के वर्ष 2021-22 और 2022-23 के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों में ₹2 करोड़ के प्रतिधारण तथा शेष जोखिम को बीमाकृत राशि के आधार पर विविध दुर्घटना अधिशेष संधि को हस्तांतरित करने का अधिदेश था।

विविध विभाग के बॉर्डरो की परीक्षण जांच करने पर यह देखा गया कि एनआईसी ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान 861 पॉलिसियों में से 13 व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों का पुनर्बीमा (विविध दुर्घटना अधिशेष संधि को पुनर्बीमा हस्तांतरण) बीमाकृत राशि के आधार पर करने के बजाय संभावित अधिकतम हानि के आधार पर किया, जो इसके पुनर्बीमा कार्यक्रम और साथ ही विविध दुर्घटना अधिशेष संधि की शर्तों के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹79.30 करोड़ का अतिरिक्त जोखिम हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.14: जीपीए पॉलिसियों में निवल खाते पर अतिरिक्त जोखिम (₹ करोड़ में)

वर्ष	पॉलिसियों की संख्या	पॉलिसियों की कुल बीमा राशि	अनिवार्य हस्तांतरण	बीमा राशि के आधार पर एनआईसी द्वारा त्रुटिपूर्ण निवल प्रतिधारण	एमएएसटी को किया गया पुनर्बीमा हस्तांतरण (गलती से पीएमएल आधार पर)	बीमा राशि के आधार पर सही निवल प्रतिधारण	अतिरिक्त प्रतिधारण (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	12	132.45	6.62	88.30	37.53	24.00	64.30
2022-23	1	34.00	1.36	17.00	15.64	2.00	15.00
योग	**13**	**166.45**	**7.98**	**105.30**	**53.17**	**26.00**	**79.30**

एनआईसी ने उल्लेख किया (जनवरी 2025) कि यह त्रुटि प्रणालीगत दोषों के कारण हुई थी और आश्वासन दिया कि कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2025) कि पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय के स्तर पर सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली में एक नियंत्रण तंत्र विकसित किया गया है, जो पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार बीमांकक दिशानिर्देशों (अधिकतम अनुमेय बीमा राशि या पीएमएल के संबंध में) से भिन्न

किसी भी पॉलिसी को बाधित कर देता है। उपरोक्त तंत्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम से परे किसी भी अनजाने प्रतिधारण को रोकेगा।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रणालीगत दोषों के कारण ₹79.30 करोड़ के प्रतिधारित अतिरिक्त जोखिम के लिए एनआईसी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ (दावे) पड़ सकता था।

घ. विमानन पॉलिसियों में अतिरिक्त प्रतिधारण

एनआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम (2018-19) के तहत विमानन देयता पॉलिसी में 10.79 प्रतिशत निवल प्रतिधारण का अधिदेश था। विमानन पॉलिसियों के कुल 192 वैकल्पिक चयनों में से, लेखापरीक्षा ने 71 पॉलिसियों की समीक्षा की और पाया कि वर्ष 2018-19 में एक बीमित कंपनी (बीमित कंपनी 2) को एक विमानन पॉलिसी जारी की गई थी, जहां एनआईसी ने ₹340 करोड़ (पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार) के मुकाबले ₹630 करोड़ का देयता जोखिम प्रतिधारित किया था। वास्तविक पुनर्बीमा हस्तांतरण के साथ-साथ पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार हस्तांतरण को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.15: वास्तविक पुनर्बीमा हस्तांतरण और पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक हस्तांतरण			पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार हस्तांतरण			अतिरिक्त हस्तांतरण
	प्रतिशत	बीमाकृत राशि	प्रीमियम	प्रतिशत	बीमाकृत राशि	प्रीमियम	
अनिवार्य	5.00	157.50	0.88	5.00	157.50	0.88	-
निवल	20.00	630.00	3.54	10.79	340.00	1.91	1.63
वैकल्पिक	75.00	2,362.50	13.27	84.21	2,652.50	14.90	(1.63)

तदुपरान्त, 1 फरवरी 2019 को पॉलिसी के अंतर्गत एक हानि दर्ज की गई और एनआईसी ने ₹31.81 करोड़ की राशि का भुगतान किया तथा ₹9.60 करोड़ बकाया (मार्च 2023) था। इस प्रकार, ₹3.81 करोड़ का अतिरिक्त दावा भुगतान हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

तालिका 4.16: वास्तविक पुनर्बीमा हस्तांतरण और पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार भुगतान किया गया दावा और बकाया दावा

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक हस्तांतरण		पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार		एनआईसी के निवल खाते में अतिरिक्त दावा	
	प्रतिशत	**भुगतान किया गया दावा**	**प्रतिशत**	**भुगतान किया गया दावा**	**प्रतिशत**	**भुगतान किया गया दावा**
भुगतान किया गया दावा: ₹31.81 करोड़						
अनिवार्य	5.00	1.59	5.00	1.59		
निवल	20.00	6.36	10.79	3.43	**9.21**	**2.93**
वैकल्पिक	75.00	23.86	84.21	26.79	**(9.21)**	**(2.93)**
बकाया दावा: ₹9.60 करोड़						
अनिवार्य	5.00	0.48	5.00	0.48		
निवल	20.00	1.92	10.79	1.04	**9.21**	**0.88**
वैकल्पिक	75.00	7.20	84.21	8.08	**(9.21)**	**(0.88)**
एनआईसी द्वारा भुगतान किया गया कुल अतिरिक्त दावा						**3.81**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम से विचलन करते हुए अतिरिक्त प्रतिधारण के कारण, एनआईसी ने ₹1.63 करोड़ के अतिरिक्त प्रीमियम के मुकाबले ₹3.81 करोड़ का अतिरिक्त दावा भुगतान किया।

एनआईसी ने आश्वासन दिया (जनवरी 2025) कि भविष्य में अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार हस्तांतरण किया जाएगा। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर पर सहमति व्यक्त की (जून 2025)।

अनुशंसा 10: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के विचलनों से बचने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करें।

4.2.2.6 पुनर्बीमा कार्यक्रम के विचलन में अंतर्गामी पुनर्बीमा व्यवसाय की स्वीकृति

यूआईआईसी और एनआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में संबंधित व्यवसाय क्षेत्र के निवल प्रतिधारण तक ही विदेशी अंतर्गामी व्यवसाय को स्वीकार करने की व्यवस्था की गई थी। इन कंपनियों का शुद्ध प्रतिधारण अतिरिक्त हानि संधियों द्वारा सुरक्षित था।

यूआईआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार, विमान ढांचा एवं स्पेयर पार्ट्स और विमानन देयता बीमाओं के मामले में निवल प्रतिधारण क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹200 करोड़ था। उपरोक्त स्वीकृति सीमाओं के आधार पर, विमानन देयता बीमाओं में अंतर्गामी व्यवसाय की स्वीकृति ₹200 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यूआईआईसी ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान पांच[25] विमानन देयता बीमाओं में अंतर्गामी व्यवसाय स्वीकार किया, जहां बीमित राशि में उसका हिस्सा ₹200 करोड़ से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप यूआईआईसी की निवल प्रतिधारण क्षमता से अधिक ₹435.21 करोड़ का अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न हुआ।

इसी प्रकार, एनआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत विमानन ढांचा एवं स्पेयर पार्ट्स तथा विमानन देयता के लिए निवल प्रतिधारण क्रमशः ₹40.80 करोड़ और ₹340 करोड़ तय था। इसके विपरीत, एनआईसी ने (2018-23 के दौरान) कुल 302 विमानन बीमाओं में से 'ढांचा एवं स्पेयर पार्ट्स' जोखिम की 58 बीमाओं में तथा 'विमानन देयता' जोखिम की चार बीमाओं में अपनी शुद्ध प्रतिधारण सीमा से अधिक अंतर्गामी व्यवसाय स्वीकार किया। इसके कारण एनआईसी की प्रतिधारण क्षमता से ऊपर ₹1,148.73 करोड़[26] का अतिरिक्त वित्तीय जोखिम उत्पन्न हुआ।

यूआईआईसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि ये लेन-देन 'मूल मुद्रा हानि गणना' पद्धति पर आधारित हैं, जिसके अंतर्गत प्रीमियम विदेशी मुद्रा में स्वीकार किया जाता है और दावों का निपटान भी उसी में होता है। इन बीमाओं की 'संयुक्त एकल कवर सीमा' पुनर्बीमा कार्यक्रम में उल्लिखित प्रतिधारण से अधिक थी। संबंधित मंत्रालय ने (जून 2025) यूआईआईसी के इस उत्तर की पुष्टि की।

एनआईसी ने सूचित किया (दिसंबर 2024) कि उनकी निवल प्रतिधारण क्षमता से अधिक किसी भी अंतर्गामी व्यवसाय की स्वीकृति नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने (जून 2025) एनआईसी के इस उत्तर पर सहमति जताई।

---

[25] *वर्ष 2021-22 के दौरान ₹412.08 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिधारण वाली चार बीमाएँ और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹23.12 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिधारण वाली एक बीमा*

[26] *विमान ढांचा और पुर्जे - ₹1,073.05 करोड़ तथा देयता- ₹75.68 करोड़*

यूआईआईसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 के पुनर्बीमा कार्यक्रम में 'विमानन ढांचा एवं स्पेयर पार्ट्स' तथा 'विमानन देयता बीमाओं के लिए प्रतिधारण को 'संयुक्त एकल कवर सीमा' के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बॉर्डरॉ को भारतीय रुपये में भरा जाता है और उसमें दर्शाया गया प्रतिधारण, पुनर्बीमा कार्यक्रम में अनुमत सीमा से अधिक था।

एनआईसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एनआईसी ने प्रतिधारण की गणना करते समय अंतर्गामी व्यवसाय स्वीकृति में स्पेयर पार्ट्स की बीमित राशि को शामिल नहीं किया था। अतः एनआईसी का यह दावा कि निवल प्रतिधारण क्षमता से अधिक कोई स्वीकृति नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

4.2.2.7 पर्याप्त पुनर्बीमा सुरक्षा के बिना फसल बीमा का बीमांकन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत खरीफ 2016 से की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की फसलों को बुआई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद के चरण तक सभी अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करके कृषि में उत्पादन को सहायता प्रदान करना था। यह योजना अब तक 16 फसल मौसम पूरे कर चुकी है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।

संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार खुली निविदा के माध्यम से पूर्व-योग्य चयनित बीमा कंपनियों को कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में आमंत्रित करती है, ताकि वे बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में जिला-वार और फसल-वार समूह स्तर पर अपनी वास्तविक वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकें। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2019-20 में पांच राज्यों[27] में फसल बीमा व्यवसाय में भाग लिया था।

पुनर्बीमा कार्यक्रम (2019-20) में अनिवार्य हस्तांतरण, शुद्ध प्रतिधारण और कोटा शेयर व्यवस्था क्रमशः 5 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अधिदेशित थी। जीआईसी री के साथ कोटा शेयर के रूप में पुनर्बीमा समझौते के अनुसार, एनआईसी द्वारा (+/-) 10

[27] *उत्तर प्रदेश (खरीफ और रबी), पश्चिम बंगाल (रबी), मणिपुर (खरीफ), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (खरीफ और रबी) तथा पुडुचेरी (रबी)।*

प्रतिशत के बफर के साथ ₹1,800 करोड़ की अनुमानित प्रीमियम आय का बीमांकन किया जा सकता था। इसलिए, पुनर्बीमा व्यवस्था के अंतर्गत कोटा शेयर संधि को अधिकतम ₹1,980 करोड़ की अनुमानित प्रीमियम आय हस्तांतरित की जा सकती थी। हालांकि, एनआईसी ने कुल ₹2,257.22 करोड़ का प्रीमियम बुक किया, जो ₹1,980 करोड़ के अधिकतम अनुमानित प्रीमियम से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप एनआईसी के शुद्ध खाते में ₹277.22 करोड़ (₹2,257.22 करोड़- ₹1,980 करोड़) का प्रतिधारण हुआ। वर्ष 2019-20 में फसल बीमा के लिए ₹2,257.22 करोड़ के कुल प्रीमियम के सापेक्ष एनआईसी को कुल ₹2,391.70 करोड़ के दावों का भुगतान करना पड़ा। हालांकि, जीआईसी री के साथ कोटा शेयर व्यवस्था के अंतर्गत ₹2,097.96 करोड़ के दावे कवर किए गए थे और शेष ₹293.74 करोड़ के दावों का बोझ एनआईसी द्वारा वहन किया गया था। इस प्रकार, कोटा शेयर व्यवस्था की प्रीमियम सीमा से परे फसल बीमा का बीमांकन करने के परिणामस्वरूप एनआईसी को ₹16.52 करोड़ (₹293.74 - ₹277.22 करोड़) की हानि हुई।

एनआईसी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2025) और कहा कि उसने मौजूदा प्रावधान के अनुसार अनुमानित प्रीमियम आय के मध्यावधि संशोधन के लिए जीआईसी री के साथ मामला उठाया था, लेकिन जीआईसी रे द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए, एनआईसी को अतिरिक्त प्रीमियम प्रतिधारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एनआईसी ने आगे कहा कि सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली में अंतर्निहित चेतावनी प्रणाली विकसित की जाएगी। मंत्रालय ने एनआईसी के उत्तर पर सहमति व्यक्त की (जून 2025)।

यह स्पष्ट है कि पर्याप्त पुनर्बीमा कवरेज के बिना फसल बीमा व्यवसाय के परिणामस्वरूप एनआईसी को ₹16.52 करोड़ की हानि हुई।

4.2.2.8 क्रेडिट बीमा व्यवसाय के लिए एकल पुनर्बीमाकर्ता पर निर्भरता

आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 3(1)ए के अनुसार यह आवश्यक है कि पुनर्बीमा कार्यक्रम जोखिमों के उचित एवं पर्याप्त विविधीकरण के अधीन, देश के भीतर प्रतिधारण को अधिकतम करने के उद्देश्य से निर्देशित होगा और उसके विनियम 5(1) के अनुसार बीमा सौंपने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कम से कम सभी भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं से व्यावसायिक शर्तें प्राप्त करें, जो पिछले लगातार तीन

वर्षों के दौरान कम से कम चार एफ़आरबी से पुनर्बीमा व्यवसाय (अनिवार्य हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय को छोड़कर) कर रहे हैं।

क्रेडिट बीमा के मामले में, एनआईए ने प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने का प्रयास किए बिना, एक विदेशी पुनर्बीमाकर्ता (रीइन्स -1) के साथ वर्ष 2004 से 2023 तक समय-समय पर पुनर्बीमा व्यवस्था का नवीनीकरण किया, और यह तर्क दिया कि पुनर्बीमाकर्ता तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था। लेखापरीक्षा ने क्रेडिट पुनर्बीमा पर संधि और अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड नोट्स की समीक्षा की। पांच वर्षों के पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार रीइन्स 1 के खाते पर हस्तांतरण का प्रतिशत नीचे दिया गया है।

तालिका 4.17: पांच वर्षों के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुसार क्रेडिट बीमा का हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

खंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विदेशी खाते					
अनिवार्य	5	5	5	5	4
जीआईसी कोटा शेयर	12	12	12	12	0
निवल प्रतिधारण	13	13	13	13	25
एट्रैडियस कोटा शेयर	70	70	70	70	71
योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
घरेलू खाते					
अनिवार्य	5	5	5	5	4
जीआईसी कोटा शेयर	12	12	12	12	0
निवल प्रतिधारण	36	36	36	36	48
एट्रैडियस कोटा शेयर	47	47	47	47	48
योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

विदेशी खातों से संबंधित 70 प्रतिशत प्रीमियम और घरेलू खातों से संबंधित 47 प्रतिशत प्रीमियम के हस्तांतरण के अलावा, इस व्यवस्था में पुनर्बीमाकर्ता (रीइन्स -1) को प्रति खरीदार वार्षिक तकनीकी शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया गया था। एक संधि अक्टूबर 2015 से सितंबर 2018 तक प्रभावी थी। बोलियां आमंत्रित किए बिना अक्टूबर 2018 से सितंबर 2021 तक इसका नवीनीकरण किया गया। यह संधि सितंबर 2021 में समाप्त होने वाली थी। पुनः, बाजार अध्ययन और प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने की गुंजाइश थी। हालांकि, रीइन्स 1 ने वर्ष 2021-22 के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देने में (जून 2021) भाग लिया। इसका तात्पर्य यह था कि कंपनी ने

आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार अन्य संभावित पुनर्बीमाकर्ताओं या विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए बाजार का पता लगाने का कोई प्रयास किए बिना रीइन्स 1 के साथ बने रहने का पहले से निर्णय ले लिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एकल वेंडर पर निर्भरता से बाहर आने के लिए 20 वर्षों की अवधि में कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है।

एनआईए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि पुनर्बीमाकर्ता (रीइन्स -1)) के साथ संधि का नवीनीकरण अक्टूबर 2023 से ₹1.20 करोड़ के कम तकनीकी शुल्क के साथ किया गया था और एनआईए ने घरेलू खरीदारों के लिए बीमांकन विशेषज्ञता हासिल कर ली है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि एनआईए ने घरेलू खरीदारों के लिए आश्वासन विशेषज्ञता हासिल करने का दावा किया था, लेकिन घरेलू खातों का हस्तांतरण और रीइन्स 1 को ₹1,500 प्रति खरीदार प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान जारी रखा गया था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2025) कि क्रेडिट बीमा एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसके लिए सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणालियों और कुशल श्रमबल में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर एकल व्यवसाय बीमाकर्ताओं में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सफलता आंकड़ों को निरंतर संसाधित करने और जोखिमों की निगरानी करने की क्षमता पर निर्भर करती है, जिसके लिए सामान्य बीमा कंपनियां पूरी तरह से समर्थ नहीं हो सकती हैं। जोखिम विविधीकरण पर जोर देने वाले आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियमों के अंतर्गत विकल्पों की तलाश किए बिना 20 वर्षों तक एकल पुनर्बीमाकर्ता पर एनआईए की निरंतर निर्भरता का कोई औचित्य नहीं था।

4.2.2.9 मंत्रालय के दिशानिर्देशों और संधि की शर्तों के उल्लंघन में किया गया बीमांकन

वित्त मंत्रालय ने (मई 2012) सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को अगले आदेश तक 'विदेशों[28] में भारतीय हित' (आईआईए) की पॉलिसियों का बीमांकन न करने का निर्देश दिया था।

---

[28] आईआईए में भारत के बाहर स्थित भारतीय मुख्यालय वाली कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस), संयुक्त उद्यमों (जेवी) या कार्यालयों से संबंधित संपत्तियों/परिसंपत्तियों का बीमा या पुनर्बीमा शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014-15 में यूआईआईसी द्वारा जीआईसी री के साथ निष्पादित अभियांत्रिकी प्रथम अधिशेष संधि (ईएफएसटी) और अभियांत्रिकी द्वितीय अधिशेष संधि (ईएसएसटी) के अंतर्गत यह आवश्यक था कि आईआईए के लिए कवरेज बीमाकृत राशि के आधार पर क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹37.50 करोड़ तक उप-सीमित होगी। यूआईआईसी ने अपने निवल खाते (₹150 करोड़) की सुरक्षा के लिए जीआईसी री (लीडर) के साथ अतिरिक्त हानि संधि (जोखिम एक्स.ओ.एल.) की व्यवस्था की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त थी कि कवरेज लागू इंजीनियरिंग अधिशेष संधियों (इंजीनियरिंग सरप्लस ट्रीटीज) के अनुसार होगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यूआईआईसी ने (फरवरी 2015 में) एक समुद्री परिवहन-सह-भंडारण-सह-स्थापना (दीर्घकालिक) बीमा योजना जारी की, जिसमें भूटान के कामिच्छू स्थित एक जलविद्युत परियोजना के स्थापना जोखिम को आच्छादित किया गया था, जिसकी बीमित राशि ₹1,090.24 करोड़ थी। यूआईआईसी ने पीएमएल आधार पर पुनर्बीमा हस्तांतरण (₹327.07 करोड़) किया और प्रीमियम को अंतर-समूह समझौता (ओआईसी, एनआईए और एनआईसी- आईजीटी सदस्यों में से प्रत्येक को 16.38 प्रतिशत) को हस्तांतरित कर दिया। इसलिए, ईएफएसटी और ईईएसटी (पीएमएल आधार पर) को जोखिम हस्तांतरण के लिए कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, एक हानि (अगस्त 2019) के परिणामस्वरूप ₹200 करोड़ का दावा भुगतान और ₹100 करोड़ का अनुमानित दावा देय (अप्रैल 2024) हुआ। हालाँकि, आईजीटी सदस्यों ने दावों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और जीआईसी री (एक्सोएल समझौते के प्रमुख के तौर पर) ने भी समझौते की शर्तों से विचलन के कारण जीआईसी री के नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ₹234.99 करोड़[29] की पुनर्बीमा हिस्सेदारी की वसूली नहीं हो पाई।

यूआईआईसी ने (जून 2024 में) यह स्वीकार किया कि पीएमएल आधार पर जोखिम मूल्यांकन में एक त्रुटि हुई थी जिसके जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष समझौते के प्रति कोई जोखिम हस्तांतरण नहीं हुआ। जीआईसी री द्वारा दावे को माफ़ न किए जाने और आईजीटी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने के बाद, यूआईआईसी को ₹234.99 करोड़

[29] ***जैसा कि गणना की गई है और आरआई कार्यक्रम से विचलन के समर्थन हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है।***

के दावे का अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर लेना पड़ा। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (जून 2025)।

जीआईसी री के निर्देशों के बावजूद, बीमित राशि के आधार पर जोखिम की जोखिम हस्तांतरण में उचित सावधानी न बरतने और मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आईआईए के जोखिम हस्तांतरण करने के परिणामस्वरूप, जीआईसी री और आईजीटी सदस्यों द्वारा दावों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, यूआईआईसी को ₹234.99 करोड़ की हानि हुई।

4.2.2.10 अनुचित समझौते की शर्तों के कारण उच्च पुनर्बहाली प्रीमियम का भुगतान

अननुपातिक समझौतेयों (हानि से अधिक पुनर्बीमा समझौता) में, पुनर्बीमाकर्ता दावों के समाप्त हो चुके स्तर/सीमा को स्वचालित रूप से बहाल करने के लिए 'बहाली प्रावधान' प्रदान करता है जोकि 'बहाली प्रीमियम' के भुगतान के माध्यम से की जाती है–अर्थात्, एक अतिरिक्त पुनर्बीमा प्रीमियम जो किसी पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत पुनर्बीमा हानि (दावे) के भुगतान के परिणामस्वरूप कम हुई पुनर्बीमा कवरेज की राशि को पुनः स्थापित करने के लिए लिया जा सकता है। बहाली के तरीके हैं:

राशि के अनुपात में - पुनर्स्थापन प्रीमियम की गणना उपयोग की गई हानि सीमा के अनुपात में की जाती है।

राशि और समय के अनुपात में - पुनर्बहाली प्रीमियम की गणना उपयोग की गई हानि सीमा के आधार पर की जाती है और हानि घटित होने से लेकर समझौते की समाप्ति तक के दिनों की संख्या के अनुसार इसका आनुपातिक समायोजन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एनआईसी ने अपने वास्तविक जोखिम सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अननुपातिक समझौतों का लाभ उठाया जिसमें राशि के अनुसार आनुपातिक पुनर्स्थापना विधि का उपयोग किया गया था। यह देखा गया कि समझौतों में राशि के अनुसार आनुपातिक विधि को स्वीकार करने से पहले कंपनी द्वारा कोई लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो उच्च मूल्य वाले दावों[30] के मामले में, एनआईसी ने 2019-20 और 2022-23 की जोखिम-अतिरिक्त हानि समझौतों से ₹284.76 करोड़ की वसूली की। इस्तेमाल की गई सीमाओं को बहाल करने के लिए, एनआईसी ने 2019-20 और 2022-23 में क्रमशः ₹74.69 करोड़ और ₹19.84 करोड़ का बहाली प्रीमियम पूरे साल के लिए चुकाया जबकि हानि की तारीख तक पुनर्बीमा कवर के लिए समझौतों की शेष अवधि 2019-20 और 2022-23 में क्रमशः केवल नौ दिन और 90 दिन थी। पूरे वर्ष का प्रीमियम चुकाया गया क्योंकि एनआईसी ने समझौतों में राशि और समय के आधार पर आनुपातिक पुनर्बहाली विधि का लाभ नहीं उठाया। अतः चुकाया गया पुनर्बहाली प्रीमियम ₹6.73 करोड़ (शेष अविगत अवधि के लिए) के बजाय ₹94.53 करोड़ (पूरे वर्ष के लिए) था। इस प्रकार, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, ₹87.80 करोड़ की राशि बचाई जा सकती थी।

तालिका 4.18: अतिरिक्त पुनर्स्थापन प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

समझौते का वर्ष	वसूल किए गए दावे	नुकसान की तारीख से समझौते खत्म होने तक बचे दिनों की संख्या	एनआईसी द्वारा पूरे वर्ष के लिए भुगतान किया गया पुनर्बहाली प्रीमियम	हानि की तिथि से समझौते की समाप्ति तक शेष दिनों के लिए पुनर्बहाली प्रीमियम	पुनर्बहाली प्रीमियम जिसे बचाया जा सकता था
2019-20	237.53	9	74.69	1.84	72.85
2022-23	47.23	90	19.84	4.89	14.95
योग	**284.76**		**94.53**	**6.73**	**87.80**

एनआईसी ने (जनवरी 2025 में) लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और आश्वासन दिया कि वह बाज़ार में ऐसे विकल्पों की तलाश करेगा जिनके अंतर्गत राशि और समय के अनुपात में बहाली की जा सके। मंत्रालय ने (जून 2025 में) प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की।

लागत-लाभ विश्लेषण के अभाव के कारण हुए वित्तीय हानि ने एनआईसी द्वारा पुनर्बीमा लेन-देनों में वित्तीय विवेक में सुधार की गुंजाइश को दर्शाया।

[30] *दावेदार 1 (हानि की तिथि: 23 मार्च 2020) और दावेदार 2 (हानि की तिथि: 1 जनवरी 2023)*

4.2.2.11 लेखापरीक्षा के निर्देश पर सुधारात्मक कार्रवाई

ओआईसी ने जीआईसी के साथ अग्नि अतिरिक्त कोटा भागीदारी समझौता (एक्यूएसटी) की। 2018-19 के लिए एक्यूएसटी के हानि भागीदारी खंड (एलपीसी) में यह शर्त रखी गई थी कि, "यदि जोखिम मूल्यांकन वर्ष के लिए हुआ नुकसान अनुपात जिसमें प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान भी सम्मिलित है अर्जित प्रीमियम के 90 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता ओआईसी, हानियों का 100 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगा; हालाँकि यह हिस्सा अर्जित प्रीमियम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

2018-19 के लिए दावा व्यय अनुपात (आईसीआर) 97.96 प्रतिशत था जिससे एलपीसी लागु शुरू हुआ। एलपीसी को समझौते शुरू होने की तारीख (यानी अप्रैल 2020 से पहले) के 24 महीनों के भीतर समायोजित किया जाना था। ओआईसी समझौते की शर्तों के अनुसार एलपीसी से उत्पन्न होने वाली देनदारी को बुक करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इसे सितंबर 2023 में बुक कर लिया गया। इसी प्रकार, 2015-16 के लिए लागू एलपीसी शेयर भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सितंबर 2023 में बुक किया गया। विलंब से बुक की गई एलपीसी की कुल राशि ₹11.62 करोड़ थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.19: हानि भागीदारी खंड के अनुसार ओआईसी का शेयर

(₹ करोड़ में)

जोखिम मूल्यांकन वर्ष	अधिमूल्य	भुगतान किए गए दावे	बकाया दावे	किए गए दावे		एलपीसी के अनुसार ओआईसी का हिस्सा
				राशि	प्रतिशत	
2015-16	72.30	62.98	0.57	63.55	87.89	5.71
2018-19	74.32	56.11	16.69	72.80	97.96	5.91

स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना

मंत्रालय ने (जून 2025 में) बताया कि ओआईसी ने पुष्टि की है कि वित्त वर्ष 2015-16 और 2018-19 में एलपीसी लागू हुआ था। इसकी गणना की गई और इसे क्रमशः ₹5.71 करोड़ तथा ₹5.91 करोड़ के रूप में दर्ज किया गया। ओआईसी ने यह भी पुष्टि की कि अब से एलपीसी की गणनाओं की जाँच की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें पुनर्बीमाकर्ता को सौंप दिया जाएगा।

एलपीसी देनदारी का विलंबित समायोजन इस बात का संकेत है कि देनदारी के उत्पन्न होने पर उसे दर्ज करने के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली और निगरानी तंत्र मौजूद नहीं है।

4.2.3 सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे किसी संस्था के निदेशक मंडल, समितियों, शीर्ष प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों द्वारा लागू किया जाता है, ताकि यह उचित आश्वासन दिया जा सके कि प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ विश्वसनीय, सटीक, वास्तविक समय पर आधारित हैं और साथ ही वे लागू कानूनों, विनियमों, अनुमोदित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा विभिन्न अनुबंधों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण, त्रुटियों और अनियमितताओं की रोकथाम तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समस्याओं की पहचान करके, जोखिम को कम करने में सहायता करता है।

पीएसजीआईसी अपनी विविध व्यावसायिक लेन-देनों को संभालने के लिए, आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न आईटी प्रणालियों[31] का उपयोग करते हैं। कंपनियों के बीच सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली का स्वरूप और नियंत्रण अलग-अलग थे जिनमें एकीकरण और स्वचालन के स्तर भी भिन्न थे।

बीमा एवं दावों की विस्तृत सूची (बॉर्डरो) एक बुनियादी अभिलेख है जिसका उपयोग विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने और उन्हें भुगतान करने के लिए खातों का विवरण (एसओए) तैयार करने हेतु किया जाता है। जोखिम की स्वीकृति और प्रत्यक्ष पक्ष पर दावे के निपटान के बाद, प्रीमियम, भुगतान किए गए दावों और बकाया दावों के लिए बॉर्डरो तैयार किए जाते हैं। प्रीमियम बोर्डरो में बीमा संख्या, बीमित व्यक्ति का नाम, कवर किए गए जोखिम का विवरण, प्राप्त प्रीमियम, हस्तांतरण प्रतिशत और समझौते-वार

***

[31] ***एनआईए- पुनर्बीमा परिचालन के लिए पुनर्बीमा लेखा प्रबंधन सिस्टम (आरएएमएस) और प्रत्यक्ष परिचालन के लिए केंद्रीकृत वेब-आधारित सिस्टम समाधान (सीडब्ल्यूआईएसएस); एनआईसी - पुनर्बीमा के लिए पुनर्बीमा सॉफ्टवेयर (आरईआईएस) और प्रत्यक्ष व्यवसाय के लिए एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर समाधान के लिए इंश्योरेंस (ईएएसआई)। ओआईसी - प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा, दोनों तरह के परिचालन के लिए आईएनएलआईएएस (एकीकृत गैर-जीवन बीमा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर), जिसमें पुनर्बीमा खातों को यूनिक्स ओएस पर अलग से निपटाया जाता है। इसके अलावा, ओआईसी का ग्रुप अंडरराइटिंग सेल (जीयूसी) ओरेकल, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस पर आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। यूआईआईसी - प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए व्यापक ऑनलाइन वास्तविक-समय प्रणाली (कोर)।***

प्रीमियम विभाजन की जानकारी सम्मिलित होती है। बकाया दावों और भुगतान किए गए दावों के बॉर्डरो, प्रत्यक्ष पक्ष पर दावा सूचना और निपटान के समय तैयार किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक समझौते से वसूल किए जाने वाले दावों का विवरण सम्मिलित होता है। आरआई लेनदेन के लिए समझौते की शर्तों के इनपुट नियंत्रण और मैपिंग का परीक्षण किया गया। पीएसजीआईसी में पुनर्बीमा कार्यों से संबंधित आईटी प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में पाई गई कमियों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.2.3.1 वैकल्पिक पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रीमियम के भुगतान में विलंब

(एफएसी) समझौतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रीमियम पेमेंट वारंटी (पीपीडब्ल्यू) खंड भी सम्मिलित होता है जिसमें उन दिनों की संख्या (अनुबंध की शुरुआत से) निर्धारित की जाती है जिनके भीतर पुनर्बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान किया जाना होता है। यदि निर्धारित समय के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पुनर्बीमाकर्ता के पास अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होता है जिसके परिणामस्वरूप जोखिम का दायित्व मूल बीमाकर्ता पर आ जाता है।

लेखापरीक्षा ने एफएसी समझौतों को लागू करने की मौजूदा प्रक्रिया और संबंधित आईटी प्रणालियों की समीक्षा की और पाया कि ओआईसी की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली पूरे लेन-देन का ब्यौरा दर्ज नहीं करती थी ताकि प्रीमियम का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य किया जा सके। इसलिए पूरी लेखापरीक्षा अवधि के लिए प्रीमियम भुगतान का पूर्ण सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि तकनीकी विभागों द्वारा आरआई विभाग को एफएसी समझौतों और दस्तावेजों को जमा करने की तारीख, प्रीमियम भुगतान की नियत तारीख और आरआई लेखा विभाग द्वारा प्रीमियम भुगतान की तारीख का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। 2021-22 और 2022-23 के लिए 60 विविध एफएसी समझौतों में से 16 में, ओआईसी द्वारा प्रीमियम के भुगतान में विलंब (दो से 328 दिन) देखा गया।

ओआईसी ने (फरवरी 2025) इस टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और अपने सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली को अद्यतित करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने (जून 2025 में) प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की।

इसी प्रकार, नमूना परीक्षण के आधार[32] पर आंकड़े (2022-23 की चौथी तिमाही) की समीक्षा से पता चला कि यूआईआईसी के 206 एफएसी समझौतों[33] में से 79 मामलों में प्रीमियम के भुगतान में विलंब (एक से 101 दिन) हुआ।

यूआईआईसी ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि विलंब का कारण दलालों द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप्स जमा न करना था और दलालों पर ज़ोर दिया गया था कि वे पुनर्बीमाकर्ताओं से प्रीमियम भुगतान वारंटी की आगे की तारीख प्राप्त करें। यूआईआईसी ने मुख्य सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली को अद्यतित करने का आश्वासन दिया है ताकि एफएसी प्रीमियम भुगतान की तारीख सहित पूरी जानकारी दर्ज की जा सके। प्रबंधन के उत्तर से सहमत होते हुए, मंत्रालय ने (जून 2025) पुष्टि की कि यूआईआईसी अब प्रीमियम भुगतान की तारीख के आधार पर एमआईएस रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

अनुशंसा 11: पीएसजीआईसी, लेन-देन के विवरण तैयार करने और शुरुआती चरण में ही विचलनों का पता लगाने के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणालियों तथा प्रबंधन सूचना प्रणालियों को अद्यतन एवं उनका उपयोग करे।

4.2.3.2 अनिवार्य हस्तांतरण में परिवर्तन

आईआरडीएआई ने 2018-19 से 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए, आतंकवाद और नाभिकीय पूल में हस्तांतरित जोखिमों को छोड़कर हर उस सामान्य बीमा पॉलिसी पर जिसका पुनर्बीमा किया जाना है, बीमित राशि का पाँच प्रतिशत और चार प्रतिशत हिस्सा जीआईसी आरई के पास अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एनआईसी द्वारा वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जारी की गई अग्नि बीमाओं के 27 मामलों में, जहाँ अनिवार्य हस्तांतरण 5.04 से 14.29 प्रतिशत के बीच थे जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य प्रीमियम का ₹6.43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अग्नि

[32] *2022-23 की चौथी तिमाही के लिए ही आंकड़े प्राप्त हुए क्योंकि बॉर्डरो से प्रासंगिक डेटा निकाला नहीं जा सका।*

[33] *अग्नि एलओबी - 181 में से 59 मामले, देनदारी एलओबी - 4 में से 2 मामले, पैकेज पॉलिसी - 21 में से 18 मामले। (कुल 206 एफएसी समझौतों में से 79)*

पॉलिसियों के 22 मामलों में, अनिवार्य हस्तांतरण शून्य से 4.98 प्रतिशत के बीच रहा जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य प्रीमियम का ₹1.40 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

एनआईसी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी (जनवरी 2025) को स्वीकार कर लिया और इसे प्रणाली की त्रुटि बताया और इसे ठीक करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति जताई (जून 2025)।

वर्ष 2022-23 के दौरान यूआईआईसी की देनदारी पॉलिसियों के 29 मामलों में, जीआईसी री को अनिवार्य हस्तांतरण प्रीमियम 1.01 से 3.88 प्रतिशत के बीच रहा जोकि अनिवार्य हस्तांतरण (यानी चार प्रतिशत) से कम था जिसके परिणामस्वरूप यूआईआईसी द्वारा जीआईसी री को ₹6,852 करोड़ का प्रीमियम कम हस्तांतरित किया गया।

यूआईआईसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि विसंगति बहुत मामूली थी। मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि यह विसंगति 2022-23 की पहली तिमाही में आतंकवाद प्रीमियम को अनिवार्य हस्तांतरण (यूआईआईसी) के लिए हस्तांतरित न किए जाने के कारण थी जिसे बाद में ठीक कर दिया गया।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तरों को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि इनपुट नियंत्रणों की कमी के कारण जीआईसी री को अनिवार्य हस्तांतरण गलत तरीके से हुआ और इस गलती की मात्रा चाहे जो भी हो, इसे ठीक किया जाना आवश्यक है।

4.2.3.3 न्यूनतम जमा प्रीमियम का अधिक अनुमान

हर साल आरआई कार्यक्रम के अनुमोदन पर, पीएसजीआईसी कोटेशन आमंत्रित करते हैं और समझौतों को निष्पादित करते हैं। अपनी वास्तविक जोखिम सीमा की सुरक्षा के लिए, बीमाकर्ता अननुपातिक हानि-अधिशेष (एक्सओएल) समझौतों को निष्पादित करता है। पीएसजीआईसी आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित सकल शुद्ध प्रीमियम आय (ईजीएनपीआई) की गणना करते हैं जिसके आधार पर पुनर्बीमाकर्ता प्रीमियम दरों और न्यूनतम जमा प्रीमियम (एमडीपी) के लिए कोटेशन प्रस्तुत करते हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, समझौते की शर्तों के अनुसार एमडीपी की राशि पुनर्बीमाकर्ताओं को भेज दी जाती है। वित्तीय वर्ष के अंत में, वास्तविक प्रीमियम आय के आधार पर अंतिम भुगतान निर्धारित किया जाता है। यदि वास्तविक प्रीमियम एमडीपी से

अधिक होता है, तो पीएसजीआईसी यह अंतर पुनर्बीमाकर्ता को चुकाएँगे। यदि वास्तविक प्रीमियम एमडीपी से कम होता है, तो अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एनआईसी, ओआईसी और यूआईआईसी द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान की गई अतिरिक्त एमडीपी की राशि ₹84.79 करोड़ थी, जिससे एमडीपी के गलत अनुमान का पता चला, जिसका विवरण **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

एनआईसी ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और (जनवरी 2025 में) कहा कि भविष्य में अनुमान पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर लगाया जाएगा। ओआईसी ने (फरवरी 2025 में) कहा कि ईजीएनपीआई वास्तविक आंकड़ों, मौजूदा रुझानों और तकनीकी टीमों से मिले इनपुट पर आधारित है। अनुमान वास्तविक जीएनपीआई से मेल नहीं खाते हैं और एक्सएल प्रीमियम के 85 प्रतिशत को अंतिम एमडीपी माना जाता है। यूआईआईसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि आईआरडीएआई की पॉलिसी में बदलावों के कारण, 2018-19 के दौरान गैर-आनुपातिक समझौते नौ महीने की अवधि के लिए थे जिसके परिणामस्वरूप एमडीपी का अनुमान ज़्यादा हो गया। मंत्रालय ने (जून 2025) एनआईसी, ओआईसी और यूआईआईसी के उत्तर से सहमति जताई।

एमडीपी का सटीक आकलन करने के लिए किसी प्रणाली या निगरानी तंत्र का अभाव स्पष्ट है। अतः ईजीएनपीआई के यथार्थवादी अनुमान पीएसजीआईसी को टाले जा सकने वाले वित्तीय नुकसान से बचा सकते थे। एनआईए ने आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।

4.2.3.4 वास्तविक सकल शुद्ध प्रीमियम आय की गणना में त्रुटियाँ

पीएसजीआईसी, आगामी वर्ष के लिए अनुमानित सकल शुद्ध प्रीमियम आय (ईजीएनपीआई) की गणना करते हैं जिसके आधार पर पुनर्बीमाकर्ता प्रीमियम दरों और न्यूनतम जमा प्रीमियम (एमडीपी) के लिए कोटेशन प्रस्तुत करते हैं।

गैर-आनुपातिक हानि-अधिशेष (एक्सओएल) समझौतों के अंतर्गत अंतिम प्रीमियम की गणना के लिए, वास्तविक सकल शुद्ध प्रीमियम आय (जीएनपीआई) की गणना अनर्ह बीमाओं को हटाकर की जाती है यानी ऐसी पॉलिसियां जिनकी बीमित राशि समझौते की कटौती योग्य राशि और शुद्ध प्रतिधारण बीमित राशि से कम हो। गणना किए गए वास्तविक जीएनपीआई के आधार पर एमडीपी के मुकाबले समायोजित प्रीमियम निकाला जाता है और यदि एमडीपी में कोई कमी होती है तो पुनर्बीमाकर्ताओं को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएनपीआई की गणना में अनर्ह बीमाओं को सम्मिलित किया गया था और पीएसजीआईसी द्वारा जीएनपीआई का आकलन करते समय अनर्ह बीमाओं से संबंधित प्रीमियम पर विचार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताया गया है:

तालिका 4.20: अतिरिक्त जीएनपीआई के कारण अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान

(करोड़ रुपये में)

कंपनी	वर्ष	समझौते का नाम	समझौते द्वारा कटौती योग्य प्रीमियम	शुद्ध प्रतिधारण पर विचार करने के बाद समावेशन हेतु न्यूनतम एसआई	अनर्ह बीमाओं का प्रीमियम	समझौते की दर (*प्रतिशत*)	अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान (6*7)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
ओआईसी	2018-19	गैर-समुद्री जोखिम एक्सओएल	25	35.71	19.26	*10.8238*	2.08
	2019-20		25	35.71	31.42	*13.0493*	4.10
	2020-21		25	41.67	48.44	*12.8622*	6.23
	2021-22		25	41.67	42.59	*12.358*	5.26
	2022-23		25	37.87	34.98	*14.423*	5.05
एनआईसी	2020-21		45	47.37	71.48	*9.9603*	7.12
	2021-22		45	47.37	65.37	*10.4481*	6.83
यूआईआईसी	2021-22	जोखिम एक्सओएल	50	58.82	0.36	*17.6643*	0.06
						योग	**36.73**

स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना

जीएनपीआई की गणना के लिए, वर्ष 2021-22 हेतु यूआईआईसी के जोखिम एक्सओएल की कटौती ₹50 करोड़ थी। तथापि, इंजीनियरिंग एलओबी के अंतर्गत, ₹0.78 करोड़ से लेकर ₹43 करोड़ तक की बीमित राशि वाली तीन बीमे सौंपे गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, न्यूनतम जमा प्रीमियम का ₹0.06 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। एनआईसी ने गैर-समुद्री पॉलिसियों में, जीएनपीआई की गणना करते समय ₹45 करोड़ तक की बीमित राशि वाले जोखिमों को सम्मिलित कर लिया जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम जमा प्रीमियम का ₹13.95 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। ओआईसी की गैर-समुद्री जोखिम एक्सओएल समझौतेयों में, कटौती ₹25 करोड़ थी। हालाँकि, जीएनपीआई की गणना करते समय 9,737 ऐसी अनर्ह बीमाओं को सम्मिलित कर लिया गया, जिनकी

बीमित राशि कटौती से कम थी जिसके परिणामस्वरूप ₹22.72 करोड़ के न्यूनतम जमा प्रीमियम का अतिरिक्त भुगतान हो गया। इस प्रकार, यूआईआईसी, एनआईसी और ओआईसी द्वारा भुगतान किया गया कुल अतिरिक्त न्यूनतम जमा प्रीमियम ₹36.73 करोड़ था।

यूआईआईसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि अयोग्य पॉलिसियाँ अनजाने में सम्मिलित हो गई थीं, और भविष्य में सही गणना का आश्वासन दिया। एनआईसी ने (दिसंबर 2024) लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया और अनर्ह बीमाओं को बाहर करने का आश्वासन दिया। ओआईसी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2025)। मंत्रालय ने पीएसजीआईसी द्वारा दिए गए उत्तरों से सहमति जताई (जून 2025)।

मंत्रालय और पीएसजीआईसी को जीएनपीआई की गणना की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सटीकता सुनिश्चित की जा सके और वित्तीय नुकसान से बचा जा सके। एनआईए ने आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।

4.2.3.5 हस्तांतरित प्रीमियम के अनुपात में दावों की वसूली न होना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ओआईसी के सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली में यह जाँचने का कोई प्रावधान नहीं था कि किए गए दावे के लिए वसूली सलाह, वैकल्पिक कवर के लिए सौंपे गए प्रीमियम के अनुपात में थी या नहीं। अग्नि और विविध पोर्टफोलियो के नौ मामलों में, जहाँ दावों का निपटारा हो चुका था (2018-23), बाध्यकारी हिस्सेदारी, शुद्ध प्रतिधारण और वैकल्पिक कवर से दावे की वसूली, सौंपे गए प्रीमियम के अनुपात में नहीं थी। दावा प्रस्तुत करने में विसंगति के कारण, ओआईसी को शुद्ध खाते पर ₹1.24 करोड़ का ऐसा नुकसान उठाना पड़ा जिसे टाला जा सकता था।

एनआईसी और यूआईआईसी में ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। लेखापरीक्षा, एनआईए में मामले की पुष्टि नहीं कर सका क्योंकि उपलब्ध कराए गये आंकड़े अधूरो और गलत थे और संधितों की संदर्भ संख्या भी उपलब्ध नहीं थी।

ओआईसी ने (फरवरी 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और कहा कि ओआईसी अपने सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली को अद्यतित कर रहा है ताकि दावा वसूली के मौजूदा नियमों को इसमें सम्मिलित किया जा सके और साथ ही इनपुट नियंत्रण भी लागू किए जा सकें। मंत्रालय ने (जून 2025) प्रबंधन के उत्तर से सहमति जताई।

इस प्रकार, आंतरिक जाँच और निगरानी तंत्र के अभाव के कारण ₹1.24 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

4.2.3.6 नकद हानि संबंधी प्रावधानों का पालन न करना

पीएसजीआईसी द्वारा निष्पादित आनुपातिक समझौतों में नकद हानि खंड सम्मिलित था जो हस्तांतरणकर्ता को अधिदेशित करता है कि यदि दावा निर्दिष्ट नकद हानि सीमा से अधिक हो जाता है तो वह त्रैमासिक आधार पर वसूली करने के बजाय, पुनर्बीमाकर्ताओं से तत्काल भुगतान के लिए नकद हानि अनुरोध प्रस्तुत करे। नकद हानि खंड बड़े दावों के निपटान के दौरान धन की तरलता सुनिश्चित करने में सहायक होता है। नकद हानि को छोड़कर सभी दावों का निपटान पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रस्तुत किए गए लेखा विवरण (एसओए) के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

तालिका 4.21: दावा या वसूल न किए गए नकद हानि की सीमाओं और नकद हानि के अनुरोधों का विवरण

(₹ करोड़ में)

समझौता	यूआईआईसी द्वारा कुल नकद हानि जिनका अनुरोध नहीं किया गया (2021-22 एवं 2022-23)	ओआईसी द्वारा वसूल न की गई कुल नकद हानि की राशि (2018-19 से 2021-22)
अग्नि	36.66	2.41
विविध अधिशेष	5.5	-
समुद्री कार्गो	-	1.18
योग	**42.16**	**3.59**

स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना

लेखापरीक्षा ने नकद हानि खंड के पालन की समीक्षा की और पाया कि यूआईआईसी (2021-22 और 2022-23) ने ग्यारह मामलों[34] में नकद हानि के लिए अनुरोध नहीं किया जोकि समझौते की शर्तों का उल्लंघन था जिसके कारण ₹42.16 करोड़ की तत्काल वसूली का अवसर हाथ से निकल गया। इसके अलावा, समझौते की शर्तों में पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा

[34] *अग्नि बीमा (एलओबी) के चार मामले, व्यक्तिगत दुर्घटना के चार मामले और पैकेज पॉलिसियों के तीन मामले।*

नकद हानि के दावों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा सम्मिलित नहीं थी जैसा कि एसओए निपटारों के मामले में होता है।

यूआईआईसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि समझौते की शर्तों में पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए नकद हानि के दावों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी–जैसा कि एसओए में होता है जिसके कारण दावों की वसूली में विलंब हुआ; हालाँकि, इन दावों की वसूली त्रैमासिक एसओए के माध्यम से सुचारू रूप से कर ली जाती है। मंत्रालय ने प्रबंधन के इस उत्तर से सहमति जताई (जून 2025)।

ओआईसी ने 2019-20 और 2022-23 के दौरान पुनर्बीमाकर्ता के पास ₹90.37 करोड़ के नकद हानि दावे जमा किए। हालाँकि, समझौते के लिए कोई तय समय-सीमा न होने के कारण, 15 से 1301 दिनों की देरी देखी गई और विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं से ₹3.59 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है (मार्च 2024)।

ओआईसी ने (फरवरी 2025) लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने (जून 2025 में) प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की।

यह स्पष्ट है कि कंपनियों ने नकद हानि खंड के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया और त्रैमासिक एसओए के माध्यम से बड़े दावों की वसूली जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह में विलंब हुआ।

4.2.3.7 हस्तांतरण कमीशन के बिना वैकल्पिक पुनर्बीमा के कारण हानि

हस्तांतरण बीमाकर्ताओं के प्रत्यक्ष व्यवसाय के लिए अधिग्रहण लागत, हस्तांतरण कमीशन के माध्यम से पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाती है। इसके अलावा, जीआईसी री द्वारा जारी परिपत्र (जनवरी 2014) के अनुसार, आतंकवाद पूल के सदस्यों को आतंकवाद प्रीमियम पर पाँच प्रतिशत तक ब्रोकरेज/एजेंसी कमीशन प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

एनआईसी के बीमांकिक द्वारा तैयार की गई स्टैंडअलोन आतंकवाद पॉलिसियों से संबंधित तकनीकी नोट से लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स्टैंडअलोन आतंकवाद व्यवसाय के लिए ब्रोकरेज/कमीशन शुल्क के रूप में खरीद लागत और प्रबंधन व्यय का अनुमान प्राप्त प्रीमियम के क्रमशः 6 प्रतिशत और 2.50 प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया था। इसलिए,

एनआईसी को जारी की गई स्टैंडअलोन आतंकवाद बीमा के ज़रिए बिज़नेस खरीदने के लिए जीडीपीआई का कम से कम 8.50 प्रतिशत खर्च करना पड़ा। लेकिन, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 259 स्टैंडअलोन आतंकवाद पॉलिसी को बिना हस्तांतरण कमीशन लिए वैकल्पिक पुनर्बीमा प्लेसमेंट के ज़रिए पुनर्बीमित किया गया जिससे ₹1.50 करोड़ का नुकसान हुआ और 124 पॉलिसी को पांच प्रतिशत से कम कमीशन पर पुनर्बीमित किया गया जिससे हस्तांतरण कमीशन कम लेने की वजह से ₹0.53 करोड़ का नुकसान हुआ।

एनआईसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि स्टैंडअलोन आतंकवाद पॉलिसी एक वैकल्पिक पुनर्बीमा चालित पॉलिसी थी इसलिए प्रबंधन खर्चों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। एनआईसी ने आगे कहा कि पूल को सौंपी गई स्टैंडअलोन आतंकवाद पॉलिसी के लिए भी दी जाने वाली कमीशन केवल 5 प्रतिशत थी, जबकि प्रबंधन व्ययों सहित कुल भुगतान इससे कहीं अधिक था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2025) कि एनआईसी ने वैकल्पिक पुनर्बीमा की व्यवस्था तब की जब समझौते सीमा खत्म हो गई हों, कवरेज समझौते की शर्तों से बाहर हो, या कीमतें/शर्तें समझौते की शर्तों से मेल नहीं खातीं, विशेषीकृत या उच्च-संचयन जोखिम, जो समझौते-हस्तांतरण से वर्जित हैं और वैकल्पिक प्लेसमेंट की ज़रूरत हो और ऐसे जोखिम आईआरडीएआई के नियमों के अनुसार सीधे पुनर्बीमा कंपनियों या मध्यस्थ के ज़रिए रखे गए हों।

उत्तर में प्रत्यक्ष पक्ष पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज/कमीशन और प्रबंधन व्ययों की गैर-वसूली के मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया, जिन्हें प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं को सौंपते समय वसूल किया जाना चाहिए था। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि यदि किसी जोखिम को विभिन्न कारणों से संधि के तहत नहीं दिया जा सकता है, तो वैकल्पिक पुनर्बीमा का उपयोग किया जाता है। तथापि, वैकल्पिक पुनर्बीमा को शून्य या उससे कम हस्तांतरण कमीशन पर रखना उचित नहीं था।

लेखापरीक्षा ने 2021-23 के दौरान यूआईआईसी द्वारा किए गए वैकल्पिक पुनर्बीमा की भी समीक्षा की और गौर किया कि 17 पॉलिसियों में, बिना कमीशन प्राप्त किए प्रीमियम पुनर्बीमाकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया था। यूआईआईसी ने इन पॉलिसियों पर ₹0.45 करोड़ की ब्रोकरेज/कमीशन चुकाई थी।

यूआईआईसी ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि कई स्टैंडअलोन आतंकवाद बीमाओं में, आरआई मध्यस्थ प्रीमियम की दरें हस्तांतरण कमीशन घटाकर बताते हैं। अग्नि और इंजीनियरिंग बीमाओं में, प्राप्त हस्तांतरण कमीशन, भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कमीशन से अधिक होता है और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विविध एलओबी की सभी पॉलिसियों में, शुद्ध प्रीमियम–अर्थात् यूआईआईसी द्वारा चार्ज किया गया प्रत्यक्ष प्रीमियम, जिसमें से प्रत्यक्ष ब्रोकरेज घटा दिया गया हो, पुनर्बीमा प्रीमियम से अधिक है इसलिए, राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने यह भी बताया (जून 2025) कि पुनर्बीमा एफएसी प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं: कमीशन सहित (जहाँ हस्तांतरण कमीशन प्राप्त होता है) और कमीशन रहित (जहाँ हस्तांतरण कमीशन बताई गई दर में ही समायोजित कर दिया जाता है)। बाज़ार की कठिन परिस्थितियों और अपने क्लाइंट बेस को बनाए रखने के उद्देश्य से, कुछ मामलों में कंपनी कमीशन रहित दरों को स्वीकार कर लेती है।

प्रबंधन के उत्तर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष प्रीमियम और पुनर्बीमा प्रीमियम के अंतर से होने वाला लाभ, छोड़े गए हस्तांतरण कमीशन की भरपाई नहीं कर सकता। हस्तांतरित प्रीमियम पर हस्तांतरण कमीशन वसूला जाना चाहिए था।

4.2.3.8 विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं से हस्तांतरण और लाभ कमीशन में संशोधन

लेखापरीक्षा ने ओआईसी द्वारा जीआईसी री (लीडर) के साथ, वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए निष्पादित अग्नि प्रथम अधिशेष समझौते (एफएफएसटी) और अग्नि द्वितीय अधिशेष समझौते (एफएसएसटी) की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि समझौतों में ऐसे परिशिष्ट जोड़े गए, जिनके तहत कुछ फॉलोअर पुनर्बीमाकर्ताओं[35] के लिए हस्तांतरण कमीशन की दरें कम कर दी गईं और ऐसा ओआईसी के निदेशक मंडल की मंज़ूरी तथा लीडर की सहमति[36] के बिना किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ओआईसी द्वारा वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹55.12 करोड़ की

---

[35] ***पुनर्बीमाकर्ता (रेन्स 2) (2018-19), पुनर्बीमाकर्ता (रेन्स 3) (2019-20), पुनर्बीमाकर्ता (रेन्स 3) और पुनर्बीमाकर्ता (रेन्स 4) (2020-21 से 2022-23)***

[36] ***मुख्य पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी री) के साथ हस्ताक्षरित संधि पर्ची के अनुसार, "इस समझौते में किए गए सभी संशोधन और विशेष स्वीकृतियाँ, जब अनुबंध लीडर द्वारा शुरू की जाएँगी, तो सभी पुनर्बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।"***

कमीशन आय छोड़ दिए जाने से, तीन फॉलोअर पुनर्बीमाकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचा। कमीशन के नुकसान के अलावा, इन संशोधनों में हानि भागीदारी खंड (एलपीसी)[37] में बदलाव भी सम्मिलित था जिसके अंतर्गत 2018-19 और 2019-20 के दौरान हुए नुकसान के अनुपात की सीमा को 10 प्रतिशत और 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इस बदलाव के कारण ओआईसी को एलपीसी दावों में स्वयं का हिस्सा बढ़ाना पड़ा जिसकी राशि ₹3.96 करोड़ थी।

इसी तरह, जीआईसी री (लीडर) के साथ लागू किए गए ईएफएसटी और ईएसएसटी (2018-19) और ईएसटी (2019-20 के बाद से) में, कुछ खास फॉलो पुनर्बीमाकर्ताओं[38] को लाभ कमीशन देने से छूट देने (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक) और हस्तांतरण कमीशन कम करने (वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए परिशिष्ट जोड़े गए। यह सब ओआईसी के निदेशक मण्डल की स्वीकृति और लीडर की सहमति के बिना किया गया जिसके चलते ₹2.04 करोड़[39] की आय छोड़ते हुए इन विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

मंत्रालय ने (जून 2025 में) बताया कि ओआईसी ने कुछ पुनर्बीमाकर्ताओं को विशेष छूट की अनुमति दी थी क्योंकि संधियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई थीं और पूर्ण स्थापना सुनिश्चित की जानी थी। इसके अलावा, जीआईसी री की मंज़ूरी लेने से सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के नियमों में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता, जिसका ओआईसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था।

मंत्रालय के उत्तर में फॉलो पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ समझौते स्थापित करने में आने वाली परिचालन संबंधी कठिनाइयों को स्पष्ट किया गया किंतु इसमें विचलन के अनुमोदन न होने के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई।

---

37 एलपीसी यह शर्त रखता है कि यदि किसी अंडरराइटिंग वर्ष के लिए जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान भी शामिल हैं, नुकसान का अनुपात अर्जित प्रीमियम के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो हस्तांतरणकर्ता कंपनी उस प्रतिशत से अधिक होने वाले नुकसान का 100% हिस्सा वहन करेगी; हालाँकि, यह हिस्सेदारी अर्जित प्रीमियम के एक सहमत प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।

38 पुनर्बीमाकर्ता (रेन्स 2) (2018-19) और पुनर्बीमाकर्ता (रेन्स 3) (2019-20 से 2022-23)

39 लाभ कमीशन (₹2.02 करोड़) और हस्तांतरण कमीशन (₹0.02 करोड़)

4.2.3.9 लेखापरीक्षा के आग्रह पर सुधारात्मक कार्रवाई

क) यूआईआईसी ने एक बीमित (बीमित कंपनी 3) को वर्ष (2021-22) के लिए औद्योगिक समस्त जोखिम पॉलिसी[40] जारी की, जिसमें यूआईआईसी ने जोखिम के 60 प्रतिशत हिस्से के लिए लीडर की भूमिका निभाई और एक सह-बीमाकर्ता (को-इन्स) ने 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, यद्यपि यूआईआईसी ने कुल ₹10.98 करोड़ का प्रीमियम एकत्र किया था और इसमें उसका स्वयं का हिस्सा ₹6.58 करोड़ (60 प्रतिशत) था फिर भी संबंधित अवधि के फायर प्रीमियम बोर्डरो में प्रीमियम के रूप में उसका स्वयं का हिस्सा केवल ₹6.17 करोड़ ही दर्शाया गया था और इसी के अनुसार प्रीमियम एवं हस्तांतरित जोखिम का वितरण किया गया था।

यह चूक, बोर्डरो के पर्याप्त सत्यापन में कमियों और निगरानी तंत्र के रूप में आंतरिक नियंत्रणों की अनुपस्थिति को उजागर करती है जिसके लिए सिस्टम में सुधार, इनपुट नियंत्रणों की शुरुआत, तथा एसओए तैयार करने हेतु बोर्डरो के सत्यापन और अंतिम रूप देने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की आवश्यकता है।

यूआईआईसी ने (सितंबर 2024 में) लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और बताया कि शुरू में पॉलिसी के तहत यूआईआईसी का हिस्सा 60 प्रतिशत था और सह-बीमाकर्ता (को-इन्स) की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी। हालाँकि, चौथी तिमाही (2020-21) में ही, सीधे पक्ष में एक लेखा जेवी के ज़रिए यूआईआईसी का हिस्सा घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था (यूआईआईसी-20 प्रतिशत, न्यू इंडिया-10 प्रतिशत, ओरिएंटल-10 प्रतिशत, नेशनल-10 प्रतिशत, आईसीआईसीआई-10 प्रतिशत और रिलायंस-40 प्रतिशत), लेकिन अनजाने में चौथी तिमाही 2020-21 के बॉर्डरो में इसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया। सह-बीमा में यह बदलाव परिचालन कार्यालय द्वारा पहली तिमाही 2021-22 में जीसी में दर्ज किया गया था और जेवी को सीधे पक्ष पर उलट दिया गया था। ये दोनों प्रविष्टियाँ पहली तिमाही 2021-22 के बोर्डरो में ठीक से दिखाई गई हैं। चौथी तिमाही में किए गए सह-बीमा संशोधन को आरआई बोर्डरो में सम्मिलित न करने की चूक को चालू वर्ष 2024-25 में सुधार लिया

[40] ***पॉलिसी संख्या 0902001120P114798750***

जाएगा। मंत्रालय ने (जून 2025) बताया कि यूआईआईसी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को संज्ञान में लिया है।

ख) भारतीय बाज़ार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (पूल) के समझौते में यह अनिवार्य किया गया था कि सदस्य पूल प्रबंधक को खाते उपलब्ध कराएंगे और तिमाही आधार पर बकाया राशि जमा करेंगे जिसमें तिमाही समाप्त होने के बाद 30 दिनों की छूट की अवधि दी जाएगी। पूल प्रबंधक (जीआईसी री) ने पूल सदस्यों को सकल आतंकवाद प्रीमियम के पाँच प्रतिशत तक ब्रोकरेज/एजेंसी कमीशन की अनुमति दी (जनवरी 2014)। जीआईसी आरई ने पूल सदस्यों को यह भी निर्देश दिया (जनवरी 2014 में) कि वे सेवा शुल्क और पूल दरों पर ब्रोकरेज/एजेंसी कमीशन काटने के बाद ही पूल को शुद्ध प्रीमियम सौंपें।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जीआईसी री के निर्देशों के बावजूद, ओआईसी ने खातों के विवरण में ब्रोकरेज/एजेंसी कमीशन को समायोजित नहीं किया। जीआईसी री ने एक बार फिर पूल सदस्यों को केवल वर्ष 2018-19 के लिए ब्रोकरेज/एजेंसी कमीशन वसूलने की अनुमति दी (मई 2019) बशर्ते कि खाते मई 2019 तक जमा कर दिए गए हों। ओआईसी ने 2018-19 की अवधि के लिए भी ब्रोकरेज का दावा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, बिना दावा की गई ब्रोकरेज की वसूली के लिए जीआईसी री के एकमुश्त प्रस्ताव के उत्तर में, ओआईसी ने वर्ष 2014 से आगे की अवधि के लिए ₹19.64 करोड़ का स्वयं का दावा प्रस्तुत किया (सितंबर 2022) जिसे जनवरी 2024 में समायोजित कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने ओआईसी द्वारा ब्रोकरेज की वसूली में हुए विलंब के कारण संभावित ब्याज आय में ₹6.47 करोड़[41] की हानि का आकलन किया।

ओआईसी (फरवरी 2025) ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया और बताया कि वे दूसरी तिमाही 2022-23 से ही बिना किसी विलंब के ब्रोकरेज का दावा कर रहे हैं।

---

[41] हर साल 31 मार्च को बकाया राशि को, उस साल ओआईसी द्वारा निवेश पर कमाए गए प्रतिफल दर से गुणा किया जाता है और 13.10.2023 तक का ब्याज जोड़ा जाता है। साल 2014-15 से 2022-23 तक, हर साल प्रतिफल दर क्रमशः 8.66 प्रतिशत, 8.63 प्रतिशत, 8.46 प्रतिशत, 8.22 प्रतिशत, 7.25 प्रतिशत, 7.14 प्रतिशत, 7.34 प्रतिशत, 7.11 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत रही। यह गणना ओआईसी द्वारा निवेश पर कमाए गए प्रतिफल दर के आधार पर की गई है।

मंत्रालय ने (जून 2025 में) बताया कि आतंकवाद जोखिम पूल व्यवस्था के अंतर्गत, जमा किए गए प्रीमियम का 100 प्रतिशत हिस्सा जीआईसी री को सौंप दिया जाता है जिस पर 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। जीआईसी री ने बिना दावा की गई ब्रोकरेज की वसूली की अनुमति दी। तदनुसार, ओआईसी ने वित्त वर्ष 2014 से 2023 के लिए ब्रोकरेज के रूप में ₹19.64 करोड़ का दावा किया और तब से वह अपने तिमाही लेखा विवरण में ऐसे दावों को सम्मिलित करता आ रहा है।

ग) ओआईसी ने जीआईसी री (लीडर) और अन्य पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ कई समझौतों में परिवर्तनीय दर कमीशन आय को कम या अधिक बुक किया। लेखापरीक्षा (सितंबर 2023) में इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, वर्ष 2013-14 से 2022-23 के लिए अग्नि प्रथम अधिशेष समझौते, अग्नि द्वितीय अधिशेष समझौते (एफएसएसटी) अग्नि अतिरिक्त कोटा शेयर समझौते और विविध दुर्घटना अधिशेष समझौते के संबंध में कमीशन को समझौते की शर्तों के अनुसार बुक किया गया और परिवर्तनीय दर कमीशन के रूप में ₹89.06 करोड़ की वसूली की (मार्च 2025)।

4.2.4 प्राप्य और देय प्रबंधन

पुनर्बीमा कार्यों में प्राप्य प्रबंधन के अंतर्गत, खातों के विवरण (एसओए) और/या (आरए) में दावों को समय पर प्रस्तुत करना, बकाया राशि की प्राप्ति, निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और बकाया प्राप्य शेषों की वसूली सम्मिलित है। प्राप्तियों की वसूली एक स्वस्थ नकदी प्रवाह और बुरे ऋणों से बचने के लिए अनिवार्य है। बहिर्गामी आरआई व्यवसाय में, आम तौर पर पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्तियाँ, सौंपे गए प्रीमियम को समायोजित करने के बाद, भुगतान किए गए दावों और जोखिम हस्तांतरण वाले कमीशन का शुद्ध वसूली योग्य शेष होती हैं। आगत आरआई व्यवसाय में, प्राप्तियों में पुनर्बीमित से प्राप्त होने वाला प्रीमियम सम्मिलित होता है, जिसमें दावों और देय हस्तांतरण कमीशन को समायोजित कर दिया जाता है। पीएसजीआईसी में प्राप्ति प्रबंधन में पाई गई विभिन्न कमियों पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.2.4.1 पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाली और उन्हें देय लंबित राशियाँ

किसी भी संस्था में स्वस्थ नकदी प्रवाह के लिए मज़बूत प्राप्य प्रबंधन उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। पीएसजीआईसी के पुनर्बीमा प्राप्य, 2018-19 से 2022-23 तक के पाँच साल की अवधि के लिए, साल के अंत की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

तालिका 4.22: वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्बीमा प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एनआईए	एनआईसी	ओआईसी	यूआईआईसी
2018-19	3,029.55	1,773.63	581.84	270.67
2019-20	2,749.51	1,125.69	1,053.21	656.38
2020-21	3,344.66	1,909.18	1,339.21	670.53
2021-22	3,734.47	1,636.78	958.96	1,782.38
2022-23	4,353.29	983.07	864.26	1,925.30

स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना

हालाँकि, लंबे समय से बकाया पुनर्बीमा प्राप्तियों की बड़ी राशि पीएसजीआईसी द्वारा अनुचित प्रबंधन का संकेत देती है। इसमें कई कमियाँ देखी गईं, जैसे–मिलान की कमी के कारण बकाया राशि की वसूली में विलंब, कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण, प्रणालीगत सीमाएँ और विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करना। प्रत्येक कंपनी की प्राप्तियों के विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

क न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹283.20 करोड़ के कुल 858 गैर-जीआईसी शुद्ध शेष में से, ₹112.48 करोड़ (39.72 प्रतिशत) के 474 शेष 10 साल से ज़्यादा पुराने थे। इन 858 में से, ₹47.25 करोड़ (16.68 प्रतिशत) के छः खातों में वसूली/मिलान में विलंब देखा गया, जिन पर प्रबंधन के विचार और लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ **अनुलग्नक VIII** में दी गई हैं।

- हालांकि एनआईए ने अपने बीमादधारकों के दावों का निपटारा कर दिया था, फिर भी 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक पुनर्बीमाकर्ताओं/ब्रोकरों से 1,049 वसूलियां लंबित थीं जिनकी अवधि 90 दिनों से लेकर 2,510 दिनों तक थी और जिनकी कुल राशि

₹26.59 करोड़ थी। इन लंबित वसूलियों में ₹15.52 करोड़ की वसूली के 886 मामले सम्मिलित थे, जिनमें ब्रोकरों के माध्यम से कारोबार किया गया था।

- ऊपर बताए गए मामलों के अलावा, 31 मार्च 2023 तक एनआईए के 384 विदेशी पक्षों पर कुल ₹824.48 करोड़ की बकाया राशि थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹8.39 करोड़ की बकाया राशि वाले छः सीबीआर या तो भंग हो चुके थे या परिसमापन की प्रक्रिया में थे **(अनुलग्नक IX)**। 31 मार्च 2023 तक, ₹12.11 लाख से लेकर ₹377.36 लाख तक की वसूली योग्य राशियाँ अप्रैल 2013 से पहले से लेकर 2023 तक बकाया थीं और इनके परिसमापन का वर्ष 2014 से 2023 के बीच था।

- इसके अतिरिक्त, प्राप्तियों का, प्राप्त होने वाली राशियों के साथ तुरंत मिलान करना, प्राप्तियों पर आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। लेखापरीक्षा ने पुनर्बीमा वसूली नियंत्रण खाता (खाता शीर्ष 5618) के अनुसार प्राप्तियों की समीक्षा की और पाया कि 892 पुनर्बीमा प्राप्तियों (2011-12 से 2022-23) से संबंधित ₹69.28 करोड़ की राशि का मिलान, विभिन्न पक्षों जैसे मध्यस्थ, बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता और शाखा कार्यालयों द्वारा भेजी गई राशियों (दिसंबर 2023) से नहीं किया गया था। इन बिना मिलान वाली प्राप्तियों से यह पता चलता है कि प्राप्तियों के संबंध में आगे की कार्रवाई की कमी थी और पहले से प्राप्त भुगतानों का समायोजन नहीं किया गया था।

एनआईए ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि बकाया राशियों के निपटारे के लिए ब्रोकरों के साथ-साथ पुनर्बीमाकर्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है। एनआईए ने बकाया मामलों की स्थिति और विभिन्न विभागों द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं से भुगतान किए गए दावों की वसूली न होने के संबंध में भेजे गए अनुवर्ती पत्रों की प्रतियां भी उपलब्ध कराईं हालाँकि उन्होंने इस अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन सीबीआर के मामले में जो बंद हो चुके हैं या जिनका परिसमापन चल रहा है, परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान दावों के निपटारे में अधिक समय लगता है। एनआईए ने बताया (दिसंबर 2024) कि उन्होंने प्रत्येक

विभाग के लिए वर्चुअल[42] खाते खोले हैं और ब्रोकरों तथा पुनर्बीमाकर्ताओं को सूचित किया है कि वे संबंधित विभागों को धनराशि प्रेषित करें।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2025) कि लंबे समय से बकाया शेष राशि कुछ वैकल्पिक दावा वसूलियों और पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान किए गए प्रीमियम के कारण है। जहाँ तक प्रीमियम डेबिट का संबंध है, उन्हें उसी पुनर्बीमाकर्ता/मध्यस्थ के अन्य देश कोडों में जमा राशियों से मिलान करके निपटाया जाना है। इन्हें पहचानना, इनका मिलान करना और इन्हें निपटाना आवश्यक है। इसी प्रकार, दावों की वसूली से संबंधित डेबिट राशियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और मध्यस्थ कोड्स में मिलान/उचित लेखांकन की प्रतीक्षा में पड़ी हैं। एनआईए ने ऐसे लंबे समय से बकाया प्राप्तियों की पहचान करने और उन्हें अलग-अलग कोड में पड़े संबंधित देय राशियों के साथ समायोजित करने या यदि वे पहले से वसूल नहीं की गई हैं तो वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को एनआईए द्वारा मिलान प्रक्रिया में और सुधार के लिए संज्ञान में ले लिया गया है।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर से यह संकेत मिला कि राशियों का मिलान करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु उस शेष राशि की पहचान करने के प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता है जो वसूली योग्य है।

ख यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

यूआईआईसी को पुनर्बीमाकर्ताओं से मिलने वाली बकाया राशि में 2018-19 से 2022-23 के दौरान 711 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिस्टम-जनरेटेड एमआईएस रिपोर्टों की अनुपलब्धता, शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्टिंग न होना और खराब अभिलेख प्रबंधन के कारण बकाया वसूली में विलंब हुआ और उसे बट्टे खाते में डालना पड़ा।

यूआईआईसी ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वे कुछ पुनर्बीमाकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे। यूआईआईसी ने आगे कहा कि शोधन क्षमता संबंधी कार्यों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराते समय, कुल

---

[42] ***एक वर्चुअल बैंक खाता इसलिए खोला गया ताकि प्राप्त हुई धनराशि को तकनीकी विभाग द्वारा आसानी से पहचाना जा सके और तदनुसार उसका हिसाब रखा जा सके।***

अस्वीकृतियों (जिनमें लंबित पुनर्बीमा शेष भी सम्मिलित थे) को शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है; साथ ही, निगरानी और वसूली को सुगम बनाने के लिए एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने यूआईआईसी के उत्तर से सहमति जताते हुए (जून 2025) कहा कि कंपनी लगातार समाधान कर रही है, किए गए निपटान के लिए पुनर्बीमाकर्ता-वार शेष राशि को टैग कर रही है। 31 दिसंबर 2024 तक यूआईआईसी का बकाया घटकर ₹1,410.77 करोड़ हो गया।

दूसरी ओर, प्रभावी देय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि दायित्व निर्धारित समय के भीतर पूरे हों और यह नकदी प्रवाह को अनुकूलित करते हुए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में भी मदद करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यूआईआईसी पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं का ₹1,293.95 करोड़ का बकाया था (2022-23) जिसमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का ₹1,139.40 करोड़ सम्मिलित है। इसमें से, ₹776.80 करोड़ (कुल देय राशि का 60 प्रतिशत) को विभिन्न विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को देय राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया जिसमें किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता का ज़िक्र नहीं किया गया था क्योंकि पुनर्बीमा विभाग के पास अलग-अलग पुनर्बीमाकर्ताओं के हिसाब से बकाया राशि का विवरण उपलब्ध नहीं था। इससे यह पता चलता है कि वहाँ कोई उचित प्रणाली, प्रक्रिया और निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹1,293.95 करोड़ तक की देय राशि का मिलान नहीं हो पाया।

यूआईआईसी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और बताया कि मिलान का काम चल रहा है (सितंबर 2024)। मंत्रालय ने यूआईआईसी के उत्तर से सहमति जताई (जून 2025)।

ग ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पुनर्बीमा कंपनियों से मिलने वाली ₹864.26 करोड़ की रकम में से, 31 मार्च 2023 तक 193 पुनर्बीमा कंपनियों/ब्रोकरों से ₹26.70 करोड़ की रकम पाँच साल से ज़्यादा समय से वसूल नहीं हो पाई थी। वसूली के लिए समय-समय पर समीक्षा या आगे की कार्यवाही करने का कोई सबूत नहीं मिला। वसूली एजेंटों को नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश होने के बावजूद, उन्हें कभी नियुक्त नहीं किया गया। वसूली में विलंब /वसूली न होने की वजह से

ओआईसी का शोधन क्षमता अनुपात[43] 1.57 (2018-19) से घटकर 0.96 (2022-23) हो गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि ओआईसी, तकनीकी और समझौते विभाग को जानकारी में रखते हुए, बकाया वसूली के लिए ब्रोकरों/पुनर्बीमाकर्ताओं से नियमित रूप से संपर्क कर रहा है। इसके अलावा, किसी भी समय किसी भी पुनर्बीमाकर्ता के डेबिट शेष में डेबिट और क्रेडिट, दोनों तरह के शेष सम्मिलित होते हैं। साथ ही, ये शेष गतिशील होते हैं और निपटान तथा नए शेष जुड़ने के कारण इनकी स्थिति लगातार बदलती रहती है। शेष की पुष्टि और निपटारे के लिए पुनर्बीमा कंपनियों/मध्यस्थ को मेल भेजे जाते हैं। इस अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों (पुनर्बीमित और पुनर्बीमाकर्ता) की सहमति के बाद निपटारा हो जाता है। शोधन क्षमता अनुपात पर असर कंपनी की देनदारियों के सामूहिक परिणामों के कारण होता है।

इसी तरह, ओआईसी पर ₹527.15 करोड़ की देनदारियाँ थीं जिसमें विदेशी पक्षों को देय ₹399.82 करोड़ भी सम्मिलित थे। ₹20.15 करोड़ की राशि एक सामान्य विविध खाते (कोड 999) के अंतर्गत पड़ी थी, जिसका कारण अवर्गीकृत लेन-देन थे, क्योंकि उनका मिलान अभी बाकी था। ओआईसी ने बताया (फरवरी 2025) कि ये शेष राशियाँ स्थिर नहीं होतीं बल्कि निपटान और नए शेषों के जुड़ने के कारण इनमें लगातार बदलाव होता रहता है। मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी ने यह आश्वासन दिया है कि वह खातों में प्रविष्टियाँ तभी करेगा, जब उसे संबंधित पक्षों का उचित विवरण प्राप्त हो जाएगा।

घ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

एनआईसी की 411 पुनर्बीमाकर्ताओं/ब्रोकरों से प्राप्तियाँ बकाया हैं। एनआईसी अपनी समझौते में निर्धारित समय-सीमा के भीतर खातों का विवरण जमा करने में विफल रहा जिसके कारण वसूली में विलंब हुआ। अभिलेखों के उचित रखरखाव में कमियों के परिणामस्वरूप,

---

[43] ***शोधन क्षमता अनुपात, उपलब्ध परिसंपत्तियों की देनदारियों से तुलना से करके, किसी बीमाकर्ता की दावों का भुगतान करने की क्षमता को मापता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास लंबी अवधि की जिम्मेदारियों को पूरा करने और अप्रत्याशित, बड़ी संख्या में आने वाले दावों का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद हो।***

पुनर्बीमा की प्राप्तियों का मिलान नहीं हो पाया और कुल ₹89.97 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डालना पड़ा।

एनआईसी ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि पुनर्बीमाकर्ताओं से मिलने वाली मौजूदा रकम का मिलान लेन-देन होते ही कर लिया जाता था और पुराने लेन-देन का मिलान करने की कोशिशें की गईं जिन रकम का पता नहीं लग पाया उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया। मंत्रालय ने एनआईसी के उत्तर से सहमति जताते हुए (जून 2025) यह भी कहा कि एनआईसी ने एक निगरानी समिति बनाई है जो वैकल्पिक पुनर्बीमाकर्ता करने से पहले पुनर्बीमाकर्ताओं से बकाया वसूली के मामलों को देखती है। एनआईसी ने एक 'यूनिक रेफरेंस' की सुविधा शुरू की है जो बुकिंग के समय डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से समायोजित कर देती है। कंपनी ने पुराने खातों के मिलान, नए सॉफ्टवेयर बदलावों को लागू करने और जहां भी जरूरी हो, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार जहां आवश्यक हो, बट्टे खाते में डालने की अनुशंसा करने में उचित सावधानी बरती है।

पीएसजीआईसी के प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तरों से यह संकेत मिला कि पुनर्बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा की बकाया राशि की निगरानी और वसूली के लिए पीएसजीआईसी को एक व्यवस्थित और समय-सीमा वाला कार्य-योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि वसूली में होने वाले विलंब से बचा जा सके और प्राप्य प्रबंधन के मुख्य मुद्दों का समाधान किया जा सके। पीएसजीआईसी को मौजूदा देय शेषों का मिलान करने और देय राशियों के लिए निगरानी तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रणों में सुधार करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा 12: पीएसजीआईसी को प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में दलालों/पुनर्बीमाकर्ताओं के खातों को अद्यतित करने के लिए, प्राप्तियों और भुगतानों के शेषों का विवरण समय पर और नियमित आधार पर एकत्र करने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए।

4.2.4.2 वैकल्पिक दावों की वसूली को समय पर सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का अभाव

जब भी बीमाकर्ता प्रत्यक्ष पक्ष पर दावों का भुगतान करते हैं तो भुगतान किए गए दावे त्रैमासिक दावों के भुगतान की सूची में दिखाई देते हैं। पुनर्बीमा विभाग, संबंधित पुनर्बीमाकर्ता/मध्यस्थ पर दावे की वसूली के लिए (आरए) जारी करने से पहले, परिचालन कार्यालयों और तकनीकी विभाग से सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ एकत्र करता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ओआईसी के तकनीकी विभाग, परिचालन कार्यालयों से सभी संबंधित दस्तावेज़ इकट्ठा करने के बाद, दावों की वसूली के लिए संबंधित पुनर्बीमाकर्ता/मध्यस्थ के समक्ष समापन विवरण (सीपी) प्रस्तुत करते हैं। ओआईसी में आरए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया स्वचालित नहीं थी। इसके अलावा, आरए को समय पर प्रस्तुत किए जाने की निगरानी के लिए एमआईएस तैयार करने का भी कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। अतः आरए प्रस्तुत करने में विलंब होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरए को समय पर जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र की कमी के कारण दावों की वसूली में विलंब हुआ जिसका कंपनी के नकदी प्रवाह पर बुरा असर पड़ सकता है। ओआईसी में, वैकल्पिक पुनर्बीमाकर्ता से 34 भुगतान किए गए दावों (2021-23) की वसूली की जाँच की गई जिससे पता चला कि ₹15.02 करोड़ के 24 दावों में 23 से 488 दिनों तक का विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में यूआईआईसी में 182 दावों (2018-2023) के संबंध में ₹63.99 करोड़ की वसूली के लिए वैकल्पिक पुनर्बीमाकर्ताओं को आरए भेजने में हुए विलंब को भी नोट किया गया और यह विलंब, ऑपरेटिंग कार्यालयों से दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए 30 दिन का समय देने के बाद, 2 दिन से लेकर 1,824 दिन तक का था।

ओआईसी ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2025) और कहा कि आरए को समय पर जारी किए जाने की निगरानी के लिए एमआईएस जेनरेशन और पॉप-अप शुरू किए गए हैं। यूआईआईसी ने कहा (सितंबर 2024) कि जेनरेशन के लिए, यूआईआईसी ने टीसीएस के साथ समन्वय किया है ताकि दावों की समय पर वसूली के लिए, एमआईएस जेनरेशन पर आधारित दावों हेतु हर तिमाही के अंत में आरए को स्वचालित रूप से उत्पन्न किया जा सके। यूआईआईसी, एफएसी पुनर्बीमित बीमा के लिए सिस्टम में जब भी किसी दावे का भुगतान होता है, तो संबंधित आरआई दलालों/ पुनर्बीमाकर्ताओं को तुरंत एक स्वचालित आरए ईमेल भेजने की भी योजना बना रहा था। मंत्रालय ने ओआईसी और यूआईआईसी के उत्तर से सहमति जताई (जून 2025) और आगे कहा कि यूआईआईसी में जीसी कोर सॉफ्टवेयर शुरू होने के साथ ही, पुनर्बीमाकर्ताओं को दावों की सूचना देने की प्रक्रिया स्वचालित हो गई है क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरी दस्तावेज़ जीसी कोर में ही उपलब्ध हैं।

यह स्पष्ट है कि आईटी प्रणालियों की उपलब्धता के बावजूद, एमआईएस तैयार न होने, आरए के स्वतः जारी न होने और उत्तरदायित्व की कमी के कारण वसूली में विलंब हुआ।

4.2.4.3 लाभ कमीशन का दावा न करना

जहाँ किसी समझौते के परिणाम लाभदायक होते हैं, वहाँ पुनर्बीमाकर्ता एक अतिरिक्त कमीशन देने पर सहमत हो सकता है, जिसे लाभ कमीशन कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत, समझौते वर्ष के दौरान समझौते से हुए लाभ का एक निश्चित प्रतिशत, मूल बीमाकर्ता को वापस कर दिया जाता है। यूआईआईसी द्वारा किए गये आनुपातिक समझौतों में लाभ कमीशन से संबंधित एक शर्त सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा ने इंजीनियरिंग एलओबी के तीन समझौतों की समीक्षा की जिनमें समझौतों का प्रदर्शन (प्रबंधन खर्चों को समायोजित करने के बाद) अच्छा रहा और समझौते से होने वाले लाभ को, सौंपे गए प्रीमियम के एक सहमत अनुपात में साझा किया जाना था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यूआईआईसी द्वारा जीआईसी री को लीडर बनाकर निष्पादित की गई इंजीनियरिंग अधिशेष समझौतों लाभदायक[44] थे। समझौते की शर्तों के अनुसार, यूआईआईसी को समझौते वर्ष के 36 महीने बाद लाभ कमीशन[45] की गणना करने और उसका विवरण तैयार करने का अधिकार था तथा वह पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इस कमीशन का दावा कर सकता था। हालाँकि, पाँच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी, यूआईआईसी ने पुनर्बीमाकर्ताओं से ₹11.73 करोड़ के लागू लाभ कमीशन का दावा नहीं किया।

ओआईसी ने ईएसटी से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः ₹6.18 करोड़ और ₹5.25 करोड़ के लाभ कमीशन का दावा नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह बात सामने आने पर, ओआईसी ने कुछ पुनर्बीमाकर्ताओं से ₹9.28 करोड़ का लाभ कमीशन वसूल कर लिया, जबकि ₹2.15 करोड़ अभी भी वसूल किए जाने बाकी थे। प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी

---

[44] ***प्रबंधन खर्चों को समायोजित करने के बाद संधियों का शुद्ध लाभ इस प्रकार रहा: 2014 - ईएसएसटी ₹1.29 करोड़, 2015 - ईएफएसटी ₹5.17 करोड़, 2015 - ईएसएसटी ₹8.85 करोड़, 2016 - ईएफएसटी ₹11.85 करोड़, 2016 - ईएसएसटी ₹5.33 करोड़, 2017 - ईएसटी ₹8.46 करोड़, 2018 - ईएसटी ₹22.36 करोड़।***

[45] ***ईएसएसटी (2014-15 से 2016-17) के लिए 20 प्रतिशत, ईएफएसटी (2015-16 से 2016-17) और ईएसटी (2017-18 से 2018-19) के लिए 25 प्रतिशत।***

2025) कि वे बाकी बचे पुनर्बीमाकर्ताओं से लाभ कमीशन की वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

इसी तरह, एनआईसी ने ईएसटी (2018-19 से 2022-23) के संबंध में ₹31.94 करोड़ के लाभ कमीशन का दावा नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह बात सामने आने पर, एनआईसी ने ईएसटी के संबंध में लाभ कमीशन को लेखा में दर्ज किया और वसूल किया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2025) कि यूआईआईसी जहाँ भी लागू हो, लाभ कमीशन की गणना करेगा और उसे वसूली के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रस्तुत करेगा।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लागू समझौतों में लाभ कमीशन की वसूली करने में विफलता रही थी और सुधारात्मक कार्रवाई केवल लेखापरीक्षा द्वारा इस बात को इंगित किए जाने के बाद ही की गई थी।

4.2.5 निष्कर्ष

सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ अपनी अंडरराइटिंग क्षमता का विस्तार करने, बड़े जोखिमों को संभालने, अंडरराइटिंग परिणामों को स्थिर करने और आपदाओं तथा प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुनर्बीमा करती हैं। पुनर्बीमा कार्यक्रम आईआरडीएआई के नियमों के अनुसार इस उद्देश्य के साथ तैयार किया जाता है कि देश के भीतर ही अधिकतम प्रतिधारण सुनिश्चित किया जा सके। पुनर्बीमा जोखिमों का पर्याप्त विविधीकरण, तकनीकी क्षमता और वित्तीय सामर्थ्य प्रदान करता है। पुनर्बीमा कार्यों की समीक्षा से यह बात सामने आई कि पीएसजीआईसी में आरआई कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में विनियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में कई कमियाँ पाई गईं जैसे कि प्रतिधारण पॉलिसी का न होना, फ्रंटिंग और अनर्ह सीमा-पार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ प्लेसमेंट। इसके अलावा, स्वीकृत पुनर्बीमाकर्ता प्रोग्राम के अनुसार जोखिम प्रतिधारण और हस्तांतरण में आए बदलावों का पीएसजीआईसी पर वित्तीय रूप से असर पड़ा। आईटी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से डेटा बेस में कमियों और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में दोषों का पता चला जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम के अनावश्यक/गलत हस्तांतरण, प्रीमियम अनुमानों की गणना में त्रुटियाँ, समझौते की शर्तों का पालन न करने, प्राप्तियों की टैगिंग में विलंब, पुनर्बीमाकर्ताओं को खातों में जमा करने में विलंब तथा प्राप्तियों और देयताओं के मिलान और निपटान में विलंब जैसी समस्याएं

सामने आईं। प्राप्तियों का प्रबंधन कमज़ोर था क्योंकि दावों को ट्रैक करने और वसूलने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। इसके अलावा, शेष राशियों का मिलान न होना, दावों की वसूली न होना और पुनर्बीमाकर्ताओं से बकाया राशि वसूलने में विलंब जैसी कमियाँ देखी गईं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, पीएसजीआईसी को अपने आंतरिक नियंत्रणों को मज़बूत करना चाहिए, निगरानी तंत्र को बेहतर बनाना चाहिए एवं अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रमों के साथ-साथ आईआरडीएआई के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय V: भारी उद्योग मंत्रालय

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

5.1 चाय प्रभाग का परिचालन निष्पादन

5.1.1 परिचय

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) जो भारी उद्योग मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, चाय, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है जिसमें चाय उगाना और उसका उत्पादन इसका मुख्य व्यवसाय है।

वर्ष 2017-18 से 2024-25 के दौरान, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन–अर्थात् उसके चाय प्रभाग/खंड का प्रदर्शन–नीचे दी गई तालिका 5.1 में विस्तार से दिया गया है:

तालिका 5.1: कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन बनाम उसके चाय खंड का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कंपनी का प्रदर्शन								
परिचालन से राजस्व	361.50	311.16	299.14	330.51	414.39	374.04	309.85	311.71
कुल खंड परिचालन लाभ/(हानि)	8.97	(9.73)	(24.32)	8.68	10.88	9.86	(70.20)	(22.35)
चाय खंड								
परिचालन से राजस्व	207.00	198.48	206.15	236.50	231.25	213.72	166.63	157.26
खंड परिचालन लाभ/(हानि)	19.02	6.83	(2.21)	24.07	23.11	(3.23)	(87.52)	(54.97)
चाय से राजस्व का परिचालन से राजस्व (*प्रतिशत में*)	57.26	63.79	68.91	71.56	55.80	57.14	53.78	50.45

(स्रोत: कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2017-18 से 2024-25 के दौरान कंपनी के परिचालन से राजस्व में चाय क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से ज़्यादा था। इस तरह, 2022-23 से 2024-25 के दौरान चाय खंड से परिचालन राजस्व में गिरावट ने उसी समय के दौरान पूरी कंपनी के परिचालन राजस्व में गिरावट में योगदान दिया; और

- चाय क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान (2019-20 को छोड़कर) हमेशा परिचालन लाभकारी रहा हालाँकि, उसके बाद इसमें लगातार घाटा होता रहा, जो 2022-23 में ₹3.23 करोड़ से लेकर 2023-24 में ₹87.52 करोड़ तक पहुँच गया। इसके कारण तथा कंपनी के अन्य दो व्यावसायिक खंडों–अर्थात् इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग–में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान परिचालन लाभ होने के बावजूद, कंपनी को वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल खंड परिचालन हानि हुई।

इस प्रकार, 2022-23 से 2024-25 के दौरान चाय क्षेत्र के प्रदर्शन में आई गिरावट ने कंपनी के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित किया।

5.1.2 चाय क्षेत्र

दिसंबर 2025 तक, कंपनी के असम और पश्चिम बंगाल में 15 चाय बागान और 12 चाय फैक्ट्रियां हैं; यह एकमात्र ऐसा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसके पास चाय बागान और चाय फैक्ट्रियां, दोनों हैं। इसके चाय व्यवसाय में चाय की पत्तियों की खेती, चाय का प्रसंस्करण और निर्माण तथा तैयार चाय की मार्केटिंग और बिक्री सम्मिलित है। कंपनी सीटीसी[1], ऑर्थोडॉक्स एवं हरित टी का उत्पादन करती है जिसके लिए वह अपने ही चाय बागानों से तोड़ी गई हरी पत्तियों के साथ-साथ अन्य चाय उत्पादकों से खरीदी गई पत्तियों का भी उपयोग करती है। चाय की मार्केटिंग और बिक्री, टी बोर्ड इंडिया में पंजीकृत चाय दलालों के माध्यम से की जाती है।

[1] ***काटें, फाड़ें और मोड़ें***

इसके चाय बागानों के कुल रोपण क्षेत्र और चाय कारखानों की स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.2: कंपनी के चाय बागानों और चाय कारखानों का विवरण

असम				
क्रम संख्या	चाय बागान	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संबंधित चाय फैक्ट्री	कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता (किलोग्राम में)
1.	भामुन	316.03	खोवांग	21,00,000
2.	हिंग्रिजन	307.86		
3.	खोवांग	385.33		
4.	बासमतिया	275.91	बासमतिया	7,00,000
5.	देशम	327.71	देशम	9,50,000
6.	हूलुंगूरी	404.51	हूलुंगूरी	8,50,000
7.	राजगढ़	275.33	राजगढ़	7,50,000
8.	बोगीजन	485.61	मुरफुलानी	8,20,000
9.	मुरफुलानी			
10.	टिंकोंग	505.37	टिंगकोंग	13,00,000
योग		**3,283.66**	**योग**	**74,70,000**

पश्चिम बंगाल				
क्रम संख्या	चाय बागान	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संबंधित चाय फैक्ट्री	कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता (किलोग्राम में)
1.	बानरहाट	642.59	बानरहाट	13,50,000
2.	चूनाभुट्टी	401.80	चूनाभुट्टी	10,00,000
3.	कर्बला	755.24	कर्बला	17,00,000
4.	एमआईएम	187.65	एमआईएम	1,20,000
5.	न्यू डोर्स	792.35	न्यू डोर्स	17,00,000
योग		**2,779.63**	**योग**	**58,70,000**

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े और कंपनी वेबसाइट)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- असम में, कंपनी के 10 चाय बागान थे, जिनका कुल बागान क्षेत्र लगभग 3,284 हेक्टेयर था; जबकि पश्चिम बंगाल में, कंपनी के पाँच चाय बागान थे, जिनका कुल बागान क्षेत्र लगभग 2,780 हेक्टेयर था।

- असम में मौजूद सात चाय कारखानों की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 74.70 लाख किलोग्राम थी, जबकि पश्चिम बंगाल में मौजूद पांच चाय कारखानों की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 58.70 लाख किलोग्राम थी; और

- पश्चिम बंगाल में 'न्यू डुआर्स' कंपनी का सबसे बड़ा चाय का बागान था जबकि असम में 'खोवांग' सबसे बड़ी चाय फैक्ट्री थी जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता सबसे अधिक थी।

5.1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2024-25 की अवधि के दौरान कंपनी के चाय प्रभाग के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा की जिसमें उसके चाय बागानों और चाय कारखानों का प्रदर्शन भी सम्मिलित है।

5.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.4.1 प्रति हेक्टेयर उपज

चाय बागान की पैदावार, खेती के किसी खास क्षेत्र से प्राप्त होने वाली कच्ची चाय की पत्तियों की वह मात्रा है जिसे आमतौर पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। यह चाय बागान की कार्यकुशलता के संकेतकों में से एक है। वर्ष 2017 से 2024 के दौरान, कंपनी के चाय बागानों की बागान-वार पैदावार (प्रति हेक्टेयर) नीचे दी गई **तालिका 5.3** में प्रस्तुत है:

तालिका 5.3: कंपनी के बागानों की साल-वार पैदावार

क्र.सं.	बागान का नाम	प्रति हेक्टेयर उपज (किलो में)								
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2017 की तुलना में 2024 में *प्रतिशत* कमी**
1	भामुन	1,957	1,688	1,831	1,431	1,681	1,502	1,564	1,196	38.89
2	हिंग्रिजन	2,062	1,860	1,789	1,383	1,460	1,493	1,616	1,184	42.58
3	खोवांग	2,333	2,336	2,178	1,793	1,626	1,890	1,564	1,623	30.43
4	बासमतिया	2,308	2,092	1,906	1,367	1,178	857	1,527	1,669	27.69
5	देशम	2,331	2,299	2,219	1,627	2,015	1,392	1,843	1,906	18.23
6	हूलुंगूरी	1,974	1,968	1,987	1,788	1,941	1,486	1,664	1,341	32.07
7	राजगढ़	1,949	2,143	2,168	1,656	1,826	1,545	1,642	1,719	11.80
8	मुरफुलानी[2]	1,539	1,384	1,485	1,101	965	838	868	1,019	33.79
9	टिंकोंग	2,419	2,156	2,212	2,209	1,940	2,010	1,826	1,564	35.34
10	बानरहाट	2,097	2,262	2,229	1,567	1,793	1,319	875	879	58.08
11	चूनाभुट्टी	1,780	1,695	2,012	1,725	1,815	159	249	998	43.93
12	करबल्ला	2,211	2,008	1,897	1,769	1,240	1,197	851	677	69.38
13	मिम	224	468	515	408	423	437	459	294	(31.25)
14	न्यू डुआर्स	1,661	1,731	2,226	1,976	2,011	2,020	950	1,049	36.84
औसत पैदावार		**1,790**	**1,739**	**1,777**	**1,453**	**1,461**	**1,210**	**1,166**	**1,141**	**36.26**

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- मिम चाय बागान को छोड़कर, 2017 से 2024 की अवधि के दौरान, अन्य सभी चाय बागानों में प्रति हेक्टेयर उपज में 11.80 प्रतिशत (राजगढ़ चाय बागान) से लेकर 69.38 प्रतिशत (करबल्ला चाय बागान) तक की गिरावट आई है।

- सभी चाय बागानों की औसत पैदावार 2021 के बाद से घट रही है; और

- 2017 से 2024 के दौरान चाय बागानों से औसत उपज में 36.26 *प्रतिशत* की गिरावट आई है।

प्रति हेक्टेयर पैदावार में गिरावट के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरानी चाय की झाड़ियों को उखाड़कर नई झाड़ियाँ लगाने की अपर्याप्त व्यवस्था और सिंचाई सुविधाओं

[2] ***बोगीजन चाय बागान और मुरफुलानी चाय बागान का मिला-जुला डेटा।***

की कमी सम्मिलित थी जैसा कि प्रबंधन ने स्वयं स्वीकार किया है और जिसका विस्तृत विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है। हालाँकि, परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए कोई भी व्यापक व्यावसायिक योजना या 'चाय खंड' के लिए विशिष्ट रणनीति, न तो अभिलेखों में दर्ज थी और न ही लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में लेखापरीक्षा अवलोकन में दिए गए तथ्यों को स्वीकार किया और प्रति हेक्टेयर पैदावार को कई कारकों के प्रभाव का नतीजा बताया जिनमें मुख्य रूप से पुरानी चाय की झाड़ियों को उखाड़कर नई झाड़ियाँ लगाना, सिंचाई की सुविधाएँ, चाय की झाड़ियों की किस्म, पत्तियाँ तोड़ने के तरीके, कीटनाशक, कृमिनाशक और खाद के इस्तेमाल के तरीके सम्मिलित हैं। प्रबंधन ने आगे बताया कि झाड़ियों और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए सलाह लेने हेतु टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) से संपर्क किया गया है ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। टीआरए से मिलने वाले सुझावों को लागू किया जाता है और उनकी निगरानी भी की जाती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर उसका उपयोग कंपनी के चाय बागानों में चाय के पौधों को उखाड़ने, उन्हें फिर से लगाने और सिंचाई के लंबित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए किया जाएगा।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य की रोशनी में देखा जा सकता है कि कम पैदावार के जो कारण बताए गए थे, उन्हें बेहतर योजना और तालमेल से नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी के किसी भी चाय बागान में टीआरए की सलाह के आधार पर की गई प्रभावी कार्रवाई के संबंध में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया जा सका जिससे प्रति हेक्टेयर घटती पैदावार को रोका जा सके। उत्तर में निकट भविष्य में इस समस्या को दूर करने के लिए किसी भी योजना या रूपरेखा का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

5.1.4.2 जड़ से उखाड़ने और फिर से पौधे लगाने की गतिविधियाँ

चाय उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों को बेहतर बनाने के लिए पुरानी चाय की झाड़ियों को उखाड़ना, ज़मीन तैयार करना और नई चाय की झाड़ियों को फिर से लगाना ज़रूरी है। 2025 तक चाय के बागानों की उम्र और 2017-18 से 2024-25 के दौरान उनकी पैदावार में आई कमी का बागान-वार ब्योरा नीचे दी गई **तालिका 5.4** में दिया गया है। कंपनी के पास इस संबंध में कोई घोषित नीति या दिशानिर्देश नहीं है कि वह चाय बागान

के किस हिस्से को 'अलाभकारी' मानती है और किसे उखाड़कर दोबारा लगाने के लिए उपयुक्त समझती है; इसलिए, 'टी बोर्ड' के दिशानिर्देशों[3] से संकेत लेते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा चाय बागान के 'अलाभकारी' हिस्से का निर्धारण[4] किया गया है।

तालिका 5.4: चाय के बागानों की आयु और उनकी पैदावार का विवरण

क्र.सं.	बागान का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	2025 तक 50 साल या उससे ज़्यादा पुराना होने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	2025 तक 50 साल या उससे ज़्यादा पुराना होने वाला क्षेत्र (*प्रतिशत में*)	50 साल या उससे ज़्यादा पुराना और अ-लाभकारी क्षेत्र (हेक्टेयर में)	50 साल या उससे ज़्यादा पुराना और गैर-किफ़ायती क्षेत्र (*प्रतिशत में*)
क	ख	ग	घ	ङ=घ/ग*100	च	छ=चग/*100
1	**भामुन**	316.03	155.61	49.24	59.79	18.92
2	**हिंग्रिजन**	307.86	109.28	35.50	70.61	22.94
3	**खोवांग**	385.33	124.17	32.22	84.80	22.01
4	**बासमतिया**	275.91	152.45	55.25	104.29	37.80
5	**देशम**	327.71	187.53	57.22	55.30	16.87
6	**हूलुंगूरी**	404.51	42.35	10.47	22.06	5.45
7	**राजगढ़**	275.33	104.12	37.82	51.56	18.73
8	**मुरफुलानी**	485.61	80.50	16.58	28.05	5.78
9	**टिंकोंग**	505.37	212.63	42.07	70.30	13.91
10	**बानरहाट**	642.59	203.74	31.71	147.57	22.96
11	**चूनाभुट्टी**	401.80	70.13	17.45	57.10	14.21
12	**करबल्ला**	755.24	280.71	37.17	132.26	17.51
13	**मिम**	187.65	187.65	100.00	94.83	50.54
14	**न्यू डूआर्स**	792.35	201.61	25.44	142.36	17.97
योग		**6,063.29**	**2,112.48**	**34.84**	**1,120.88**	**18.49**

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनी के उन चाय बागानों का अलाभकारी हिस्सा, जिनकी उम्र 2025 तक 50 वर्ष या उससे अधिक है, उस चाय बागान के कुल क्षेत्रफल का 5.45 प्रतिशत (हूलुंगूरी चाय बागान) से लेकर 50.54 प्रतिशत (मिम

3 ***टी बोर्ड इंडिया द्वारा, 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने और अलाभकारी चाय के हिस्सों को, उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उखाड़ने और दोबारा लगाने के लिए मान्यता दी गई है।***

4 ***आठ वर्षों की अवधि–यानी 2017-18 से 2024-25 तक–के दौरान, यदि बाग के किसी विशिष्ट हिस्से की प्रति हेक्टेयर उपज, उस विशेष वर्ष में बाग के सभी हिस्सों की औसत उपज से कम रही हो, तो उस हिस्से को अलाभकारी माना गया है।***

चाय बागान) तक रहा। इसके अतिरिक्त, कंपनी के सभी चाय बागानों के कुल क्षेत्रफल का 18.49 प्रतिशत हिस्सा 50 वर्ष या उससे अधिक पुराना था और साथ ही अलाभकारी भी था। प्रबंधन के दावे के अनुसार, इसका कारण यह था कि 2019-20 के बाद धन की कमी के चलते कंपनी द्वारा पौधों को उखाड़ने और दोबारा लगाने का कोई कार्य नहीं किया गया। चाय बागानों को उखाड़ने और दोबारा लगाने की गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई भी विस्तृत व्यावसायिक योजना या रणनीति न तो अभिलेख में दर्ज थी और न ही लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई थी जबकि, जैसा कि ऊपर पैरा 5.1.4.1 में चर्चा की गई है, के परिणामस्वरूप कंपनी के चाय बागानों की उत्पादकता में गिरावट आई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में कहा कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान की गई उखाड़ने और दोबारा लगाने की गतिविधियाँ टी बोर्ड इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुरूप थीं। उसने यह भी कहा कि उखाड़ने और दोबारा लगाने का काम एक पूंजीगत खर्च था जिससे अगले तीन से चार वर्षों तक कोई लाभ नहीं मिलना था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि दोबारा पौधा लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर ₹8 लाख के पूंजीगत खर्च की ज़रूरत होगी और दोबारा लगाए गए हिस्से से चाय की पत्तियाँ चार साल बाद ही मिलनी शुरू होंगी। इसलिए, मौजूदा आय में आई कमी और भविष्य की आय के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी था। पर्याप्त निधि उपलब्ध होने पर, कंपनी के चाय बागानों में पौधों को उखाड़ने और दोबारा लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी द्वारा 'टी बोर्ड इंडिया' के दिशानिर्देशों के अनुरूप उखाड़ने और दोबारा लगाने की गतिविधियों को किए जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका जबकि वास्तव में, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के बाद ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके चाय बागान का कुल 18.49 प्रतिशत क्षेत्र 50 वर्ष या उससे अधिक पुराना और अलाभकारी हो गया जिसके चलते समय के साथ चाय की पैदावार में गिरावट आने लगी। इस समस्या को निकट भविष्य में दूर करने के लिए किसी भी योजना या रूपरेखा का विवरण इस उत्तर में नहीं दिया गया है।

5.1.4.3 सिंचाई प्रणाली

चाय बोर्ड इंडिया ने अपनी 12वीं योजना (यानी 2012-13 से 2016-17) के लिए चाय विकास और संवर्धन योजना में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि मॉनसून में अनियमितता– चाहे वह पर्याप्त वर्षा की कमी के रूप में हो या लंबे समय तक सूखे की अवधि के रूप में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण फसलों को नुकसान पहुँचा रही थी। कंपनी के सात बागानों[5]–हूलुंगूरी, मुरफुलानी (बोगियाजन सहित), बानरहाट, चुनाभट्टी, करबल्ला और न्यू डुआर्स में सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन/अध्ययन करने के लिए, कंपनी ने (जून 2013 में) एक सलाहकार नियुक्त किया। इस सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट (जुलाई-अगस्त 2013) में, इन सभी सातों बागानों में सिंचाई सेटों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। सलाहकार की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का विवरण नीचे दी गई **तालिका 5.5** में दिया गया है:

तालिका 5.5: कंपनी के सात चाय बागानों में लगाए गए सिंचाई सेट की जानकारी

क्र.सं.	बागान का नाम	2013 में उपलब्ध सिंचाई सेट	सलाहकार द्वारा सुझाए गए सेट की कुल संख्या, जिसमें मौजूदा सेट भी सम्मिलित है	दिसंबर 2025 तक सिंचाई सेट की संख्या
1	हूलुंगूरी	1	3	1
2	मुरफुलानी[6]	2	3	1
3	बानरहाट	3	5	4
4	चूनाभुट्टी	1	3	2
5	करबल्ला	3	6	4
6	न्यू डुआर्स	3	5	3
योग		**13**	**25**	**15**

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि सलाहकार द्वारा सुझाए गए 25 सेटों के मुकाबले, दिसंबर 2025 में सात चाय बागानों में केवल 15 सिंचाई सेट ही मौजूद थे जिसके कारण इन बागानों की पैदावार में गिरावट आई जैसा कि तालिका 5.3 में देखा जा सकता है। इस तालिका के अनुसार, इन सात बागानों की औसत पैदावार 2017 में 1,609 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2024 में घटकर 852 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई। इन सात बागानों की औसत पैदावार में हुई प्रतिशत कमी, उसी अवधि के दौरान सभी 15 बागानों की कुल औसत पैदावार में हुई प्रतिशत कमी से 11 प्रतिशत अधिक थी। कंपनी के चाय बागानों में नई सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई भी व्यापक व्यावसायिक योजना या रणनीति न तो रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी और न ही लेखापरीक्षा के साथ साझा की गई थी।

[5] *प्रबंधन ने दावा किया कि अन्य बागों में पर्याप्त वर्षा हो रही थी इसलिए इन बागों में सिंचाई की किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं थी।*

[6] *बोगीजन चाय बागान और मुरफुलानी चाय बागान का मिला-जुला डेटा।*

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में कहा कि सिंचाई प्रणाली की स्थापना जोकि स्वभाव से पूंजी-प्रधान है, उसे निधि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उसने स्वीकार किया कि उसके कुल 6,063.29 हेक्टेयर चाय बागान क्षेत्र में से केवल 923.68 हेक्टेयर (15.23 प्रतिशत) क्षेत्र ही सिंचाई सुविधा के अंतर्गत था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर, उसका उपयोग कंपनी के चाय बागानों में सिंचाई के लंबित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए किया जाएगा।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आवश्यक सिंचाई सुविधा स्थापित न किए जाने के कारण इसके चाय बागानों की पैदावार को नुकसान पहुँचा। उत्तर में निकट भविष्य में इस समस्या को दूर करने के लिए किसी भी योजना या रूपरेखा का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

5.1.4.4 चाय का प्रसंस्करण और उत्पादन

कंपनी की असम और पश्चिम बंगाल में 12 चाय फैक्ट्रियाँ थीं जहाँ वह अपने खुद के चाय बागानों से तोड़ी गई पत्तियों से और साथ ही अन्य चाय उत्पादकों से खरीदी गई पत्तियों से सीटीसी[7], ऑर्थोडॉक्स[8] और ग्रीन टी[9] का प्रसंस्करण और उत्पादन करती थी। ऐसा करने का उद्देश्य अपनी कारखानों की अप्रयुक्त चाय उत्पादन क्षमता का उपयोग करना और अपने खुद के चाय बागानों से होने वाली पैदावार में कमी की भरपाई करना था।

कंपनी की चाय कारखानों का वर्ष 2017-18 से 2024-25 की अवधि के लिए उत्पादन निष्पादन नीचे दी गई तालिका 5.6 में विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 5.6: कंपनी की चाय कारखानों से चाय उत्पादन का विवरण

(आंकड़े लाख किलोग्राम में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
चाय की स्थापित उत्पादन क्षमता								
	133.40	133.40	133.40	133.40	133.40	133.40	133.40	133.40
मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार चाय उत्पादन लक्ष्य								
	116.00	118.00	118.00	118.00	110.00	121.00	131.00	**समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए**[10]

[7] भारत में इस्तेमाल होने वाली आम चाय जिसे सीटीसी मशीन नामक एक उपकरण की मदद से तैयार किया जाता है।

[8] सामान्य चाय जिसे चाय बनाने की पारंपरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है जिसमें हाथ या अर्ध-हस्त प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग शामिल होता है।

[9] ये वे पत्तियाँ हैं जो न तो किण्वित होती हैं और न ही ऑक्सीकृत।

[10] कंपनी के गिरते परिचालन प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति को देखते हुए, मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

प्रबंधन/निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित वार्षिक उत्पादन लक्ष्य								
स्वयं का पत्ता	104.75	105.45	110.80	97.83	106.55	89.90	104.05	96.92
खरीदा हुआ पत्ता	15.25	15.40	15.00	5.00	14.60	13.41	10.69	0
योग	**120.00**	**120.85**	**125.80**	**102.83**	**121.15**	**103.31**	**114.74**	**96.92**
वास्तविक उत्पादन								
स्वयं का पत्ता	102.96	101.45	104.23	89.36	89.84	83.46	74.34	71.18
खरीदा हुआ पत्ता	12.99	15.51	12.40	9.68	8.99	10.90	3.02	0
कुल	**115.95**	**116.96**	**116.63**	**99.04**	**98.83**	**94.36**	**77.36**	**71.18**
उपलब्धियाँ *प्रतिशत में*								
स्थापित क्षमता के विरुद्ध	**86.92**	**87.68**	**87.43**	**74.24**	**74.08**	**70.73**	**57.99**	**53.36**
एमओयू में तय लक्ष्य के मुकाबले	**99.96**	**99.12**	**98.84**	**83.93**	**89.84**	**77.98**	**59.05**	**-**
वार्षिक योजना के विरुद्ध	**96.62**	**96.78**	**92.71**	**96.31**	**81.58**	**91.34**	**67.42**	**73.44**

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े और मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर)

ऊपर दी गई तालिका से यह पता चला कि:

- समझौता ज्ञापन और प्रबंधन/निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित वार्षिक चाय उत्पादन लक्ष्य, कंपनी की 133.40 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता से हमेशा कम रहे जिसका एक कारण कंपनी के अपने चाय बागानों से उपज में गिरावट होना था और इसके अलावा चाय उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का पुराना होना भी एक वजह थी।

- कंपनी के चाय बागानों से प्राप्त वास्तविक उपज का अनुमानित उपज से कम रहना और साथ ही अन्य चाय उत्पादकों[11] से खरीदी गई पत्तियों की मात्रा में कमी–इन दोनों कारकों ने मिलकर योगदान दिया:

    - ➢ चाय के वास्तविक उत्पादन में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है; 2018-19 से स्थापित क्षमता के मुकाबले यह 2019-20 में 87.43 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 53.36 प्रतिशत रह गया है।

    - ➢ समझौता ज्ञापन लक्ष्य के मुकाबले चाय का वास्तविक उत्पादन लगातार कम होता गया और यह तय समझौता ज्ञापन लक्ष्य के 99.96 प्रतिशत (2017-18) से 59.05 प्रतिशत (2023-24) तक रहा; और

[11] ***प्रबंधन ने दावा किया कि गुणवत्ता में गिरावट के कारण उसने अन्य चाय उत्पादकों से कम पत्तियाँ खरीदीं।***

- ➢ चाय का वास्तविक उत्पादन, प्रबंधन/निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए सालाना लक्ष्यों से हमेशा कम रहा, और यह सालाना लक्ष्यों के 67.42 प्रतिशत (2023-24) से लेकर 96.78 प्रतिशत (2018-19) के बीच रहा।

- बाहर से पत्तियाँ खरीदने की प्रक्रिया–जो चाय कारखानों की बेकार पड़ी क्षमता को भरने और चाय बागानों से कम पैदावार की भरपाई करने का काम करती थी– 2017-18 में 12.99 लाख किलोग्राम से घटकर 2023-24 में 3.02 लाख किलोग्राम रह गई, और फिर 2024-25 में शून्य हो गई। प्रबंधन के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपलब्ध पत्तियों की गुणवत्ता काफ़ी कम थी जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी की चाय कारखानों में चाय का उत्पादन और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी का कोई उत्तर नहीं दिया।

मंत्रालय ने (जुलाई 2025 में) इस बात को स्वीकार किया कि कंपनी के चाय बागानों से कम पैदावार होने के कारण उसकी कारखानों की उत्पादन क्षमता में गिरावट आई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि झाड़ियों और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके पैदावार बढ़ाने के लिए टीआरए से सलाह मांगी गई है। टीआरए की सलाह को, निधि की उपलब्धता के अनुसार लागू किया जा रहा है।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी की चाय कारखानों का उत्पादन 2017-18 में 115.95 लाख किलोग्राम से घटकर 2024-25 में 71.18 लाख किलोग्राम रह गया है यानी इसमें 38.61 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा, कंपनी के किसी भी चाय बागान में टीआरए की सलाह के आधार पर की गई प्रभावी कार्रवाई के संबंध में कोई भी दस्तावेज़ पेश नहीं किया जा सका ताकि प्रति हेक्टेयर घटती पैदावार को रोका जा सके।

अनुशंसा 13: कंपनी को अपनी चाय के बागानों में चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ने, नई झाड़ियाँ लगाने और सिंचाई के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार करने के लिए एक तय समय-सीमा के भीतर, योजनाबद्ध और मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके।
अनुशंसा 14: बेहतर बाज़ार खोज प्रयासों के माध्यम से, चाय कारखानों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए, अन्य चाय उत्पादकों से गुणवत्तापूर्ण चाय की पत्तियों की खरीद बढ़ाई जानी चाहिए।

5.1.4.5 नमूना परीक्षण

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य उत्पादों में संबंधित रासायनिक और/या सूक्ष्मजैविक संदूषकों की जाँच,

ऐतिहासिक आंकड़े और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार की जाए ताकि सुरक्षित भोजन का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित किया जा सके। यह जाँच स्वयं के या एनएबीएल-मान्यता प्राप्त/एफएसएसएए-अधिसूचित प्रयोगशालाओं के माध्यम से, छः महीनों में कम से कम एक बार की जानी चाहिए।

कंपनी द्वारा वर्ष 2017-18 से 2024-25 की अवधि के दौरान अपनी चाय प्रसंस्करण कारखानों में किए गए नमूना परीक्षणों का विवरण नीचे **तालिका 5.7** में दिया गया है:

तालिका 5.7: कंपनी की चाय कारखानों में किए गए प्रतिदर्श परीक्षण का विवरण

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उन कारखानों की संख्या जहां सैंपल का दो बार टेस्ट किया जाना था	12	12	12	12	12	12	12	12
उन कारखानों की संख्या जहां सैंपल का दो बार टेस्ट किया गया	-	-	-	3	3	10	6	8
उन कारखानों की संख्या जहां सैंपल का सिर्फ़ एक बार टेस्ट किया गया	9	10	10	6	7	2	6	4
उन कारखानों की संख्या जहां किसी नमूने का परीक्षण नहीं किया गया	3	2	2	3	2	0	0	0

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कंपनी के चाय कारखानों में नमूनों के परीक्षण की स्थिति में वर्षों के दौरान सुधार हुआ है, तथापि यह अभी भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित इस वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन न किए जाने के कारणों का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार किया। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में कहा कि कंपनी निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष में दो बार परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड कर रही थी।

मंत्रालय एवं प्रबंधन के उत्तर परस्पर विरोधाभासी हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं आँकड़ों के अनुरूप भी नहीं पाया गया।

5.1.4.6 विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति

कंपनी अपने कारखानों में उत्पादित चाय की लक्षित मात्रा की बिक्री के लिए भारतीय चाय बोर्ड में पंजीकृत चाय ब्रोकरों को नियुक्त करती है। बिक्री की कीमत पहले से तय औसत कीमत पर होती है, जो ब्रोकर और कंपनी की अपनी टीम द्वारा चाय की क्वालिटी और बाज़ार की स्थितियों के आधार पर किए गए अनुमानित मूल्यांकन से तय की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 की अवधि के दौरान कंपनी के चाय ब्रोकरों द्वारा विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5.8 कंपनी के ब्रोकरों द्वारा विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

चाय फैक्ट्री का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी	निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विक्रय लक्ष्य प्राप्ति में कमी
खोवांग	2.95	15.05	15.24	7.43	44.37	27.00	31.42
बासमतीया	1.94	4.07	4.66	5.21	10.65	3.66	3.81
देशम	2.97	4.84	6.34	3.84	9.27	8.20	8.69
हूलुंगूरी	-	1.59	5.95	1.66	13.19	9.67	9.72
राजगढ़	1.15	1.65	5.31	0.22	10.92	8.25	6.33
मर्फुलानी	1.92	2.12	2.12	4.43	14.90	10.27	5.92
टिंगकॉन्ग	2.39	6.19	11.75	6.04	25.12	16.04	18.24
बनारहाट	2.59	3.91	6.32	2.83	15.39	16.98	18.56
चुनाभट्टी	2.00	2.68	7.57	8.01	13.32	11.72	11.26
करबला	2.44	7.32	7.07	8.16	23.01	14.54	13.91
मीम	-	3.52	3.52	3.47	3.67	2.96	5.28
न्यू डुआर्स	4.30	0.39	4.64	(7.16)	18.83	14.66	9.96
कुल	**24.65**	**53.33**	**80.49**	**44.14**	**202.64**	**143.95**	**143.10**

(स्रोत: प्रबंधन आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2024-25 की अवधि के दौरान मध्यस्थ लगातार लक्षित बिक्री प्राप्ति में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹692.30

करोड़ की लक्ष्य बिक्री प्राप्ति में कमी आई। लक्ष्य बिक्री प्राप्ति में यह कमी लक्षित बिक्री मात्रा की प्राप्ति न होने या औसत निश्चित मूल्य पर लक्षित मात्रा की बिक्री न होने या दोनों कारणों से हुई, जिनमें निम्नलिखित कारण भी शामिल हैं:

- बागानों से कम उपज और चाय उत्पादकों से कम चाय की खरीद के कारण कारखानों द्वारा चाय का वास्तविक उत्पादन लक्षित मात्रा से कम होना; और
- औसत मूल्य निर्धारण के समय अपेक्षित गुणवत्ता से कम गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन होना।
- चाय मध्यस्थ का प्रदर्शन ठीक न होना।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि:

- अभिलेख में ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया गया था जिससे यह संकेत मिले कि कंपनी ने लक्ष्य निर्धारण की वस्तुनिष्ठ समीक्षा की हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वास्तविक चाय उत्पादन और प्राप्त औसत मूल्य क्रमशः लक्षित बिक्री मात्रा और लक्षित औसत निर्धारित मूल्य से हमेशा कम थे; और
- मध्यस्थ के साथ हुए समझौते में लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन या हतोत्साहन से जोड़ने वाले कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। इस प्रकार, 2018-19 से 2024-25 (2021-22 को छोड़कर) के दौरान किसी भी मध्यस्थ द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त न करने के बावजूद, उन्हें दंडित नहीं किया जा सका, सिवाय इसके कि बाद में उनके बीच फैक्ट्री का पुनर्गठन किया जाए।

इस प्रकार, लक्षित बिक्री प्राप्ति में कमी को दूर करने के लिए, कोई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और सत्यापन योग्य लक्ष्य निर्धारण, गतिशील विपणन रणनीति और मध्यस्थ के लिए प्रदर्शन मानदंड, समीक्षा मानदंड और क्रमिक परिणामों को निर्दिष्ट करने वाला कोई दस्तावेजी ढांचा मौजूद नहीं था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में कहा कि मध्यस्थ का आवंटन निविदा के माध्यम से किया गया था, जिसके बाद आपसी अनुबंध हुआ। नीलामी मूल्य चाय की गुणवत्ता और बाजार की मांग पर निर्भर थे। खराब प्रदर्शन करने वाले दलालों को आवंटित बागानों को वापस लेकर दंडित किया जा रहा था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में दोषी मध्यस्थ को दंडित करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यस्थ को प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि न केवल मध्यस्थ के प्रदर्शन की समीक्षा करने की आवश्यकता थी, बल्कि उत्पादित चाय की

मात्रा/गुणवत्ता और मांग तथा अपनाई गई विपणन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए मात्रा और मूल्य में निर्धारित लक्ष्य की भी समीक्षा करने की आवश्यकता थी।

अनुशंसा 15: कंपनी को चाय की मात्रा, गुणवत्ता और मांग को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए, गतिशील विपणन रणनीति अपनानी चाहिए और चूक करने वाले ब्रोकर को दंडित करना चाहिए जबकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले ब्रोकर को प्रोत्साहित करना चाहिए।

5.1.5 निष्कर्ष

कंपनी के चाय प्रभाग ने, जिसने 2017-18 से 2024-25 के दौरान राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया, उत्पादकता और वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट को रोकने के लिए एक दस्तावेजित, व्यापक और समयबद्ध रणनीति के बिना काम किया। प्रति हेक्टेयर उपज में लगातार गिरावट के बावजूद, कंपनी ने 2019-20 के बाद वृक्षों को उखाड़ने और पुनः रोपण का कार्य नहीं किया। इसके अलावा, सलाहकार द्वारा अनुशंसित पर्याप्त सिंचाई अवसंरचना स्थापित करने में विफलता के कारण उपज और हरी पत्ती उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ ही, अपने बागानों से हरी पत्ती की उपलब्धता में कमी और खरीदी गई पत्तियों की खरीद में कमी के कारण चाय उत्पादन में भारी गिरावट आई। चाय के नमूनों के आवधिक परीक्षण से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में कमियों ने गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में दोषों को उजागर किया। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण के लिए एक दस्तावेजित और सत्यापन योग्य ढांचे के अभाव ने बिक्री प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित किया।

चाय प्रभाग की परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित उपाय करे:

- चाय बागानों में पुराने चाय के पौधों को उखाड़ने और नए पौधे लगाने तथा आवश्यक सिंचाई अवसंरचना स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध और समन्वित प्रयास समयबद्ध तरीके से करे ताकि उपज में वृद्धि हो सके।
- अन्य चाय उत्पादकों से गुणवत्तापूर्ण चाय पत्ती की अधिक मात्रा में खरीद के लिए बेहतर बाजार अन्वेषण प्रयास करे ताकि चाय कारखानों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग किया जा सके।

चाय की मात्रा, गुणवत्ता और मांग को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करें, गतिशील विपणन रणनीति अपनाएं और चूक करने वाले ब्रोकर पर जुर्माना लगाते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाले ब्रोकर को प्रोत्साहन दें।

अध्याय VI: इस्पात मंत्रालय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

6.1 रोलिंग मिलों का प्रदर्शन

6.1.1 परिचय

भारत में लौह और इस्पात के अग्रणी उत्पादक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल या कंपनी) के पाँच एकीकृत संयंत्र हैं, जिनमें भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बर्नपुर में इस्को इस्पात संयंत्र और तीन विशेष इस्पात संयंत्र भद्रावती में विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र शामिल हैं।

एकीकृत इस्पात संयंत्र में, गर्म धातु का उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, जिसे बिलेट्स, ब्लूम्स और स्लैब्स के रूप में कच्चे इस्पात के उत्पादन के लिए आधारभूत ऑक्सीजन फर्नेस (कन्वर्टर्स) में स्थानांतरित किया जाता है, जिन्हें बाद में रोलिंग मिलों में रोल किया जाता है। इस्पात की प्रारंभिक रोलिंग हॉट रोलिंग मिल में की जाती है, जहाँ ब्लूम्स, बिलेट्स और स्लैब्स को प्लेट, शीट, स्ट्रिप, कॉइल, स्ट्रक्चर, रेल, बार और रॉड जैसे विभिन्न रोल्ड उत्पादों में रोल किया जाता है। कुछ उत्पादों के लिए इस्पात की कोल्ड रोलिंग भी की जाती है। विशेष इस्पात संयंत्रों में, कच्चे इस्पात का उत्पादन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में किया जाता है, जिसे बाद में हॉट और कोल्ड रोलिंग मिल में रोल किया जाता है।

31 मार्च 2024 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास 32 रोलिंग/फिनिशिंग मिलें थीं, जिनमें से 30 मिलें[1] मार्च 2024 तक परिचालन में थीं।

6.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और मानदंड

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह आकलन करना था कि (i) वार्षिक उत्पादन योजना के अनुसार रोलिंग मिलों का संचालन आर्थिक रूप से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जा रहा

[1] *भिलाई इस्पात संयंत्र की ब्लूमिंग मिल और बिलेट मिल को छोड़कर।*

है या नहीं, (ii) सेवाओं की खपत निर्धारित मानकों के भीतर है या नहीं, (iii) रोलिंग मिलों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का निष्पादन आर्थिक रूप से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है या नहीं, और (iv) मिलों के संचालन के दौरान सुरक्षा कानूनों के अनुपालन में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं या नहीं।

सेल[2] के सभी इस्पात संयंत्रों में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए उत्पादन प्रदर्शन, सेवाओं की खपत, परियोजना निष्पादन और रोलिंग मिलों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के रिकॉर्ड की जांच की गई। प्रबंधन के साथ प्रारंभिक बैठक अगस्त 2023 में और समापन बैठक जून 2024 में आयोजित की गई। प्रतिवेदन में आंकड़े 2023-24 तक अद्यतन किए गए हैं।

मसौदा पैरा सेल प्रबंधन और इस्पात मंत्रालय को जारी किए गए थे और उनके उत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

6.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

रोलिंग मिलों का उत्पादन प्रदर्शन

सेल प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक व्यवसाय योजना/परिप्रेक्ष्य (एबीपी) तैयार करता है, जिसमें परिचालन स्थितियों और बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मिलों के उत्पादन लक्ष्यों के साथ-साथ परिचालन मानदंड भी निर्धारित किए जाते हैं। 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए सेल के इस्पात संयंत्रों की कुछ रोलिंग मिलों के संयंत्रवार प्रदर्शन पर आगामी पैरा[3] में चर्चा की गई है।

6.1.3.1 भिलाई इस्पात संयंत्र

भिलाई स्टील प्लांट विभिन्न प्रकार की चौड़ी और भारी स्टील प्लेटें, संरचनात्मक स्टील, रेल, वायर रॉड और वाणिज्यिक उत्पाद (एंगल, चैनल, टीएमटी बार) का उत्पादन करता है। इसमें आठ रोलिंग/फिनिशिंग मिलें हैं। भिलाई स्टील प्लांट की रोलिंग मिलों की निर्धारित

---

[2] ***भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थित यूनिवर्सल रेल मिल को छोड़कर, जहां 2016-17 से 2020-21 की अवधि के रिकॉर्ड की जांच की गई।***

[3] ***इस्को इस्पात संयंत्र और तीनों महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्रों में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं देखी गई।***

क्षमता, वार्षिक व्यवसाय योजना और 2018-24 की अवधि के दौरान उत्पादन का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

तालिका 6.1: वर्ष 2018-24 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिलों का उत्पादन प्रदर्शन

(मात्रा मिलियन टन में)

भिलाई इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिलें	चालू होने का माह	इनपुट सामग्री	आउटपुट सामग्री	रेटेड क्षमता (2018-2024)	वार्षिक व्यवसाय योजना (2018-24)	उत्पादन (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना के संबंध में उपलब्धि का प्रतिशत
मर्चेंट मिल	फ़रवरी 1961	बिलेट	एंगल, राउंड, चैनल	3.00	3.78	3.28	86.77
वायर और रॉड मिल	सितंबर 1967	बिलेट	वायर रॉड, टीएमटी	3.30	2.80	2.10	75.00
रेल और संरचनात्मक मिल	अक्टूबर 1960	ब्लूम और बिलेट	रेल और स्ट्रक्चरल	4.50	4.74	3.74	78.90
प्लेट मिल	मार्च 1983	स्लैब	प्लेट	7.80	7.07	5.89	83.31
बार और रॉड मिल	सितंबर 2020	बिलेट	टीएमटी कॉइल, बार, वायर रॉड	3.23	3.01	2.92	97.01
बिलेट मिल	दिसंबर 1959	ब्लूम	बिलेट	3.00	2.60	2.26	86.92
ब्लूमिंग मिल	नवंबर 1959	इंगोट	ब्लूम	4.30	3.13	2.44	77.96
यूनिवर्सल रेल मिल	सितंबर 2018	ब्लूम	रेल	7.20	5.16	4.18	81.01
योग				36.33	32.29	26.81	83.03

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, वार्षिक व्यवसाय योजना और वार्षिक सांख्यिकी

भिलाई स्टील प्लांट की रोलिंग मिलों के संबंध में सामने आए कुछ मुद्दों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

क भिलाई इस्पात संयंत्र की यूनिवर्सल रेल मिल

कंपनी ने आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र में (दिसंबर 2016 में) यूनिवर्सल रेल मिल स्थापित की, जिसका उद्देश्य 130 मीटर/260 मीटर की विश्व की सबसे लंबी सिंगल रेल का निर्माण करना है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 12 लाख टन (एमटीपीए) है। इस मिल से भिलाई इस्पात संयंत्र की कुल स्थापित रेल निर्माण क्षमता बढ़कर दो एमटीपीए हो जाएगी, जिससे सतह की गुणवत्ता में सुधार होगा, अवशिष्ट तनाव कम होगा और सीधी रेखा में सुधार होगा।

भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनिवर्सल रेल मिल की स्थापना का ठेका (28 अगस्त 2010) ₹1,177 करोड़ के एक कंसोर्टियम को दिया गया था। हालांकि, मिल का परिचालन 21 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ, जो जून 2013 की निर्धारित तिथि से 41 महीने का विलंब[4] था। अंतिम विलंब विश्लेषण (मार्च 2022) के अनुसार, यूनिवर्सल रेल मिल के परिचालन में देरी का कारण बुनियादी इंजीनियरिंग ड्राइंग जमा करने में देरी, सिविल कार्य पूरा करने में विलंब, प्रबंधन द्वारा वांछित भंडारण अवसंरचना प्रदान करने में विफलता के कारण उपकरणों की आपूर्ति में विलंब और उपकरणों की स्थापना में विलंब था। इस प्रकार, 1,912 दिनों की पूरी विलंब अवधि (22 जून 2013 से 15 सितंबर 2018 तक) भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण थी। अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था, लेकिन अनुबंध का समापन अभी तक पूरा नहीं हुआ था (जनवरी 2026)। यूनिवर्सल रेल मिल के प्रदर्शन से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाये गए मुद्दों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

क.1 संविदात्मक दायित्वों को पूरा किए बिना कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करना

- यूनिवर्सल रेल मिल की स्थापना के लिए अनुबंध समझौते के खंड 1.3.1 के अनुसार, हॉट कमीशनिंग तब सफलतापूर्वक पूरी मानी जाएगी जब लगातार पांच दिनों के भीतर लगभग 10,000 टन व्यावसायिक रूप से स्वीकृत रेलों का उत्पादन हो जाए, जिसमें 52 किलोग्राम और 60 किलोग्राम की रेलें शामिल हों। यदि किसी भी कारण से, जो निविदाकार के कारण न हो, सफल कमीशनिंग की उपरोक्त प्रक्रिया स्थापित नहीं की जा सकी, तो निविदाकार को यह प्रदर्शित करना होगा कि यूनिवर्सल रेल मिल तीन शिफ्टों में प्रति घंटे डिजाइन के 66 प्रतिशत उत्पादन स्तर पर संचालित हो सकती है। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा 2 सितंबर 2020 को कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जो 15 सितंबर 2018 से प्रभावी है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- यह परीक्षण समझौते में निर्धारित पांच दिनों के बजाय आठ दिनों तक चला और लगातार पांच दिनों में 10,000 टन व्यावसायिक रूप से स्वीकृत रेल का उत्पादन

[4] ***यूनिवर्सल रेल मिल के चालू होने में देरी से संबंधित मुद्दे पर इससे पहले सीएजी रिपोर्ट संख्या 13, 2019 में चर्चा की गई थी।***

हासिल नहीं किया जा सका। प्रबंधन द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में असमर्थता के कारण पांच दिनों में परीक्षण पूरा नहीं हो सका और परिणामस्वरूप निविदाकार को छूट दी गई। इनपुट ब्लूम्स की गुणवत्ता में असंगति, सहायक पैकेजों की शेष सुविधाओं के चालू न होने और यूनिवर्सल रेल मिल के कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण तीन शिफ्टों में प्रति घंटे की 66 प्रतिशत क्षमता का अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया जा सका।

- यद्यपि भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यक्षेत्र में 52 किलोग्राम और 60 किलोग्राम दोनों प्रकार की रेलें शामिल थीं, फिर भी उसने 52 किलोग्राम रेल के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपेक्षित प्रदर्शन की आवश्यकता को माफ कर दिया। उसने (जनवरी 2019 में) आपूर्तिकर्ता को सूचित किया कि 52 किलोग्राम रेल से संबंधित सभी आवश्यक प्रदर्शन और सुविधाएं पूर्ण मानी जाएंगी और बिना किसी व्यावसायिक प्रभाव के अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। ऑडिट में पाया गया कि यह छूट इस तथ्य के बावजूद दी गई कि 52 किलोग्राम रेलें अभी भी एसएआईएल की अन्य रोलिंग मिलों द्वारा निर्मित और बेची जा रही हैं। इस प्रकार, इस छूट के कारण अनुबंध का क्षेत्र कम हो गया।

- भिलाई स्टील प्लांट द्वारा सितंबर 2018 से प्रभावी कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जो एल2 ऑटोमेशन, हॉट कमीशनिंग और हेड हार्डनिंग सुविधाओं (अप्रैल 2021/अक्टूबर 2023) जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के चालू होने से काफी पहले था।

- भिलाई इस्पात संयंत्र ने प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाणपत्र (31 जुलाई 2017, जो 11 मार्च 2017 से प्रभावी हुआ) जारी होने से पहले ही जोखिम हस्तांतरण प्रमाणपत्र के साथ 14 दिसंबर 2016 से यूनिवर्सल रेल मिल का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अधिग्रहण कर लिया था। परिणामस्वरूप, एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि 2017 में समाप्त हो गई, जिससे परियोजना के चालू होने (15 सितंबर 2018) से पहले निविदाकार सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया।

प्रबंधन ने (मार्च 2022) उत्तर दिया कि निविदाकार की गलती के बिना कारणों से काम पूरा होने में पाँच दिनों के बजाय लगभग आठ दिन लगे। इसके अलावा, निविदाकार ने

10,000 टन रेल की आवश्यकता पूरी कर दी थी। मंत्रालय ने (नवंबर 2022) आगे कहा कि अनुबंध के अनुसार, रेल के आकार नियोक्ता और निविदाकार के बीच आपसी सहमति से तय किए जाएंगे और ये प्रतिनिधि उत्पाद मिश्रण होंगे। तदनुसार, 52 किलोग्राम की रेल को कमीशनिंग के प्रदर्शन के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि निविदाकार को रेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए दिनों की संख्या में छूट दी गई थी और निविदाकार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से 52 किलोग्राम रेल की कमीशनिंग के प्रदर्शन से भी छूट दी गई थी। दिसंबर 2016 में इसकी स्थापना के बाद नौ साल बीत जाने के बावजूद, और भारतीय रेलवे को रेल की आपूर्ति के लिए इसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद, यूआरएम वर्षों से अपनी निर्धारित क्षमता या वार्षिक व्यवसाय योजना की मात्रा को पूरा करने में असमर्थ रहा है। हालांकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रदर्शन में सुधार का रुझान दिखा।

क.2 रेल के कम निर्माण के कारण योगदान में कमी

यूनिवर्सल रेल मिल की वार्षिक रेल उत्पादन क्षमता 12 लाख टन रेल निर्मित करने की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थिरीकरण के लिए प्रारंभिक वर्षों (2018-19 तक) को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक व्यवसाय योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 2019-20 से 2021-22 के दौरान यूनिवर्सल रेल मिल की स्थापित क्षमता का लगभग 66 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, मिल 2019-2024 के दौरान स्थापित क्षमता का केवल 50.37 प्रतिशत से 75.08 प्रतिशत और वार्षिक व्यवसाय योजना की मात्रा का 75.55 प्रतिशत से 96.45 प्रतिशत के बीच ही उत्पादन कर पाई। हालांकि, उत्पादन में वर्षों से वृद्धि देखी गई और यह 2022-23 में वार्षिक व्यवसाय योजना का 96.45 प्रतिशत और 2023-24 में 87.90 प्रतिशत तक पहुंच गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूनिवर्सल रेल मिल सात वर्षों के संचालन के बाद भी लक्षित उत्पादन हासिल नहीं कर पाई। इसे उत्पादन प्रक्रिया में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि कूलिंग बेड में जगह की कमी के कारण धीमी रोलिंग दर, कम लंबाई की रेलों का अधिक निर्माण आदि। इन बाधाओं के कारण निर्माण घंटों का नुकसान हुआ और परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई, जिसका विवरण नीचे पैरा 6.1.3.1 (ए.4 और ए.5)

में दिया गया है। वार्षिक व्यवसाय योजना से कम रेल निर्माण के कारण 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹1461.30 करोड़ के संभावित योगदान[5] का नुकसान हुआ

प्रबंधन ने (मार्च 2022) उत्तर दिया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद यूनिवर्सल रेल मिल का निर्माण बढ़ा दिया गया था और 2020-21 में वार्षिक व्यापार योजना के लक्ष्य का 89 प्रतिशत हासिल कर लिया गया था। मंत्रालय ने (नवंबर 2022) आगे कहा कि लंबी रेल पटरियों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए भारतीय रेलवे के भारी दबाव के कारण, भिलाई स्टील प्लांट ने मिल को स्थिर करने के लिए मूल उपकरण निर्माता से आवश्यक विदेशी विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के बावजूद उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, मिल के संचालन के दौरान प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए कुछ उपकरणों को स्थानांतरित/संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यद्यपि 2017-2024 के दौरान यूनिवर्सल रेल मिल की स्थापित क्षमता की तुलना में वार्षिक उत्पादन योजना काफी कम (52 से 86 प्रतिशत के बीच) निर्धारित की गई थी, फिर भी उत्पादन वार्षिक व्यवसाय योजना से कम रहा।

क.3 भारतीय रेलवे को रेल की कम आपूर्ति

भारतीय रेलवे द्वारा (जुलाई 2019) में देश में रेल की कुल आवश्यकता अगले दस वर्षों के लिए लगभग 1.69 से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था। उपरोक्त आवश्यकता के मुकाबले भिलाई इस्पात संयंत्र में रेल की निर्माण क्षमता 1.35 मिलियन टन प्रति वर्ष से 1.73 मिलियन टन प्रति वर्ष के बीच और 260 मीटर लंबी रेल के लिए 0.71 मिलियन टन से 1.17 मिलियन टन के बीच होने का अनुमान लगाया गया था।

[5] *योगदान = परिवर्तनीय लागत पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति*

तालिका 6.2: भारतीय रेलवे से प्राप्त रेल पटरियों की मांग और स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा आपूर्ति की गई रेल पटरियों की मात्रा

(मात्रा टन में)

वर्ष	भारतीय रेलवे से (टी) प्रारम्भिक थोक ऑर्डर प्राप्त हुआ	भारतीय रेलवे से प्राप्त रेल की अंतिम मांग (टन में)	भिलाई स्टील प्लांट (रेल और स्ट्रक्चरल मिल यूनवर्सल रेल मिल) द्वारा भेजी गई रेल की कुल मात्रा	सेल द्वारा आपूर्ति की गई रेलों का प्रतिशत	भारतीय रेलवे को रेल की अपर्याप्त आपूर्ति (टन)
2016-17	624516	10,04,660	6,12,905	61.01	3,91,755
2017-18	1145000	11,45,000	8,45,607	73.85	2,99,393
2018-19	1327024	15,22,906	9,20,080	60.42	6,02,826
2019-20	1204200	16,97,471	12,35,578	72.79	4,61,893
2020-21	1715000	11,85,353	10,88,340	91.82	97,013
2021-22	1197730	12,91,012	9,79,634	75.88	3,11,378
2022-23	1462194	12,53,227	11,68,653	93.25	84,574
2023-24	1412293	14,49,636	11,52,045	79.47	2,97,591
योग	**1,00,87,957**	**1,05,49,265**	**80,02,842**	**75.86**	**25,46,423**

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय रेलवे द्वारा 10.55 मिलियन टन रेल की मांग के मुकाबले, एसएआईएल/भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 2016-2024 के दौरान रेल की आपूर्ति 8 मिलियन टन थी। 2016-17 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल मांग[6] का 60.42 प्रतिशत (2018-19) और 93.25 प्रतिशत (2022-23) के बीच पूर्ति हुई। भारतीय रेलवे ने 2016-2024 के दौरान आठ में से पांच वर्षों में अंतिम मांग की मात्रा में वृद्धि की थी। 2020-21 और 2022-23 में अंतिम मांग में कमी आई, जबकि 2017-18 में प्रारंभिक और अंतिम मांग समान थी और रेल की औसत आपूर्ति 86 प्रतिशत थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (मार्च 2022/नवंबर 2022) उत्तर दिया कि भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष की शुरुआत में जारी की गई मांग में वर्ष के दौरान उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया गया। एसएआईएल बोर्ड इस मामले का गहन विश्लेषण कर

[6] पैरा 6.1.3.1(बी) में चर्चा की गई रेल और संरचनात्मक मिल (भिलाई स्टील प्लांट) से बिक्री सहित।

रहा था ताकि बाधाओं को दूर करने और यूनिवर्सल रेल मिल में उत्पादन बढ़ाने के लिए लंबित परियोजना चालू करने संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु कार्रवाई शुरू की जा सके।

इन प्रतिक्रियाओं को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि 2016-2024 के दौरान एसएआईएल भारतीय रेलवे को रेल की कुल मांग का औसतन केवल 75.86 प्रतिशत ही आपूर्ति कर सका। इसलिए, यदि बीएसपी (यूआरएम) के माध्यम से रेल का निर्माण बढ़ाने में विफल रहता है, तो एसएआईएल भारतीय रेलवे की भविष्य की आवश्यकता (2028-29 तक 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष) को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

क.4 कूलिंग बेड में स्थान की कमी के कारण धीमी गति से घूमने की दर एक रुकावट है

जब मिल में रोलिंग सुचारू रूप से चलती है लेकिन फिनिशिंग धीमी होती है या मिल में देरी के कारण फिनिशिंग क्षेत्र को रेल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो बफर ज़ोन की अनुपलब्धता के चलते औसत उत्पादन दर प्रभावित होती है। यूनिवर्सल रेल मिल के वाणिज्यिक संचालन के ढाई साल बाद (मई 2019) द्वितीय शीतलन/कूलिंग बेड स्थापित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया और व्यवहार्यता प्रतिवेदन को अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी गई।

सीईटी/एसएआईएल द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा कूलिंग बेड मिल[7] की उत्पादन दर और फिनिशिंग क्षेत्र की प्रसंस्करण दर के बीच असंतुलन को दूर कर सकता है और मिल तथा फिनिशिंग क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को भी कम कर सकता है। प्रतिवेदन में यह भी परिकल्पना की गई है कि चरण II की मंजूरी के 18 महीनों के भीतर ₹152.63 करोड़ की अनुमानित लागत से दूसरे कूलिंग बेड को चालू किया जाना था, जिससे प्राइम रेल के 260 मीटर वेल्डेड पैनल के उत्पादन में लगभग 11,925 टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी और प्रति वर्ष ₹40.92 करोड़ का अतिरिक्त योगदान प्राप्त होगा। प्रतिवेदन के अनुसार, यूनिवर्सल रेल मिल के आरंभ से ही दूसरे कूलिंग बेड की आवश्यकता का प्रस्ताव था और तदनुसार लेआउट में स्थान उपलब्ध कराया गया था तथा

[7] *दूसरा शीतलन/कूलिंग बेड हॉट रेल के लिए एक भंडारण बेड होगा। यह हाइड्रोलिक रूप से संचालित होगा और आगे-पीछे की गति के लिए विभिन्न फील्ड उपकरणों से प्राप्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।*

निर्माण और चालू करने की प्रक्रिया के तहत सिविल नींव का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान, कूलिंग बेड की अनुपलब्धता के कारण 3,840 उत्पादन घंटे बर्बाद हुए, जिसके परिणामस्वरूप 5.39 लाख टन रेल का उत्पादन नुकसान हुआ। इसके अलावा, कंपनी को ₹40.92 करोड़ के वार्षिक अंशदान का संभावित नुकसान भी हो रहा है।

प्रबंधन ने (मार्च 2022) में उत्तर दिया कि दूसरा कूलिंग बेड यूनिवर्सल रेल मिल पैकेज का हिस्सा नहीं था, लेकिन भविष्य में विस्तार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध स्थान का उपयोग बुनियादी सिविल नींव बनाने के लिए किया गया था। मंत्रालय ने (नवंबर 2022) में उत्तर दिया कि यूनिवर्सल रेल मिल उत्पादन को और बढ़ाने के लिए दूसरे कूलिंग बेड को चालू करने की योजना बना रही है। प्रबंधन ने (नवंबर 2024) में बताया कि यूनिवर्सल रेल और संरचनात्मक मिल की आगामी परियोजना के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि कूलिंग बेड की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन घंटों का नुकसान हुआ। सीईटी के व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार, दूसरे कूलिंग बेड के आने से इस नुकसान से बचा जा सकता था।

क.5 छोटी लंबाई की रेल पटरियों का निर्माण

(i) यूनिवर्सल रेल मिल में 130 मीटर लंबी रेल पटरियों का उत्पादन दो 130 मीटर लंबी रेल पटरियों को वेल्ड करके 260 मीटर लंबे वेल्डेड पैनलों के रूप में किया जाना था। हालांकि, पटरियों में किनारों पर खराबी के कारण 130 मीटर की प्राइम रेल का निर्माण कम था। भारतीय रेलवे ने (सितंबर 2017 में) भिलाई स्टील प्लांट को रेल पटरियों को अलग-अलग मानक लंबाई में काटने की अनुमति दी, ताकि 260 मीटर के वेल्डेड पैनल विभिन्न संयोजनों के साथ बनाए जा सकें। यह अनुमति उन स्थितियों से निपटने के लिए थी जहां पूरी 130 मीटर प्राइम रेल की लंबाई प्राप्त करना संभव नहीं था। हालांकि, यह अनुमति अस्थायी आधार पर थी, जब तक कि यूनिवर्सल रेल मिल में रेल रोलिंग प्रक्रिया स्थिर नहीं हो जाती और ब्लूम की लंबाई अनुकूलित नहीं हो जाती, और अतिरिक्त वेल्ड के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-2024 के दौरान उत्पादित रेल पटरियों का 48.80 प्रतिशत 130 मीटर श्रेणी का नहीं था और अधिकतम संभव मानक प्राइम लंबाई प्राप्त करने के लिए उन्हें स्क्रैप करना आवश्यक था, जिसके लिए अतिरिक्त लागत आई, जिसका भुगतान भारतीय रेलवे द्वारा नहीं किया गया। हालांकि, छोटी लंबाई की रेल पटरियों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में 2017-18 में 84 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 30.11 प्रतिशत हो गया।

(ii) रेल की अपेक्षित लंबाई, ब्लूम की लंबाई की तुलना में उसके वजन पर अधिक निर्भर करती है। इसलिए, ब्लूम की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें आवश्यक लंबाई की रेल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वजन हो। फसल कटाई के बाद 130 मीटर प्राइम रेल बनाने के लिए 134.5 मीटर से अधिक रेल रोल करने के लिए ब्लूम का वजन पर्याप्त होना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रीहीटिंग फर्नेस में प्राप्त ब्लूम की लंबाई कई बार निर्धारित लंबाई से कम थी। भिलाई स्टील प्लांट के औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग ने (फरवरी 2019 में) पाया कि 140 रोल्ड रेल में से केवल नौ ही 130 मीटर की वांछित लंबाई प्राप्त कर सकीं।

प्रबंधन ने (मार्च 2022) उत्तर दिया कि 130 मीटर लंबाई की प्राइम रेलों का निर्माण अधिकतम करने के लिए इस्पात क्षेत्र में कुछ प्रक्रिया सुधार, डिजाइन संशोधन और मिल में निरंतर प्रक्रिया निगरानी की गई है। 130 मीटर रेलों की प्राइम स्वीकृति को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाने के प्रयास जारी थे। मंत्रालय ने (नवंबर 2022) आगे कहा कि स्टील मेल्टिंग शॉप-III में लेजर-आधारित ब्लूम लंबाई मापन और कटिंग प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि ब्लूम की लंबाई और उसके वजन पर अधिक सटीक नियंत्रण हो सके।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने 2019-2029 तक अगले 10 वर्षों के लिए नई रेल पटरियों की अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाते हुए (जुलाई 2019 में) कहा था कि 80 से 90 प्रतिशत आवश्यकता 260 मीटर लंबे पैनलों की होगी। यह उल्लेखनीय है कि स्टील मेल्टिंग शॉप-III में लेजर-आधारित ब्लूम लेंथ मापन और कटिंग सिस्टम की स्थापना (अप्रैल 2023) के बाद, छोटी लंबाई की रेल पटरियों का उत्पादन काफी कम हो गया है और 2023-24 में यह लगभग 30 प्रतिशत था।

क.6 यूनिवर्सल रेल मिल के लिए पूर्ण होने के बाद के प्रतिवेदन का अंतिम रूप न दिया जाना

परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन में परियोजना के उद्देश्यों (तकनीकी और वाणिज्यिक) की प्राप्ति, समय और लागत में हुई वृद्धि (यदि कोई हो), परियोजना के क्रियान्वयन में आई कठिनाइयों, परियोजनाओं से सीखे गए सबक आदि का विस्तृत विश्लेषण शामिल होता है। ₹5 करोड़ और उससे अधिक की स्वीकृत लागत वाली सभी पूंजीगत योजनाओं के लिए परियोजना शुरू होने के एक वर्ष के भीतर पूर्णता प्रतिवेदन तैयार की जानी चाहिए और स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि, यूनिवर्सल रेल मिल के संबंध में पूर्णता प्रतिवेदन को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी था (जनवरी 2026)।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (मार्च 2022/नवंबर 2022) उत्तर दिया कि मिल के लिए समापन प्रतिवेदन अंतिम स्वीकृति परीक्षण प्रमाणपत्र और अनुबंध समापन के बाद ही अंतिम रूप दी जाएगी। प्रबंधन ने (फरवरी 2026) यह भी कहा कि ठेकेदार से बकाया न होने का प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है और इसके बाद अनुबंध समापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि परियोजना के उद्देश्यों की समग्र प्राप्ति का आकलन करने और परियोजना के कार्यान्वयन से सीखे गए सबक को आगे बढ़ाने के लिए समापन प्रतिवेदन को समय पर अंतिम रूप देना आवश्यक है। प्रबंधन अनुबंध समापन और समापन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।

ख भिलाई इस्पात संयंत्र की रेल और संरचनात्मक मिल

रेल एवं संरचनात्मक मिल की स्थापना अक्टूबर 1960 में हुई थी और यह रेल और संरचनात्मक सामग्री का उत्पादन करती है। यूनिवर्सल रेल मिल के साथ मिलकर, यह भारतीय रेलवे की रेल संबंधी मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

क) वर्ष 2018-2024 की अवधि के दौरान, रेल और संरचनात्मक मिल ने वार्षिक व्यवसाय योजना/परिप्रेक्ष्य का 79 प्रतिशत और निर्धारित क्षमता का 83 प्रतिशत हासिल किया।

यांत्रिक खराबी, रोल बदलने में देरी, ब्लूम्स की अनुपलब्धता और अन्य परिचालन बाधाओं के कारण उपलब्ध मिल घंटों का 34 प्रतिशत उपयोग में नहीं आया।

ख) वर्ष 2018-24 के दौरान रेल के लिए एक इनपुट सामग्री, 8.82 लाख टन ब्लूम्स की बिक्री हुई, हालांकि रेल के प्रति टन का योगदान ब्लूम्स की तुलना में लगातार अधिक रहा। वार्षिक व्यवसाय योजना/परिप्रेक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी के कारण संभावित योगदान हानि ₹1,534.25 करोड़ थी।

ग) उत्पादित 37.39 लाख टन रेल पटरियों में से 7.38 लाख टन (20 प्रतिशत) रेल पटरियां अंतिम चरण में ही अस्वीकृत कर दी गईं, जिनके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं थे। इनमें से 5.06 लाख टन रेल पटरियां अस्वीकृत थीं, जिससे मूल्य में भारी गिरावट आई। इसके अलावा, स्वीकार्य प्रक्रिया सीमाओं से अधिक स्केल निर्माण, कंकड़ और स्क्रैप उत्पादन के कारण उत्पादन मानक[8] भी प्राप्त नहीं हुए। अंतिम चरण में रेल पटरियों की गुणवत्ता में इतनी गिरावट रोलिंग परिशुद्धता में कमी को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप 2018-24 के दौरान ₹1583.32 करोड़[9] के राजस्व का संभावित नुकसान हुआ।

घ) महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होना: रेल एवं संरचनात्मक मिल में, ब्लूम्स को रफिंग, इंटरमीडिएट और फिनिशिंग स्टैंड से रोल करके भारतीय रेलवे द्वारा आवश्यक आयामों के अनुसार आकार दिया जाता है। निम्नलिखित परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से मिल के उत्पादन प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद मिलती:

- **वॉकिंग बीम फर्नेस**

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र ने पुशर-टाइप रीहीटिंग फर्नेस को बदलने के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन (मार्च 2018 और अगस्त 2020) प्रस्तुत किया, जिन पर प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौजूदा पुशर-टाइप रीहीटिंग फर्नेस को रेल और

[8] ***उत्पादन प्रति टन इनपुट सामग्री से निर्मित अंतिम उत्पादों की मात्रा है। इसकी गणना तैयार उत्पाद के वजन को उसके इनपुट वजन से भाग देकर की जाती है और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।***

[9] ***उच्च श्रेणी की रेल पटरियों की शुद्ध बिक्री प्राप्ति में से निम्न श्रेणी की रेल पटरियों की शुद्ध बिक्री प्राप्ति को घटाकर x 5,05,705 टन***

संरचनात्मक आवश्यकताओं के कड़े मानदंडों को पूरा करने के लिए आधुनिक नहीं बनाया गया था।

- **गैर-विनाशकारी परीक्षण सुविधाओं का प्रतिस्थापन**

मौजूदा गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) सुविधा (अगस्त 2004 में चालू) पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और टूट-फूट से ग्रस्त थी। व्यवहार्यता प्रतिवेदन (जुलाई 2021) में ₹11.22 करोड़ के वार्षिक सकल लाभ का अनुमान लगाया गया था। चरण I की मंजूरी (जुलाई 2022) प्राप्त हुई, लेकिन निविदा रद्द कर दी गई। चूंकि सभी लंबी रेलों के लिए एनडीटी मंजूरी आवश्यक है, इसलिए परीक्षण सुविधा को न बदलने से गुणवत्ता आश्वासन क्षमता सीमित हो गई।

भट्टी और एनडीटी अवसंरचना का आधुनिकीकरण न होने के कारण लगातार उच्च अस्वीकृति दर, कम उत्पादन और स्थापित रोलिंग क्षमता का कम उपयोग होता रहा।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि तराजू, अस्वीकृत माल, स्क्रैप, कंकड़ और निम्न गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। भारतीय रेलवे की हेड हार्डन्ड रेल की अनुमानित आवश्यकता को देखते हुए वॉकिंग बीम फर्नेस परियोजना और एनडीटी सुविधाओं के प्रतिस्थापन को फिलहाल रोक दिया गया है। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि रेल और संरचनात्मक मिल में वार्षिक व्यवसाय योजना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता होने के बावजूद, भारतीय रेलवे से शॉर्ट रेल के कम ऑर्डर के कारण उत्पादन को नियंत्रित किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मिल की उपज और प्रदर्शन में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देखा जा सकता है कि जैसा कि ऊपर पैरा 6.1.3.1(ए3) में उद्धृत किया गया है, एसएआईएल 2016-17 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे से कुल मांग का केवल 60.42 प्रतिशत (2018-19) और 93.25 प्रतिशत (2022-23) के बीच ही पूरा कर सका।

ग भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल

प्लेट मिल ने 2018-24 के दौरान वार्षिक व्यवसाय योजना का 83 प्रतिशत और निर्धारित क्षमता का 76 प्रतिशत हासिल किया। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- स्लैब और गैसों की आपूर्ति में कमी, यांत्रिक कारणों, रोल बदलने में विलंब आदि के कारण मिल 2018-24 के दौरान उपलब्ध घंटों का 22 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सकी।

- प्लेट मिल की मौजूदा भट्टियों की खराब स्थिति और कम औसत स्लैब वजन के कारण उन्हें 60/70 टन प्रति घंटे (टीपीएच) से अधिक संचालित नहीं किया जा सकता था। ईंधन की खपत अधिक होने (आधुनिक वॉकिंग बीम फर्नेस में 0.30 गैल्वन/टी की तुलना में 0.56 गैल्वन/टी) के परिणामस्वरूप स्लैब का असमान तापन, उच्च स्केल हानि, स्किड मार्क्स और स्लैब के चिपकने का खतरा था। 140 टीपीएच रीहीटिंग फर्नेस की स्थापना को सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (जून 2008) में शामिल किया गया था, लेकिन इस योजना को लागू नहीं किया गया।

  पुराने भट्टों के बंद होने और वॉकिंग बीम फर्नेस के फायदों को देखते हुए, वॉकिंग बीम फर्नेस की स्थापना के प्रयास (सितंबर 2012) में पुनः शुरू किए गए, जब सीईटी ने पहला व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सीईटी ने (फरवरी 2023) में सातवीं (अंतिम) व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 2012 में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारह साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, वॉकिंग बीम फर्नेस की स्थापना (जनवरी 2025) में नहीं हो पाई। रीहीटिंग फर्नेस की स्थापना न होने के कारण बीएसपी को सालाना ₹27.86 करोड़ के सकल मार्जिन का संभावित नुकसान हो रहा है।

  प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि प्लेट बाजार में प्रतिस्पर्धियों की बढ़ती संख्या और उनके बेहतर उत्पाद गुणवत्ता के कारण परियोजना पर पुनर्विचार किया गया था, लेकिन तकनीकी आवश्यकता के कारण इसे बाद में शुरू किया गया। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि निविदा आमंत्रण सूचना 7 अक्टूबर

2023 को जारी की गई थी और प्राप्त प्रस्तावों की तकनीकी रूप से जांच की जा रही थी।

इन उत्तरों को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि इसमें 2012 से 2023 के दौरान व्यवहार्यता प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में हुई देरी के कारणों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

- वर्ष 2018-24 के दौरान उत्पादित 58.92 लाख टन प्लेटों में से 6.18 लाख टन (10 प्रतिशत)[10] प्लेटें ऑर्डर में शामिल नहीं (एनसीओ) थीं। इसका मुख्य कारण स्लैब वजन मशीन की अनुपलब्धता थी, जिसके परिणामस्वरूप प्लेटों के आकार में विकृति आ गई, जिससे ₹149.30 करोड़[11] के राजस्व का संभावित नुकसान हुआ। मशीन का सर्वेक्षण 2006 में किया गया था, लेकिन 2013 तक इसका उपयोग जारी रहा और नई मशीन मार्च 2024 में स्थापित की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र (मार्च 2024) में चार वर्षों से अधिक समय से 1100 टन एनसीओ उत्पाद बिना बिके पड़े हैं।

मंत्रालय ने (जनवरी 2025) में उत्तर दिया कि एक नई स्लैब वजन मशीन चालू कर दी गई है (अप्रैल 2024)। इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि मौजूदा मशीन का सर्वेक्षण 2006 में किया गया था, लेकिन इसका उपयोग 2013 तक जारी रहा। स्लैब वजन मशीन को स्थापित करने में 11 वर्ष (2013 से 2024) लग गए, जिसके परिणामस्वरूप गैर-उपजाऊ उत्पादों के उत्पादन के कारण नुकसान हुआ।

- प्लेट उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री स्लैब को भी प्लेटों में परिवर्तित करने के बजाय सीधे बेच दिया गया। स्लैब की तुलना में प्लेटों से अधिक लाभ मार्जिन प्राप्त होता है और इसके अलावा, मिल में इनका उपयोग इनपुट सामग्री की अनुपलब्धता के कारण होने वाली उत्पादन देरी को भी कम कर सकता था। 2020-

10 ***वे तैयार उत्पाद जो तकनीकी वितरण शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और इस प्रकार मिल/स्टील में किसी दोष के कारण ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें ऑर्डर में शामिल नहीं माना जाता है।***

11 ***कुल एनसीओ उत्पादन को प्लेट की शुद्ध बिक्री प्राप्ति और बेची गई एनसीओ प्लेटों की शुद्ध बिक्री प्राप्ति के अंतर से गुणा करके गणना की जाती है।***

24 के दौरान, प्लेटों का प्रभावी ऑर्डर 20.82 लाख टन था, जबकि वास्तविक उत्पादन 17.50 लाख टन था, जिसके परिणामस्वरूप 3.33 लाख टन की कमी हुई। इस कमी को पूरा करने के लिए इनपुट सामग्री के रूप में 3.66 लाख टन स्लैब की आवश्यकता होती। 2020-24 के दौरान, 2.12 लाख टन स्लैब बेचे गए। स्लैब के इनपुट को इस प्रकार बदलने से 2020-24 के दौरान ₹1690.39 करोड़ के संभावित लाभ मार्जिन का नुकसान हुआ।

प्रबंधन (अगस्त 2024) ने बताया कि कोविड-19 के कारण उत्पादन और मांग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और प्लेटों की कम बाजार मांग के परिणामस्वरूप स्लैबों का रूपांतरण कम हुआ है, जिससे उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने और रसद प्रबंधन के लिए स्लैबों की बिक्री आवश्यक हो गई है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यदि संयंत्र ने प्लेटों की ऑर्डर की गई मात्रा प्राप्त कर ली होती, तो स्लैबों को बाहरी रूप से निपटाने की आवश्यकता और उससे संबंधित रसद प्रबंधन की समस्याएं संभवतः उत्पन्न नहीं होतीं।

घ मर्चेंट मिल, भिलाई स्टील प्लांट

- मर्चेंट मिल ने वर्ष 2018-24 के दौरान वार्षिक व्यवसाय योजना के उत्पादन का 87 प्रतिशत और निर्धारित क्षमता का 109 प्रतिशत हासिल किया। वार्षिक व्यवसाय योजना के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने का मुख्य कारण गैस सहित इनपुट सामग्रियों की अनुपलब्धता, रोल परिवर्तन में देरी, यांत्रिक देरी आदि, एनालॉग थायरिस्टर का प्रतिस्थापन न होना आदि था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- मर्चेंट मिल के 1डी से 12डी एनालॉग थाइरिस्टर कन्वर्टर[12] अप्रचलित हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप पुर्जों की खराबी, बार-बार खराबी, मिल का बंद होना और फलस्वरूप उत्पादन में हानि हुई। फरवरी 2013 में उपकरण का निरीक्षण किया गया था, लेकिन एनालॉग ड्राइव थाइरिस्टर सिस्टम को डिजिटल डायरेक्ट करंट

[12] ***यहां बारह स्टैंड हैं जिनका उपयोग विभिन्न संयोजनों में चैनल, एंगल, राउंड और टीएमटी को रोल आउट करने के लिए किया जाता है। इनमें डीसी मोटरों को नियंत्रित करने के लिए एनालॉग डीसी ड्राइव लगे हैं।***

ड्राइव प्रणाली से बदलने की परियोजना अभी तक लागू नहीं की गई थी (जनवरी 2026)।

- इसके अलावा, 2018-24 के दौरान अंतिम चरण में 25,149 टन स्केल, 18,869 टन अस्वीकृत सामग्री और 1,90,874 टन अपशिष्ट[13] उत्पन्न होने के कारण मिल 2021-23 के दौरान उत्पादन के मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी, जिनके लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं थे (अस्वीकृत को छोड़कर)। 2018-2024 के दौरान प्राप्त आय से व्यापारी मिल उत्पादों की तुलना में काफी कम शुद्ध बिक्री प्राप्ति हुई, जिसमें अंतर ₹6,352 प्रति टन से ₹10,798 प्रति टन तक रहा। अतः, इस आय के कारण ₹158.74 करोड़[14] के राजस्व अर्जित करने के अवसर का संभावित नुकसान हुआ।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि ड्राइव को बदलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्केल जनरेशन मुख्य रूप से पुशर प्रकार की भट्टियों की पुरानी तकनीक के कारण था। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि लक्ष्य और उत्पादन क्षमता से अधिक है। मंत्रालय ने आगे कहा कि मौजूदा ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए निविदा विनिर्देशन प्रक्रियाधीन है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि यद्यपि मर्चेंट मिल का उत्पादन उसकी क्षमता से अधिक था, फिर भी वह लक्ष्य का केवल 87 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका। इसके अलावा, उपज का उत्पादन 2018-19 में 4.69 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 7.21 प्रतिशत हो गया है।

6.1.3.2 बोकारो इस्पात संयंत्र

बोकारो इस्पात संयंत्र अपने चार रोलिंग मिलों से हॉट रोल्ड कॉइल, प्लेट, शीट, कोल्ड रोल्ड कॉइल, गैल्वनाइज्ड प्लेन और नालीदार शीट का निर्माण करता है। वर्ष 2018-24 के दौरान

[13] *अराइजिंग- अराइजिंग 6 मीटर से कम लंबाई की बेली हुई छड़ें होती हैं।*

[14] *व्यापारी मिल उत्पादों की शुद्ध बिक्री प्राप्ति माइनस प्राप्तियों की शुद्ध बिक्री प्राप्ति* 1,90,874 टन*

रोलिंग मिलों की रेटेड क्षमता, वार्षिक व्यवसाय योजना लक्ष्य और उत्पादन निम्नलिखित थे:

तालिका 6.3: बोकारो इस्पात संयंत्र के रोलिंग मिलों का उत्पादन प्रदर्शन वर्ष 2018-24 के दौरान

(मात्रा मिलियन टन में)

बोकारो स्टील प्लांट की रोलिंग मिलें	चालू होने का महीना	इनपुट सामग्री	आउटपुट सामग्री	रेटेड क्षमता (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना (2018-24)	उत्पादन (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना के संबंध में उपलब्धि का प्रतिशत
हॉट स्ट्रिप मिल	अक्टूबर 1975	स्लैब	हॉट रोल्ड कॉइल	27.00	25.20	22.17	87.98
हॉट रोल्ड कॉइल फिनिशिंग लाइन	जनवरी 1976	हॉट रोल्ड कॉइल	हॉट रोल्ड प्लेट/शीट	7.20	3.29	2.98	90.58
कोल्ड रोलिंग मिल -I और II	दिसंबर 1976	हॉट रोल्ड कॉइल	कोल्ड रोल बिक्री योग्य	9.96	4.94	2.87	58.10
कोल्ड रोलिंग मिल -III	अगस्त 2015	हॉट रोल्ड कॉइल	कोल्ड रोल बिक्री योग्य	7.20	5.32	3.33	62.59
				51.36	**38.75**	**31.35**	**80.90**

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, वार्षिक व्यवसाय योजना और वार्षिक सांख्यिकी

भिलाई इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिलों के संबंध में सामने आए कुछ मुद्दों पर आगे के पैरा में चर्चा की गई है।

क बोकारो इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल

बोकारो स्टील प्लांट में हॉट स्ट्रिप मिल वर्ष 2018-2024 की अवधि के दौरान उपलब्ध घंटों का 27 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सकी और वार्षिक व्यवसाय योजना में परिकल्पित लक्षित उत्पादन का केवल 87.96 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी। इसका मुख्य कारण रोल बदलने में देरी, यांत्रिक, विद्युत, परिचालन संबंधी कारण, गैस की कमी आदि थे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- बोकारो इस्पात संयंत्र को 4.5 मिलियन टन की निर्धारित क्षमता के अनुसार एचआर कॉइल के उत्पादन के लिए लगभग 4.66 मिलियन टन स्लैब की आवश्यकता होती है। हालांकि, इसने 2018-2024 के दौरान औसतन 3.86 मिलियन टन स्लैब का उत्पादन किया। इसके अलावा, संयंत्र ने उपरोक्त अवधि के दौरान हॉट स्ट्रिप मिल

से उत्पादित 12.10 मिलियन टन हॉट रोल्ड कॉइल[15] (हॉट रोल्ड कॉइल के उत्पादन का 48.88 प्रतिशत से 57.45 प्रतिशत) की बिक्री की, जबकि वांछित मात्रा में इनपुट सामग्री की कमी के कारण हॉट रोल्ड कॉइल फिनिशिंग लाइन, कोल्ड रोलिंग मिल I और II तथा कोल्ड रोलिंग मिल III का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। इनपुट सामग्री की कमी के कारण रंगीन लेपित स्टील उत्पादों और कोल्ड रोल्ड उत्पादों जैसे उत्पादों का उत्पादन कम हुआ, जिनका योगदान अधिक था।

- वर्ष 2018-2024 के दौरान मिल का उत्पादन सामान्य से कम रहा। 22.17 मिलियन टन उत्पादन में से 0.81 मिलियन टन दोषपूर्ण/घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद उत्पादित हुए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-2024 के दौरान ₹327.55 करोड़ के राजस्व का संभावित नुकसान हुआ।

- वार्षिक व्यापार योजना के अनुसार उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-2024 की अवधि के दौरान ₹4,504.07 करोड़[16] के संभावित योगदान का नुकसान हुआ।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि स्लैब का कम उत्पादन हॉट स्ट्रिप मिल से हॉट रोल्ड कॉइल के कम उत्पादन का मुख्य कारण था। हॉट स्ट्रिप मिल ने कम रोलिंग में योगदान देने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि रोलिंग के घंटे कम होने का कारण स्वचालन संबंधी समस्याएं, बैकअप रोल की कमी और बिजली कटौती थी। हॉट रोल्ड कॉइल की सीधी बिक्री की योजना लगभग 50 प्रतिशत थी, जबकि बाकी 50 प्रतिशत प्लेट शीट और कोल्ड रोल्ड उत्पादन के लिए थी।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि स्लैब की उपलब्धता लगातार कम रही है और हॉट रोल्ड कॉइल्स के नियोजित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए स्लैब की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे अन्य मिलों के लिए आवश्यक कॉइल्स की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके। निचली मिलों को कॉइल्स की अधिक आपूर्ति से इनपुट

[15] **एचआर कॉइल को इसी रूप में बेचा जा सकता है और आगे भी संसाधित किया जा सकता है।**

[16] **अंशदान हानि की गणना एबीपी के संबंध में उत्पादन में वर्षवार कमी को अंशदान मार्जिन से गुणा करके की गई है।**

सामग्री की कमी के कारण मिलों में होने वाले उत्पादन नुकसान को सीमित किया जा सकेगा।

> **अनुशंसा 16:** कंपनी हॉट स्ट्रिप मिल के उत्पादन में बाधा डालने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए प्रयास करे, जिससे हॉट स्ट्रिप मिल पर निर्भर अन्य मिलें भी प्रभावित होती हैं, ताकि हॉट रोल्ड कॉइल/प्लेट/शीट और कोल्ड रोल्ड उत्पादों जैसे तैयार इस्पात उत्पादों की बिक्री से अपने राजस्व को अनुकूलित किया जा सके।

ख बोकारो इस्पात संयंत्र की कोल्ड रोलिंग मिल-III

बोकारो स्टील प्लांट में 1.2 मिलियन टन की रेटेड क्षमता वाली कोल्ड रोलिंग मिल-III स्थापित की गई थी, जिसका उपयोग बिना कोटिंग वाले ऑटोमोटिव ग्रेड/उच्च शक्ति वाले स्टील कॉइल और हॉट डिप गैल्वनाइज्ड कॉइल के उत्पादन के लिए किया जाता था। मिल ने 2018-24 के दौरान वार्षिक व्यवसाय योजना की मात्रा का 62.59 प्रतिशत उत्पादन किया। परिचालन, यांत्रिक, विद्युत और तकनीकी कारणों से हुई देरी के अलावा, इनपुट सामग्री की अनुपलब्धता के कारण मिल उपलब्ध घंटों का 42.71 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- मिल निर्धारित उत्पादन मानकों को पूरा नहीं कर पाई और 3.33 लाख टन में से 0.21 लाख टन (6.30 प्रतिशत) कम गुणवत्ता वाले उत्पाद उत्पादित हुए, जिसके परिणामस्वरूप 152.39 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। प्रबंधन द्वारा निर्धारित 2.2 प्रतिशत के मानक के मुकाबले 2018-24 के दौरान पप कॉइल[17] का उत्पादन 2.39 से 3.97 प्रतिशत के बीच रहा। मानक से अधिक पप कॉइल उत्पादन के कारण ₹5.67 करोड़ के राजस्व का संभावित नुकसान हुआ।

- कोल्ड रोलिंग मिल-III की पिकलिंग लाइन और टैन्डम कोल्ड मिल (पीएलटीसीएम) को ₹694.31 करोड़ की लागत से (जुलाई 2015) में चालू किया गया था। लेजर वेल्डर सुविधा के संचालन में कई दोषों के कारण, कॉइल की पट्टियाँ बार-बार टूट रही थीं और पीएलटीसीएम सुविधा के तकनीकी अनुबंध नियमावली में निर्दिष्ट संचालन प्रक्रियाओं के विपरीत, उत्पादन प्रक्रिया को मैन्युअल वेल्डिंग में परिवर्तित

[17] *एक छोटी सी कॉइल जिसमें आमतौर पर ऐसे दोष होते हैं जो औसत ग्राहक को स्वीकार्य नहीं होते।*

करना पड़ा। वेल्डिंग मशीन के खराब प्रदर्शन के कारण एंट्री साइकिल का समय अधिक हो गया और मिल को एकसमान और निर्धारित गति और स्वचालन मोड पर लगातार संचालित नहीं किया जा सका। पिछले पाँच वर्षों में सीआर कॉइल का उत्पादन 1099 घंटे तक बाधित रहा, जिसके परिणामस्वरूप 1.35 लाख टन सीआर उत्पादों के उत्पादन का नुकसान हुआ। इसके अलावा, 2018-24 के दौरान मैन्युअल वेल्डिंग पर ₹2.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

- गैल्वनाइज्ड/गैल्वनील्ड कॉइल्स के निर्माण के लिए जिंक कोटिंग हेतु 3.60 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली हॉट डिप गैल्वनाइजिंग लाइन (सीआरएम-III की एक इकाई) जून 2018 में चालू की गई थी। भट्टी के अंदर दबाव में गिरावट का पता चला (अगस्त 2018), जिसके परिणामस्वरूप 12 अगस्त 2018 से 25 जनवरी 2020 तक (12,792 घंटे) हॉट डिप गैल्वनाइजिंग लाइन को जबरन बंद करना पड़ा। रेडिएंट ट्यूब की समय से पहले विफलता के विश्लेषण से पता चला कि उपलब्ध मिश्रित गैस स्थापित रेडिएंट ट्यूबों के लिए उपयुक्त नहीं थी और उपलब्ध मिश्रित गैस के लिए सामग्री में बदलाव की आवश्यकता थी। चूंकि चालू करने में देरी बोकारो स्टील संयंत्र के कारण हुई थी और दोष देयता अवधि (मई 2018) समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कंपनी ने ₹1.52 करोड़ खर्च करके दोषों का निवारण किया। हॉट डिप गैल्वनाइजिंग लाइन से उत्पादन (जनवरी 2020) में पुनः शुरू हुआ। हालांकि, नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण कोटिंग में खराबी और अस्वीकृति की वजह से उत्पादन लाइन 12 महीनों तक बंद रही, जिसमें तीन-चार महीने का अंतराल भी शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुपयुक्त गैस के उपयोग से रेडिएंट ट्यूब क्षतिग्रस्त हो गईं और गैल्वनाइज्ड उत्पादों/ऑटो ग्रेड स्टील का उत्पादन कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 2018-24 के दौरान उपलब्ध 35 प्रतिशत ऑर्डर पूरे नहीं हो सके।

- वार्षिक व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य की तुलना में कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 2018-2024 की अवधि के दौरान ₹3,181.43 करोड़[18] के संभावित योगदान का नुकसान हुआ।

---

[18] ***एबीपी के संबंध में उत्पादन में वर्षवार कमी को अंशदान मार्जिन से गुणा करके गणना की जाती है।***

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि उत्पादन बढ़ाने, उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट को कम करने और इनपुट सामग्री में सुधार करने के लिए उपाय किए गए हैं। उसने आगे कहा कि इनपुट की कमी के कारण वह ऑटो ग्रेड स्टील का उत्पादन करने में असमर्थ है, जिसे प्रस्तावित नए स्टील मेल्टिंग शॉप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि सीआरएम-III से उत्पादन बढ़ रहा है और लेजर वेल्डर की समस्याओं को हल करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रक्रियाधीन है। हॉट डिप गैल्वनाइजिंग लाइन का उत्पादन पिछले एक वर्ष में बढ़ा है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि लेजर वेल्डर की समस्या का समाधान अभी तक (मार्च 2024) नहीं हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट के ब्राउनफील्ड विस्तार का प्रस्ताव अनुमोदन चरण में था (बोर्ड द्वारा जनवरी 2025 में प्रथम चरण का अनुमोदन हो चुका था, लेकिन अंतिम परियोजना अनुमोदन लंबित था (अक्टूबर 2025) और परियोजना के अनुमोदन के बाद भी इसके कार्यान्वयन में तीन से चार वर्ष लगेंगे।

6.1.3.3 राउरकेला इस्पात संयंत्र

राउरकेला स्टील प्लांट अपने आठ रोलिंग मिलों से हॉट और कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है। राउरकेला स्टील प्लांट के रोलिंग मिलों की रेटेड क्षमता, वार्षिक व्यवसाय योजना लक्ष्य और 2018-2024 की अवधि के दौरान उत्पादन निम्नलिखित हैं:

तालिका 6.4: राउरकेला इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिलों का उत्पादन प्रदर्शन, वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान

(मात्रा मिलियन टन में)

राउरकेला स्टील प्लांट की रोलिंग मिलें	चालू होने का महीना	इनपुट सामग्री	आउटपुट सामग्री	रेटेड क्षमता (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना (2018-24)	उत्पादन (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना के संबंध में प्रतिशत उपलब्धि
हॉट स्टील मिल-I	फरवरी 1961	स्लैब	हॉट रोल्ड कॉइल, प्लेट और शीट	9.90	6.67	7.47	111.99
हॉट स्ट्रिप मिल-II	मार्च 2022	स्लैब	हॉट रोल्ड कॉइल	17.64	4.68	4.14	88.46
प्लेट मिल	सितंबर 1960	स्लैब	प्लेट	2.04	2.95	2.72	92.20
नई प्लेट मिल	नवंबर 2016	स्लैब	प्लेट	5.52	5.43	5.20	95.76

राउरकेला स्टील प्लांट की रोलिंग मिलें	चालू होने का महीना	इनपुट सामग्री	आउटपुट सामग्री	रेटेड क्षमता (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना (2018-24)	उत्पादन (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना के संबंध में प्रतिशत उपलब्धि
कोल्ड रोलिंग मिल	जून 1961	एचआर कॉइल	गैल्वनाइज्ड कोइल/शीट	0.96	0.86	0.58	67.44
सिलिकॉन स्टील मिल	अक्टूबर 1984	एचआर कॉइल	कोल्ड रोल्ड कॉइल	0.42	0.35	0.29	82.86
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप प्लांट	अक्टूबर 1960	एचआर कॉइल	ईआरडब्ल्यू पाइप	0.48	0.26	0.20	76.92
स्पाइरल वेल्डेड पाइप प्लांट	जून 1976	एचआर कॉइल	स्पाइरल वेल्डेड पाइप	0.36	0.15	0.14	93.33
कुल				**37.32**	**21.33**	**20.75**	**97.28**

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, वार्षिक व्यवसाय योजना और वार्षिक सांख्यिकी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राउरकेला स्टील प्लांट की कोल्ड रोलिंग मिल, सिलिकॉन स्टील मिल और पाइप प्लांट जैसी फिनिशिंग मिलों में योजना से कम उत्पादन का मुख्य कारण इनपुट सामग्री यानी हॉट रोल्ड कॉइल की कम आपूर्ति थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2018-24 के दौरान हॉट स्ट्रिप मिल- I और II से उत्पादित 9.19 मीट्रिक टन (68 और 83 प्रतिशत) हॉट रोल्ड कॉइल की बिक्री हुई। तैयार उत्पादों (गैल्वनाइज्ड उत्पाद/गैल्वनाइज्ड नालीदार शीट, कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेड वेल्डेड पाइप, स्पाइरल वेल्डेड पाइप) का योगदान हॉट रोल्ड कॉइल के योगदान से कभी-कभी अधिक रहा। इसलिए, वार्षिक व्यापार योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिनिशिंग मिलों को वांछित मात्रा में हॉट रोल्ड कॉइल उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी।

प्रबंधन/मंत्रालय (अगस्त 2024/जनवरी 2025) ने कार्यान्वयन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन पर ध्यान दिया।

क नई प्लेट मिल

राउरकेला स्टील प्लांट की नई प्लेट मिल को (नवंबर 2016 में) बिना नॉर्मलाइज़िंग सुविधा के चालू किया गया था। नॉर्मलाइज़्ड प्लेटों[19] की बेहतर तन्यता और प्रभाव रोधकता के कारण बाज़ार में इनकी मांग अधिक होती है और शुद्ध बिक्री मूल्य भी अधिक होता है। संयंत्र के दूसरे चरण के विस्तार के तहत नॉर्मलाइज़िंग सुविधा की परिकल्पना की गई थी।

19 ***मानकीकृत प्लेटों में बेहतर तन्यता और प्रभाव प्रतिरोधकता होती है, जो बॉयलर और दबाव पात्रों आदि के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं।***

लेकिन बाज़ार में नॉर्मलाइज़्ड प्लेटों की अच्छी बिक्री को देखते हुए, दूसरे चरण के विस्तार से पहले ही इसे लागू कर लिया गया। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र को परियोजना के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में पांच साल (जनवरी 2015 से फरवरी 2020) का समय लगा, जिसमें अलग शॉट ब्लास्टिंग सुविधाओं की स्थापना, लेवलर क्षमता, लागत और तकनीकी-आर्थिक पहलुओं से संबंधित समीक्षाओं और सुझावों के कारण पांच बार संशोधन[20] किए गए।

- सेल बोर्ड ने (अप्रैल 2021) में नई प्लेट मिल में नॉर्मलाइज़िंग सुविधा स्थापित करने के लिए प्रथम चरण की मंज़ूरी दी थी, जिसकी अनुमानित लागत ₹314.21 करोड़ थी और वार्षिक सकल लाभ मार्जिन ₹70.16 करोड़ थी। मई 2021 में जारी वैश्विक निविदा जून 2022 में रद्द कर दी गई थी क्योंकि दोनों बोलीदाताओं ने वाणिज्यिक नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया था।

- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र ने जनवरी 2023 में व्यवहार्यता प्रतिवेदन, तकनीकी विनिर्देश और पात्रता मानदंड को संशोधित किया, जिसमें निर्धारित समापन अवधि 23 महीने से बढ़ाकर 28 महीने कर दी गई और अनुमानित लागत ₹412.26 करोड़ कर दी गई। जनवरी 2023 में परियोजना के लिए पुनः निविदा जारी की गई, जिसमें उन्हीं बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। प्रथम चरण की स्वीकृति ₹314.21 करोड़ की सांकेतिक लागत पर दी गई थी, जबकि एल1 बोली के आधार पर अंतिम पूंजी लागत प्रथम चरण की लागत से लगभग दोगुनी थी। निदेशक मंडल की समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते हुए समय अंतराल और लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा और सलाह दी कि राउरकेला स्टील प्लांट की भविष्य की ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड विस्तार योजना के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए।

- परियोजना की मंज़ूरी में विलंब के कारण 2021-24 के दौरान अनुमानित ₹70.16 करोड़ के वार्षिक सकल लाभ मार्जिन का नुकसान हुआ। बाजार में मानकीकृत प्लेटों की मांग के बावजूद कंपनी निर्धारित अनुसार उनकी आपूर्ति करने में भी असमर्थ रही।

---

[20] ***पहली व्यवहार्यता प्रतिवेदन मई 2015 में, दूसरी जून 2015 में, तीसरी मार्च 2017 में, चौथी जनवरी 2020 में और पाँचवीं फरवरी 2020 में प्रकाशित हुई।***

प्रबंधन/मंत्रालय ने (अगस्त 2024/जनवरी 2025) उत्तर दिया कि नॉर्मलाइज़िंग सुविधा की स्थापना को नई प्लेट मिल की भावी विस्तार योजना के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन और निविदा को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि हुई थी, जिसे निदेशक मंडल की समिति ने (सितंबर 2023) चिंता के साथ नोट किया था।

ख कोल्ड रोलिंग मिल

राउरकेला इस्पात संयंत्र की कोल्ड रोलिंग मिल को गैल्वनाइज्ड कॉइल/शीट के उत्पादन के लिए (जून 1961) में चालू किया गया था। 2018-2024 की अवधि के दौरान, मिल नियोजित उत्पादन का केवल 67.44 प्रतिशत ही उत्पादन कर सकी और यह कमी मुख्य रूप से इनपुट सामग्री की अनुपलब्धता के कारण थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें नोट कीं:

- मिल के कुल उत्पादन का 8.26 प्रतिशत (47,970 टन) निम्न गुणवत्ता वाले और अस्वीकृत उत्पादों का था। जून 1961 में इसके चालू होने के बाद, अंतिम विस्तार कार्य (फरवरी 1968) में किया गया था। तकनीकी अप्रचलन और मशीनरी के पुराने होने के कारण पुर्जों की उपलब्धता कम थी और मिल नियोजित उत्पादन हासिल करने में असमर्थ रही, जिसके परिणामस्वरूप निम्न गुणवत्ता वाले और अस्वीकृत उत्पादों का उत्पादन अधिक हुआ। परिणामस्वरूप, 2018-2024 के दौरान ₹73.05 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

- स्वचालन के अभाव में, मिलें मैन्युअल माध्यम में संचालित की जा रही थीं। केंद्रीय विपणन संगठन (सीईटी), एसएआईएल को (फरवरी 2016) नई कोल्ड रोलिंग मिल और मौजूदा कोल्ड रोलिंग मिल के उन्नयन के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। सीईटी, एसएआईएल ने (अक्टूबर 2016) मूल्यवर्धित घटकों और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने और कोल्ड रोलिंग मिल उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक नए कोल्ड रोलिंग मिल परिसर की स्थापना की सिफारिश की। केंद्रीय विपणन संगठन (एससीआईएल) को (जुलाई 2022) प्रस्तावित नई कोल्ड रोलिंग मिल के उत्पाद मिश्रण और क्षमता का आकलन करने के लिए बाजार

का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था, जिसने (सितंबर 2022) रंगीन लेपित उत्पादों के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर, सीईटी को (मार्च 2023) व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने (अक्टूबर 2023) व्यवहार्यता प्रतिवेदन का मसौदा प्रस्तुत किया। व्यवहार्यता प्रतिवेदन का मसौदा (जनवरी 2025) समीक्षाधीन था।

मंत्रालय ने जनवरी 2025 में उत्तर दिया कि नई कोल्ड रोलिंग मिल की व्यवहार्यता प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यद्यपि सीईटी ने (अक्टूबर 2016) में नए कोल्ड रोलिंग मिल परिसर की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन नौ साल बीत जाने के बाद भी (जनवरी 2025) तक प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

6.1.3.4 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार (टीएमटी), चैनल, एंगल जैसे बड़े उत्पादों का उत्पादन करता है और साथ ही अपने चार रोलिंग/फिनिशिंग मिलों से भारतीय रेलवे को जाली और मशीनीकृत रेलवे पहिए और धुरे की आपूर्ति भी करता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रोलिंग मिलों के वार्षिक व्यापार योजना लक्ष्य, रेटेड क्षमता और 2018-24 की अवधि के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6.5: वर्ष 2018-24 के दौरान दुर्गापुर स्टील प्लांट की रोलिंग मिलों का उत्पादन प्रदर्शन

(मात्रा मिलियन टन में)

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिलें	चालू होने का महीना	इनपुट सामग्री	आउटपुट उत्पाद	प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता	वार्षिक व्यवसाय योजना (2018-24)	उत्पादन (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना के संबंध में उपलब्धि का प्रतिशत
मर्चेंट मिल	मई 1961	बिल्लेट्स	टीएमटी बार	2.16	2.22	2.19	98.65
सेक्शन मिल	फरवरी 1961	फूल	एंगल, चैनल और जॉइस्ट	1.26	0.78	0.78	100
व्हील और एक्सल प्लांट	जनवरी 1962	गोल फूल	पहिया और धुरी	0.18	0.18	0.14	77.78

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की रोलिंग मिलें	चालू होने का महीना	इनपुट सामग्री	आउटपुट उत्पाद	प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता	वार्षिक व्यवसाय योजना (2018-24)	उत्पादन (2018-24)	वार्षिक व्यवसाय योजना के संबंध में उपलब्धि का प्रतिशत
	नवंबर 1961						
मीडियम संरचनात्मक मिल	अभी तक नहीं*	फूल	एंगल, बीम और चैनल	6.00.00	2.73	2.12	77.66
योग	-	-	-	**9.60**	**5.91**	**5.23**	**88.49**

* *उत्पादन जनवरी 2016 से शुरू हुआ।*

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, वार्षिक व्यवसाय योजना और वार्षिक सांख्यिकी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि तैयार स्टील का योगदान अर्ध-निर्मित स्टील (ब्लूम्स और बिलेट्स) से अधिक था, फिर भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने 2018-24 के दौरान तैयार इस्पात की तुलना में अर्ध-निर्मित स्टील की अधिक बिक्री की। संयंत्र की कुल बिक्री में अर्ध-निर्मित स्टील की बिक्री 58.82 प्रतिशत से अधिक थी। एसएआईएल बोर्ड ने (जुलाई 2020 में) अर्ध-निर्मित स्टील की बिक्री कम करने और मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की सलाह भी दी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसएआईएल बोर्ड के निर्देश के बावजूद, 2018-2024 के दौरान अर्ध-निर्मित इस्पात की बिक्री तैयार इस्पात की बिक्री से अधिक रही। अर्ध-निर्मित इस्पात को तैयार इस्पात में परिवर्तित करने की दर बढ़ाने के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (अक्टूबर 2014) द्वारा 0.6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली नई मर्चेंट मिल (एक प्रकार की बार मिल) की स्थापना के प्रस्ताव को 2016-2019 के दौरान तीन बार संशोधित किया गया। चरण-I की मंजूरी (सितंबर 2021) ₹698.25 करोड़ के अपेक्षित वार्षिक सकल लाभ मार्जिन के साथ दी गई। 1 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली बार मिल का अनुबंध (अक्टूबर 2024) जारी किया गया और एक अन्य 0.4 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली बार मिल के लिए निविदा (नवंबर 2024) जारी की गई। ये परियोजनाएं अभी तक चालू नहीं हो पाई थीं (जनवरी 2026) और एसएआईएल अपेक्षित वार्षिक सकल लाभ मार्जिन को प्राप्त नहीं कर सका ।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024 में) उत्तर दिया कि मौजूदा मर्चेंट मिल के साथ-साथ दोनों मिलों के कार्यान्वयन और स्थिरीकरण के बाद, दुर्गापुर स्टील प्लांट अर्ध-उपकरणों के पूर्ण उपयोग को प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि नई बार मिल की स्थापना के प्रस्ताव, हालांकि अक्टूबर 2014 में परिकल्पित किए गए थे, अभी तक (जनवरी 2026) स्थापित नहीं किए गए थे। इन परियोजनाओं के शीघ्र संचालन से अर्ध-परिसंचारी मशीनों का बेहतर उपयोग होगा और परिकल्पित उच्च सकल लाभ सुनिश्चित होगा।

क दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का व्हील और एक्सल संयंत्र

व्हील एंड एक्सल प्लांट प्रतिवर्ष 70,000 पहिए और 12,000 धुरा/एक्सेल का उत्पादन कर सकता है। यह मिल फोर्ज्ड और मशीनीकृत पहिए और धुरे बनाती है, जिनमें लोकोमोटिव, ब्रेक गैंगवे (बीजी) कोच और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) कोच के पहिए शामिल हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (2020-21) लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच और मेट्रो कोच के लिए पहिए बना रहा था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- परिचालन, यांत्रिक और विद्युत कारणों, मिल की उम्र बढ़ने, मिल में खराबी, स्टील में खराबी और अल्ट्रासोनिक परीक्षण के दौरान उच्च अस्वीकृति के कारण व्हील संयंत्र और एक्सल संयंत्र क्रमशः उपलब्ध घंटों का 38 प्रतिशत और 84 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सके।

- व्हील और एक्सल संयंत्र में मशीनिंग और पूर्ण होने के स्तर पर अस्वीकृती मानक से अधिक था। 60 प्रतिशत के उत्पादन मानक के मुकाबले, व्हील्स का उत्पादन 44 से 51 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि 2018-24 के दौरान एक्सल का उत्पादन 42.20 से 55.50 प्रतिशत के बीच था। इसके परिणामस्वरूप 32,236 टन व्हील्स और 2,336 टन एक्सल का उत्पादन कम हुआ, जिससे ₹475.62 करोड़ के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। अस्वीकृति की उच्च दर संयंत्र के पुराने होने, प्रेस और रोलिंग मिल में खराबी और इस्पात की गुणवत्ता में दोष के कारण थी। रेलवे द्वारा विनिर्देशों में बदलाव, नए प्रकार के व्हील्स की शुरुआत आदि के कारण भी संयंत्र के उत्पादन पर असर पड़ा।

- (अक्टूबर 2015) में एक ब्लूम-कम-राउंड कास्टर चालू किया गया, जिसका उद्देश्य माध्यम संरचनात्मक मिल को ब्लूम और व्हील एंड एक्सल संयंत्र को राउंड की आपूर्ति करना था। यद्यपि कास्टर की वार्षिक क्षमता 1.37 लाख टन राउंड की ढलाई करने की थी, फिर भी 2018-24 के दौरान उत्पादन स्थापित क्षमता के 2 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच रहा। ब्लूम-कम-राउंड कास्टर के कम उपयोग के कारण, प्रबंधन ने व्हील निर्माण के लिए राउंड की आवश्यकता को बॉटम पोरिंग विधि से पूरा करना जारी रखा, जो ब्लूम-कम-राउंड कास्टर द्वारा उत्पादित राउंड की तुलना में अधिक महंगा था। प्रबंधन के आकलन के अनुसार, तैयार व्हील पर प्रति टन ₹16,141 का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में देरी हुई और 2018-24 के दौरान उत्पादन लागत में ₹186.48 करोड़[21] की वृद्धि हुई।

- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में पहियों की मशीनिंग कम्प्यूटरीकृत न्यूमेरिक नियंत्रण वर्टिकल टर्निंग कम बोरिंग (सीएनसी वीटीबी) मशीनों द्वारा की जाती थी, क्योंकि वर्षों के घिसाव के कारण मौजूदा सीएनसी मशीनें काम के लिए आवश्यक सटीक टॉलरेंस प्रदान करने में सक्षम नहीं थीं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को भारतीय रेलवे को आपूर्ति किए जाने वाले लोको पहियों[22] की मशीनिंग का अधिकांश भाग आउटसोर्स करना पड़ता था। पहियों की मशीनिंग के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने (दिसंबर 2013) अपनी आंतरिक मशीनिंग क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया और मौजूदा व्हील मशीन शॉप में दो सीएनसी वीटीबी मशीनें और एक सीएनसी इन्क्लाइंड ऑयल होल ड्रिलिंग मशीन[23] स्थापित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, जनवरी 2014 में ₹37.50 करोड़ के 'व्हील मशीनिंग शॉप, डब्ल्यू एंड ए प्लांट में व्हील मशीनिंग सुविधाओं का संवर्धन - सीएनसी मशीनों की स्थापना' के लिए एक अनुबंध दिया गया। परियोजना जुलाई 2015 तक पूरी होनी थी।

---

[21] ***यह गणना बीआरसी विधि और बॉटम पोरिंग विधि से उत्पादित व्हील ब्लॉक की अंतर लागत को 2018-24 के दौरान बॉटम पोरिंग विधि से उत्पादित व्हील की अंतर लागत से गुणा करके की गई है।***

[22] ***लोको व्हील रेलगाड़ी के इंजन पर लगा होता है। यह इंजन के चलने वाले गियर का एक हिस्सा है और इंजन के वजन को सहारा देने, उसे पटरियों पर चलने में सक्षम बनाने और ट्रैक्शन मोटर्स या इंजन से पटरियों तक शक्ति संचारित करने के लिए जिम्मेदार होता है।***

[23] ***सीएनसी इन्क्लाइंड ऑयल होल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग लोको व्हील्स में छेद करने और टैपिंग के लिए किया जाता है।***

निविदा विनिर्देश के अनुसार, सीएनसी मशीनों में जांच उपकरण[24] लगाए जाने थे ताकि यह आकलन किया जा सके कि सीएनसी मशीनों द्वारा मशीनिंग किए जाने वाले काले पहियों में अतिरिक्त सामग्री संविदात्मक सीमाओं के भीतर है या नहीं। यह आशंका जताते हुए कि काले पहियों[25] की जांच से अत्यधिक अस्वीकृति हो सकती है जिससे उत्पादन बाधित हो सकता है, दोनों सीएनसी मशीनों को जुलाई 2016 में बिना जांच उपकरणों के चालू कर दिया गया। बिना किसी प्रदर्शन गारंटी परीक्षण के बीजी कोच पहियों[26] की मशीनिंग का उत्पादन शुरू कर दिया गया। चालू होने के एक महीने बाद ही वर्टिकल टर्निंग लेथ (वीटीएल)-2 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब मशीनिंग के दौरान एक बीजी कोच पहिया अत्यधिक उत्केन्द्रता के कारण अपनी जगह से हट गया और उसके चारों चक जॉ[27] क्षतिग्रस्त हो गए (16 अगस्त 2016)। वीटीएल-1 भी 14 नवंबर 2016 को पहियों की मशीनिंग के दौरान स्वचालित टूल बदलाव इकाई क्षतिग्रस्त हो गई।

ऑडिट में पाया गया कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में प्रोब की अनुपस्थिति में मशीनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले काले पहियों की वांछित एक्सेंट्रिसिटी बनाए रखना संभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। इसके अलावा, लोको व्हील की मशीनिंग किए बिना ही कमीशनिंग प्रमाण पत्र (जुलाई 2016) जारी कर दिया गया था, जो परियोजना के प्रदर्शन गारंटी जांच के लिए अनिवार्य था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने परियोजना पर ₹29.04 करोड़ और दो सीएनसी मशीनों की मरम्मत पर ₹0.59 करोड़ खर्च किए, लेकिन अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि 2018-24 के दौरान 1,36,080 पहियों की मशीनिंग क्षमता की तुलना में केवल 29,309 पहियों की ही मशीनिंग की गई। इसके अलावा, ऑयल होल ड्रिलिंग मशीन को सीएनसी मशीन के साथ एकीकृत न किए जाने के कारण लोको व्हील की इन-हाउस

---

[24] *प्रोब एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग पहिये की उत्केंद्रता को मापने के लिए किया जाता है।*

[25] *ब्लैक व्हील रोलिंग और फोर्जिंग के बाद का अधूरा पहिया होता है, जिस पर अभी मशीनिंग होनी बाकी होती है।*

[26] *ट्रेन के यात्री कोच या वैगन पर लगे कोच के पहिये, लोकोमोटिव के पहियों के विपरीत, विद्युत चालित नहीं होते हैं - वे ट्रेन के खींचे या धकेले जाने पर बस लुढ़कते हैं।*

[27] *मशीनिंग के दौरान चक जॉ पहियों को पकड़कर रखता है।*

मशीनिंग नहीं की जा सकी और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 2018-24 के दौरान बाहरी एजेंसियों से लोको व्हील की मशीनिंग पर ₹30.56 करोड़[28] खर्च करने पड़े।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि छेद करने की सुविधा न होने के कारण, नए संयंत्रों में पहियों की पूरी मशीनिंग नहीं की जा सकती। व्हील प्रेस और मिल के पुराने होने के कारण, ब्लैक व्हील्स में कुछ अनियमितता देखी गई। मशीनिंग के दौरान अपवाह/अस्वीकरण को कम करने के लिए ब्लॉक का इनपुट वजन अधिक रखा गया था। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि ठेकेदार ने ऑयल होल ड्रिल यूनिट को चालू करने और इसे वर्टिकल टर्निंग लेथ मशीन के साथ एकीकृत करने का आश्वासन दिया है।

इन जवाबों को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि परियोजना में सीएनसी इन्क्लाइंड ऑयल होल ड्रिलिंग मशीन लगाने का प्रावधान था, लेकिन इसे एकीकृत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लोको व्हील्स की मशीनिंग नहीं हो पाई। इसके अलावा, अस्वीकृतियों को कम नहीं किया जा सका और 2023-24 के दौरान, मशीनिंग चरण में अस्वीकृति दर 16.72 प्रतिशत थी, जबकि मानक 10 प्रतिशत है।

- 2018-24 के दौरान मिल का उत्पादन वार्षिक व्यापार योजना के लक्ष्य का लगभग 78 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹393.30 करोड़[29] के संभावित योगदान का नुकसान हुआ। मिल से कम उत्पादन का कारण कम उपज और पुरानी तकनीक थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि आर34 ग्रेड के लिए 370 मिमी गोल ढलाई वाली ब्लूम-कम-राउंड कास्टर मशीन (2020) शुरू की गई थी। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि व्हील मिल के अनियमित प्रदर्शन, भट्टियों में पहियों के असमान तापन, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के मैनुअल संचालन और नीचे से सामग्री डालने के कारण व्हील प्लांट की उपज प्रभावित हुई थी। स्थापित (1961) हथौड़ा मारने की प्रक्रिया अप्रचलित होने

28 *सीएनसी मशीन की क्षमता और मशीनीकृत बाहरी पहियों के बीच वर्षवार अंतर को प्रति पहिया की वर्षवार बाहरी मशीनीकरण लागत से गुणा किया जाता है।*

29 *अंशदान हानि की गणना एबीपी के सापेक्ष उत्पादन में वर्षवार कमी को अंशदान मार्जिन से गुणा करके की गई है।*

के कारण एक्सल की उपज कम थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उपज में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि संयंत्र को उन्नत करके परिचालन और लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को दूर करना आवश्यक था और 370 मिमी गोल ढलाई की स्थापना के चार साल बाद भी, सुविधा को स्थिर नहीं किया जा सका, जिससे अधिक महंगी बॉटम पोरिंग विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ख दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की मध्यम संरचनात्मक मिल

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मध्यम संरचनात्मक मिल की परिकल्पना एसएआईएल की आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत बीम, चैनल और एंगल के उत्पादन के लिए की गई थी। निर्धारित पूर्णता तिथि (सितंबर 2012) के 12 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी मिल का संचालन (मार्च 2025) अभी तक नहीं हो पाया था और यह बहुत कम क्षमता पर चल रही थी। कमीशनिंग परीक्षण (जून 2019) किया गया था, लेकिन उत्पादन कमीशनिंग मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मिल से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है, लेकिन व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उत्पादन, डिजाइन दोषों और विलंब घंटों को लेकर असहमति के कारण कमीशनिंग प्रमाणपत्र (मार्च 2024) अभी तक जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने इस परियोजना पर ₹610.67 करोड़ खर्च किए थे। मामला मध्यस्थता के अधीन है (जनवरी 2026)।

- एक मीट्रिक टन प्रति वर्ष की निर्धारित क्षमता के मुकाबले, 2018-24 के दौरान वार्षिक व्यापार योजना का लक्ष्य 2.73 मिलियन टन निर्धारित किया गया था, जो निर्धारित क्षमता का केवल 45.50 प्रतिशत था। मिल का उत्पादन वार्षिक व्यापार योजना का 77.73 प्रतिशत और निर्धारित क्षमता का 35.33 प्रतिशत था। पिछले छह वर्षों में मिल केवल 2020-21 में ही वार्षिक व्यापार योजना का लक्ष्य हासिल कर पाई, जब नियोजित उत्पादन निर्धारित क्षमता का केवल 27 प्रतिशत था। इनपुट सामग्री की अनुपलब्धता और रोल बदलने में देरी के कारण मिल 2018-24 के दौरान उपलब्ध घंटों का 61 प्रतिशत उपयोग नहीं कर पाई। इस प्रकार, वार्षिक व्यापार योजना को हासिल न कर पाने के कारण ₹713.96 करोड़ के संभावित योगदान का नुकसान हुआ है।

- मिल के डिजाइन और संचालन में दोषों के कारण, प्रबंधन 2018-23 के दौरान 92 प्रतिशत और 93 प्रतिशत के बीच निर्धारित उत्पादन मानक को पूरा नहीं कर सका और ₹40.51 करोड़[30] का अतिरिक्त स्क्रैप उत्पन्न हुआ। हालांकि, 2023-24 में वास्तविक उत्पादन मानक के अनुरूप रहा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (अगस्त 2024/जनवरी 2025) उत्तर दिया कि डिज़ाइन की कमियों को दूर करने और उत्पादन में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 2018-2024 के दौरान उत्पादन लगातार बढ़कर वार्षिक व्यवसाय योजना का 79.5 प्रतिशत और निर्धारित क्षमता का 52 प्रतिशत हो गया था। मिल के चालू होने से संबंधित मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मध्यस्थता के अधीन था।

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि परिचालन शुरू होने के 10 वर्ष बाद भी (अगस्त 2015) मिल स्थिर नहीं हो पाई और डिज़ाइन संबंधी कमियों को दूर नहीं किया जा सका। आईडीबीआई कैपिटल[31] की तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (जुलाई 2023) के अनुसार, संयंत्र का लेआउट संकुचित था और इसमें बड़े बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिल की क्षमता को एक मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए, लगभग ₹266 करोड़ की लागत से 0.28 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक नई मिल स्थापित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, दुर्गापुर स्टील प्लांट द्वारा संविदात्मक दायित्वों का पालन न करने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा मध्यस्थता का मामला दायर किया गया था।

अनुशंसा 17: प्रबंधन तैयार स्टील की बिक्री से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सेमीकंडक्टर वाहनों की संख्या कम करने के प्रयास करे। संयंत्र बार मिल की स्थापना में तेजी ला सकता है, मध्यम संरचनात्मक मिल को स्थिर करे और व्हील एंड एक्सल संयंत्र तथा मध्यम संरचनात्मक मिल से उत्पादन को अधिकतम करने के लिए परियोजनाएं शुरू करे।

30 शुद्ध बिक्री प्राप्ति: उत्तम उत्पाद की कीमत में से स्क्रैप की कीमत घटाकर x कम उपज के कारण उत्पन्न स्क्रैप की मात्रा

31 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड

6.1.3.5 रोल के समय से पहले पूरा होने के कारण होने वाली हानि

रोलिंग मिलों में धातु सामग्री को वांछित आकार देने और रूपांतरित करने के लिए लोहे या इस्पात से बने बेलनाकार धातु के सांचे का उपयोग किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसएआईएल के इस्पात संयंत्रों की रोलिंग मिलों में 2018-24 के दौरान 23 प्रतिशत से अधिक रोल समय से पहले खराब हो गए। रोल की खरीद के लिए खरीद आदेशों के गारंटी खंड के अनुसार, "यदि रोल गारंटीकृत जीवन के 0-10 प्रतिशत के भीतर खराब हो जाते हैं, तो आपूर्तिकर्ता को रोल को निःशुल्क बदलना होगा। यदि कोई रोल 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन गारंटीकृत जीवन से कम पर खराब हो जाता है, तो गैर-निष्पादित जीवन के लिए आनुपातिक मुआवजा आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जाएगा।"

रोल के प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार, 2018-24 के दौरान समय से पहले खराब हुए 2,172 रोल में से 2001 रोल इस्पात संयंत्र की गलती के कारण विभिन्न परिचालन कारणों से खराब हुए, जैसे कि नेक ब्रोकन, संचालन के दौरान दरारें पड़ना, धातु का जमाव, स्पैलिंग और बैंड फायर क्रैक, बेयरिंग की खराबी, बेयरिंग का जाम होना, क्रेन या अन्य मशीनों द्वारा माउंटिंग-डिसमाउंटिंग कार्य के संचालन से रोल की नेक और चोक को नुकसान, शॉप फ्लोर पर संचालन की लापरवाही के कारण मिल का अपेक्षित परिस्थितियों में संचालन न होना, विभाग की समस्या, हैंडलिंग/सर्विसिंग के दौरान रोल को नुकसान, रोल में कॉलरिंग आदि। समय से पहले खराबी के इन कारणों को बेहतर परिचालन उपायों के माध्यम से रोका जा सकता है। समय से पहले खराबी के कारण, माउंटेड रोल अपने स्क्रैप व्यास तक नहीं पहुंच सके और इस्पात संयंत्रों से संबंधित परिचालन कारणों से समय से पहले खराब हो गए।

वर्ष 2018-24 के दौरान, कंपनी को रोल के समय से पहले खराब होने के कारण ₹137.23 करोड़ का घाटा हुआ। रोल के समय से पहले खराब होने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय का लगभग 68.69 प्रतिशत हिस्सा अकेले बोकारो इस्पात संयंत्र से संबंधित है। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं की गलती से समय से पहले खराब हुए 171 रोल के लिए ₹4.28 करोड़ में से ₹1.22 करोड़ की वसूली अभी तक (मार्च 2024 तक) नहीं हो पाई है।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में रेल खंड की रोलिंग करना कठिन था और सहनशीलता का स्तर बहुत सख्त था, इसलिए वांछित सहनशीलता

प्राप्त करने के लिए कभी-कभी समय से पहले ही रोल बदलने पड़ते थे। बोकारो इस्पात संयंत्र ने रोल की समय से पहले विफलता की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विशिष्ट रोल की खपत कम हो गई थी। सलेम इस्पात संयंत्र में कुछ मामलों में प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के कारण रोल समय से पहले खराब हो गए थे। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव पर ध्यान दिया था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंध में, लेखापरीक्षा अवलोकन में रोल को समय से पहले बदलने के मामलों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि केवल रोल की समय से पहले विफलता के मामलों को ही शामिल किया गया है। हालांकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विशिष्ट रोल की खपत कम हो गई थी, लेकिन मध्यम संरचनात्मक मिल में रोल की विफलता दर अधिक थी।

6.1.3.6 सेवाओं का उपभोग:

क बिजली की अत्यधिक खपत

प्रत्येक संयंत्र की वार्षिक व्यवसाय योजना/परिकल्पना में रोलिंग मिलों के लिए विशिष्ट बिजली खपत निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रोलिंग मिलों द्वारा बिजली की खपत निर्धारित मानकों से अधिक थी। वर्ष 2018-24 के दौरान आठ इस्पात संयंत्रों में 5,699.56 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली की अनुमानित खपत के मुकाबले 6,495.87 एमयू बिजली की खपत हुई। इस प्रकार, 796.31 एमयू बिजली की अतिरिक्त खपत हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹488.09 करोड़[32] का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मिलों[33] को छोड़कर, जहाँ बिजली की खपत बीच-बीच में निर्धारित सीमा के भीतर थी, 2018-24 की अवधि के दौरान सेल(SAIL) की सभी रोलिंग

---

[32] ***बोकारो इस्पात संयंत्र (₹125.99 करोड़), भिलाई इस्पात संयंत्र (₹128.25 करोड़), इस्को इस्पात संयंत्र (₹78.69 करोड़), राउरकेला इस्पात संयंत्र (₹99.06 करोड़), सलेम इस्पात संयंत्र (₹29.58 करोड़), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (₹23.65 करोड़), अलॉय इस्पात संयंत्र (₹1.37 करोड़) और वीआईएसपी (₹1.50 करोड़)***

[33] ***बोकारो इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल, हॉट रोल्ड कॉइल फिनिशिंग लाइन, कोल्ड रोलिंग मिल I और II; भिलाई इस्पात संयंत्र की मर्चेंट मिल, प्लेट मिल; राउरकेला इस्पात संयंत्र की न्यू प्लेट मिल, हॉट स्ट्रिप मिल I और II, प्लेट मिल, स्पाइरल वेल्डेड पाइप संयंत्र ; दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की मर्चेंट***

मिलों में बिजली की खपत निर्धारित सीमा से अधिक थी। 10 मिलों[34] में तो बिजली की खपत निर्धारित सीमा से 20 प्रतिशत से भी अधिक थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के एक्सल संयंत्र और व्हील संयंत्र तथा इस्को इस्पात संयंत्र के यूनिवर्सल सेक्शन मिल में बिजली की खपत क्रमशः निर्धारित सीमा से 387 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 59 प्रतिशत अधिक थी।

प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बिजली की अधिक खपत पुराने उपकरण और मशीनरी, पुरानी तकनीक, कम उत्पादन, एएमआर परियोजनाओं में देरी/कार्यान्वयन न होना, कम इनपुट सामग्री, रोटरी हर्थ फर्नेस का कम उपयोग, बेहतर ऊष्मा स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए स्लैब को रीहीटिंग फर्नेस के अंदर अधिक समय तक रखना, ऑर्डर की कमी के कारण मिलों का रुक-रुक कर संचालन, रोल/सेक्शन में बार-बार बदलाव आदि के कारण हुई। परिचालन संबंधी कारणों और परियोजना संबंधी समस्याओं के कारण हुई इस अधिक खपत को बेहतर परिचालन उपायों और एएमआर परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन द्वारा कम किया जा सकता था।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मध्यम संरचनात्मक मिल और सेक्शन मिल में बिजली की खपत मुख्य रूप से कम उत्पादकता और कम उत्पादन क्षमता के कारण अधिक थी। बोकारो इस्पात संयंत्र के सीआरएम I और II में मिल के अनियमित संचालन आदि के कारण बिजली की खपत अधिक थी। इस्को इस्पात संयंत्र में उत्पादन में वृद्धि के साथ विशिष्ट बिजली खपत में सुधार हुआ और राउरकेला इस्पात संयंत्र में भी सुधार हुआ। सलेम इस्पात संयंत्र ने मिल में बिजली की खपत को कम करने के लिए मशीनों के प्रतिस्थापन जैसे संशोधन किए। वीआईएसपी, भद्रावती ने भी बिजली की खपत को कम करने के लिए ऑर्डर की मात्रा को एकत्रित करने और उत्पादन को अधिकतम करने के उपाय किए थे। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) बताया कि मिलों के स्थिरीकरण और उत्पादकता में वृद्धि के साथ, औसत विशिष्ट बिजली खपत में कमी आई है।

मिल, मध्यम संरचनात्मक मिल; इस्को इस्पात संयंत्र की बार मिल और यूनिवर्सल सेक्शन मिल; और अलॉय इस्पात संयंत्र की ब्लूमिंग और बिलेट मिल।

[34] ***भिलाई इस्पात संयंत्र की बार और रॉड मिल, बोकारो स्टील प्लांट की सीआरएम-I और II, राउरकेला इस्पात संयंत्र की कोल्ड रोलिंग मिल और स्पाइरल वेल्डेड पाइप संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का व्हील और एक्सल संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र की यूनिवर्सल सेक्शन मिल, बार मिल और वायर रॉड मिल, और वीआईएसपी की प्राइमरी मिल।***

इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उच्च बिजली खपत मुख्य रूप से मिल के कम उपयोग के कारण थी और मिलों के इष्टतम उपयोग से इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

ख रोलिंग मिलों में ऊष्मा की अत्यधिक खपत

विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा समय-समय पर रोलिंग मिलों में डाले गए प्रति टन भार के हिसाब से ऊष्मा की खपत के मानदंड निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-24 की अवधि के दौरान एसएआईएल की 31 रोलिंग मिलों[35] में से 24 में ऊष्मा की खपत निर्धारित मानदंडों से अधिक थी, सिवाय कुछ रोलिंग मिलों के जहां खपत बीच-बीच में निर्धारित मानदंडों के भीतर थी। 2018-24 के दौरान छह इस्पात संयंत्रों[36] (इसके पांच एकीकृत और तीन विशेष इस्पात संयंत्रों में से) में अनुमानित 2,05,84,844 ग्राम कैलोरी ऊष्मा की खपत के मुकाबले, खपत 2,34,48,379 ग्राम कैलोरी थी।

प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऊष्मा की अधिक खपत के कारण कम उत्पादन, पुरानी तकनीक, संवर्द्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन परियोजनाओं में देरी/कार्यान्वयन न होना, गैस की गुणवत्ता/उपलब्धता, पर्याप्त दबाव के साथ निर्बाध ईंधन आपूर्ति की अनुपलब्धता, रोल करने योग्य सामग्रियों की अनियमित उपलब्धता, इकाइयों की समय से पहले विफलता आदि थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कारणों का समाधान न करने के कारण 28,63,535 गैलन ऊष्मा की अधिक खपत हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹341.01 करोड़[37] का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि विशिष्ट ऊष्मा मुख्य रूप से कम उत्पादन या मिलों के स्थिरीकरण के कारण मानकों से अधिक थी और भट्टी के उन्नयन से इसमें सुधार

---

[35] *विस्प (वीआईएसपी) की प्राइमरी मिल और बार मिल को छोड़कर; सलेम स्टील प्लांट की हॉट रोलिंग मिल और कोल्ड रोलिंग मिल; राउरकेला इस्पात संयंत्र की कोल्ड रोलिंग मिल, सिलिकॉन स्टील मिल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप संयंत्र और स्पाइरल वेल्डेड पाइप संयंत्र और बोकारो स्टील प्लांट की हॉट रोल्ड कॉइल फिनिशिंग लाइन।*

[36] *सेलम इस्पात संयंत्र और विस्प (वीआईएसपी), भद्रावती को छोड़कर, जहां इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उपयोग किया जाता है।*

[37] *भिलाई इस्पात संयंत्र (₹114.37 करोड़), बोकारो इस्पात संयंत्र (₹97.56 करोड़), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (₹97.09 करोड़), आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र (₹19.80 करोड़), राउरकेला इस्पात संयंत्र (₹6.34 करोड़) और मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (₹5.85 करोड़)।*

होगा। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि उत्पादकता में वृद्धि, सुधार उपायों और रोलिंग मिलों के उन्नयन के साथ, ऊष्मा की विशिष्ट खपत में कमी का रुझान देखा गया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ऊष्मा की अत्यधिक खपत से अनावश्यक अतिरिक्त व्यय होता है। चूंकि ऊष्मा खपत के मानदंड परिचालन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए थे, इसलिए इनका पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 18: कंपनी रोलिंग मिलों में बिजली और गर्मी की खपत के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करे ताकि मिलों के लाभदायक संचालन को अधिकतम किया जा सके।

6.1.3.7 सुरक्षा संबंधी मुद्दे

यह पाया गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में आवश्यकता के बावजूद 15 अग्नि सुरक्षा प्रणाली और 25 अग्निशामक यंत्र स्थापित नहीं किए गए थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में दस अग्निशामक यंत्र और छह फायर हाइड्रेंट प्रणाली स्थापित नहीं की गई थीं। इसके अलावा, इस्को इस्पात संयंत्र में संयंत्रों के लिए आवश्यक अग्निशमन प्रणाली इकाइयों की संख्या का आकलन नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में उपलब्ध अग्निशामक यंत्र मिलों में शुरुआती आग बुझाने के लिए पर्याप्त थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा व्हील एंड एक्सल संयंत्र में पानी का दबाव बढ़ाने के लिए नए फायर हाइड्रेंट पॉइंट और फायर फाइटिंग पंप हाउस की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र में उपयुक्त अग्निशमन सुविधाएं स्थापित की गई थीं। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) आगे कहा कि आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र के मामले में, आग का पता लगाने और आग बुझाने की प्रणाली में पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि संयंत्र के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक संख्या में अग्निशामक यंत्र, अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली, और

फायर हाइड्रेंट प्रणाली स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि मनुष्यों और मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

क निवारक उपायों के अभाव के कारण सीआरएम, बीएसएल में छत के ढांचे का ढहना

बोकारो स्टील प्लांट की कोल्ड रोलिंग मिल I और II में पिकलिंग लाइन 1 और 2 की अम्ल आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो अम्ल पुनर्जनन संयंत्र (एआरपी 1 और 2) हैं। पिकलिंग लाइनों में हॉट रोल्ड कॉइल की सतह से लौह ऑक्साइड को हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एआरपी 1 और 2, पिकलिंग लाइन 1 और 2 से प्राप्त अपशिष्ट पिकल लिकर को पुनर्जनित अम्ल में परिवर्तित करते हैं, जिसे हॉट रोल्ड कॉइल प्रसंस्करण के लिए वापस पिकलिंग लाइनों में भेज दिया जाता है। पिकलिंग लाइन 2 का एग्जॉस्टर 2020 से काम नहीं कर रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के संरचनात्मक निरीक्षण एवं भू-माप सर्वेक्षण विभाग ने (अगस्त 2018 में) सीआरएम I और II की संरचना का निरीक्षण किया और छत के ट्रस की स्थिति को श्रेणी ए (एक महीने के भीतर मरम्मत की आवश्यकता) के अंतर्गत बताया, जिसे बाद में (सितंबर 2020 में) श्रेणी बी (छह महीने के भीतर मरम्मत की आवश्यकता) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। दिसंबर 2021 में संरचना को फिर से श्रेणी ए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र के सुरक्षा विभाग ने (अगस्त 2021 में) पाया कि एचके बे की छत की चादरें और सहायक संरचनाएं बुरी तरह से जंग खा चुकी थीं और क्षतिग्रस्त थीं। पिकलिंग लाइन 2 का एग्जॉस्टर 2020 से काम नहीं कर रहा था। 12 जुलाई 2022 और 16 जुलाई 2022 को एचके बे में ट्रस ढह गए, जिसके कारण आस-पास के क्षेत्र में छत के ट्रस के कुछ और संरचनात्मक हिस्से मुड़ गए/विकृत हो गए, जो पहले से ही अम्लीय धुएं के कारण कमजोर/पतले हो चुके थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संरचनात्मक निरीक्षण और भू-सर्वेक्षण एवं सुरक्षा विभाग की सिफारिशों का पालन न करने के कारण जुलाई 2022 में छत का ढांचा ढह गया। इसके अलावा, उपरोक्त घटना के कारण 13 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 के बीच सीआरएम I और II से उत्पादन बंद रहा।

प्रबंधन ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि ढही हुई छत की संरचनाओं की मरम्मत का काम अगस्त 2022 में अंतिम रूप दिए गए अनुबंध के तहत किया जा चुका है। पिकलिंग

लाइन 2 के लिए एक नए एग्जॉस्टर की खरीद प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि उच्च निवेश के कारण, पिकलिंग लाइन 2 के लिए एक नए एग्जॉस्टर की स्थापना को रोक दिया गया है।

इन जवाबों को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि घटना के बाद ढही हुई छत की संरचनाओं की मरम्मत की गई थी। हालांकि, 2018 में शुरू किया गया एग्जॉस्टर बदलने का प्रस्ताव लंबित रखा गया था। जवाबों में प्रबंधन की उस विफलता का जिक्र नहीं है जिसके कारण सीआरएम में छत का ढांचा ढह गया। प्रबंधन ने निवारक उपायों की अनदेखी की थी।

6.1.4 निष्कर्ष

एक एकीकृत इस्पात संयंत्र में, रोलिंग मिलें कच्चे इस्पात को बिलेट्स, ब्लूम्स और स्लैब्स के रूप में रोल करके प्लेट, शीट, स्ट्रिप, कॉइल, स्ट्रक्चर, रेल, बार और रॉड जैसे तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती हैं। इस प्रकार, ये मिलें बाजार में तैयार इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एसएआईएल में 32 रोलिंग/फिनिशिंग मिलें हैं, जिनमें से मार्च 2024 तक 30 चालू थीं। विभिन्न इस्पात संयंत्रों में रोलिंग मिलों को परिचालन और यांत्रिक बाधाओं के साथ-साथ आवश्यक मात्रा में इनपुट की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ा, जिससे वार्षिक व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार तैयार इस्पात के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान सभी चालू रोलिंग मिलों में वार्षिक व्यावसायिक योजना के सापेक्ष उत्पादन उपलब्धि का प्रतिशत 58.10 प्रतिशत से 111.99 प्रतिशत के बीच रहा। वार्षिक व्यापार योजना की तुलना में यूनिवर्सल रेल मिल में रेल उत्पादन कम होने के कारण 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹1461.30 करोड़ के संभावित योगदान का नुकसान हुआ है। एसएआईएल भारतीय रेलवे को आवश्यकतानुसार रेल की आपूर्ति नहीं कर सका। नए मिलों की स्थापना, नई भट्टियों की स्थापना, नॉर्मलाइज़िंग सुविधाओं जैसी आधुनिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से एसएआईएल की रोलिंग मिलों के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

परिचालन संबंधी विभिन्न कारणों से रोलिंग मशीनों के समय से पहले खराब होने के कारण 2018-24 के दौरान सेल (SAIL) को ₹137.23 करोड़ का घाटा भी हुआ। रोलिंग मिलों ने

निर्धारित मानकों से अधिक बिजली और ऊष्मा की खपत की थी। रोलिंग मिलों में सुरक्षा संबंधी कमियां भी पाई गईं, जैसे अपर्याप्त अग्निशामक यंत्र, आग का पता लगाने और अलार्म प्रणाली आदि। सेल को रोलिंग मिलों के संचालन को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और बाधाओं को दूर करना चाहिए ताकि तैयार इस्पात उत्पादों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके और अर्ध-निर्मित इस्पात की बिक्री के कारण संभावित योगदान मार्जिन के नुकसान से बचा जा सके।

6.2 भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्पात पिघलने की वर्कशॉप-III की स्थापना और संचालन

6.2.1 परिचय

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की स्थापना 1959 में एक इस्पात पिघलने की वर्कशॉप (एसएमएस-I) के साथ की गई थी, जिसकी कच्चे इस्पात की क्षमता दस लाख टन थी। एसएमएस-I में संशोधन (मार्च 2020 में बंद) और एसएमएस-II के जुड़ने से 1984-85 के दौरान इसकी क्षमता बढ़ाकर चार मिलियन टन कर दी गई। समुद्री जल सेवा बोर्ड ने (अप्रैल 2007 में) भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसमें प्रति वर्ष सात मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन और प्रति वर्ष चार मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले एसएमएस-III की स्थापना शामिल थी। एसएमएस-III की स्थापना (मार्च 2018) में हुई और एक कनवर्टर के साथ उत्पादन शुरू हुआ। अन्य इकाइयां और परिकल्पित सुविधाएं जुलाई 2023 तक चरणबद्ध तरीके से जोड़ी गईं।

एसएमएस-III के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत दिए गए 35 अनुबंधों में से 31 अनुबंधों को 154 दिनों से लेकर 4,445 दिनों तक की देरी से चालू किया गया, जबकि 4 अनुबंधों को अगस्त 2025 तक पूरा किया जाना बाकी था। एसएमएस-III और इसकी संबद्ध इकाइयों की स्थापना से संबंधित अभिलेखों और वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के सात वर्षों के उत्पादन और प्रदर्शन अभिलेखों की जांच की गई और पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है।

6.2.2 वर्ष 2018 से 2025 के दौरान एसएमएस-III का उत्पादन प्रदर्शन

एसएमएस-III में उत्पादन में मार्च 2018 में इसकी स्थापना के बाद से वर्षों में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

तालिका 6.6: भिलाई इस्पात संयंत्र में वर्ष 2018-2025 के दौरान एसएमएस-III का उत्पादन प्रदर्शन

(मात्रा मिलियन टन में)

वर्ष	एबीपी	वास्तविक उत्पादन	एबीपी और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर	रेटेड क्षमता के सापेक्ष एबीपी का प्रतिशत	रेटेड क्षमता के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत एबीपी के लिए
2018-19	1.56	0.21	1.35	39.00	5.25	13.46
2019-20	2.00	1.14	0.86	50.00	28.50	57.00
2020-21	2.43	2.21	0.22	60.75	55.25	90.95
2021-22	3.05	2.73	0.32	76.25	68.25	89.51
2022-23	3.20	3.06	0.14	80.00	76.50	95.63
2023-24	3.55	3.44	0.11	88.75	86.00	96.90
2024-25	3.75	3.57	0.18	93.75	89.25	95.20
योग	**19.54**	**16.36**	**3.18**			

वार्षिक व्यापार योजना (एबीपी) लगातार निर्धारित क्षमता से कम रही और 2018-2025 के दौरान किसी भी वर्ष में वास्तविक उत्पादन एबीपी के अनुरूप नहीं रहा। उत्पादन में कमी के कारण, प्रबंधन मिल अनुभाग (यूनिवर्सल रेल मिल, रेल और संरचनात्मक मिल, मर्चेंट मिल, वायर और रॉड मिल और बार और रॉड मिल) की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा। 2018 से 2023 की अवधि के दौरान, उपयोगकर्ता संयंत्रों की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर[38] 1.99 प्रतिशत (2022-23) और 98.05 प्रतिशत (2018-19) के बीच रहा।

6.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.3.1 एसएमएस-III की प्रमुख इकाइयों के चालू होने में विलंब:

एसएमएस-III परियोजना में पैकेज 25 के तहत तीन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) और पैकेज 26 के तहत कंटीन्यूअस कास्टिंग प्लांट (सीसीपी) में चार कास्टर की स्थापना शामिल थी। वैश्विक निविदाएं जून/जुलाई 2007 में जारी की गईं। अनुबंध (अक्टूबर 2008/अप्रैल 2009) में दिए गए, जिनका निर्धारित समापन पैकेज 25 और पैकेज 26 के लिए क्रमशः अगस्त/दिसंबर 2011 था। एसएमएस-III ने छह साल से अधिक की देरी के

[38] *प्रबंधन द्वारा 2023-2025 के दौरान मांग का विवरण अलग से नहीं रखा गया था।*

बाद मार्च 2018 में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, जिसमें मुख्य पैकेजों के पूरा होने के संबंध में ₹2,292.60 करोड़[39] का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क बेसिक ऑक्सीजन भट्टियों के चालू होने में विलंब

वैश्विक निविदाएं जारी की गईं (जून/जुलाई 2007) और मेसर्स सीमेंस वीएआई (अब प्राइमेटल्स टेक्नोलॉजीज ऑस्ट्रिया जीएमबीएच) को ₹1,335.72 करोड़ की कुल लागत पर बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस की आपूर्ति का आदेश दिया गया (अक्टूबर 2008), जिसका निर्धारित समापन अगस्त 2011 तक होना था। एसएमएस-III में तीन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के चालू होने में हुई देरी का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6.7: मूल ऑक्सीजन भट्टियों के लिए निर्धारित बनाम वास्तविक चालू होने की तिथियां

सुविधा	चालू होने की निर्धारित तिथि	चालू होने की वास्तविक तिथि
बीओएफ़ 1	9.05.2011	28.05.2019
बीओएफ़ 2	24.06.2011	6.11.2019
बीओएफ़ 3	8.08.2011	9.05.2020

तालिका में दिखाए अनुसार, तीनों मूल ऑक्सीजन भट्टियों के चालू होने में आठ साल से अधिक का विलंब हुआ। 2011 में निर्धारित समय पर चालू होने के बजाय, इन भट्टियों को 2019/2020 के दौरान चालू किया गया।

बीओएफ को पूरा करने में विलंब का कारण प्रबंधन द्वारा निर्माण कार्यस्थल को सौंपने में विलंब, उपकरणों के निर्माण के लिए बहुत सीमित कार्यस्थल, सिविल कार्यों के लिए पुनः निविदा जारी करना, संरचनात्मक कार्य और उपकरण स्थापना, अनुबंधों का अल्प समापन, क्रेन को लगाने में विलंब, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, क्रम परिवर्तन आदि था।

[39] ***पैकेज 25 और 26 क्रमशः ₹1,335.72 करोड़ और ₹780.02 करोड़ में आवंटित किए गए थे और वास्तविक पूंजीकृत लागत क्रमशः ₹3,170.86 करोड़ और ₹1,237.48 करोड़ थी।***

ख सतत ढलाई संयंत्र के चालू होने में विलंब

सतत ढलाई संयंत्र के लिए आपूर्ति आदेश भी उसी कंपनी, मेसर्स सीमेंस वीएआई (अब प्राइमेटल्स टेक्नोलॉजीज ऑस्ट्रिया जीएमबीएच) को (अप्रैल 2009 में) कुल ₹780.02 करोड़ की लागत पर दिया गया, जिसका निर्धारित समापन दिसंबर 2011 तक होना था। एसएमएस-III में चार सतत ढलाई संयंत्रों के चालू होने में हुए विलंब का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 6.8: सतत ढलाई संयंत्र में ढलाई मशीनों के लिए चालू होने की निर्धारित बनाम वास्तविक तिथियां

सुविधा	चालू होने की निर्धारित तिथि	चालू होने की वास्तविक तिथि
ढलाई इकाई 1	18.10.2011	5.05.2020
ढलाई इकाई 2	18.11.2011	28.01.2020
ढलाई इकाई 3	18.12.2011	25.10.2019
ढलाई इकाई 4	18.12.2011	1.07.2023

तालिका में दिखाए अनुसार, चार सतत ढलाई मशीनों के चालू होने में ग्यारह साल से अधिक का विलंब हुआ। 2011 में निर्धारित समय पर चालू होने के बजाय, ढलाई मशीनें 2019/2023 के दौरान चालू हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीसीपी (पैकेज 26) के लिए सिविल कार्य का अनुबंध दिसंबर 2011 की निर्धारित समापन अवधि के एक वर्ष से अधिक समय बाद (फरवरी 2013) दिया गया। यह अनुबंध पिछले दो अनुबंधों की समाप्ति के बाद जोखिम खरीद सूचना के आधार पर दिया गया। सिविल कार्य अंततः नवंबर 2021 में पूरा हुआ। इसी प्रकार, संरचनात्मक कार्य का अनुबंध अगस्त 2017 और जुलाई 2019 के बीच दिया गया और दिसंबर 2021 तक पूरा हुआ। सतत ढलाई संयंत्र के अंतर्गत सभी चार ढलाई मशीनों की स्थापना अंततः 11 वर्षों से अधिक के विलंब के बाद जून 2023 में पूरी हुई।

अंतिम ढलाई मशीन सीवी2 को शुरू में नव प्रस्तावित यूनिवर्सल बीम मिल के लिए बीम ब्लैंक बनाने के लिए बनाया था। लेकिन यूनिवर्सल बीम मिल परियोजना स्थगित कर दी गई (2009) और सात साल बाद (जनवरी 2016) इसे ब्लूम कम बीम ब्लैंक ढलाई मशीन (कॉम्बी ढलाई संयंत्र) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया ताकि नई यूनिवर्सल रेल

मिल से रेल की मांग को पूरा किया जा सके। लगभग पांच साल के विलंब के बाद चरण-II की स्वीकृति दी गई (जून 2021)। विलंब मुख्य रूप से परियोजना की निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब और शेष तीन ढलाई मशीनों को स्टील उत्पादन शुरू करने की प्राथमिकता के कारण हुआ। अनुबंध (23 जुलाई 2021) दिया गया और इसे दो साल की अवधि में यानी 23 जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। परियोजना को (जुलाई 2023) चालू किया गया।

एसएमएस-III के प्रमुख पैकेजों की स्थापना में विलंब के कारण 2011 से 2018[40] के दौरान कच्चे इस्पात के चार मिलियन टन प्रति वर्ष के संभावित उत्पादन की हानि हुई। बीएसपी द्वारा गठित समिति द्वारा किए गए विलंब के विश्लेषण के अनुसार, बार-बार निविदा जारी करना, सिविल पैकेज के लिए संविदाकार का बदलना, उपकरणों की स्थापना के लिए सीमित संसाधन, अनुबंधों का समयपूर्व समापन, क्रेन, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम आदि की स्थापना में विलंब, विलंब के मुख्य कारण थे। ये विलंब संविदाकारों की त्रुटि नहीं थी और संविदाकार से कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली गई। परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण के साथ, प्रबंधन समय पर संसाधन उपलब्ध कराने में अपनी अक्षमता को नियंत्रित कर सकता था और बीओएफ और सीसीपी के चालू होने की समय सारिणी का पालन सुनिश्चित कर सकता था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (जून 2024/फरवरी 2025) उत्तर दिया कि वह तीनों कन्वर्टरों पर उपकरण लगाने के लिए समानांतर कार्यस्थल उपलब्ध कराने में असमर्थ था और सतत ढलाई संयंत्र के संबंध में संबद्ध पैकेजों के आवंटन और निष्पादन में विलंब के कारण पैकेज में भी विलंब हुआ। सीवी2 के संबंध में, प्रबंधन ने अपने उत्तर में 2016 में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र, एसएआईएल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की घटनाओं का क्रम बताया है। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) आगे कहा कि परियोजना की विशिष्टताओं में बदलाव, बाजार की स्थितियों और लागत अनुकूलन के कारण विलंब हुआ, जिसके लिए परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक था।

[40] ***विभिन्न घटकों के लिए प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मार्च 2018 से एसएमएस-III से उत्पादन शुरू हो गया।***

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि विलंब विश्लेषण में संविदाकारों को विलंब का कारण नहीं बताया गया, इसलिए बीएसपी परियोजना के लिए बेहतर योजना बनाकर, कार्यस्थल की उपलब्धता सुनिश्चित कर, निविदाओं को समय पर अंतिम रूप देकर और अनुबंधों को आवंटित करके तथा बेहतर परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से विलंब को नियंत्रित कर सकता था और इस प्रकार उत्पादन के संभावित नुकसान को सीमित कर सकता था।

6.2.3.2 एसएमएस-III से संबंधित अन्य पैकेजों के चालू होने में विलंब:

क क्रेनों की स्थापना में विलंब

बीएसपी ने एसएमएस-III में क्रेनों की स्थापना के लिए संविदाएँ प्रदान की। क्रेनों के निर्माण में 64 से 118 महीने का विलंब हुआ, जिसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

सारणी 6.9: एसएमएस-III में क्रेनों की स्थापना का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रदान करने की तिथि	संविदाकार का नाम	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	निर्धारित समय	वास्तविक समय	विलंब माह में
1	बीओएफ और सीसीपी के लिए सात क्रेनों की स्थापना	29 जून 2009	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी)	146.10	28 जून 2011	04 मार्च 2021	118 (3537 दिन)
2	बीओएफ और सीसीपी परिसर के लिए डबल गर्डर वाली विद्युत संचालित ओवरहेड क्रेन ट्रैवलिंग क्रेन की स्थापना (पैकेज 029 बी 1)	19 जून 2015	मुकुंद इंडिया लिमिटेड, पुणे	176.08	18 दिसंबर 2016	07 अप्रैल 2022	64 (1936 दिन)
3	एसएमएस-III के बीओएफ और सीसीपी के लिए ईओटी क्रेन, मरम्मत ट्रॉली और अंडर स्लंग क्रेन की स्थापना (पैकेज 029 बी 2)	8 अगस्त 2012		60.09	07 फरवरी 2014	04 मई 2022	99 (3008 दिन)

2009 में एचईसी को सात क्रेनों की स्थापना का आदेश दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एचईसी ने मार्च 2012 तक क्रेनों के लिए सामग्री की आपूर्ति की, लेकिन बीएसपी क्रेनों की स्थापना के लिए कार्यस्थल उपलब्ध नहीं करा सका, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति की गई सामग्री का लंबे समय तक भंडारण रहा। एचईसी द्वारा आपूर्ति की गई ₹5.53

करोड़ मूल्य की सामग्री की चोरी के मामले सामने आए (2018), यानी 2012 में इसकी खरीद के छह साल बाद, लेकिन बीमा कंपनी से इसकी वसूली नहीं हो सकी। अंततः, बीएसपी ने क्रेनों की स्थापना के लिए खोई हुई सामग्री की आपूर्ति की।

पुणे स्थित मुकुंद इंडिया लिमिटेड को दिए गए अनुबंध के मामले में, विलंब बीएसपी द्वारा रेखांकन की स्वीकृति में विलंब, यांत्रिक और विद्युत उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, कार्यस्थलों को सौंपने में विलंब आदि के कारण हुआ।

प्रबंधन ने (जून 2024) उत्तर दिया कि चोरी के मामलों में वसूली का मुद्दा अनुबंध की समाप्ति के दौरान एचईसी के साथ उठाया जाएगा और पक्षकार की ओर से हुए विलंब का भी अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) आगे कहा कि बीएसपी ने एचईसी को सामग्री के लिए कार्यस्थल पर भंडारण क्षेत्र आवंटित किए हैं और संविदाकार सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। लंबे समय तक भंडारण के कारण बीमा दावे संभव नहीं हैं।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि क्रेनों की स्थापना में विलंब से न केवल समस्त परियोजना के पूरा होने पर असर पड़ा, बल्कि लंबे समय तक सामग्री के भंडारण के कारण चोरी से नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई बीमा दावे के माध्यम से भी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, प्रबंधन/मंत्रालय पुणे स्थित मुकुंद इंडिया लिमिटेड से आपूर्ति में विलंब के संबंध में भी मौन है।

ख गर्म धातु सल्फरकरण परिसर के पूरा होने में विलंब

एसएमएस-III में स्थित गर्म धातु सल्फरकरण इकाई एक प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजना थी, जिसका उद्देश्य कम सल्फर की आवश्यकता वाले विशेष श्रेणी के इस्पात का उत्पादन करना था। कंपनी ने (6 अक्टूबर 2008) को एक विदेशी और एक भारतीय कंपनी के संघ को 27,75,000 अमेरिकी डॉलर और ₹29.11 करोड़ की लागत पर अनुबंध दिया, जिसे 5 मार्च 2011 तक पूरा करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना की प्रगति प्रारंभिक चरण से ही बहुत धीमी रही, जिसका मुख्य कारण भिलाई स्टील संयंत्र द्वारा दिसंबर 2018 तक नौ वर्षों से अधिक समय तक कार्यस्थल उपलब्ध कराने में हुआ विलंब था। समूह संघ ने विलंब के कारण

2008 के मूल्य स्तर पर शेष कार्यों को पूरा करने से मना कर दिया (फरवरी 2020)। अनुबंध पूरा करने की अवधि 31 मई 2021 तक बढ़ाई गई और अंततः परियोजना ने 11 वर्षों से अधिक की विलंब के साथ परिचालन शुरू किया (दिसंबर 2022)। परियोजना की लागत में ₹10.13 करोड़ की वृद्धि हुई।

प्रबंधन ने (जून 2024) बताया कि कार्यस्थल सौंपने में विलंब के कारण संविदाकार संरेखण जमा करने और सामान की आपूर्ति जैसी गतिविधियों में गति बनाए नहीं रख सका। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) बताया कि कार्यस्थल की तैयारी, परियोजना के उद्देश्यों में बदलाव और परिचालन संबंधी कठिनाइयों सहित कई जटिल मुद्दों के कारण गर्म धातु सल्फरकरण परिसर के निर्माण में विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, समूह संघ को विलंबित वाणिज्यिक प्रभारों का भुगतान किया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सिविल और संरचनात्मक प्रक्रिया के पूरा होने में विलंब प्रबंधन की ओर से योजना में कमियों को दर्शाती है, जिसके कारण विलंब हुआ और अतिरिक्त लागत हुई।

6.2.3.3 एसएमएस-III के चालू होने/संचालन में विलंब के कारण होने वाली हानियाँ

क अतिरिक्त बीमा प्रभार का भुगतान:

बीओएफ और सीसीपी के लिए अनुबंधों की सामान्य शर्तों के खंड 36.1.15 के अनुसार, यदि अनुबंध पूरा होने में विलंब संविदाकार के कारण नहीं हुई थी, तो बीमा पॉलिसी के विस्तार के लिए अतिरिक्त बीमा प्रीमियम हेतु संविदाकार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति बीएसपी द्वारा संविदाकार को की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीओएफ और सीसीपी के चालू होने में विलंब के कारण, बीएसपी को बीमा प्रीमियम प्रभार के रूप में ₹19.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (जनवरी 2013 से जनवरी 2020) की अवधि के लिए बीओएफ के संबंध में (₹10.86 करोड़ और सितंबर 2014 से फरवरी 2022) की अवधि के लिए सीसीपी के संबंध में ₹8.29 करोड़)।

प्रबंधन/मंत्रालय (जून 2024/फरवरी 2025) ने उत्तर दिया कि संबद्ध पैकेजों के आवंटन और निष्पादन में विलंब के परिणामस्वरूप एसएमएस-III में समग्र रूप से विलंब हुआ और अनुबंध खंड के अनुसार संविदाकार को बीमा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की गई।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यदि परियोजना की समय-सारणी का पालन किया जाता तो बीमा प्रभार की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय टाला जा सकता था।

ख विद्युत सामग्री के लंबे समय तक भंडारण के कारण हानि

एसएमएस-III में बीओएफ और सीसीपी की स्थापना की संविदाएँ क्रमशः (अक्टूबर 2008 और अप्रैल 2009) में दी गई और इन संविदाओं के तहत, संविदाकार ने 2010 से 2013 के दौरान विद्युत सामग्री की आपूर्ति की। ये संविदाएँ अंततः मई 2020 और जुलाई 2023 में पूरे हुए। पैनलों/उपकरणों के परीक्षण के दौरान, बीओएफ और सीसीपी के चालू होने में असामान्य विलंब सहित विभिन्न कारणों से कुछ विद्युत सामग्री क्षतिग्रस्त/निष्क्रिय पाई गई। संविदाकार ने इन उपकरणों को बदलने से मना कर दिया और कारण बताया कि ये लंबे समय तक भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे।

कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करने के लिए गठित समिति की रिपोर्टों (25 सितंबर 2017 और 30 अप्रैल 2018) के आधार पर, भिलाई स्टील संयंत्र ने ₹4.89 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर विद्युत पैनल और कन्वर्टर और ढलाई संयंत्र के विभिन्न पैनल खरीदे (21 जून 2018)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भिलाई स्टील संयंत्र ने इस सामग्री को भेजने को परियोजना के चालू होने के साथ संरेखित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के चालू होने में विलंब हुआ और पहले से भेजी गई सामग्री को नुकसान पहुंचा तथा उनकी खरीद पर ₹4.89 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने (जून 2024) उत्तर दिया कि निर्धारित अनुबंध मूल्य और अनुमोदित बिलिंग निर्धारित के अनुसार वस्तु की आपूर्ति पर भुगतान किया गया। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) आगे कहा कि सेल के तत्काल नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण विलंब हुआ और समिति द्वारा सलाह दी गई प्रतिस्थापन घटकों की खरीद, चालू होने के समय निरंतर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था, जिससे आगे के विलंब को रोका जा सके।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सामग्री के निर्धारित प्रेषण को परियोजना के वास्तविक चालू होने के साथ संरेखित करने से ऐसे अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

ग अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रभार के लिए परिहार्य व्यय

बीओएफ के अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 7.9.1 में यह निर्धारित किया गया है कि संविदाकार अपनी आपूर्ति के दायरे में आने वाले संयंत्र और उपकरणों के डिजाइन और निर्माण की देखरेख सहित संयंत्र और उपकरणों की स्थापना, परीक्षण संचालन, चालू करने और निष्पादन गारंटी परीक्षणों की देखरेख के लिए विभिन्न विषयों के अपने विदेशी और भारतीय विशेषज्ञों को कार्यस्थल पर तैनात करेगा। अनुबंध की मूल्य निर्धारित के अनुसार, यदि संविदाकार के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अतिरिक्त कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है, तो बीएसपी द्वारा इसका भुगतान अतिरिक्त किया जाएगा।

बीओएफ़ की स्थापना के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संविदाकार को 9,308 कार्य-दिवसों के लिए ₹13,000 प्रति व्यक्ति की दर से भारतीय विशेषज्ञों को पर्यवेक्षण हेतु तैनात करने की अनुमति दी थी, जिसका कुल मूल्य ₹12.10 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2014 तक केवल 619 कार्य-दिवसों का ही उपयोग हुआ, जिसका मूल्य ₹0.80 करोड़ था। परियोजना के पूरा होने में विलंब के कारण, पर्यवेक्षण प्रभार की दरों में संशोधन किया गया (अगस्त 2018, जुलाई 2019 और फरवरी 2020)। संविदाकार ने संशोधित दरों पर अतिरिक्त 5,942 कार्य-दिवसों को लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹11.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

निरंतर ढलाई संयंत्र के अनुबंध में परियोजना के निर्माण, परीक्षण और चालू करने के लिए आवश्यक विदेशी और भारतीय पर्यवेक्षण के लिए क्रमशः 2,600 और 7,800 कार्य दिवसों की परिकल्पना की गई। लंबे समय तक हुए विलंब के कारण, बीएसपी ने पर्यवेक्षण प्रभार की दरों में संशोधन किया (अगस्त 2017) और पर्यवेक्षण प्रभार पर ₹12.62 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन किया।

इस प्रकार, अनुबंधों के कार्यान्वयन के लिए समय सारिणी का बेहतर पालन करने से पर्यवेक्षण प्रभार के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को विनियमित किया जा सकता था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि वह तीनों कन्वर्टरों पर उपकरण लगाने के लिए समानांतर कार्यस्थल उपलब्ध कराने में असमर्थ था। इसके अलावा, अपर्याप्त कुशल/प्रशिक्षित कर्मचारियों और अपूर्ण बुनियादी अवसंरचना के कारण पर्यवेक्षकों की तैनाती अनिवार्य रूप से बढ़ानी पड़ी। सीसीपी अनुबंध के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि संबद्ध पैकेजों के आवंटन और निष्पादन में विलंब के कारण संपूर्ण सीसीपी पैकेज में भी विलंब हुआ। परियोजना की गंभीरता को देखते हुए, पर्यवेक्षण प्रभार में वृद्धि को स्वीकार कर लिया गया। मंत्रालय ने (फरवरी 2025 में) उत्तर दिया कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संविदात्मक शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षण आवश्यक था। प्रबंधन के कार्यों का उद्देश्य पर्यवेक्षण लागत को परियोजना की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप करना था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि परियोजना में हुए अत्यधिक विलंब के कारण अतिरिक्त पर्यवेक्षण लागतें लगीं। परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत कुशल/प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता का ध्यान रखना आवश्यक था।

6.2.3.4 एसएमएस-III में घटकों के लिए वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त व्यय

क ब्लूम्स के स्थानांतरण पर परिहार्य आवर्ती व्यय

ढलाई संयंत्र (सीवी1) से ब्लूम्स[41] को ब्लूम लिफ्टिंग डिवाइस द्वारा उठाया जाता है और तैयार माल को भेजने के लिए व्यवस्थित रूप से रखने से पहले उन्हें चलित बीम शीतलक बेड पर स्थानांतरित किया जाता है। शीतलक बेड और स्थानांतरण टेबल (टीआरटी) में शुरुआत से ही ब्लूम्स को स्थानांतरित करने में समस्या आ रही थी, जिसके लिए संविदाएँ पर ट्रेलरों का उपयोग किया जाता था। डिस्चार्ज रोलर टेबल मई 2020 में खराब हो गई और मार्च 2020 में क्षति दायित्व अवधि समाप्त हो गई। सीईटी ने (20 सितंबर 2021) ढलाई संयंत्र सीवी1 के शीतलक बेड और ब्लूम्स को स्थानांतरित करने की अन्य सुविधाओं के प्रतिस्थापन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, बीएसपी ने इस प्रस्ताव पर

---

[41] ***ब्लूम्स का स्थानांतरण: - ब्लूम्स को 'क्रॉस ब्लूम लिफ्टिंग डिवाइस' द्वारा उठाया जाता है और 'वॉकिंग बीम कूलिंग बेड' पर स्थानांतरित किया जाता है। बाद में, हाइड्रोलिक रूप से संचालित पुशर डिवाइस द्वारा ब्लूम्स को कूलिंग बेड से 'ट्रांसफर रोलर टेबल (टीआरटी)' पर स्थानांतरित किया जाता है। टीआरटी इन्हें आगे की प्रक्रिया, जैसे रोलिंग, के लिए ले जाता है।***

आगे कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसमें 55 दिनों का बंद शामिल था। बीएसपी ने (नवंबर 2022) ट्रेलरों द्वारा ब्लूम्स के परिवहन की लागत को कम करने के लिए ब्लूम्स के एक से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए 80 टन क्षमता वाली एक स्थानांतरण कार स्थापित की। एक खाड़ी से दूसरी खाड़ी में माल के स्थानांतरण के लिए ट्रेलरों पर होने वाला व्यय लगभग ₹2.49 करोड़ प्रति वर्ष था। सीईटी ने (जुलाई 2023) ढलाई संयंत्र सीवी1 के लिए दो स्थानांतरण कारों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जिसकी अनुमानित लागत ₹7.32 करोड़ थी। नई सुविधाओं के साथ, ट्रेलरों द्वारा ब्लूम्स के स्थानांतरण पर होने वाला ₹2.49 करोड़ प्रति वर्ष का व्यय पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि, बीएसपी द्वारा इस प्रस्ताव को अभी तक लागू नहीं किया गया (नवंबर 2025)।

प्रबंधन ने (जून 2024) उत्तर दिया कि बीएसपी एसएमएस-III से ब्लूम्स की निकासी संबंधी लॉजिस्टिक/परिवहन समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठा रहा है। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) आगे कहा कि "बीएसपी के एसएमएस-III के ढलाई संयंत्र सीवी1 के लिए दो स्थानांतरण कारों की स्थापना" सितंबर 2024 में निर्धारित की गई। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण निकासी में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे ट्रेलरों के माध्यम से ब्लूम्स को स्थानांतरित करके दूर किया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मार्च 2018 में एसएमएस-III के चालू होने के सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बीएसपी इस बाधा को दूर करने में असमर्थ रही है और स्थानांतरण कारों की स्थापना होने तक ब्लूम्स के एक से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण पर प्रति वर्ष ₹2.49 करोड़ का आवर्ती व्यय वहन करना जारी रखे हुए है।

ख जल निकासी पंपों की स्थापना में विलंब:

एसएमएस-III के प्रत्येक ढलाई संयंत्र में एक शीतलन बेड होता है, जहाँ ढले हुए उत्पादों को प्रेषण से पहले रखा जाता है। शीतलन के लिए पानी का अत्यधिक रिसाव होता है, जिसके कारण शीतलन बेड/सतह के तल में पानी जमा हो जाता है। बीएसपी ने अक्टूबर 2018 में एसएमएस-III परिसर में जमा पानी को निकालने के लिए ₹3.23 करोड़ की अनुमानित लागत पर जल निकासी पंपों की आपूर्ति और स्थापना का प्रस्ताव दिया। पहली निविदा (1 जनवरी 2019) उच्च एल1 मूल्य के कारण रद्द कर दी गई और कार्य के लिए

पुनः निविदा जारी की गई। पुनः निविदा के बाद (जुलाई 2021), एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद (29 अगस्त 2022) ₹2.91 करोड़ की लागत पर 9 महीने की पूर्णता अवधि के साथ एक संविदाकार को कार्य अनुबंध दिया गया। एसएमएस-III के चालू होने के पांच वर्ष से अधिक समय बाद अंततः जल निकासी पंप स्थापित किया गया (अगस्त 2023)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल निकासी प्रणाली तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार परिकल्पित थी और इसे एसएमएस-III के साथ ही स्थापित किया जाना था। जल निकासी पंपों की स्थापना में विलंब के कारण, बीएसपी ने आपातकालीन आधार पर ₹0.10 करोड़ की लागत से वहनीय सबमर्सिबल पंप खरीदे। इसके अलावा, एसएमएस-III में जमा पानी को निकालने के लिए, बीएसपी ने एक संविदाकार को तीन संविदाएँ[42] (जनवरी से अप्रैल 2022) दिए, जिससे ₹1.92 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (जून 2024/फरवरी 2025) बताया कि बीएसपी तीनों कन्वर्टर और ढलाई संयंत्र पर उपकरण लगाने के लिए समानांतर कार्यस्थल उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है। उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्य में तेजी आते ही जल निकासी पैकेज के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई।

जवाबों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि चूंकि जल निकासी प्रणाली परियोजना विनिर्देश में परिकल्पित थी, इसलिए प्रबंधन को संविदाकार के माध्यम से संचित जल को पंप करके निकालने पर हुए ₹1.92 करोड़ के व्यय से बचने के लिए परियोजना का समय पर आवंटन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए था।

ग ब्लूम/बिलेट्स के चिन्हांकन और लेबलिंग पर परिहार्य व्यय

इस्पात मंत्रालय के "मेड इन इंडिया - इस्पात उत्पादों की ब्रांडिंग" संबंधी दिशानिर्देशों (मार्च 2023) के अनुसार, सभी प्रमुख इस्पात उत्पादकों के लिए प्रत्येक उत्पाद पर भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा निर्धारित मानक लेबल आकार और क्यूआर कोड होना अनिवार्य था। बिलेट्स/ब्लूम्स के मिश्रण और आंतरिक एवं बाहरी ग्राहकों को गलत उत्पादों को भेजने से बचने के लिए बीएसपी द्वारा एसएमएस-III में मार्कर मशीनें स्थापित की गईं (फरवरी

[42] *एसएमएस-III और उससे जुड़े केबल सुरंगों के कास्टरों में पानी के रिसाव और जल अवरोध की तत्काल मरम्मत के लिए तीन अनुबंध जारी किए गए।*

2024)। हालांकि, मशीन द्वारा की गई उत्कीर्णन स्पष्ट नहीं थी। बीएसपी के परियोजना विभाग ने सुझाव दिया कि पठनीयता में सुधार के लिए आगे कोई संशोधन संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए, नवंबर 2021 से जून 2026 की अवधि के लिए हॉट ब्लूम्स/बिलेट्स पर टैगिंग/लेबलिंग हेतु चार खरीद आदेश जारी किए गए और बीएसपी ने इस मद पर ₹32.92 करोड़ का व्यय किया। साथ ही, अक्टूबर 2023 तक चिन्हांकन मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

प्रबंधन/मंत्रालय (जून 2024/फरवरी 2025) ने उत्तर दिया कि एसएमएस-III के प्रत्येक ढलाई संयंत्र में चिन्हांकन मशीन स्थापित की गई, लेकिन ये मशीनें चालू नहीं थीं और पुरानी तकनीक पर आधारित थीं। उत्पाद की पहचान और अनुरेखण सुनिश्चित करने के साथ-साथ मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाजार की मांग के कारण चिन्हांकन मशीन के लिए खरीद आदेश जारी किए गए।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि चिन्हांकन मशीन की स्थापना के समय बाजार की मांग के अनुसार चिन्हांकन और लेबलिंग को ध्यान में रखा जाना था। इसके अलावा, चूंकि अनुरेखण और लेबलिंग मशीन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, इसलिए कंपनी आउटसोर्स किए गए अनुबंध के माध्यम से चिन्हांकन और लेबलिंग पर आवर्ती व्यय वहन करना जारी रखेगी।

6.2.3.5 अन्य मुद्दे

क घातक दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली सुरक्षा चूक

एसएआईएल की सुरक्षा नीति और सुरक्षा नियमावली में शून्य दुर्घटना का लक्ष्य रखा गया है। एसएआईएल अपने कर्मचारियों और अपने संयंत्रों, खानों और इकाइयों के आसपास रहने वाले लोगों सहित इससे जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

एसएमएस-III में, स्क्रैप बॉक्स के साथ धातु स्क्रैप को कन्वर्टर में लोड करने के लिए सेमी-पोर्टल क्रेन का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र में सेमी-पोर्टल क्रेन और ईओटी क्रेन की लगातार आवाजाही से कारखाने का फर्श अत्यधिक खतरनाक हो जाता है। इस्पात मंत्रालय के लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश 2019 के पैरा 3.7.1.1 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को वाहन के फुटरेस्ट पर खड़े होने या लोड किए गए सामान पर बैठने की अनुमति

नहीं दी जानी चाहिए। 8 मार्च 2022 को, एक सेमी-पोर्टल क्रेन असुरक्षित क्षेत्र में खड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप एक घातक दुर्घटना हुई।

प्रबंधन द्वारा किए गए दुर्घटना अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटनास्थल किसी भी कैमरे की कवरेज में नहीं था और यद्यपि आपातकालीन स्थिति में क्रेन को रोकने के लिए दो कॉर्नर स्विच लगाए गए थे, लेकिन उन पर कोई उचित चिह्न नहीं था और कार्यरत कर्मचारियों को इन स्विचों की जानकारी नहीं थी। इस्पात मंत्रालय के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को लोड किए गए ट्रक/भारी वाहन पर बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इस्पात मंत्रालय द्वारा लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का प्रबंधन द्वारा पालन न करने और कारखाने के अंदर भरे हुए ट्रक पर बैठने तथा असुरक्षित पार्किंग के कारण यह घातक दुर्घटना हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (जून 2024/फरवरी 2025) बताया कि रसद व्यवस्था में चूक के कारण दुर्घटना हुई और यह एक अलग घटना थी। मंत्रालय ने आगे (फरवरी 2025) कहा कि इस दुखद घटना के बाद, बीएसपी ने कई कठोर उपाय लागू किए, जैसे कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करना, इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समिति की सिफारिशों को लागू करना, बिना अनुमति के वाहनों और कर्मियों के प्रवेश को सीमित करना आदि।

कंपनी द्वारा इस्पात मंत्रालय के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित न कर पाने के कारण हुई घातक दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए उत्तरों पर विचार किया जा सकता है।

ख अग्नि सुरक्षा प्रणाली का अभाव

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एकीकृत इस्पात उद्योग को खतरनाक प्रक्रिया उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम की धारा 38 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कारखाने में आग लगने और उसके फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

भिलाई स्टील संयंत्र के एसएमएस-III में मूल ऑक्सीजन भट्ठी और सतत ढलाई संयंत्र के लिए अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना का अनुबंध (2 अप्रैल 2013 को) ₹11.37 करोड़ में

एक संविदाकार को दिया गया, जिसका समापन अनुबंध पर हस्ताक्षर की तारीख से 12 महीने की अवधि में यानी 01 अप्रैल 2014 तक निर्धारित था। कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी, लेकिन प्रबंधन ने समय पर अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए संविदाकार के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की।

बीएसपी ने संविदाकार को जोखिम खरीद नोटिस जारी किया (दिसंबर 2018), जिसके उत्तर में संविदाकार ने धन की भारी कमी के कारण शेष कार्य पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की। शेष कार्य के लिए पुनः निविदा जारी की गई (अक्टूबर 2019) और इसे दूसरे संविदाकार को सौंपा गया। प्रारंभिक संविदाकार का मामला एनसीएलटी को भेजा गया (मार्च 2019)। अंततः, नौ साल से अधिक की विलंब के बाद, अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई (16 मई 2023)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2018 में एसएमएस-III के संचालन के बाद से 22 आग लगने की घटनाएं घटी हैं। इनमें से एक बड़ी घटना 7 अक्टूबर 2022 को हुई, जिसमें लगभग ₹1 करोड़ मूल्य की कन्वेयर बेल्ट प्रभावित हुई। घटना की जांच करने वाली समिति ने अनुशंसा की कि ऊर्ध्वाधर कन्वेयर बेल्ट के पास अग्निशमन प्रणाली स्थापित की जाए।

प्रबंधन ने (जून 2024) बताया कि आग दुर्घटनाओं के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है और भविष्य में सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों को लेकर अधिक सावधानी बरती जाएगी। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) उत्तर दिया कि दिसंबर 2018 में जिस पक्ष को काम सौंपा था, उसके खिलाफ जोखिम खरीद नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उस पक्ष ने काम करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसके बाद, अनुबंध समाप्त कर दिया गया, पुनः निविदा जारी की गई और दूसरे संविदाकार को सौंप दिया गया तथा मई 2023 में कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया गया।

इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की समयबद्ध स्थापना सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की कुंजी है और प्रबंधन द्वारा इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि भविष्य की परियोजनाओं में भी अग्नि दुर्घटनाओं और परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

ग एसएआईएल की परियोजना अनुबंध प्रबंधन प्रणाली के नियमावली के उल्लंघन में पूर्ण/चालू किए गए अनुबंधों को बंद न करना।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के परियोजना अनुबंध प्रबंधन प्रणाली (पीसीएमएस) नियमावली (दिसंबर 2000) के खंड 15.2 के अनुसार, अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र (एफ़एसी) जारी होने के तीन महीने के भीतर अनुबंध को पूरा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसएमएस-III के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत दिए गए 35 अनुबंधों में से 31 अनुबंध किए गए। 13 पूर्ण अनुबंधों के लिए एफ़एसी जारी किया गया, जिनमें से पांच अनुबंध पीसीएमएस के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए (अगस्त 2025 तक) समाप्त नहीं किए गए।

प्रबंधन ने (जून 2024) उत्तर दिया कि एफएसी जारी होने के बाद संविदाकारों द्वारा आईआर स्वीकृति और रॉयल्टी स्वीकृति जैसे सांविधिक दस्तावेजों को जमा करने में विलंब के कारण अनुबंधों को पूरा करने में विलंब हुआ। मंत्रालय ने (फरवरी 2025) आगे कहा कि बाहरी अप्रत्याशित कारकों के अलावा, आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के दौरान परिचालन संबंधी चुनौतियों, जिनमें डिजाइन और कार्यस्थल आवंटन में समायोजन शामिल थे, के कारण भी विलंब हुआ।

इन जवाबों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि अच्छे परियोजना प्रबंधन के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना और अनुबंधों को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देना आवश्यक है। इस प्रकार की विलंब संविदाकारों पर कंपनी के किसी भी प्रतिदावे को भी प्रभावित कर सकती है।

6.2.4 निष्कर्ष

सेल बोर्ड ने (अप्रैल 2007 में) भिलाई इस्पात संयंत्र में कुल सात मिलियन टन प्रति वर्ष कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के अंतर्गत चार मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले एसएमएस-III संयंत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। एसएमएस-III में सतत ढलाई संयंत्र में तीन मूल ऑक्सीजन भट्टियों और चार ढलाई मशीनों की स्थापना शामिल थी। मूल ऑक्सीजन भट्टियों और ढलाई मशीनों के लिए अनुबंध अक्टूबर 2008/अप्रैल 2009 में दिए थे, जिनका पूरा होने का निर्धारित समय अगस्त 2011/दिसंबर 2011 था। हालांकि, एसएमएस-III ने छह साल से अधिक की विलंब के बाद मार्च 2018 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया,

जिसके परिणामस्वरूप 2011 से 2018 के दौरान चार मिलियन टन प्रति वर्ष कच्चे इस्पात के उत्पादन में संभावित नुकसान हुआ।

विलंब के कारणों में संविदाकारों को कार्यस्थल सौंपने में विलंब, अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विलंब, सिविल और संरचनात्मक पैकेज के पूरा होने में विलंब, यूनिवर्सल बीम मिल का स्थगन, संबद्ध पैकेजों के चालू होने में विलंब आदि शामिल थे। संभावित उत्पादन हानि के अलावा, बीएसपी को अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रभार (₹24 करोड़), संविदाकार को विलंब अवधि के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (₹19.15 करोड़), क्षतिग्रस्त वस्तुओं का प्रतिस्थापन (₹4.89 करोड़) और सामग्री की चोरी (₹5.53 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय और एसएमएस-III में घटकों के लिए वैकल्पिक अंतरिम व्यवस्था पर अतिरिक्त व्यय भी वहन करना पड़ा। प्रबंधन नौ साल की विलंब के बाद अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित होने के कारण संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा और निर्धारित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने में भी असमर्थ रहा।

एसएमएस-III की स्थापना और संचालन परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के दौरान विभिन्न चरणों पर कई परिचालन कमियों को उजागर करता है।

अनुशंसा 19: प्रबंधन एसएमएस-III परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे ताकि भविष्य में ऐसी चूक की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यह एसएमएस-III में वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर होने वाले आवर्ती व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए। संयंत्रों में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की सभी परियोजनाओं में सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

6.3 सीएमओ/सेल की वितरक योजना का निष्पादन

6.3.1 परिचय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी) के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित इस्पात उत्पादों का विपणन नवंबर 2016 तक कोलकाता स्थित केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) द्वारा अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता था। ये डीलर टीएमटी बार/कॉइल और गैल्वनाइज्ड नालीदार शीट आदि जैसे उत्पादों को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते थे। व्यावसायिक परिदृश्य में बदलाव और तत्कालीन डीलरशिप

योजना की कमियों को ध्यान में रखते हुए, सीएमओ ने (नवंबर 2016 में) एक 'दो-स्तरीय वितरक योजना' शुरू। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी)[43] ने भी (अक्टूबर 2017 में) एक संशोधित योजना के तहत खुदरा मॉडल अपनाने की अनुशंसा की थी। दो-स्तरीय वितरक योजना के तहत, सीएमओ को एक निर्धारित समूह में नियुक्त करना था और वितरकों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में डीलरों को नियुक्त करें, जिससे डीलरों को उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और अंतिम ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेल के सेवा, मूल्यवर्धन, बिक्री और विपणन प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जा सके। वितरक समय-समय पर सेल द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रतिशत के हिसाब से छूट के हकदार थे। वितरकों की नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए की गई, जिसे एसएआईएल के विकल्प पर अधिकतम दो साल तक बढ़ा सकते थे।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे:

- कुशल वितरण चैनलों के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में अंतिम ग्राहक तक पहुंचना।
- उत्पादों, वितरण, सेवाओं में मूल्यवर्धन और ब्रांड निर्माण के माध्यम से ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करना।
- चिन्हित बाजार खंडों और स्थानों में सेल की बाजार हिस्सेदारी और शुद्ध बिक्री प्राप्ति में सुधार करना।

लेखापरीक्षा में कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग) के कार्यालय, सभी चार क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और 37 में से चयनित 10 शाखा बिक्री कार्यालयों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए दो स्तरीय वितरकों के माध्यम से खुदरा बिक्री से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कार्यरत 50 दो स्तरीय वितरकों में से 20 वितरकों (40 प्रतिशत) की अनुबंध फाइलों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, अनुबंधों के अनुसार प्रदान की जाने वाली बुनियादी अवसंरचना और अन्य सेवाओं की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए 11 दो स्तरीय वितरकों (22 प्रतिशत) के परिसरों का दौरा भी किया गया।

---

[43] ***कंपनी के व्यापक सुधार के कार्य योजना पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।***

6.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

दो स्तरीय वितरण चैनल में एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में सेल और उससे जुड़े कई सेल शामिल थे। बीसीजी ने अपनी रिपोर्ट (अक्टूबर 2017) में बताया कि खुदरा क्षेत्र में सेल की पहुंच अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से कम थी। सेल ने एबीपी 2021-22 में अल्पावधि में खुदरा बिक्री को एक मिलियन टन और दीर्घावधि में दो मिलियन टन तक बढ़ाने का कार्य योजना तैयार की। लेखापरीक्षा ने वितरक योजना के निष्पादन का विश्लेषण किया और इसके निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

6.3.2.1 वितरक योजना के अंतर्गत निष्पादन

लेखापरीक्षा ने कंपनी द्वारा खुदरा खंड के लिए वार्षिक व्यवसाय परिप्रेक्ष्य (एबीपी) के तहत निर्धारित लक्ष्य और 2019-20 से 2023-24 के दौरान उसकी उपलब्धि की समीक्षा की और पाया कि, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है, पांच वर्षों के दौरान लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं हुआ:

तालिका 6.10: 2020-24 के दौरान टीएमटी की वास्तविक बिक्री और खुदरा नेटवर्क के माध्यम से बिक्री बनाम लक्ष्य

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	घरेलू बिक्री के लिए टीएमटी उपलब्ध है[44]	वितरकों द्वारा तय की गई वार्षिक मात्रा	खुदरा चैनल के लिए एबीपी	वास्तविक बिक्री		उपलब्धि (% में)		अंतिम रहतिया
				कुल बिक्री[45]	वितरकों के माध्यम से	ए बी पी का	वितरक द्वारा तय की गई मात्रा के अनुसार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=5/4*100	(8)=6/3*100	(9)
2019-20	2.72	0.28	1.00	0.55	0.28	55	100	0.20
2020-21	2.04	0.51	0.70	0.46	0.39	66	76	0.09
2021-22	2.63	0.54	1.00	0.59	0.54	59	100	0.05
2022-23	2.57	0.56	1.00	0.72	0.65	72	116	0.17
2023-24	3.06	0.72	1.00	0.95	0.85	95	118	0.22

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

[44] घरेलू बिक्री के लिए अनुमानित बिक्री में खुदरा क्षेत्र और खुदरा क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों, जैसे कि परियोजनाएं, रक्षा, उपभोक्ता आदि के माध्यम से होने वाली अनुमानित बिक्री शामिल है।

[45] खुदरा चैनल में कुल बिक्री में दो-स्तरीय वितरण प्रणाली के तहत वितरकों को की गई बिक्री और एसएआईएल के सीधे नियंत्रण में आने वाले डीलरों को की गई बिक्री शामिल है।

- जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2019-20 से 2023-24 के दौरान, खुदरा क्षेत्र में कुल बिक्री 0.55 मिलियन टन से 0.95 मिलियन टन रही, जबकि वार्षिक व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य (एबीपी) इन पांच वर्षों में से चार वर्षों के लिए एक मिलियन टन था। एबीपी की तुलना में उपलब्धि 55 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच रही। यह तब भी था जब कंपनी के पास प्रत्येक वर्ष के अंत में पर्याप्त भंडार था।

- उपरोक्त तालिका में यह भी देखा जा सकता है कि चिन्हित समूहों में वितरकों की नियुक्ति के अनुपात में बिक्री में वृद्धि हुई। वितरकों के साथ तय की गई वार्षिक मात्रा 0.28 मिलियन टन से बढ़कर 0.72 मिलियन टन हो जाने के कारण, 2019-20 से 2023-24 के दौरान वितरक चैनल के माध्यम से वास्तविक बिक्री भी 0.55 मिलियन टन से बढ़कर 0.95 मिलियन टन हो गई।

वितरक योजना के तहत सेल का निष्पादन वितरक नेटवर्क के धीमे विकास, कम व्यास (8-12 मिमी) वाले टीएम की अपर्याप्त उपलब्धता, निष्क्रिय डीलरों आदि के कारण सीमित रहा। इन बाधाओं को दूर करने में कंपनी की असमर्थता के परिणामस्वरूप अन्य प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकों के हाथों बाजार हिस्सेदारी का नुकसान हुआ, साथ ही खुदरा चैनल में उच्च शुद्ध बिक्री प्राप्ति का भी नुकसान हुआ, जिसकी चर्चा आगे के अनुच्छेदों में की गई है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2025/जनवरी 2026) में कहा कि पिछले कुछ वर्षों के अनुभव, अपेक्षित नीतिगत परिवर्तनों और आकार-मिश्रण में सुधार के साथ, कुल टीएमटी बिक्री में खुदरा बिक्री की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में काफी अधिक होगी। कंपनी वेट लीजिंग एजेंटों और अपनी इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से कम व्यास वाले टीएमटी की उपलब्धता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही थी। 31 मार्च 2025 तक, सेल ने टियर-II वितरक मॉडल के माध्यम से अपनी टीएमटी बिक्री का 45 प्रतिशत हासिल किया और 2025-26 के लिए, इसका 2.28 मिलियन टन टीएमटी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, जिसमें बिक्री प्रतिशत को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना के प्रारंभ होने के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सेल पैरा 2.2.1 में वर्णित प्रत्येक चिन्हित समूह में वितरक नियुक्त करने में असमर्थ रहा। साथ ही, सेल बाहरी प्रसंस्करण एजेंटों[46] का उचित उपयोग करके या अपनी इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से कम व्यास वाले टीएमटी की आवश्यक मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सक्षम नहीं रहा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अन्य निजी ग्राहकों को सेमीकंडक्टर स्टील की बिक्री जारी रही।

6.3.2.2 वितरक योजना का कार्यान्वयन

वितरक एवं डीलर नेटवर्क का धीमा विकास

31 मार्च 2020 तक, सेल ने चिन्हित 47 समूहों में से 32 में वितरक नियुक्त किए। चिन्हित समूहों की संख्या बढ़कर 71 (जून 2023) हो गई, जिसके मुकाबले 48 समूहों में 50 वितरक नियुक्त किए गए (मार्च 2024)। इस प्रकार, 23 समूह बिना समर्पित वितरकों के रह गए।

चिह्नित समूहों की संख्या में वृद्धि के साथ, सक्रिय डीलरों की संख्या भी 2019-2024 के दौरान 975 से बढ़कर 2,297 हो गई। हालांकि, बिक्री का अधिकांश हिस्सा (46 प्रतिशत से अधिक) कुल डीलरों में से कुछ ही डीलरों (4.91 प्रतिशत) के पास केंद्रित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान घरेलू बाजार में बार और रॉड की खपत 39.33 मिलियन टन से बढ़कर 57.34 मिलियन टन (18.01 प्रतिशत)[47] हो गई। कंपनी अपनी हिस्सेदारी में आनुपातिक वृद्धि करने में असमर्थ रही। कंपनी ने कुल टीएमटी बिक्री[48] का 29 प्रतिशत से 32 प्रतिशत खुदरा बिक्री के माध्यम से बेचा। हालांकि, 2019-20 से 2023-24 के दौरान बार और रॉड क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 5.5 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत (1.2 प्रतिशत की वृद्धि) के बीच रही। वितरकों की नियुक्ति में विलंब ने उन

[46] *चूंकि सेल के संयंत्रों में कम व्यास वाले टीएमटी के उत्पादन की क्षमता सीमित थी, इसलिए इसकी व्यवस्था बाहरी प्रसंस्करण घटकों (रूपांतरण घटक/वेट लीजिंग घटक) के माध्यम से की गई।*

[47] *स्रोत: सीएमओ/एसएआईएल के बाजार विश्लेषक समूह की रिपोर्ट।*

[48] *इसमें मुख्य रूप से राउंड/टीएमटी, वायर रॉड (टीएमटी) और वायर रॉड कॉइल शामिल हैं। सेल में बार और रॉड सेगमेंट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा टीएमटी से संबंधित है।*

समूहों में बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया जहां खुदरा मार्ग समर्पित वितरकों के माध्यम से संचालित नहीं किया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (मई 2025/जनवरी 2026) उत्तर दिया कि वितरकों के चयन के लिए एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन खुली निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा, अक्टूबर 2025 तक 65 समूहों में 64 वितरक कार्यरत थे, जिनकी मासिक प्रतिबद्धता मात्रा 1,14,000 टन थी। समूह की क्षमता को देखते हुए, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त वितरकों की नियुक्ति भी की।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जैसा कि ऊपर तालिका 1 में दिखाया गया है, बिक्री में वृद्धि वितरकों की नियुक्ति के अनुपात में थी। फिर भी, सेल अपने सभी चिन्हित समूहों में वितरक नियुक्त करने में असमर्थ रहा। साथ ही, यद्यपि बिक्री में सुधार हुआ, यह कुछ ही डीलरों तक सीमित थी।

ख दो स्तरीय वितरक द्वारा मासिक प्रतिबद्धता पूरी न करने पर कटौती में विलंब

योजना के तहत वितरक की मासिक प्रतिबद्धता मात्रा क्षेत्र की बिक्री क्षमता के आधार पर तय की थी। अनुबंध के अनुसार निर्धारित मात्रा प्राप्त न करने की स्थिति में, वितरक के पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत की कटौती की जानी थी। वितरकों को डीलर नेटवर्क विकसित करने, बिक्री दल को प्रशिक्षण देने आदि के लिए नियुक्ति पत्र की तिथि से तीन कैलेंडर महीनों की व्यावसायिक विकास अवधि दी गई और इस अवधि के दौरान उन्हें मात्रा, डीलर की संख्या आदि के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने से छूट दी गई। हालांकि, वितरक से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पहले तीन महीनों में हुई मात्रा की कमी को शेष नौ महीनों में समान रूप से वितरित करके पूरा करे, ताकि उसकी नियुक्ति के पहले बारह महीनों में संचालन के पहले वर्ष की वार्षिक प्रतिबद्धता पूरी हो सके। डीलरों को की जाने वाली मासिक बिक्री की प्रतिबद्धता की पूर्ति की गणना एक कैलेंडर तिमाही के औसत के आधार पर की जानी थी। हालांकि, इस योजना में शास्ति के समायोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-2024 के दौरान संचालित 2,120 महीनों में से 1,102 महीनों में माल की ढुलाई में कमी रही और लगभग सभी नियुक्त वितरकों ने एक से अधिक महीनों तक अपनी निर्धारित मात्रा की ढुलाई नहीं की। इसके अलावा, हालांकि 2019-

24 के दौरान पांच में से चार वर्षों में वार्षिक प्रतिबद्धताओं को पूरा किया गया, यह पाया गया कि मासिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर शास्ति आदर्श रूप से कैलेंडर तिमाही के अंत से बिल में समायोजित किया जाना चाहिए। मई 2020 से मई 2024 की अवधि के दौरान आपूर्ति माह से शास्ति के समायोजन में 1-9 महीने का विलंब हुआ। प्रबंधन आठ वितरकों से 10 प्रतिशत पारिश्रमिक (₹42.34 लाख) का समायोजन विफलता के बाद के महीने में करने में विफल रहा और कैलेंडर तिमाही के अंत में 1-9 महीने के विलंब से इसका समायोजन किया। सितंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच आठ महीनों में मासिक प्रतिबद्धता पूरी न करने के लिए जलपाईगुड़ी के एक वितरक से शास्ति (₹9.68 लाख) पाँच साल बाद (मार्च 2025) वसूल किया गया। अन्य वितरकों के संबंध में विलंबित कटौती का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया।

प्रबंधन ने (मई 2025) उत्तर दिया कि खुदरा चैनल के माध्यम से बिक्री में सुधार हो रहा है क्योंकि नए वितरकों की नियुक्ति के साथ मार्ग की अवसंरचना सुधर रही है और परिपक्व हो रही है। मंत्रालय ने (जनवरी 2026) उत्तर दिया कि नए वितरकों की नियुक्ति के साथ मार्ग की अवसंरचना सुधर रही है और परिपक्व हो रही है। शाखा को पारिश्रमिक के समायोजन के लिए क्रेडिट और डेबिट नोट समय पर जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि नीति 2016 में लागू की गई और सात साल बीत जाने के बाद भी डेबिट/क्रेडिट नोटों का समायोजन सुव्यवस्थित नहीं हो पाया है।

ग खुदरा क्षेत्र में संचित प्रचार बजट का अपर्याप्त उपयोग

कंपनी की बिक्री बढ़ाने में प्रचार गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे बोर्ड ने अपनी 469वीं बैठक (14 फरवरी 2020) में स्वीकार किया था, जब उसने ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने, बाजार में पैठ बढ़ाने, विज्ञापन और ब्रांड छवि में सुधार करने आदि के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त करने का सुझाव दिया था, जिसका उद्देश्य अधिक बिक्री करना था।

वितरक योजना के अनुसार, वितरकों को प्रचार गतिविधियों के माध्यम से कंपनी के उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने, ऑर्डर प्राप्त करने और डीलरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिक्री बल बनाए रखने, अंतिम उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने और कंपनी के ब्रांड

निर्माण प्रयासों में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कंपनी ने दो स्तरीय वितरकों को बेची गई मात्रा पर ₹100 प्रति टन का भुगतान किया। खुदरा चैनल पर कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले प्रचार अभियान के लिए अतिरिक्त ₹200 प्रति टन भी आवंटित किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए आवंटित ₹66.73 करोड़ के प्रचार बजट के मुकाबले केवल ₹34.76 करोड़[49] का ही उपयोग किया गया। इसके अलावा, कंपनी बोर्ड द्वारा सुझाए गए परामर्शदाता की नियुक्ति करने में भी असमर्थ रही, जिसका उद्देश्य एक समान और प्रभावशाली विज्ञापन और ब्रांडिंग के माध्यम से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (मई 2025/जनवरी 2026) लेखापरीक्षा के विचारों को स्वीकार किया और कहा कि प्रचार गतिविधियों पर वास्तविक उपयोग अपेक्षित राशि से काफी कम था और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे थे। कंपनी ने ई-बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार रणनीतियों/डिजिटल मार्केटिंग तैयार करने और लागू करने हेतु सेल के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन अभिकरण के पैनल में शामिल करने हेतु एक खुली निविदा जारी की थी।

इन प्रतिक्रियाओं को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रचार गतिविधियाँ योजना की सफलता सुनिश्चित करने और बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आवंटित प्रचार बजट का बेहतर उपयोग कंपनी के उत्पाद और उसके ब्रांड नाम की दृश्यता को बढ़ा सकता था।

घ विभागीय अनुमान तैयार करने में एकरूपता न होना

दो स्तरीय वितरक योजना के तहत वितरकों को समय-समय पर सेल द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर वितरक छूट (प्रतिशत में) के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वितरक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले बोलीदाताओं ने वितरक छूट का उल्लेख किया और तदनुसार, बोलीदाता को एक विशिष्ट क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान किया गया। निविदा को

[49] ***आरओ, एनआर (2019-20 से 2021-22) और आरओ, एसआर (2019-20) के विवरण को छोड़कर, जिनके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।***

अंतिम रूप देने के लिए, कंपनी ने विभागीय अनुमानों की तैयारी के लिए विचार किए जा वाले विभिन्न लागत घटकों[50] की पहचान की।

प्रबंधन ने (मई 2025) उत्तर दिया कि विचार किए जाने वाले लागत घटकों/कारकों व संबंध में दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। मूल्यह्रास दरों सहित एक समान अनुमान की तैयारी में मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने (जनवरी 2026) कहा कि टियर-2 वितरणकर्ता के संशोधित नीति दिशानिर्देशों में इस मुद्दे का समाधान कर दिय गया है।

6.3.2.3 निगरानी

योजना के अनुसार, वितरक अपने निर्धारित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अधिकत जिलों/तालुकों/ब्लॉकों आदि को कवर करने के लिए सेल के परामर्श से डीलरों की नियुक्ति करने, सेल द्वारा वितरक के लिए निर्धारित क्षेत्र में नियुक्त डीलरों को सामग्री उपलब्ध कराने, डीलरों की गतिविधियों की निगरानी करने ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीलरों की भूमिकाएँ/जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाई जा रही हैं, और डीलरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेल उत्पादों के भंडार रखने के लिए उपयुक्त भंडारण स्थल, जिसम आच्छादित कार्यस्थल भी शामिल है, उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

- कंपनी ने अक्टूबर 2018 में ₹21.08 लाख की लागत से 'बंधन' सॉफ्टवेयर ला किया। मार्च 2021 से सॉफ्टवेयर का वार्षिक रखरखाव खर्च ₹3.07 लाख था। इस सॉफ्टवेय का उद्देश्य वितरक और डीलरों के परिसर में आकार के अनुसार विस्तृत माल-भंडार का पत लगाना, वितरक द्वारा डीलरों को और डीलर द्वारा अंतिम ग्राहक को जारी किए गए चाला का वास्तविक समय में पता लगाना और माल-भंडार के एक निर्धारित स्तर से नीचे गिर पर स्वतः ही मांग पत्र तैयार करना था।

[50] *नियोजित पूंजी की लागत, परिवहन शुल्क, पूर्व निर्धारित दरों से अधिक अतिरिक्त व्यय जैसे कि ड कॉइलिंग/सीधा करना/काटना/बंडलिंग, बेंडिंग/री-बंडलिंग/रीपैकेजिंग, टैगिंग, स्ट्रैपिंग, वजन, हैंडलिंग शुल्क बिक्री बल की नियुक्ति, प्रशिक्षण और रखरखाव, सेल और डीलरों के साथ आईटी एकीकरण के लि निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर की लागत, विविध व्यय आदि और लाभ मार्जिन।*

कंपनी अक्टूबर 2024 तक 50 वितरकों के अंतर्गत सूचीबद्ध 4,492 डीलरों में से 1,981 वितरकों में सॉफ्टवेयर लागू करने में सक्षम रही। 22 वितरक अपने कुल सूचीबद्ध 2,628 डीलरों में से 1,818 डीलरों में बंधन सॉफ्टवेयर को समरूप नहीं बना पाए। सभी डीलरों में सॉफ्टवेयर समरूप न होने के कारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिकल्पित निगरानी तंत्र को प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान जिलेवार बिक्री रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी। जिलेवार बिक्री रिपोर्ट 2022-23 से प्राप्त की गई, लेकिन 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः 86 प्रतिशत और 24 प्रतिशत बिक्री के संबंध में जिला विवरण खाली थे। इसलिए प्रबंधन कुछ वितरकों द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन की निगरानी करने में असमर्थ रहा। 2022-24 के दौरान 33 जिलों में एक से अधिक वितरक कार्यरत थे, हालांकि वितरकों के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को जिलों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। हालांकि, अनुबंध में दोषी वितरक पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं था।

प्रबंधन ने (मई 2025) सूचित किया कि 'बंधन' सॉफ़्टवेयर 'शिप टू' डेटा को नहीं दर्शा रहा था। सुधारात्मक कार्रवाई की गई और अब 'बिल टू' और 'शिप टू' दोनों का विवरण दर्शाया जा रहा था। डीलर अन्य लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे थे और अपना डेटा साझा नहीं करना चाहते थे। मंत्रालय ने (जनवरी 2026) उत्तर दिया कि बंधन सॉफ़्टवेयर के लिए विक्रेता का अनुबंध जून 2026 तक वैध था और कंपनी आवश्यक सुधारों को अंतिम रूप दे रही थी तथा अगले निविदा में उपयुक्त परिवर्तन शामिल किए जाएंगे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर 2018 में स्थापित किया गया था और प्रबंधन इसका पूर्ण रूप से लाभप्रद उपयोग करने में असमर्थ रहा था। पता लगाए गए डीलरों के लिए जिला विवरण एकत्र करने की दर 2022-24 के दौरान 14 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई।

- खुदरा ग्राहकों को बिक्री में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, नीति में यह निर्धारित किया गया था कि वितरकों को प्रत्येक मासिक निर्धारित मात्रा के आकार में कम से कम 10 दिनों की बिक्री के बराबर भंडार बनाए रखना होगा। डीलरों को बदले में कम से कम 15 दिनों का भंडार बनाए रखना होगा। कंपनी ने वितरक छूट निर्धारित करते समय 10 दिनों के भंडार धारण के लिए अनुमानित वित्त लागत पर विचार किया। लेखापरीक्षा ने

यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर 50 में से 24 (48 प्रतिशत) वितरकों की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की और पाया कि वितरकों द्वारा न्यूनतम भंडार नहीं बनाए रखा गया। इसके अलावा, 17 (2022-23) से 27 (2020-21)[51] वितरकों ने अपनी वार्षिक निर्धारित मात्रा नहीं उठाई, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम भंडार बनाए रखना सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, भंडार खत्म होने की संभावित स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2025) में कहा कि वितरक के लिए 10 दिनों का भंडार रखना उद्योग मानकों के अनुरूप एक आदर्श स्थिति मानी गई। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि टीएमटी एक अभियान उत्पाद है और कभी-कभी अभियान 30 दिनों से अधिक के विलंब से शुरू हो सकता है या संयंत्र स्तर पर तकनीकी समस्याओं के कारण संयंत्र किसी विशेष मात्रा की आपूर्ति बंद कर सकता है। परिणामस्वरूप, इन मामलों में पुनःपूर्ति की अवधि 30 दिनों से अधिक हो सकती है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी को इस बात की जानकारी थी कि टीएमटी एक अभियान उत्पाद है और इस्पात संयंत्रों से आपूर्ति चक्र लगभग 30 दिनों का होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण था कि वितरक अपनी निर्धारित मात्रा में माल उठाएं। वितरकों और डीलरों दोनों को वांछित भंडार स्तर बनाए रखना आवश्यक था, ताकि दो अभियानों के बीच के अंतराल में भंडार की कमी की स्थिति से बचा जा सके।

- वितरकों की यह जिम्मेदारी थी कि वे निर्धारित प्रारूप के अनुसार समय-समय पर सेल को उसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों, बाजार संबंधी जानकारी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शाखा के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी मौखिक रूप से या टेलीफोन पर ही एकत्र की गई। व्यवस्थित दस्तावेजी जानकारी के अभाव में, निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का अपेक्षित उपयोग संभव नहीं हो सका।

***

[51] ***2019-20 (20 वितरक), 2021-22 (22 वितरक) और 2023-24 (20 वितरक) के दौरान उन्होंने अपनी वार्षिक निर्धारित मात्रा नहीं उठाई।***

वितरकों को अपने डीलरों से नियमित रूप से मिलना भी अनिवार्य था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीलरों की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई। हालांकि डीलरों के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह का खर्च वितरक छूट में शामिल था, फिर भी चिन्हित 48 समूहों में से केवल सात में ही वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया।

इसके अलावा, शाखा वितरकों के मासिक निष्पादन की जानकारी निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से देती थी, जिसमें लक्ष्यों के मुकाबले वितरकों के निष्पादन का उल्लेख किया जाता था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एकसमान प्रारूप में नहीं रखी गई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2025) में आश्वासन दिया कि वितरकों की सभी भूमिकाओं को शामिल करते हुए एक समान निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि उनकी सभी भूमिकाओं/जिम्मेदारियों को शामिल करते हुए निष्पादन मूल्यांकन टेम्पलेट लागू कर दिया गया है और मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाएगा।

- योजना के अनुसार, वितरकों को केवल सेल के उत्पादों की ही मार्केटिंग करनी थी और उन्हें उसी परिसर में किसी अन्य उत्पादक के स्टील सामग्री का कारोबार नहीं करना था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरकों ने सेल को आवंटित परिसर में अन्य उत्पादकों के उत्पादों का भंडार रखा हुआ था। प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2025) में कहा कि समझौते के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। मंत्रालय ने उत्तर (जनवरी 2026) में कहा कि एक वितरक ने स्थानीय ब्रांड रखे थे क्योंकि सेल टीएमटी कॉइल की आपूर्ति नहीं कर रहा था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वितरकों ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया और ऐसे कार्यों पर सख्ती से रोक लगाना आवश्यक था।

6.3.3 निष्कर्ष

योजना, जिसका उद्देश्य खुदरा क्षेत्र में अंतिम ग्राहकों तक सेल की पहुंच बढ़ाना था, को अपनाने के सात साल बाद भी कंपनी द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। चिन्हित समूहों में आवश्यक वितरकों की नियुक्ति में कंपनी की अक्षमता, वितरकों के साथ अनुबंधों

का प्रभावी प्रबंधन और वितरकों तथा उनसे जुड़े डीलरों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी आदि ने खुदरा क्षेत्र में सेल की बाजार वृद्धि को सीमित कर दिया।

अनुशंसा 20: कंपनी सभी चिन्हित समूहों में वितरकों की नियुक्ति के लिए सक्रिय कदम उठाए और समय-समय पर चिन्हित समूहों के निष्पादन की समीक्षा करे ।

अनुशंसा 21: खुदरा क्षेत्र में सेल उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए वितरकों और डीलरों के माध्यम से योजना और उसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए ।

6.4 दुर्गापुर स्टील संयंत्र में नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में विलंब

दुर्गापुर स्टील संयंत्र में ऑक्सीजन संयंत्र (1250 टीपीडी) के अनुबंध के आवंटन में विलंब के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वर्तमान अनुबंध का विस्तार हुआ और सेल पर ₹172.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का दुर्गापुर स्टील संयंत्र (डीएसपी) अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को दो कैप्टिव संयंत्रों (प्रत्येक 710 टन प्रति दिन) से पूरा करता है, जिन्हें 1992-93 में स्थापित किया गया, और एक 700 टन प्रति दिन (टीपीडी) ऑक्सीजन संयंत्र से भी पूरा करता है, जिसे अक्टूबर 2023 तक वैध बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) समझौते के तहत एक संविदाकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। कैप्टिव संयंत्रों की उपयोगी अवधि समाप्त हो चुकी थी और वे 650 टन प्रति दिन की कम क्षमता पर संचालित हो रहे थे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सेल बोर्ड ने (जून 2021 में) वर्तमान अनुबंध की समाप्ति पर अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीओओ आधार पर 1250 टीपीडी क्षमता का एक नया ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

सेल बोर्ड ने (अगस्त 2021) डीएसपी के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जिसमें नए बीओओ ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक 5.56 एकड़ भूमि को 23 वर्ष और 2 महीने की अवधि के लिए पट्टे पर देने की बात कही गई, जिसमें पांच साल के नवीनीकरण का प्रावधान भी था। सेल ने (सितंबर 2021) इस परियोजना के लिए इस्पात मंत्रालय से अनुमति मांगी, लेकिन मंत्रालय ने (नवंबर 2021) कंपनी को प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई

से पहले पट्टे की शर्तों और नियमों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, सेल बोर्ड ने (मार्च 2022) सफल बोलीदाता को भूमि आवंटन के लिए संशोधित तौर-तरीकों और शर्तों को स्वीकृति दी और (मई 2022) इसकी सूचना मंत्रालय को दी। मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद (मई 2023), सेल बोर्ड ने (अगस्त 2023) दूसरे चरण की स्वीकृति दे दी।

नए ऑक्सीजन संयंत्र के लिए बीओओ आधार पर परियोजना (अगस्त 2023) एक अन्य संविदाकार को 26 महीने की समय-सीमा के साथ दी गई। हालांकि, नए समझौते को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण, डीएसपी ने ऑक्सीजन की कमी को रोकने और उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने के लिए संशोधित शर्तों के साथ अपने वर्तमान बीओओ अनुबंध को पांच साल के लिए अक्टूबर 2028 तक नवीनीकृत (जुलाई 2023) कर दिया।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें देखी गईं:

(i) सेल कॉर्पोरेट कार्यालय में परियोजना की स्वीकृति के दौरान, निदेशक मंडल की समिति (नवंबर 2020) ने पाया कि परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन प्रथम चरण की स्वीकृति से तीन साल से अधिक समय तक चल सकता है, जबकि वर्तमान बीओओ अनुबंध अक्टूबर 2023 में समाप्त हो जाएगा। तदनुसार, समिति ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को सलाह दी कि वह सभी समय-सीमाओं का पालन सुनिश्चित करे और परियोजना के समयसारणी को पूरा करने के लिए नए संयंत्र के लिए अंतिम स्वीकृति मांगने से पहले भूमि स्वीकृति और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त कर ले। हालांकि, डीएसपी ने आवश्यक भूमि के पट्टे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए बिना इस्पात मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2021)। मंत्रालय ने प्रस्ताव को (नवंबर 2021) और निर्देश दिया कि प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई से पहले पट्टे की शर्तों और नियमों को अंतिम रूप दिया जाए।

(ii) सेल बोर्ड ने नवंबर 2021 की भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पट्टे की शर्तों और नियमों को स्वीकृति दी (मार्च 2022), जो एक वर्ष के लिए वैध थी। जब तक संशोधित प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2023), तब तक प्रारंभिक भूमि मूल्यांकन की अवधि समाप्त हो चुकी थी और मंत्रालय ने नए मूल्यांकन का निर्देश दिया (मार्च 2023)। सेल द्वारा संशोधित मूल्यांकन और अन्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद

मंत्रालय की स्वीकृति अंततः दी गई (मई 2023) और परियोजना को चरण-II की स्वीकृति दी गई (अगस्त 2023), जो चरण-I की स्वीकृति के दो वर्ष बाद थी।

(iii) भूमि पट्टे की स्वीकृति प्रक्रिया में विलंब के कारण नए बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) अनुबंध को अंतिम रूप देने में भी विलंब हुआ, जिसे वर्तमान समझौते की समाप्ति से दो महीने पहले (अगस्त 2023 में) प्रदान किया गया, हालांकि मूल्य बोलियां 2021[52] से ही उपलब्ध थीं। इस विलंब के कारण प्रबंधन को परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित शर्तों के साथ अपने वर्तमान समझौते को अक्टूबर 2028 तक पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत करना पड़ा।

(iv) विस्तारित समझौते के तहत देय मासिक निश्चित सुविधा प्रभार और परिवर्तनीय गैस मूल्य, नए समझौते की दरों की तुलना में अधिक थे। मासिक निश्चित सुविधा प्रभार में ₹0.78 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप पांच वर्ष की विस्तार अवधि (अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2028) में ₹46.80 करोड़[53] की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी रही। गैस की कीमतों में अंतर के कारण पांच वर्ष की विस्तार अवधि में लगभग ₹125.53 करोड़[54] की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी रही ।

इस प्रकार, दुर्गापुर स्टील संयंत्र में नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में भूमि पट्टे की शर्तों और नियमों को अंतिम रूप देने में विलंब और परिणामस्वरूप वर्तमान समझौते के विस्तार के कारण हुए विलंब से पांच साल की विस्तार अवधि में सेल पर लगभग ₹172.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने (सितंबर 2024/फरवरी 2025) उत्तर दिया कि इस्पात मंत्रालय (सेल) बोर्ड ने (अगस्त 2021) भूमि आवंटन को स्वीकृति दे दी, लेकिन भूमि पट्टे की शर्तों और नियमों को अंतिम रूप देने और इस्पात मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में

---

[52] ***वैश्विक निविदा पूछताछ जारी की गई (17 जून 2021); मेसर्स एडब्ल्यूआईपीएल की प्रारंभिक बोली (अक्टूबर 2021) मई 2022 तक वैध थी, जिसे सेल के अनुरोध पर अगस्त 2023 तक वैध रखने के लिए बढ़ा दिया गया था।***

[53] ***₹0.78 करोड़ * 5 वर्ष = ₹46.80 करोड़।***

[54] ***पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में गैसों (ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन) की औसत खपत और 2023 में सेल द्वारा प्राक्षएयर को भुगतान किए गए वास्तविक गैस शुल्क को ध्यान में रखते हुए।***

समस्याओं के कारण स्वीकृति प्रक्रिया में विलंब हुआ। मंत्रालय से स्वीकृति मांगने वाला पत्र शुरू में (सितंबर 2021) भेजा गया, लेकिन स्पष्टीकरण के अनुरोध के साथ (नवंबर 2021) वापस आ गया और कई दौर की बातचीत के बाद, मई 2023 में अनुमति प्राप्त हुई। इससे परियोजना की समयसीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन विलंबों के परिणामस्वरूप, बीओओ अनुबंध का नवीनीकरण न करना अब संभव नहीं था, इसलिए वर्तमान अनुबंध को अक्टूबर 2028 तक पांच वर्षों के लिए बढ़ाना अनिवार्य हो गया। नए संयंत्र का निर्माण कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर था और इसके समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा था।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि निदेशकों की समिति ने (नवंबर 2020 में) इस बात पर जोर दिया था कि दुर्गापुर स्टील संयंत्र को परियोजना की सभी समय-सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि वर्तमान अनुबंध अक्टूबर 2023 में समाप्त होने वाला था। साथ ही, समिति ने दूसरे चरण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले भूमि संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने की सलाह भी दी। इसके बावजूद, प्रबंधन ने भूमि पट्टे की शर्तों और नियमों को अंतिम रूप दिए बिना ही मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव वापस किए जाने के कारण विलंब हुआ।

इस प्रकार, नए ऑक्सीजन संयंत्र के अनुबंध को वर्तमान बीओओ अनुबंध की समाप्ति के साथ संरेखित करके और आवश्यक स्वीकृतियों और अनुमोदनों को समय पर प्राप्त करके, परियोजना का समय पर आवंटन और समापन सुनिश्चित किया जा सकता था और वर्तमान समझौते के विस्तार के कारण एसएआईएल पर पड़ने वाले लगभग ₹172.33 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचा जा सकता था।

अध्याय VII: पर्यटन मंत्रालय

भारतीय पर्यटन विकास निगम

7.1 *आईटीडीसी द्वारा संपदाओं का प्रबंधन*

7.1.1 परिचय

भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), जिसकी स्थापना अक्टूबर 1966 में हुई थी, पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आईटीडीसी पर्यटन गतिविधियों के लिए विभिन्न स्थानों पर होटल और रेस्तरां संचालित करता है। आईटीडीसी के नेटवर्क में अशोक समूह के तीन होटल, एक संयुक्त उद्यम होटल, एक रेस्तरां, अशोक ट्रेवल्स एवं टूर्स की पांच इकाइयां और बंदरगाहों पर 14 कर-मुक्त दुकानें शामिल हैं। आईटीडीसी एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसके शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2024 को आईटीडीसी की अधिकृत पूंजी ₹150 करोड़ थी और इसकी चुकता पूंजी ₹85.77 करोड़ थी। 31 मार्च 2024 पर भारत सरकार के पास आईटीडीसी के 87.03 प्रतिशत शेयर थे।

आईटीडीसी या इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के पास 16 संपत्तियां हैं, जिनका उल्लेख **अनुलग्नक-X** में किया गया है।

7.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आईटीडीसी लिमिटेड में संपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

7.1.2.1 स्वामित्व दस्तावेजों की अनुपलब्धता, अतिक्रमण और विधिक विवाद

आईटीडीसी के संपदा विभाग की लेखापरीक्षा में संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की उपलब्धता और प्रबंधन में कमियां पाई गईं। ये मुद्दे कंपनी के कानूनी स्वामित्व स्थापित करने, अपनी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने और चल रहे कानूनी विवादों को सुलझाने की क्षमता पर चिंता पैदा करते हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।:

(क) महत्वपूर्ण संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का अभाव

लेखापरीक्षा में कंपनी के होटलों और अन्य भूमि संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की अनुपलब्धता पाई गई। यह पाया गया कि:

- आईटीडीसी के पास केवल पाँच संपत्तियों के मूल दस्तावेज उपलब्ध थे, जिनमें अशोक होटल, नई दिल्ली; डीडीए फ्लैट्स; होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर; होटल जम्मू अशोक, जम्मू; और होटल नीलाचल अशोक (उत्कल अशोक), पुरी शामिल हैं।
- 16 में से 11 संपत्तियों के मूल दस्तावेज आईटीडीसी के पास उपलब्ध नहीं थे।
- चार संपत्तियों के मामले में, आईटीडीसी के पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे।

संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की अपर्याप्तता से कंपनी को स्वामित्व विवाद, वित्तीय नुकसान और भविष्य के लेन-देन में कठिनाइयों सहित कानूनी और वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। आईटीडीसी के पास संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की उपलब्धता का विवरण **अनुलग्नक XI** में दिया गया है, साथ ही प्रत्येक मामले में आईटीडीसी की प्रतिक्रिया और आगे की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ भी दी गई हैं।

(ख) संपत्तियों पर अतिक्रमण

बार-बार अनुस्मारक[1] बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद, आईटीडीसी ने संपत्तियों पर अतिक्रमण से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड/जानकारी और कानूनी मामलों वाली संपत्तियों का विवरण प्रदान नहीं किया। लेखापरीक्षा में आईटीडीसी द्वारा प्रदान किए गए सीमित रिकॉर्ड/जानकारी से पता चला कि 16 संपत्तियों में से तीन मामलों में अतिक्रमण और कंपनी की संपत्ति से संबंधित कानूनी मामले थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) टेनिस कोर्ट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

आईटीडीसी के पास कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में 1,964 वर्ग मीटर जमीन है, जिस पर टेनिस कोर्ट बना हुआ है। इस जमीन पर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने अतिक्रमण कर लिया और डीएसटी इस जमीन पर अपना मालिकाना हक

[1] *19 अप्रैल 2024, 29 मई 2024 और 3 जुलाई 2024*

जता रहा था। इसके अलावा, डीएसटी कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एवं ट्रैवल मैनेजमेंट (एआईएच एवं टीएम) की 1,382 वर्ग मीटर जमीन पर भी अपना मालिकाना हक जता रहा था। आईटीडीसी के पास इन जमीनों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। 2007 में, आईटीडीसी ने एआईएच एवं टीएम के संचालन को बढ़ाने के साथ-साथ एआईएच एवं टीएम की वर्तमान इमारत में एक और मंजिल जोड़ने के लिए टेनिस कोर्ट वाली जमीन पर एक इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा।

हालांकि, आईटीडीसी के कब्जे में न होने के कारण वो इन जमीनों का उपयोग नहीं कर सका। डीएसटी द्वारा दावे और अतिक्रमण का मुख्य कारण आईटीडीसी के पास जमीन के स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों का न होना था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि टेनिस कोर्ट के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज बहुत पुराने हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। पुराने अभिलेखों से दस्तावेजों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर से पुष्टि होती है कि आईटीडीसी ने आवश्यक स्वामित्व अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया, जिसके कारण अतिक्रमण हुआ और संपत्ति पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया।

(ii) पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन

पुडुचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन आईटीडीसी की एक सहायक कंपनी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसकी 0.95 हेक्टेयर (9,500 वर्ग मीटर) भूमि पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण आवासीय प्रकृति का था और इस भूमि पर 37 अस्थायी/अर्ध-पक्की अवसंरचना बनाई गई। इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों में पुडुचेरी सरकार द्वारा इस भूमि पर दो कब्रिस्तान शेड भी बनाए गए। स्थानीय नगरपालिका ने इस क्षेत्र में सीमेंट की सड़कें भी बिछाई हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण और कब्रिस्तान की जगह 1999 से मौजूद है और पुडुचेरी सरकार ने होटल की संपत्ति के दक्षिणी हिस्से में एक श्मशान घाट और एक पक्की सड़क का निर्माण किया है। आईटीडीसी द्वारा इस संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर से पुष्टि होती है कि होटल की संपत्ति पर अतिक्रमण 25 वर्षों से अधिक समय से लगातार जारी था। इसके अलावा, कंपनी ने अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामों का विवरण प्रदान नहीं किया।

(iii) ग्वालियर स्थित भूमि

ग्वालियर में 6 बीघा और 23 बिस्वा (7,971 वर्ग मीटर) का एक भूखंड पर्यटन मंत्रालय द्वारा आईटीडीसी को हस्तांतरित किया गया (जुलाई 1982)। आईटीडीसी द्वारा स्थल के निरीक्षण के दौरान (जनवरी 2006), यह पाया गया कि सीमा बाड़ हटा दी गई थी और भूमि पर भारी मात्रा में कचरा जमा था। आईटीडीसी की निरीक्षण समिति ने अनुशंसा की कि भूमि को अनाधिकृत अतिक्रमण से बचाने के लिए सीमांकन, बाड़ लगाने और सुरक्षा गार्डों की तैनाती की तत्काल आवश्यकता है।

भूमि पर अतिक्रमण से सुरक्षा का कार्य नवंबर 2006 में सौंपा गया और मार्च 2024 तक संपत्ति की निगरानी पर कुल ₹1.22 करोड़ खर्च किए गए। इसके बावजूद, भूमि पर अतिक्रमण जारी रहा, जिसकी सूचना (जनवरी 2012 में) ग्वालियर के तहसीलदार द्वारा आईटीडीसी को दी गई। 9,990 वर्ग फुट भूमि पर लगभग 17 अतिक्रमणकारी कब्जा किए हुए थे, जिनके खिलाफ आईटीडीसी के संपदा अधिकारी [2] की अदालत में 11 वर्षों से अधिक समय से बेदखली की कार्यवाही चल रही थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि मामला संपदा अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि अतिक्रमण से संबंधित मामला आईटीडीसी के संपदा अधिकारी की अदालत में एक दशक से अधिक समय से लंबित है और इस पर कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला है।

(ग) कानूनी मुद्दे

आईटीडीसी का नारायणा, नई दिल्ली में 8,566 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला एक गैराज-सह-कार्यशाला है। आईटीडीसी द्वारा संपत्ति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

---

[2] ***सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपदा अधिकारी सार्वजनिक परिसरों के कुशल प्रबंधन और अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कुछ शक्तियों का प्रयोग करते हैं।***

लेखापरीक्षा में आईटीडीसी की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि यह भूमि मारुति उद्योग लिमिटेड, अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) को पट्टे पर दी गई। हालांकि, एमएसआईएल ने उक्त परिसर में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया और इस प्रक्रिया में, पट्टे पर दी गई कार्यशाला-सह-डिपो को ध्वस्त कर दिया गया, जो पट्टा समझौते में न तो परिकल्पित था और न ही इसका कोई इरादा था। मामला विचाराधीन था और संपत्ति मारुति उद्योग लिमिटेड के कब्जे में थी। हालांकि, आईटीडीसी के पास संपत्ति से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने ईमेल के माध्यम से आईटीडीसी से 4 दिसंबर 2024 को भूमि का कब्ज़ा लेने का अनुरोध किया था।

वास्तव में, आईटीडीसी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कार्यशाला-सह-डिपो को ध्वस्त कर दिया गया और मूल संपत्ति का नुकसान हुआ, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत था। इसके अलावा, आईटीडीसी ने मारुति उद्योग लिमिटेड के भूमि का कब्ज़ा लेने के अनुरोध पर आईटीडीसी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान नहीं किया।

7.1.2.2 ***संपत्तियों के लिए सरकारी देयों का गैर-भुगतान***

भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ)[3] ने (अगस्त 1963 में) नई दिल्ली के चाणक्य पुरी में पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए आईटीडीसी को भूमि आवंटित की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडीसी इन होटलों के संबंध में भूमि किराया, दुरुपयोग प्रभार और क्षति प्रभार के रूप में ₹94.07 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) नई दिल्ली स्थित अशोक होटल से संबंधित सरकारी बकाया का गैर-भुगतान

अशोका होटल लिमिटेड और एलएंडडीओ के बीच 21.155 एकड़ भूखंड को अशोक होटल को पट्टे पर आवंटित करने के लिए एक स्थायी पट्टा समझौता निष्पादित किया गया (अगस्त 1963)। स्थायी पट्टा विलेख के अनुसार, एलएंडडीओ की पूर्व सहमति के बिना अशोक होटल उक्त परिसर में निर्मित भवनों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने का हकदार नहीं था। इसके अलावा, पट्टेदार (अशोक होटल) को उक्त परिसर का उपयोग होटल के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने की अनुमति नहीं थी।

---

[3] आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए) का एक संबद्ध कार्यालय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एलएंडडीओ ने अशोक होटल परिसर का निरीक्षण किया (मई 2012) और दुरुपयोग प्रभार, क्षतिपूर्ति प्रभार, भूमि किराया और उस पर ब्याज (जुलाई 2013 तक) के मद में ₹14.94 करोड़ का मांग पत्र जारी किया। एलएंडडीओ के पत्र के अनुसार, अशोक होटल में कई प्रकार के उल्लंघन पाए गए, जैसे कि पोर्श कार शोरूम, केंद्रीय भंडार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) आदि द्वारा दुरुपयोग। एलएंडडीओ ने अनधिकृत निर्माणों, जैसे कि दूध बूथ, गैराज के पास पक्का निर्माण, पोर्श द्वारा उपयोग किया जाने वाला पक्का निर्माण आदि के लिए क्षतिपूर्ति प्रभार की भी मांग की थी।

अक्टूबर 2017 में, एलएंडडीओ ने सरकार को देय ₹14.94 करोड़ की राशि, 10 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करने का अनुरोध करते हुए एक अनुस्मारक जारी किया। आईटीडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि होटल अशोक/आईटीडीसी ने एलएंडडीओ द्वारा इंगित किए गए दुरुपयोगों और अनधिकृत निर्माणों की पुष्टि के लिए कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया। दिसंबर 2021 में, एलएंडडीओ ने होटल अशोक के संबंध में अनधिकृत निर्माण और दुरुपयोग के उल्लंघनों के अस्थायी नियमितीकरण के लिए बकाया ₹14.94 करोड़ के भुगतान के लिए एक और अनुस्मारक जारी किया। एलएंडडीओ ने आईटीडीसी को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा, अन्यथा पट्टे की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी बताया गया कि जनवरी 2015 से भू-किराए का दूसरा संशोधन होना था।

अक्टूबर 2023 में लेखापरीक्षा दल और आईटीडीसी के अधिकारियों द्वारा होटल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि एलएंडडीओ द्वारा बताए गए दुरुपयोग और अनधिकृत निर्माण अभी भी जारी हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।:

चित्र 7.1: दुरुपयोग और अनधिकृत निर्माण

मिल्क बूथ का अनाधिकृत निर्माण,

केन्द्रीय भंडार के रूप में दुरुपयोग

होटल अशोक ने जनवरी 2022 में ₹14.67 लाख और नवंबर 2024 में ₹5.55 लाख का भुगतान भूमि किराए (ब्याज सहित) के रूप में किया।

इस प्रकार, आईटीडीसी/होटल अशोक ने एलएंडडीओ द्वारा इंगित उल्लंघनों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और उस पर सरकार के ₹14.74 करोड़[4] के बकाया का भुगतान करने की देयता थी। बकाया का भुगतान न करने के कारण, आईटीडीसी फरवरी 2013 से दिसंबर 2024 तक बकाया राशि पर ₹17.57 करोड़ का ब्याज (10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) भी देने के लिए उत्तरदायी था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि आईटीडीसी के अधिकारियों ने इस संदर्भ में समय-समय पर एलएंडडीओ के अधिकारियों से संपर्क किया। मुद्दों को हल करने के लिए अप्रैल 2013 में एलएंडडीओ में एक बैठक आयोजित की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अक्टूबर 2017, फरवरी 2018 और अक्टूबर 2024 में एलएंडडीओ के अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुस्मारक भेजे गए। मुद्दे पर चर्चा और समाधान के लिए एलएंडडीओ के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने के प्रयास जारी थे।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति प्रभार, दुरुपयोग प्रभार और संचित ब्याज से संबंधित मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे रहे। आईटीडीसी ने इस मामले को मंत्रालय या एलएंडडीओ के उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया। बकाया राशि और ब्याज का लगातार बढ़ता जाना और समाधान की दिशा में कोई ठोस प्रगति न होना, आईटीडीसी की ओर से सक्रिय और प्रभावी सहयोग की कमी को दर्शाता है।

(ख) दिल्ली स्थित सम्राट होटल से संबंधित सरकारी बकाया का गैर-भुगतान

एलएंडडीओ ने (फरवरी 1981 में) आईटीडीसी को राजनयिक एन्क्लेव (चाणक्यपुरी) में पांच सितारा होटल के निर्माण हेतु 3.195 एकड़ का भूखंड आवंटित किया था, ताकि 1982 के एशियाई खेलों के लिए होटल आवास की आवश्यकता पूरी की जा सके। आईटीडीसी को भवन के संतोषजनक निर्माण पूरा होने पर लाइसेंस विलेख निष्पादित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडीसी ने होटल (होटल सम्राट) का निर्माण तो किया, लेकिन लाइसेंस विलेख निष्पादित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी पाया गया कि

[4] ***₹14.94 करोड़ की बकाया, राशि में से भुगतान किए गए ₹0.20 करोड़ घटा कर।***

एलएंडडीओ ने (अगस्त 2001 में) दुरुपयोग प्रभार, क्षति प्रभार और विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित ₹1.38 करोड़ का मांग नोटिस भेजा था। एलएंडडीओ द्वारा पुनः प्रवेश शक्तियों का प्रयोग करने से पहले उल्लंघनों को दूर करने के लिए जारी नोटिस (दिसंबर 2011) के अनुसार, भूमि का दुरुपयोग[5], अनधिकृत निर्माण[6] और अतिक्रमण पाया गया। एलएंडडीओ द्वारा अंतिम मांग पत्र ₹40.06 करोड़ की राशि के लिए जारी किया गया (अगस्त 2019), जिसके बाद एक अनुस्मारक (दिसंबर 2021) भेजा गया जिसमें कहा गया कि आईटीडीसी को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा आवंटन पत्र के नियमों और शर्तों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी सूचित किया गया कि जनवरी 2011 से भू-किराया का संशोधन देय था।

आईटीडीसी ने एलएंडडीओ द्वारा बताए गए उल्लंघनों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और न ही सरकार को देय ₹40.06 करोड़ का भुगतान किया। बकाया का भुगतान न करने के कारण, आईटीडीसी अगस्त 2019 से दिसंबर 2024 तक ₹21.70 करोड़ का ब्याज (10 प्रतिशत की दर से) देने के लिए उत्तरदायी था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि:

- होटल सम्राट में सरकारी अभिकरणों को अतिथि कक्ष आवंटित करना भी एलएंडडीओ द्वारा दुरुपयोग माना गया। हालांकि, यह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के तहत किया गया, इसलिए इसे दुरुपयोग नहीं माना जाना चाहिए।
- कथित तौर पर अवैध घोषित अधिकांश निर्माणों को नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा 2001 और 2007 में नियमित कर दिया गया था और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। शेष संरचनाओं को हटाने या नियमित करने की प्रक्रिया चल रही थी।
- एलएंडडीओ द्वारा उल्लिखित अतिक्रमणों को पहले ही हटा दिया गया और पूर्णता योजनाएँ एलएंडडीओ के साथ साझा की गई।

---

[5] *निचली मंजिल का उपयोग एक्सक्लूसिव मोटर्स द्वारा शोरूम और सर्विसिंग स्पेस के रूप में किया जा रहा था, निचली मंजिल का उपयोग परफॉर्मेंस मोटर्स द्वारा सर्विसिंग स्पेस के रूप में किया जा रहा था, निचली मंजिल का उपयोग फूलों और टेंट डेकोरेटर की दुकान आदि के रूप में किया जा रहा था।*

[6] *खुले स्थान में निचले भूतल स्तर पर पक्के शेड बनाए गए, खुले स्थान में निचले भूतल स्तर पर पोर्टेबल शौचालय बनाए गए आदि।*

- आईटीडीसी ने बार-बार एलएंडडीओ से प्रभारों का विस्तृत विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन एलएंडडीओ ने ऐसा नहीं किया।
- चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण आईटीडीसी को सरकारी कार्यालयों को अतिथि कक्ष किराए पर देने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसलिए एलएंडडीओ से विलंबित भुगतानों पर ब्याज न लगाने का अनुरोध किया गया था।
- भू-किराया नियमित रूप से भुगतान किया गया था और नवीनतम भुगतान नवंबर 2011 में जमा किया गया। एलएंडडीओ से किसी भी अतिरिक्त बकाया राशि के समायोजन का अनुरोध किया गया।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईटीडीसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण सरकारी कार्यालयों को अतिथि कक्ष आवंटित करने के लिए एलएंडडीओ से औपचारिक नियमितीकरण/छूट की मांग नहीं की। इसके अलावा, आईटीडीसी ने सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने या नियमित करने का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही, आईटीडीसी का यह दावा कि अधिकांश कथित अनधिकृत निर्माणों को एनडीएमसी द्वारा नियमित कर दिया गया और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे, तथ्यों से मेल नहीं खाता, क्योंकि आईटीडीसी ने अभी तक पूर्णता योजनाएं और प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए थे।

7.1.2.3 संपत्तियों का गैर-उपयोग और कर्मचारियों के लिए आवासों का गैर-आवंटन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भुवनेश्वर स्थित होटल कलिंगा अशोक और ग्वालियर में एक भूखंड का उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा, दिल्ली स्थित होटल अशोक में कर्मचारियों के लिए आवासों का आवंटन भी नहीं हुआ है। तीनों मामलों का विवरण नीचे दिया गया है*:*

(क) होटल कलिंग अशोक के कमरों का अनुपयोग

होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर में दो भवन हैं जिनमें कुल 64 कमरे हैं - पुराने ब्लॉक का उद्घाटन 28 कमरों के साथ 1980 में हुआ और नए ब्लॉक का उद्घाटन 36 कमरों के साथ 1987 में हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) वर्ष 2000 में, आईटीडीसी ने पुराने ब्लॉक के सभी 28 कमरों का आधुनिक सुविधाओं के साथ नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। हालांकि, नवीनीकरण का काम बीच में ही रोक दिया गया और वर्ष 2000 से सभी 28 कमरे बंद पड़े हैं और अनुपयोगी हैं।

(ii) महाप्रबंधक (होटल) ने यह नोट किया था (अक्टूबर 2014) कि प्रबंध निदेशक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आईटीडीसी पुराने ब्लॉक को बजट होटल के रूप में उपयोग करने की संभावना खोजेगा और कमरों का किफायती स्तर पर नवीनीकरण करके इसे कम लागत वाले होटल के रूप में चलाएगा। तदनुसार, फाइल को आवश्यक कार्रवाई के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेजा गया।

(iii) जून 2023 तक, आईटीडीसी ने न तो इन कमरों का जीर्णोद्धार किया और न ही पुराने ब्लॉक को बजट होटल के रूप में उपयोग करने के लिए कोई कार्रवाई की। जून 2023 तक पुराने ब्लॉक के कमरे जर्जर हालत में थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

चित्र 7.2: भुवनेश्वर स्थित होटल कलिंगा अशोक के 28 कमरे अनुपयोगी हैं।

होटल के कमरों का लंबे समय तक उपयोग में न रहने से राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। आईटीडीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कुल संभावित राजस्व हानि दिसंबर 2024 तक ₹20.25 करोड़[7] है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि बोर्ड ने 4 अप्रैल 2024 को हुई अपनी बैठक में यह राय व्यक्त की थी कि आईटीडीसी को अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) को संपूर्ण होटल कलिंगा अशोक को परिचालन एवं प्रबंधन अनुबंध पर देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

[7] ***होटल कलिंगा अशोक में अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए 36 कमरों (नए ब्लॉक के अंतर्गत) में अधिभोग प्रतिशत और प्राप्त राजस्व के आधार पर 28 कमरों के संबंध में संभावित राजस्व हानि की गणना की गई है।***

होटल कलिंगा अशोक के नवीनीकरण और आईटीडीसी द्वारा स्वयं परिचालन के लिए एक प्रस्ताव भी आईएमजी के समक्ष विचाराधीन है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि पुराने भवन के नवीनीकरण/बजट होटल में परिवर्तन की संभावना तलाशने का निर्णय वर्ष 2000 में लिया गया था और 2014 में इसे दोहराया गया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दो दशकों से अधिक की निष्क्रियता के बाद 2024 में केवल प्रस्तावों पर विचार करने से इस तथ्य का समाधान नहीं होता कि मूल्यवान होटल अवसंरचना लंबे समय से निष्क्रिय और अनुत्पादक पड़ी हुई है।

(ख) ग्वालियर में भूमि का अनुपयोग

ग्वालियर में स्थित 14,152 वर्ग मीटर भूमि पर्यटन मंत्रालय द्वारा आईटीडीसी को हस्तांतरित की गई थी (फरवरी 1969)। मंत्रालय ने आईटीडीसी से (फरवरी 1987 में) इस भूमि को मध्य प्रदेश सरकार को ग्वालियर में यात्री निवास के निर्माण के लिए तत्काल हस्तांतरित करने को कहा, क्योंकि आईटीडीसी इस कार्य स्थल का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा था। आईटीडीसी ने (जुलाई 1987 में) मंत्रालय को सूचित किया कि परियोजना शुरू करने के लिए निधि उपलब्ध होने पर आईटीडीसी द्वारा भूमि के इस भूखंड का उपयोग किया जाएगा।

यात्री निवास के निर्माण के लिए आईटीडीसी द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन (जून 1990) किया गया था। हालांकि, आईटीडीसी ने इसके निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की। होटल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आईटीडीसी ने मार्च 1996 में पुनः बाजार सर्वेक्षण किया। आईटीडीसी के मुख्य प्रबंधक ने अप्रैल 1996 में एक वर्ष बाद स्थिति की समीक्षा करने का सुझाव दिया। हालांकि, आईटीडीसी ने इसकी समीक्षा नहीं की।

आईटीडीसी ने ग्वालियर स्थित भूमि पर राजस्व बंटवारे के आधार पर व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए एक विज्ञापन जारी किया (मई 2003)। दो पक्षों ने 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर संपत्ति हस्तांतरित करने के बदले क्रमशः ₹19.62 करोड़ और ₹19.64 करोड़ की पेशकश की। परिणामस्वरूप, आईटीडीसी ने भूमि बेचने का निर्णय लिया (दिसंबर 2003) और मंत्रालय से अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही भूमि बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित कीं (फरवरी 2004)। बोलियां खुलने के बाद (मार्च 2004) बोलीदाता ने ₹11 करोड़ की उच्चतम बोली लगाई। मंत्रालय ने आईटीडीसी को निर्देश दिया (मार्च 2004) कि मामले की मंत्रालय में जांच होने तक आगे की सभी कार्यवाही रोक दी जाए।

इस प्रकार, आईटीडीसी ने अपने निर्णय बार-बार बदले और भूमि के उपयोग के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया, लेकिन किसी भी विकल्प का तार्किक निष्कर्ष नहीं निकला। इस अनिर्णय के कारण सरकार की एक महत्वपूर्ण संपत्ति अनुत्पादक रूप से पड़ी रही, निगरानी पर ₹1.22 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ और अतिक्रमण एवं मुकदमेबाजी का लंबा सिलसिला जारी रहा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि आईटीडीसी खाली पड़ी जमीन का उपयोग करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा था। आईटीडीसी इस संपत्ति से संबंधित एस्टेट कार्यालय में लंबित मामलों का निपटारा करने का प्रयास कर रहा था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईटीडीसी ने पांच दशकों से अधिक समय से इस भूमि को निष्क्रिय रखा हुआ है। केवल विकल्पों की खोज करने का आश्वासन देना लंबे समय तक अनिर्णय, निगरानी पर ₹1.22 करोड़ रुपये के अनावश्यक व्यय और अतिक्रमण के खतरे को उचित नहीं ठहराता।

(ग) होटल अशोक में स्टाफ क्वार्टर का आवंटन न होना

आईटीडीसी ने होटल अशोक के कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान कीं। होटल अशोक परिसर में विभिन्न श्रेणियों के 228 कर्मचारी आवास थे।

आईटीडीसी ने (जुलाई 2012 में) होटल अशोक के परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टर और अन्य संरचनाओं को ध्वस्त करके एक सम्मेलन केंद्र के निर्माण की योजना बनाई थी। बाद में, यह परियोजना रुक गई क्योंकि स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडीसी ने (अक्टूबर 2014 में) अशोक होटल में नए आवंटन को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए और कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर के पुनः आवंटन के लिए कोई और आदेश जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ये क्वार्टर लगातार खाली पड़े रहे। यह पाया गया कि दिसंबर 2024 तक 228 क्वार्टर में से 24 क्वार्टर में लोग रह रहे थे, 140 क्वार्टर खाली थे और 64 क्वार्टर का उपयोग अभिलेख कक्ष और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने आईटीडीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर (अक्टूबर 2023 में) स्टाफ क्वार्टर का भौतिक निरीक्षण भी किया और पाया कि अधिकांश क्वार्टर खाली थे। यह देखा गया कि इन स्टाफ क्वार्टर का रखरखाव आईटीडीसी द्वारा नहीं किया जा रहा था और ये जर्जर अवस्था में थे, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों से स्पष्ट है:

चित्र 7.3: होटल अशोक में स्टाफ क्वार्टर की जर्जर हालत

इस प्रकार, आईटीडीसी न तो परिकल्पना के अनुरूप सम्मेलन केंद्र स्थापित कर सका और न ही कर्मचारी आवासों के नवीनीकरण और आवंटन पुनः शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई कर सका। आईटीडीसी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारी आवास अनुपयोगी और खाली पड़े रहे। इसके अलावा, आईटीडीसी द्वारा इन आवासों के रखरखाव न होने से वहां रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि होटल अशोक के चल रहे मुद्रीकरण के अंतर्गत कर्मचारियों के क्वार्टर भी शामिल किए गए हैं। प्रक्रिया जारी है।

7.1.2.4 बंद होटलों पर किया गया व्यय

आईटीडीसी अपने पूर्ण नियंत्रण में 4 होटल और 2 रेस्तरां का प्रबंधन करती है। इसके अतिरिक्त, 4 होटल संयुक्त उद्यम के अंतर्गत हैं। सभी 10 संपत्तियों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र. सं .	होटल का नाम (संयुक्त उद्यम सहित)	स्थिति (चालू/बंद/अपूर्ण)
1	अशोक होटल, नई दिल्ली	चालू
2	होटल सम्राट, नई दिल्ली	चालू
3	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	चालू
4	होटल पांडिचेरी अशोक (संयुक्त उद्यम के अंतर्गत)	चालू

क्र. सं .	होटल का नाम (संयुक्त उद्यम सहित)	स्थिति (चालू/बंद/अपूर्ण)
5	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	बंद
6	होटल पंजाब अशोक (संयुक्त उद्यम के अंतर्गत)	अपूर्ण
7	होटल नीलाचल अशोक, पुरी (संयुक्त उद्यम के अंतर्गत)	बंद
8	होटल रांची अशोक (संयुक्त उद्यम के अंतर्गत)	बंद
9	ताज रेस्तरां आगरा	चालू
10	कोसी रेस्टोरेंट, मथुरा (उत्तर प्रदेश)	बंद

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आठ होटल में से चार और दो रेस्तरां में से एक बंद हो गए। एक बंद रेस्तरां (कोसी) और तीन बंद होटल (होटल पंजाब अशोक, होटल जम्मू अशोक और होटल नीलाचल अशोक) के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है:

(क) कोसी रेस्टोरेंट के परिचालन/स्थानांतरण के संबंध में अनिर्णय

उत्तर प्रदेश (यूपी) के मथुरा के पास कोसी कलां में आईटीडीसी द्वारा एक रेस्तरां/कैफेटेरिया का परिचालन शुरू किया गया था (सितंबर 1972), जिसका वित्तपोषण पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को 12.16 एकड़ भूमि सौंपी गई थी, जिसे बाद में आईटीडीसी को सौंप दिया गया (जुलाई 1976)। कोसी कलां रेस्तरां परिसर में छः कॉटेज भी जोड़े गए और उनका परिचालन शुरू किया गया (जून 1988)।

कोसी इकाई अपने संचालन की शुरुआत से ही घाटे में चल रही थी। इसलिए, आईटीडीसी ने अक्टूबर 2017 से उसका वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया और भूमि एवं भवन को मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, यह भी तय किया गया कि सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने तक, आईटीडीसी संपत्ति को अतिक्रमण से बचाने के लिए संविदात्मक सुरक्षा गार्ड तैनात करता रहेगा। आईटीडीसी ने (नवंबर 2017 में) मंत्रालय से कोसी स्थित भूमि एवं भवन को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद कई बार अनुस्मारक[8] भेजे गए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में आईटीडीसी को नोटिस भेजकर कहा कि आईटीडीसी का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और मथुरा स्थित सिंचाई विभाग इसका स्वामी है। सरकार ने आईटीडीसी को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश भी दिया। अक्टूबर 2021 में आईटीडीसी ने मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भूमि पर अपना स्वामित्व जता

[8] ***23 नवंबर 2017, 18 दिसंबर 2017, 11 जनवरी 2018, 9 फरवरी 2018, 2 नवंबर 2018, 25 जून 2019, 2 अगस्त 2022 और 18 जनवरी 2023***

रही है और इससे संबंधित कोई पट्टा दस्तावेज न तो आईटीडीसी के पास है और न ही मंत्रालय के पास। आईटीडीसी ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि राज्य सरकार को भूमि वापस सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, क्योंकि आईटीडीसी बिना किसी प्रतिफल के नियमित रूप से सुरक्षा के लिए खर्च कर रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडीसी बिजली, बीमा, रखरखाव, सेवाओं आदि पर नियमित व्यय कर रहा था और यूनिट बंद होने के बाद यानी नवंबर 2017 से दिसंबर 2024 तक ₹79.94 लाख का व्यय हो चुका था। यह भी पाया गया कि स्वामित्व स्थापित करने के लिए आवश्यक पट्टे/स्वामित्व विलेख सहित महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेज न तो मंत्रालय के पास थे और न ही आईटीडीसी के पास।

इस प्रकार, कोसी कलां स्थित संपत्ति पिछले आठ वर्षों से बंद पड़ी रही। आईटीडीसी द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद, मंत्रालय ने न तो जमीन का अधिग्रहण किया और न ही इसे राज्य सरकार को सौंपा। इसके चलते बंद पड़ी कोसी इकाई के बिजली, रखरखाव और सुरक्षा सेवाओं पर ₹79.94 लाख का अनावश्यक खर्च हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार, आईटीडीसी ने मंत्रालय से भूमि को अपने कब्जे में लेने और उसके बाद संपत्ति को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को सौंपने का अनुरोध किया था (सितंबर 2024)।

तथ्य यह है कि कोसी संपत्ति के हस्तांतरण या परिचालन को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लंबे समय तक पत्राचार के बावजूद, मामला अनसुलझा ही रहा है। परिणामस्वरूप, आईटीडीसी को एक निष्क्रिय इकाई के लिए सुरक्षा, रखरखाव और बिजली पर लगातार खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा, उत्तर में भूमि/स्वामित्व अभिलेखों के अभाव के मुद्दे का भी समाधान नहीं किया गया है।

(ख) होटल जम्मू अशोक, जम्मू के हस्तांतरण में विलंब

जम्मू में स्थित होटल जम्मू अशोक के लिए भूमि जनवरी 1970 में 40 वर्षों की अवधि के लिए आवंटित की गई थी और इसने सितंबर 1972 में अपना परिचालन शुरू किया। पट्टा अवधि जनवरी 2010 में समाप्त हो गई। आईटीडीसी ने बार-बार पट्टा नवीनीकरण के लिए अनुरोध किया। लेकिन जम्मू और कश्मीर सरकार ने मार्च 2020 में पट्टा नवीनीकरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

आईटीडीसी बोर्ड ने अपनी बैठक में (जून 2020 में जारी कार्यवृत्त के अनुसार) यह पाया कि होटल जम्मू अशोक पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा था, एवं इसलिए, बोर्ड ने इसके परिचालन को तत्काल बंद करने की मंजूरी दी और जम्मू-कश्मीर सरकार से भवन, संयंत्र और मशीनरी सहित संपत्ति को वापस लेने और उचित मूल्यांकन राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। तदनुसार, आईटीडीसी द्वारा होटल का परिचालन जून 2020 में बंद कर दिया गया।

होटल जम्मू अशोक की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए ₹11.10 करोड़ के मूल्यांकन पर दोनों पक्षों (आईटीडीसी और जम्मू-कश्मीर सरकार) द्वारा सहमति व्यक्त की गई और अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा (सितंबर 2022 में) इसे मंजूरी दी गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि होटल के मूल्यांकन के लिए आईटीडीसी ने जुलाई 2021 में, यानी होटल बंद होने की तारीख से 13 महीने बाद, मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया था। होटल के हस्तांतरण के लिए आईटीडीसी और पर्यटन विभाग (जम्मू-कश्मीर सरकार) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (फरवरी 2023) किए गए थे और आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) की मंजूरी के लिए मसौदा नोट फरवरी 2023 में, यानी होटल बंद होने के दो साल और आठ महीने बाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त समझौता ज्ञापन केवल 31 मार्च 2023 तक वैध था और इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति को अनुमोदन हेतु नोट प्रस्तुत करने के बाद (फरवरी 2023), आईटीडीसी ने मंत्रालय को हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने और सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई अनुस्मारक या अनुरोध नहीं किया। आईटीडीसी को होटल के बंद होने की तिथि (जून 2020) से दिसंबर 2024 तक रखरखाव (सुरक्षा सेवाओं सहित), बिजली और ईंधन, बीमा आदि पर ₹1.84 करोड़ का व्यय करना पड़ा।

इस प्रकार, हस्तांतरण प्रक्रिया में काफी समय लगने और आईटीडीसी द्वारा मामले की ठीक से जांच न किए जाने के कारण, संपत्ति पर ₹1.84 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ है (दिसंबर 2024)। लंबे समय तक बंद रहने से होटल की भौतिक स्थिति को भी खतरा है।

प्रबंधन ने (अप्रैल 2025 में) उत्तर दिया कि पर्यटन मंत्रालय ने होटल जम्मू अशोक को जम्मू-कश्मीर सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी हेतु सीसीईए नोट जारी कर दिया है। आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक ने सचिव (पर्यटन) को सीसीईए की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक पत्र

(फरवरी 2023) भेजा था। मंत्रालय के निर्देशानुसार, संपत्ति के संबंध में वैकल्पिक तंत्र (एएम) के लिए नोट भेजा गया था।

सच्चाई यह है कि जून 2020 में होटल जम्मू अशोक के बंद होने के बावजूद होटल की संपत्ति सौंपने में काफी देरी हुई और कोई अनुवर्ती कार्रवाई नही की गई, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक आवर्ती व्यय हुआ।

(ग) आनंदपुर साहिब, पंजाब में अधूरी परियोजना

आईटीडीसी और पंजाब पर्यटन विकास निगम (पीटीडीसी) ने आनंदपुर साहिब (पंजाब) में एक होटल के निर्माण और परिचालन के लिए पंजाब अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएएचसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया (जुलाई 1998)। 20 कमरों वाले 3 सितारा होटल का निर्माण ₹3.50 करोड़ की कुल लागत से करने का निर्णय लिया गया। इसमें से ₹2.50 करोड़ आईटीडीसी और पीटीडीसी द्वारा इक्विटी योगदान के रूप में दिए जाने थे, और ₹1 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में जुटाए जाने थे।

होटल का निर्माण कार्य आईटीडीसी द्वारा (1998 में) शुरू किया गया था, लेकिन निधि की कमी के कारण इसे (दिसंबर 2000 में) रोक दिया गया। होटल का ढांचागत कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन बाहरी विकास, आंतरिक सज्जा और साज-सज्जा का कार्य अधूरा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) आईटीडीसी ने परियोजना के क्रियान्वयन से पहले कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया। इसके अलावा, परियोजना के क्रियान्वयन से पहले धन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप निधि की कमी के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। पीएएचसीएल बोर्ड की बैठक (दिसंबर 2000) में यह सूचित किया गया कि एकमात्र व्यवहार्य विकल्प अनुबंध को समाप्त करना ही बचा है।

(ii) आईटीडीसी और पीटीडीसी दोनों की वित्तीय स्थिति संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए निधि जुटाने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना की अव्यवहार्यता के कारण कोई भी बैंक/वित्तीय संस्थान ऋण देने को तैयार नहीं था।

(iii) होटल का ढांचा दिसंबर 2000 से आज तक अधूरा ही रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडीसी और मंत्रालय ने संपत्ति का मूल्यांकन कराने का निर्णय लेने (जून

2009) में नौ साल का लंबा समय लगा दिया, ताकि इसे पीटीडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा सके। अंततः, अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने (नवंबर 2018) इस अधूरी परियोजना को पंजाब सरकार को सौंपने का निर्णय लिया और पीएएचसीएल में आईटीडीसी की 51 प्रतिशत इक्विटी को पीटीडीसी/पंजाब सरकार को हस्तांतरित करने के लिए ₹79.40 लाख के मूल्यांकन को मंजूरी दी (सितंबर 2022)। आगे की कार्रवाई के लिए पर्यटन मंत्रालय को सीसीईए नोट का मसौदा भेजा गया (फरवरी 2023)।

(iv) इस अधूरी होटल परियोजना को छोड़े जाने के 24 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इसे राज्य सरकार को सौंपा नहीं गया है। आईटीडीसी ने इस अधूरे होटल ढांचे की निगरानी और अन्य खर्चों पर ₹90.18 लाख (दिसंबर 2024 तक) खर्च किए हैं।

इस प्रकार, व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना और पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना को लागू करने और आईटीडीसी द्वारा अधूरी परियोजना को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में लगे काफी समय के परिणामस्वरूप ₹90.18 लाख का अनावश्यक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि अपूर्ण परियोजना को पंजाब सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी हेतु सीसीईए नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया गया था। वैकल्पिक तंत्र संबंधी नोट 28 मार्च 2024 को मंत्रालय को भेजा गया था।

इस उत्तर में केवल लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में सामने आए तथ्यों को दोहराया गया है, लेकिन समय पर और प्रभावी ढंग से ठोस कार्रवाई न करने के लिए जवाबदेही पर कोई विचार नहीं किया गया है।

(घ) पुरी स्थित होटल नीलाचल अशोक का कोई भी उत्पादक उपयोग न होना

ओडिशा राज्य के पुरी में होटल स्थापित करने और चलाने के उद्देश्य से आईटीडीसी लिमिटेड और उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूएएचसीएल) के बीच 'होटल नीलाचल अशोक' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना (नवंबर 1983) की गई थी। होटल के निर्माण के लिए ओडिशा सरकार द्वारा यूएएचसीएल को 8 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी।

होटल घाटे में चल रहा था और जेवीसी ने होटल का परिचालन बंद कर दिया (31 मार्च 2004)। विभिन्न बकाया ऋणों, कर्मचारियों के वेतन और वैधानिक देय राशियों (पीएफ और ईएसआई) के भुगतान के लिए, यूएएचसीएल ने होटल के परिचालन और प्रबंधन को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया (जून 2005)। होटल के विनिवेश का प्रस्ताव अंतर-मंत्रालयी समूह के समक्ष प्रस्तुत किया गया (मई 2022)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें देखी गईं:

(i) यूएएचसीएल के बोर्ड ने (मार्च 2011 में) अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को मंजूरी दी। होटल बंद होने (मार्च 2004) के सात वर्षों के बाद तक भी कंपनी ने इसे लागू करने के लिए कोई पहल नहीं की। परिणामस्वरूप, कंपनी को कर्मचारियों के वेतन और वैधानिक देय राशियों से संबंधित खर्चों का वहन करना पड़ा, जबकि इसके बदले में कोई काम नहीं किया गया था। कंपनी को दिसंबर 2003 से अक्टूबर 2010 तक कर्मचारियों को ₹3.22 करोड़ का वेतन देना पड़ा।

(ii) होटल बंद होने (मार्च 2004) के बाद, यूएएचसीएल बोर्ड ने विभिन्न बकाया ऋणों, कर्मचारियों के वेतन और अन्य वैधानिक देय राशियों के भुगतान हेतु होटल के परिचालन और प्रबंधन को पट्टे पर देने का निर्णय (जून 2005) लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आईटीडीसी को आठ सप्ताह के भीतर संपत्ति पट्टे पर देने का निर्देश (सितंबर 2007) दिया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस दिशा में पांच वर्षों तक यानी मई 2009 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब होटल के दीर्घकालिक पट्टे के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

(iii) होटल की देखरेख और रखरखाव पर हुए खर्च की मांग की गई थी, लेकिन आईटीडीसी द्वारा वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। भौतिक निरीक्षण (जून 2023) के दौरान यह पाया गया कि लगभग दो दशकों से बंद रहने और रखरखाव की कमी के कारण होटल जर्जर हालत में था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 7.4: होटल नीलाचल अशोक, पुरी की जर्जर स्थिति

इस प्रकार, प्रमुख स्थान पर स्थित होने के बावजूद, होटल नीलाचल अशोक लगभग दो दशकों से बंद पड़ा रहा और कंपनी ने इसे चालू करने या इसके वैकल्पिक उपयोग की संभावना तलाशने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा, होटल बंद होने के तुरंत बाद कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प नहीं दिया गया, जिसके चलते यूएएचसीएल को कर्मचारियों को बिना किसी उत्पादक कार्य के वेतन और मजदूरी के रूप में ₹3.22 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि 20 कंटेनर कॉटेज और खाद्य एवं पेय पदार्थ आउटलेट (पुरानी इमारत को गिराने सहित) स्थापित करने के लिए ₹12 करोड़ के पूंजीगत व्यय के साथ अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के समक्ष प्रस्ताव लाने का मामला 2 अगस्त 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में रखा गया था। बोर्ड ने ओडिशा सरकार से पीपीपी मॉड पर होटल कलिंगा अशोक और होटल नीलाचल अशोक दोनों को उप-पट्टे पर देने के विकल्प पर सहमति देने का अनुरोध करने का निर्णय लिया।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है कि अगस्त 2024 में यानी होटल के बंद होने के लगभग दो दशक बाद ही बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाना लंबे समय तक निष्क्रियता और निष्क्रिय परिसंपत्ति प्रबंधन को उचित नहीं ठहरा सकता है।

7.1.3 निष्कर्ष

आईटीडीसी द्वारा संपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं:

- कंपनी के होटलों और ज़मीनों से संबंधित महत्वपूर्ण संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ों की उपलब्धता और रखरखाव में त्रुटियाँ पाई गईं, जिसके कारण संपत्तियों पर अतिक्रमण और उससे जुड़े कानूनी मुद्दे सामने आए। दस्तावेज़ों की कमी से कंपनी की स्वामित्व स्थापित करने और अपनी संपत्तियों के संबंध में सोच-समझकर निर्णय लेने की क्षमता खतरे में पड़ जाती है। ज़मीन संबंधी दस्तावेज़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि आईटीडीसी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा कैसे करता है।

- आईटीडीसी अशोक होटल और सम्राट होटल के संबंध में भूमि किराया और उल्लंघनों के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) को ₹94.07 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। आईटीडीसी ने न तो उल्लंघनों को दूर करने के संबंध एलएंडडीओ को तुरंत उत्तर दिया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया। इसके अलावा, संशोधित दरों के आधार पर भूमि किराया, दुरुपयोग शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क के संबंध में बकाया राशि में काफी वृद्धि होने की संभावना थी।

- होटल कलिंग अशोक का पूरा पुराना ब्लॉक फरवरी 2000 से बंद पड़ा था और आईटीडीसी ने इस ब्लॉक को दोबारा खोलने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। आईटीडीसी प्रबंधन की योजनाहीनता और अप्रभावी निर्णय लेने के कारण पिछले 24 वर्षों से लगभग आधी संपत्ति का उपयोग नहीं हो पाया, जिसके परिणामस्वरूप आईटीडीसी को ₹20.25 करोड़ के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा, होटल की संपत्तियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए इन कमरों के नवीनीकरण या दोबारा खोलने के लिए आईटीडीसी के पास कोई भविष्य की कार्य योजना भी नहीं थी।

- आईटीडीसी के पास ग्वालियर में पिछले 54 वर्षों से एक बड़ा भूभाग था, जिसका न तो कोई उत्पादक उपयोग हुआ था, न ही कोई विकास कार्य हुआ था और न ही उससे कोई राजस्व प्राप्त हुआ था। लंबे समय तक भूमि का उपयोग न होने के कारण कानूनी मुद्दे और अतिक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। भूमि का प्रभावी उपयोग करके राजस्व उत्पन्न करने के बजाय, आईटीडीसी को निगरानी और सुरक्षा पर ही खर्च करना पड़ा।

- दिल्ली के होटल अशोक परिसर में सम्मेलन केंद्र के निर्माण के मद्देनजर आईटीडीसी द्वारा स्टाफ क्वार्टर के आवंटन को रोक देने के निर्णय (जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया) के कारण अक्टूबर 2014 से होटल अशोक में बड़ी संख्या में स्टाफ क्वार्टर

खाली और अनुपयोगी पड़े रहे। स्टाफ क्वार्टर के रखरखाव न होने से कर्मचारियों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया।

- कोसी कलां स्थित संपत्ति पिछले साढ़े पांच वर्षों से बंद पड़ी थी। आईटीडीसी ने अक्टूबर 2021 से कोसी स्थित संपत्ति को परिचालित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मंत्रालय और आईटीडीसी के बीच समन्वय की कमी के कारण, बंद पड़ी कोसी इकाई के लिए बिजली, रखरखाव और सुरक्षा सेवाओं पर अनावश्यक खर्च हो रहा था।

- आईटीडीसी ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में जमीनी हकीकत का आकलन किए बिना ही परियोजना को लागू कर दिया। उसने व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना और निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही होटल बनाने का निर्णय लिया। त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, यह अधूरी परियोजना पिछले 24 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इसके अलावा, आईटीडीसी ने संपत्ति की देखरेख और अन्य खर्चों पर ₹90.18 लाख का अनावश्यक व्यय भी किया।

- आईटीडीसी ने होटल नीलाचल अशोक, पुरी को चालू करने के लिए समय पर निर्णय नहीं लिया और न ही इसके किसी वैकल्पिक उपयोग पर विचार किया, जिसके कारण होटल लगभग दो दशकों से बंद पड़ा है। आईटीडीसी की इस अनिर्णयता के कारण इमारत और उससे जुड़ी संपत्तियों की स्थिति खराब हो गई है और इसके संभावित मूल्य में गिरावट आने की संभावना है।

इस प्रकार, आईटीडीसी द्वारा अपनी संपत्तियों के प्रबंधन में योजना और प्रभावी निर्णय लेने की कमी थी, जिसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है।

अक्टूबर 2025 में मंत्रालय को पैरा जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2026)।

अध्याय VIII: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

8.1 उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह न होने और संग्रह में विलंब के कारण राजस्व की हानि

प्रक्रियात्मक विलंब और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों की खराब सड़क स्थिति के कारण पेरंबालूर जिले के पेराली टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह नहीं हो सका और तमिलनाडु के कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर भी शुल्क के संग्रह में विलंब हुआ । परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएई) को ₹68.72 करोड़ का टोल राजस्व प्राप्त नहीं हो सका।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मंत्रालय/एमओआरटीएच) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1401 (ई) दिनांक 31 मई 2013 के अनुसार, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार (जीओटीएन) को एनएच 532 के कुड्डालोर - वृधाचलम - सलेम खंड (किमी 0/800 से किमी 51/000 और किमी 57/800 से किमी 110/942 तक) और एनएच 226/नए एनएच संख्या 135 के पेराम्बालुर-तंजावुर खंड (किमी 0/000 - किमी 66/200 तक) से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए निर्देश दिया। एनएच 532 खंड पर कीझकुप्पम (किमी 97/500) और यू. पोन्नालागरम (किमी 45/200) तथा एनएच 226/नए एनएच संख्या 135 पर पेराली (किमी 7/600) में टोल प्लाजा के निर्माण सहित परियोजना कार्य क्रमशः 12 अक्टूबर 2016, 9 नवंबर 2017 और 21 फरवरी 2018 को पूरा हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में यह निर्धारित किया गया था कि सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के मामले में राजमार्ग के खंड के पूरा होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए, कीझकुप्पम, यू. पोन्नालागरम और पेराली (किमी 7/600) टोल प्लाजा पर क्रमशः 26 नवंबर 2016, 24 दिसंबर 2017 और 7 अप्रैल 2018 तक उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह शुरू हो जाना चाहिए था। हालांकि, कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर क्रमशः 1,935 दिन और 1,700 दिन की देरी के बाद 15 मार्च 2022 और 20 अगस्त 2022 को टोल वसूली शुरू हुई। पेराली टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 24 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, लेकिन सड़क के क्षतिग्रस्त

होने और यातायात के अनुकूल न होने के कारण स्थानीय लोगों के विरोध के चलते टोल संग्रह जारी नहीं रखा जा सका और 25 जुलाई 2021 को इसे रोक दिया गया। पेराली टोल प्लाजा पर टोल संग्रह अभी शुरू नहीं हुआ था (सितंबर 2025)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में विभिन्न कार्यों में निम्नलिखित देरी देखी गई।:

- **टोल प्लाजा सौंपने और शुल्क अधिसूचना जारी करने में विलंब -** परियोजना कार्य के पूरा होने की तारीख से क्रमशः 1,119 दिन, 726 दिन और 652 दिन बाद मंत्रालय द्वारा कीझकुप्पम, यू. पोन्नालागरम और पेराली टोल प्लाजा को एनएचएआई को सौंपने के निर्देश जारी किए गए (5 नवंबर और 5 दिसंबर 2019[1])। कीझकुप्पम, यू. पोन्नालागरम और पेराली टोल प्लाजा के लिए शुल्क अधिसूचनाएं परियोजना कार्य के पूरा होने की तारीख से क्रमशः 1,434 दिन, 789 दिन और 933 दिन बाद 15 सितंबर 2020, 7 जनवरी 2020 और 11 सितंबर 2020 को प्रकाशित की गईं।

- **इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) का कार्यान्वयन-** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चरण में ही टोल प्लाजा की सभी लेन में ईटीसी प्रणाली के प्रावधान को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए (जून 2017)। इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा, या राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा, या सीधे मंत्रालय के परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्मित उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा की सभी उपयोगकर्ता शुल्क लेन में ईटीसी अवसंरचना के प्रावधान को अनिवार्य कर दिया (मार्च 2019)। मंत्रालय ने एनएचएआई को कीझकुप्पम और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा को उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए अपने नियंत्रण में लेने और प्लाजा को ईटीसी के अनुरूप बनाने के लिए अनुमान प्रदान करने का निर्देश दिया (नवंबर 2019)। मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए जाने की तारीख से 25 महीने बाद, एनएचएआई ने दिसंबर 2021 में दोनों टोल प्लाजा पर ईटीसी बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्य पूरा कर लिया। पेराली टोल प्लाजा पर ईटीसी बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्य मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए जाने की तारीख से 15 महीने बाद मार्च 2021 में पूरा हो गया था।

---

[1] ***कीज़कुप्पम और यू. पोन्नालग्राम टोल प्लाजा - 5 नवंबर 2019; पेराली टोल प्लाजा-5 दिसंबर 2019***

- **उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अभिकरण की नियुक्ति -** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिनांक 30 सितंबर 2003 के परिपत्र के अनुसार, शुल्क संग्रह अभिकरण का चयन अपेक्षित समापन तिथि से 90 दिन पहले किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अभिकरण की नियुक्ति के लिए, यातायात सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एपीसी की गणना करनी होगी। हालांकि, एनएचएआई आरओ चेन्नई ने यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा और कीझकुप्पम टोल प्लाजा के लिए क्रमशः जुलाई और अगस्त 2021 में एनएचएआई मुख्यालय को एपीसी डेटा प्रस्तुत किया। इस प्रकार, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अभिकरणों की नियुक्ति के लिए एपीसी प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए जाने की तिथि से 20 महीने की देरी हुई। कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का कार्य (क्रमशः 23 नवंबर 2021 और 25 नवंबर 2021 को) मेसर्स कर्नाटक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया। इसलिए, मंत्रालय द्वारा टोल प्लाजा सौंपे जाने की तारीख से लेकर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अभिकरण को अंतिम रूप देने में एनएचएआई को 749 दिन लगे। हालांकि, यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह का कार्य बाद में (27 जून 2022 को) मेसर्स जय कामतानाथ एंड कंपनी को पुनः आवंटित[2] किया गया। पेराली टोल प्लाजा पर टोल वसूली का काम शुरू में मेसर्स रिधि एंड सिधि एसोसिएट्स (अगस्त 2020) को और बाद में मेसर्स मोहम्मद यूसुफ अली (अप्रैल 2021) को सौंपा गया था। हालांकि, ईटीसी सिस्टम की अनुपलब्धता के कारण टोल संग्रह शुरू नहीं हो सका। अंततः, टोल संग्रह का कार्य श्री साई एंटरप्राइजेज को सौंपा गया (जुलाई 2021)। इस प्रकार, एनएचएआई को परियोजना पूर्ण होने की तिथि से पेराली टोल प्लाजा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी को अंतिम रूप देने में 917 दिन लगे।

उपरोक्त देरी और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग के खराब सड़क हालात के कारण कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर क्रमशः 15 मार्च 2022 और 20 अगस्त 2022 तक सड़क उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह नहीं हो

[2] ***पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर टोल वसूली के लिए मेसर्स केसीआईसी को जारी किया गया 120 दिनों की बोली वैधता समाप्त होने के कारण (नवंबर 2021 में जारी किया गया) आईओए 27 जून 2022 को वापस ले लिया गया।***

सका। पेराली टोल प्लाजा पर टोल संग्रह अभी तक पुनः शुरू नहीं हुआ था (सितंबर 2025)।

पेराली टोल प्लाजा पर टोल शुरू न होने के कारण 26 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2025 तक 1,528 दिनों के लिए एनएचएआई को ₹59.44 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। टोल संग्रह अभिकरणों की नियुक्ति के बावजूद, कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर 15 मार्च 2022 और 20 अगस्त 2022 को टोल शुरू होने तक एनएचएआई को ₹9.28 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। राजस्व नुकसान की गणना का विवरण **अनुलग्नक XII** में दिया गया है।

प्रबंधन और मंत्रालय का उत्तर:

- पेराली टोल प्लाजा के संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने (दिसंबर 2024) उत्तर दिया कि कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने और चक्रवात (जून 2022) के कारण टोल प्लाजा की छत को हुए नुकसान सहित विभिन्न कारणों से पेराली टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह संभव नहीं हो सका। सभी बाधाओं के बावजूद, उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 24 जुलाई 2021 से शुरू हुआ। सड़क की क्षतिग्रस्त स्थिति और यातायात के अनुकूल न होने के कारण टोल संग्रह जारी नहीं रखा जा सका और 25 जुलाई 2021 को इसे रोक दिया गया। एनएचएआई ने (नवंबर 2024 में) मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह त्रिची (टीएनए सरकार) के एनएच विंग को टोल प्लाजा सहित इस खंड का अधिग्रहण करने के निर्देश जारी करे, क्योंकि मंत्रालय ने मार्च 2022 में इस खंड को राज्य एनएच विंग को सौंप दिया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए (जुलाई 2025 में) उत्तर दिया कि पेराली टोल प्लाजा के बारे में जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बुनियादी ढांचे और सुरक्षा सुविधाओं की कमी शामिल थी। हालांकि, जनता की मांगें पूरी नहीं हुईं और उन्होंने टोल प्लाजा को चालू करने से इंकार कर दिया। जून 2022 में आए तूफान से टोल प्लाजा को नुकसान पहुंचा और सड़क की खराब स्थिति के कारण जनता का विरोध जारी रहा। अप्रैल 2025 में एनएचएआई ने राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से इस हिस्से का कार्यभार संभाला और सड़क को मजबूत करने और उस

पर नई परत बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नौ महीने के भीतर काम पूरा करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। सड़क की गुणवत्ता बहाल होने और पेराली टोल प्लाजा का काम पूरा होने के तुरंत बाद उपयोगकर्ता शुल्क वसूली शुरू कर दी जाएगी।

- कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा के संबंध में, एनएचएआई ने (मार्च 2025) उत्तर दिया कि तमिलनाडु सरकार के राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा काम पूरा होने के बाद 17 दिसंबर 2021 को टोल प्लाजा एनएचएआई को सौंप दिए गए थे। इन टोल प्लाजाओं का निर्माण ईटीसी बुनियादी ढांचे के प्रावधानों के बिना किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण एपीसी को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ। टोल प्लाजा के लिए यातायात सर्वेक्षण सितंबर 2020 में किया गया था। तदनुसार, एपीसी गणना प्रस्तुत की गई। दोनों टोल प्लाजा पर ईटीसी कार्य[3] के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए (जुलाई 2021) और कार्य 24 दिसंबर 2021 को पूरा हुआ। टोल संग्रह प्रणाली 24 दिसंबर 2021 से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह शुरू करने के लिए तैयार थी, लेकिन सड़क की खराब स्थिति और स्थानीय चुनावों के कारण हुए जन आंदोलन के चलते यह प्रक्रिया विफल रही। मंत्रालय ने एनएचएआई के विचारों का समर्थन किया (जुलाई 2025)।

पेराली टोल प्लाजा, कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा के संबंध में प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि:

- कोविड-19, राज्य विधानसभा चुनाव और चक्रवात की घटनाएं फरवरी 2018 में एनएच 226/नए एनएच नंबर 135 खंड पर पेराली टोल प्लाजा सहित परियोजना के पूरा होने के काफी बाद हुई। टोल प्लाजा सौंपने, शुल्क अधिसूचना जारी करने, टोल प्लाजा में ईटीसी प्रणाली लागू करने और उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अभिकरण की नियुक्ति में हुई प्रक्रियात्मक देरी के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया। एनएचएआई ने टोल प्लाजा में ईटीसी बुनियादी ढांचे को लागू करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, टोल संग्रह में सहयोग के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किया गया। मंत्रालय के उत्तर से पुष्टि होती

[3] ***दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के नीति परिपत्र संख्या 10.1.20/2019 के अनुरूप***

है कि पेराली टोल प्लाजा पर टोल वसूली में देरी हुई है और अभी तक शुरू नहीं हुई है (सितंबर 2025)।

- मंत्रालय ने (नवंबर 2019 में) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ईटीसी अनुपालन के लिए कार्रवाई शुरू करने और कीझकुप्पम और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर टोल संग्रह शुरू करने का निर्देश दिया। हालांकि, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अभिकरणों की नियुक्ति की गई और ईटीसी से संबंधित कार्य क्रमशः नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 में पूरा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दोनों टोल प्लाजा पर टोल शुरू होने में देरी हुई। इसलिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय पर कार्रवाई करने से शुल्क अधिसूचना, उपयोगकर्ता शुल्क अभिकरण की नियुक्ति और ईटीसी अनुपालन में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी से बचा जा सकता था। इसके अलावा, हालांकि सड़क 2016 से उपयोग में थी, लेकिन इस हिस्से पर ओवरले का काम नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सड़क की हालत खराब हो गई। इस प्रकार, सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखकर चुनाव और जन आंदोलन के कारण टोल वसूली शुरू न होने की समस्या से बचा जा सकता था।

इस प्रकार, पेराली टोल प्लाजा पर टोल संग्रह शुरू न होने और कीझकुप्पम टोल प्लाजा और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर टोल संग्रह में देरी के कारण एनएचएआई को ₹68.72 करोड़ के टोल राजस्व का नुकसान हुआ।

अध्याय IX: लेखापरीक्षा के दौरान सीपीएसई द्वारा की गई वसूली और सुधार/संशोधन

9.1 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

11 सीपीएसई से संबंधित 15 मामलों में, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के आग्रह पर वर्ष 2024-25 के दौरान ₹60.02 करोड़ की राशि वसूल की थी, जैसा कि अनुलग्नक XIII में विस्तृत रूप से बताया गया है।

9.2 लेखापरीक्षा के आग्रह पर सुधार/संशोधन

परीक्षण जांच के दौरान, नियमों/विनियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामले देखे गए और प्रबंधन के संज्ञान में लाए गए। तीन सीपीएसई द्वारा संबंधित पांच मामलों का विवरण, जिनमें लेखापरीक्षा के निर्देश पर प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई या परिवर्तन किए गए, **अनुलग्नक XIV** में दिया गया है।

अध्याय X

10.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (वाणिज्यिक)

सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखों और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया का अंतिम परिणाम दर्शाती हैं। इसलिए, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है।

लोक सभा सचिवालय ने (जुलाई 1985 में) सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया कि संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/संशोधात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाले नोट्स (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत परीक्षित) प्रस्तुत करें। ऐसे नोट्स उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत किए जाने आवश्यक थे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) द्वारा विस्तृत परीक्षण के लिए चयनित नहीं किया गया था। सीओपीयू ने अपनी दूसरी प्रतिवेदन (1998-99-बारहवीं लोक सभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए निम्नलिखित अनुशंसा की:

- प्रत्येक मंत्रालय में हर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों (एटीएन) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुच्छेदों वाली प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएन प्रस्तुत करने की निगरानी के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; और
- संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तारीख से छः महीने के भीतर, संसद में प्रस्तुत सीएजी की सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन को समिति को प्रस्तुत करना।

इसी प्रकार, लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) ने अपनी 11वीं प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में, जिसका शीर्षक "मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुच्छेदों/प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर समय पर एटीएन प्रस्तुत करने की समीक्षा" था और जिसे 27 मार्च 2025 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, यह अनिवार्य किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अनुच्छेदों को समिति द्वारा जांच के लिए चुना गया हो या नहीं, सीपीएसई को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग

के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/अनुच्छेदों पर एटीएन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समिति को विधिवत पुनरीक्षित एटीएन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने की समय सीमा को दोहराया गया।

तदनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन जमा करने पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्यरत है। सीएजी की विभिन्न (वाणिज्यिक) प्रतिवेदनों पर एटीएन जमा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के भीतर निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। सीओपीयू के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहायता से डीपीई द्वारा एक समर्पित सीपीएसई - लेखापरीक्षा पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएपीएमएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है।

लेखापरीक्षा में समीक्षा से यह पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद, पिछले पांच वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में सम्मिलित विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित बीस (20) अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर और दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सुधारात्मक/संशोधात्मक एटीएन, जैसा कि **अनुलग्नक XV** में विस्तृत है, लेखापरीक्षा को पुनरीक्षण के लिए प्राप्त नहीं हुए।।

नई दिल्ली
दिनांकः 04 अगस्त 2026

(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक एवं आरसी) एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 04 अगस्त 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक-I

(प्राक्कथन में संदर्भित)

वाणिज्यिक स्कंध के अंतर्गत आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय/विभाग

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम
1	नागरिक उड्डयन
2	कोयला
3	वाणिज्य और उद्योग
4	कॉर्पोरेट कार्य
5	भारी उद्योग
6	आवासन और शहरी कार्य
7	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
8	खान
9	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
10	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
11	विद्युत
12	सड़क परिवहन और राजमार्ग
13	इस्पात
14	वस्त्र
15	पर्यटन
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन विभाग
1	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग
	वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग
2	वित्तीय सेवा विभाग
3	निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
4	सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुलग्नक-II

[पैरा 1.3.5.6.(ii) में संदर्भित]

परियोजना कार्य के लिए प्रारंभिक अनुबंधों (पैकेज) में संशोधन

गेवरा ओसी द्वारा विद्युत संयंत्रों को (-) 100 मिमी आकार के कोयले के बजाय (-) 250 मिमी आकार का कोयला भेजने के कारण हुई हानि					
आपूर्ति अवधि (वित्तीय वर्ष)		2021-22	2022-23	2023-24	**योग**
गेवरा ओसी द्वारा (टन में) (-)250 मिमी आकार में भेजी गई मात्रा	1	84,70,000	21,20,000	4,00,000	**1,09,90,000**
गेवरा ओसी में (टन में) पेराई क्षमता (-)100 मिमी आकार	2	79,21,000	1,44,91,000	1,30,66,000	**3,54,78,000**
गेवरा ओसी (टन में) में उपयोग की गई क्षमता (-)100 मिमी आकार	3	16,20,000	32,05,000	29,10,000	**77,35,000**
गेवरा ओसी में (टन में) कम उपयोग की गई क्षमता (-)100 मिमी आकार)	4	63,01,000	1,12,86,000	1,01,56,000	**2,77,43,000**
देय दर (87-56-10.16)	8	20.84	20.84	20.84	
गेवरा ओसी द्वारा (-)100 मिमी आकार की आपूर्ति न होने के कारण हानि	**9=[(1 या 4 जो भी कम हो) X (8)]**	**13,13,12,840**	**4,41,80,800**	**83,36,000**	**18,38,29,640**

कुस्मुंडा ओसी द्वारा विद्युत संयंत्रों को (-) 100 मिमी आकार के कोयले के बजाय (-) 250 मिमी आकार का कोयला भेजने के कारण हुई हानि					
आपूर्ति अवधि (वित्तीय वर्ष)		2021-22	2022-23	2023-24	**कुल**
कुस्मुंडा ओसी द्वारा टन में) भेजी गई मात्रा (-)250 मिमी आकार,	1	89,60,000	21,60,000	46,00,000	**1,57,20,000**
कुस्मुंडा ओसी में (टन में) पेराई क्षमता (-)100 मिमी आकार,	2	43,80,000	1,95,28,000	1,66,53,000	**4,05,61,000**
कुस्मुंडा ओसी में (टन में) उपयोग की गई क्षमता (-)100 मिमी आकार,	3	28,08,000	88,21,000	93,11,000	**2,09,40,000**
कुस्मुंडा ओसी में (टन में) कम उपयोग की गई क्षमता (-)100 मिमी आकार,	4	15,72,000	1,07,07,000	73,42,000	**1,96,21,000**
देय दर (87-56-10.16)	8	20.84	20.84	20.84	
कुस्मुंडा ओसी द्वारा (-)100 मिमी आकार की आपूर्ति न करने के कारण हानि (₹ में)	**9=[(1 या 4 जो भी कम हो) X (8)]**	**3,27,60,480**	**450,14,400**	**9,58,64,000**	**17,36,38,880**
कुल हानि (गेवरा ओसी+कुस्मुंडा ओसी)		**16,40,73,320**	**8,91,95,200**	**10,42,00,000**	**35,74,68,520**

अनुलग्नक III

[पैरा 4.1.3.3 में संदर्भित]

एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

(₹करोड़ में)

विवरण	वर्ष			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	98.00	98.00	98.00	98.00
अन्य इक्विटी	67.70	88.95	107.37	128.21
देनदारियां				
वित्तीय देनदारियां				
व्युतपन्न वित्तीय उपकरण	1.00	-	-	-
व्यापार देय	0.65	0.79	1.21	0.68
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	74.06	32.14	51.69	27.08
अन्य वित्तीय देनदारियां	55.29	41.74	15.98	8.12
गैर वित्तीय देनदारियां				
वर्तमान कर देनदारियां	0.02	-	1.09	2.48
प्रावधान	0.33	0.35	0.36	0.58
अन्य गैर वित्तीय देनदारियां	2.40	2.50	2.71	2.62
कुल योग (इक्विटी और देनदारियां)	**299.44**	**264.48**	**278.41**	**267.77**
परिसंपत्तियां				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद और नकद समतुल्य	11.60	11.84	5.71	11.99
नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक में जमा राशि	3.06	3.21	3.37	3.59
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	-	0.73	2.45	1.28
प्राप्य	4.10	3.90	3.27	3.10
निवेश	262.57	226.08	244.87	227.49
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.07	0.08	0.10	0.10
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	1.77	2.16	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5.92	6.02	6.31	8.06
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9.86	10.36	12.23	12.07
चल रहा पूंजीगत कार्य	0.37	-	-	-
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	0.12	0.11	0.10	0.09
कुल योग	**299.44**	**264.48**	**278.41**	**267.77**

अनुलग्नक IV

[पैरा 4.1.5.1 (क.2)(i) में संदर्भित]

नमूने में चयनित 38 एनपीए ऋण खाता अधिग्रहणों से संबंधित विवरण।

क्रम संख्या	विक्रेता बैंक/एआरसी का नाम	खाता नाम	अधिग्रहण की तारीख	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट के भाग I के अनुसार प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय सीमा	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में उल्लिखित छूट कारक	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में मूल्यांकन करते समय प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय सीमा बताई गई है।	स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार समाधान अवधि
1.	बैंक -7	कंपनी -24	30.12.2020	निर्दिष्ट नहीं	20%	15 माह ~ 1.25 वर्ष	5 वर्ष
2.	बैंक -9	कंपनी -4	30.12.2020	निर्दिष्ट नहीं	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
3.	बैंक -9	कंपनी -25	30.12.2020	निर्दिष्ट नहीं	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
4.	बैंक -10	कंपनी -26	31.03.2021	निर्दिष्ट नहीं	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
5.	बैंक -11	कंपनी -27	26.03.2021	निर्दिष्ट नहीं	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
6.	बैंक -12	कंपनी -10	26.08.2020	1 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
7.	बैंक -13	कंपनी-8	25.03.2021	निर्दिष्ट नहीं	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
8.	बैंक -12	कंपनी-9	26.08.2020	1.5 वर्ष	20%	1.5 वर्ष	5 वर्ष
9.	बैंक -13	कंपनी-7	25.03.2021	1 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
10.	बैंक -13	कंपनी-6	25.03.2021	1 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
11.	बैंक -13	कंपनी-5	25.03.2021	2 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
12.	बैंक -13	कंपनी-3	25.03.2021	2 वर्ष	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
13.	बैंक -5	कंपनी-15	29.12.2020	3 वर्ष	20%	18 माह ~ 1.5 वर्ष	5 वर्ष
14.	बैंक -12	कंपनी-28	26.08.2020	2.5 वर्ष	20%	2.5 वर्ष	5 वर्ष
15.	एआरसी -3	कंपनी-15	13.11.2020	2 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
16.	बैंक-12	कंपनी-29	26.08.2020	2 वर्ष	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
17.	बैंक-12	कंपनी-30	26.08.2020	3 वर्ष	20%	3 वर्ष	5 वर्ष
18.	एआरसी-1	कंपनी-16	22.09.2020	निर्दिष्ट नहीं	15%	9 माह ~ 0.75 वर्ष	5 वर्ष
19.	बैंक-2	कंपनी-22	30.03.2022	1 वर्ष	15%	9 माह ~ 0.75 वर्ष	5 वर्ष
20.	बैंक-13	कंपनी-11	23.03.2022	1.5 वर्ष	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
21.	बैंक-14	ऑटो रिक्शा ऋण पोर्टफोलियो (1759 खाते)	30.03.2022	कोई जाँच-पड़ताल रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया	कोई जाँच-पड़ताल रिपोर्ट तैयार	कोई जाँच-पड़ताल रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया	5 वर्ष

क्रम संख्या	विक्रेता बैंक/एआरसी का नाम	खाता नाम	अधिग्रहण की तारीख	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट के भाग I के अनुसार प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय सीमा	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में उल्लिखित छूट कारक	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में मूल्यांकन करते समय प्राप्ति के लिए अपेक्षित समय सीमा बताई गई है।	स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार समाधान अवधि
					नहीं किया गया		
22.	बैंक-13	कंपनी-31	23.03.2022	1.75 वर्ष	20%	1.75 वर्ष	5 वर्ष
23.	कंपनी-2	कंपनी-1	28.09.2021	1 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
24.	बैंक-3	कंपनी-4	24.03.2023	निर्दिष्ट नहीं	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
25.	बैंक-4	कंपनी-4	24.03.2023	निर्दिष्ट नहीं	20%	3 वर्ष	5 वर्ष
26.	बैंक-1	कंपनी-4	03.02.2023	निर्दिष्ट नहीं	20%	6 माह ~0.50 वर्ष	5 वर्ष
27.	बैंक-3	कंपनी-15	29.03.2023	निर्दिष्ट नहीं	20%	3 माह ~ 0.25 वर्ष	5 वर्ष
28.	बैंक-15	कंपनी-32	14.03.2023	निर्दिष्ट नहीं	20%	1.75 वर्ष	5 वर्ष
29.	एआरसी-2	कंपनी-19	30.11.2022	9 माह	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
30.	बैंक-16	इकाई -1	30.03.2021	निर्दिष्ट नहीं	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
31.	बैंक-13	कंपनी-12	25.03.2021	1 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
32.	बैंक-13	इकाई -2	25.03.2021	निर्दिष्ट नहीं	जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में असुरक्षित खाते के रूप में निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं	5 वर्ष
33.	बैंक-13	कंपनी-13	25.03.2021	1 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
34.	बैंक-13	कंपनी-14	25.03.2021	2 वर्ष	20%	1 वर्ष	5 वर्ष
35.	बैंक-14	इकाई -3	30.03.2022	निर्दिष्ट नहीं	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
36.	बैंक-17	कंपनी-33	04.01.2022	2 वर्ष	20%	2 वर्ष	5 वर्ष
37.	बैंक-17	इकाई -4	04.01.2022	निर्दिष्ट नहीं	20%	3 वर्ष	5 वर्ष
38.	कंपनी-34	कंपनी-35	21.10.2022	निर्दिष्ट नहीं	20%	1 वर्ष	5 वर्ष

अनुलग्नक -V

[पैरा 4.1.5.1 (क.2)(ii) में संदर्भित]

जाँच-पड़ताल रिपोर्ट में प्रतिभूति रसीद आधार अधिग्रहण मूल्य के लिए अंगीकृत गई निश्चित प्रतिशतता

(₹करोड़ में)

क्रमांक	ऋण खाते/उधार लेने वाले का नाम	विक्रेता का नाम बैंक/वि. सं.	नकद आधार पर अनुशंसित मूल्य	मूल्य की अनुशंसा एसआर आधार पर की गई है।	उपयोग किया गया प्रतिशत (निकटतम प्रतिशत तक पूर्णांकित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/(4) x 100
1.	कंपनी-3	बैंक-13	6.63	9.94	150
2.	कंपनी-5	बैंक-13	8.00	12.00	150
3.	कंपनी-6	बैंक-13	7.35	11.02	150
4.	कंपनी-7	बैंक-13	9.95	14.90	150
5.	कंपनी-8	बैंक-13	7.40	11.10	150
6.	कंपनी-9	बैंक-12	10.71	16.06	150
7.	कंपनी -28	बैंक-12	14.96	22.44	150
8.	कंपनी-29	बैंक-12	10.00	15.00	150
9.	कंपनी-30	बैंक-12	10.71	16.07	150
10.	कंपनी-10	बैंक-12	8.49	12.73	150
11.	कंपनी-11	बैंक-13	22.38	33.56	150
12.	कंपनी-31	बैंक-13	7.33	10.99	150
13.	कंपनी-12	बैंक-13	1.23	1.84	150
14.	कंपनी-13	बैंक-13	5.40	8.10	150
15.	कंपनी-14	बैंक-13	4.67	7.01	150
16.	कंपनी-33	बैंक-17	4.47	6.70	150
17.	कंपनी-32	बैंक-15	31.58	47.37	150
18.	इकाई -1	बैंक-16	0.40	0.60	150
19.	इकाई -4	बैंक-17	0.109	0.163	150
20.	कंपनी-26	बैंक-10	10.80	16.20	150
21.	इकाई -3	बैंक-14	0.92	1.38	150

अनुलग्नक - VI

[पैरा 4.1.5.2 (ख.1) में संदर्भित]

(ए. नि. प्र.) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक.	ऋण खाता	अधिग्रहण लागत	उधारकर्ता द्वारा किए गए ए. नि. प्र. की संख्या	उच्चतम ए. नि. प्र. प्रस्ताव की राशि	कंपनी द्वारा अस्वीकृत ए. नि. प्र. प्रस्तावों की संख्या	कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए ए. नि. प्र. प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत ए. नि. प्र. प्रस्ताव की राशि
1	कंपनी-21	17.78	6	25.00	6	0	--
2	कंपनी-19	16.00	3	17.50	2	1	17.50
3	कंपनी-36	21.34	2	19.00	1	1	19.00
4	कंपनी-37	3.25	3	3.25	2	1	3.25
5	कंपनी-38	19.20	2	21.50	1	1	21.50
6	कंपनी-39	1.81	3	2.15	2	1	2.15
7	कंपनी-20	43.60	2	47.00	2	--	--
8	कंपनी-32	45.01	2	55.50	1	1	55.50

अनुलग्नक VII

(पैरा 4.2.3.3 में संदर्भित)

न्यूनतम जमा प्रीमियम

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	संधि का नाम	ईजीएनपीआई	वास्तविक जीएनपीआई	कमी प्रतिशत	एमडीपी	वास्तविक प्रीमियम	अतिरिक्त एमडीपी
			यूआईआईसी				
2018-19	ईक्यू एक्सओएल	870.00	758.16	*13.00*	6.09	5.90	0.19
	अंब्रेला एक्सओएल	1,040.00	914.56	*12.00*	3.00	2.64	0.36
	ऊर्जा एक्सओएल	9.00	7.70	*14.00*	4.89	4.65	0.24
	देयता एक्सओएल	6.50	4.40	*32.00*	2.34	1.76	0.58
	सीएटी टीओपी एक्सओएल	870.00	758.16	*13.00*	19.81	19.18	0.63
						उप योग	**2.00**
			ओआईसी				
2018-19	समुद्री एक्सओएल	237.00	204.58	*13.68*	12.15	11.66	0.49
2019-20	समुद्री एक्सओएल	230.00	204.71	*10.99*	13.73	13.57	0.16
	पीए एक्सओएल	400.00	229.84	*42.54*	0.40	0.28	0.12
2020-21	पीए एक्सओएल	300.00	208.56	*30.48*	0.34	0.30	0.04
	लेयर I-III	4,548.00	3,649.18	*19.76*	7.40	6.80	0.60

वर्ष	संधि का नाम		ईजीएनपीआई	वास्तविक जीएनपीआई	कमी प्रतिशत	एमडीपी	वास्तविक प्रीमियम	अतिरिक्त एमडीपी
	मोटर एक्सओएल	लेयर IV	148.00	89.55	*39.49*			-
2021-22	मोटर एक्सओएल	लेयर I-III	4,500.00	3,339.62	*25.79*	8.03	6.85	1.18
		लेयर IV	135.00	104.16	*22.84*			-
	गैर-समुद्री सीएटी एक्सओएल (सभी जोखिम)		950.00	839.04	*11.68*	76.27	74.84	1.43
2022-23	गैर-समुद्री सीएटी एक्सओएल (सभी जोखिम)		1,045.00	924.69	*11.51*	88.17	86.68	1.49
	गैर-समुद्री सीएटी एक्सओएल (ईक्यू)		1,045.00	924.69	*11.51*	28.89	28.40	0.49
							उप योग	**6.00**
				एनआईसी				
2018-19	जोखिम एक्सओएल		485.00	304.65	*37.00*	40.51	30.98	9.53
	सीएटी एक्सओएल		1,235.00	964.00	*22.00*	113.43	98.41	15.02
	समुद्री सह ऊर्जा एक्सओएल		189.50	145.64	*23.00*	9.50	7.46	2.04
	देयता एक्सओएल		25.00	19.70	*21.00*	3.56	3.51	0.05
	मोटर एक्सओएल		4,500.00	3,727.67	*17.16*	2.41	2.34	0.07
2019-20	जोखिम एक्सओएल		550.00	492.54	*10.00*	69.44	68.61	0.83
	सीएटी एक्सओएल		1,320.00	1,013.00	*23.00*	133.07	117.08	15.99

वर्ष	संधि का नाम	ईजीएनपीआई	वास्तविक जीएनपीआई	कमी प्रतिशत	एमडीपी	वास्तविक प्रीमियम	अतिरिक्त एमडीपी
	समुद्री सह ऊर्जा एक्सओएल	190.00	136.37	*28.00*	9.05	6.60	2.45
	देयता एक्सओएल	27.50	16.80	*39.00*	4.00	2.87	1.13
	मोटर एक्सओएल	4,875.00	3,70,027.80	*24.00*	2.35	2.10	0.25
2020-21	सीएटी एक्सओएल	1,390.00	1,106.00	*20.00*	108.40	101.46	6.94
	समुद्री सह ऊर्जा एक्सओएल	190.00	114.44	*40.00*	9.15	8.40	0.75
	देयता एक्सओएल	30.00	19.90	*34.00*	4.28	3.34	0.94
	मोटर एक्सओएल	4,500.00	3,196.52	*14.00*	2.29	1.91	0.38
2021-22	सीएटी एक्सओएल	1,365.00	1,121.00	*18.00*	115.18	111.24	3.94
	समुद्री सह ऊर्जा एक्सओएल	187.00	123.92	*34.00*	9.04	7.07	1.97
	मोटर एक्सओएल	4,100.00	308.25	*22.00*	3.40	2.83	0.57
2022-23	जोखिम एक्सओएल	700.00	576.92	*18.00*	71.66	69.36	2.30
	सीएटी एक्सओएल	1,330.00	1,035.00	*22.00*	120.28	110.16	10.12
	समुद्री सह ऊर्जा एक्सओएल	187.00	124.22	*31.00*	9.66	8.30	1.36
	मोटर एक्सओएल	3,750.00	3,235.69	*23.00*	3.85	3.69	0.16
						उप योग	**76.79**
						कुल	**84.79**

अनुलग्नक VIII

[पैरा 4.2.4.1 में संदर्भित]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा पुराने प्राप्य शेष की वसूली/समाधान में विलंब

पुनर्बीमाकर्ता/मध्यस्थ का नाम	31 मार्च 2023 तक निवल शेष (करोड़ रुपए में)	शेष राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी (करोड़ रुपए में)	प्रमुख लंबित मामलों वाला विभाग	प्रबंधन का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणियाँ
पुनर्बीमा 5	3.56	3.02	अग्नि संबंधी वैकल्पिक पुनर्बीमा खाता (विदेशी)	संबन्धित पक्ष के खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है	अभी तक वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है।
पुनर्बीमा 6	14.84	14.61	अग्नि संबंधी वैकल्पिक पुनर्बीमा खाता (विदेशी)	2018 से पहले, कोई एकीकृत निपटान [1] प्रणाली नहीं थी। सभी निपटान हस्तचालन रूप से किए जाते थे। इस राशि का मिलान मध्यस्थ (मध्यस्थ 1) से प्राप्त ₹59.11 करोड़ की राशि से किया जाएगा।	अपनाई गई निपटान प्रणाली चाहे जो भी हो, पुराने बकाया का अंततः मिलान करना आवश्यक है। 2018 से पहले से लंबित बकाया राशियों का अभी तक मिलान नहीं किया गया है। मध्यस्थ (मध्यस्थ 1) की बकाया राशियों का मिलान न होने की बात 2019-20 की लेखापरीक्षा और

[1] *एकीकृत प्रणाली में, वाउचर में निपटान बटन पर क्लिक करके प्रतिफल प्रविष्टियाँ दर्ज की जाती हैं। मैनुअल प्रणाली में, इन्हें मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है।*

पुनर्बीमाकर्ता/मध्यस्थ का नाम	31 मार्च 2023 तक निवल शेष (करोड़ रुपए में)	शेष राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी (करोड़ रुपए में)	प्रमुख लंबित मामलों वाला विभाग	प्रबंधन का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणियाँ
					निरीक्षण प्रतिवेदन में भी बताई गई थी।
पुनर्बीमा 7	9.76	9.75	अग्नि संबंधी वैकल्पिक पुनर्बीमा खाता (विदेशी) - ₹9.69 करोड़	संबंधित मध्यस्थ /पुनर्बीमाकर्ता से संपर्क किया जा रहा है। विभाग मिलान प्रक्रिया में है।	इन राशियों का मिलान 3 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि में किया जा सकता है।
पुनर्बीमा 8	3.46	2.35	विविध वैकल्पिक पुनर्बीमा खाते (विदेशी) - ₹1.87 करोड़ अग्नि वैकल्पिक पुनर्बीमा खाता (विदेशी) - ₹1.56 करोड़।	विभाग मध्यस्थ के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है और आंशिक वसूली की गई है। 31.03.2024 को बकाया राशि ₹1.18 करोड़ है, जबकि पहले यह ₹1.56 करोड़ थी। 31.03.2024 को बकाया राशि ₹1.54 करोड़ है, जबकि पहले यह ₹1.87 करोड़ थी।	इस मामले से वसूली में विलंब का संकेत मिला।
पुनर्बीमा 9	1.49	1.49	विविध वैकल्पिक पुनर्बीमा खाते (विदेशी)	उत्तर नहीं दिया	बकाया राशि का भुगतान अभी बाकी है।

पुनर्बीमाकर्ता/मध्यस्थ का नाम	31 मार्च 2023 तक निवल शेष (करोड़ रुपए में)	शेष राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी (करोड़ रुपए में)	प्रमुख लंबित मामलों वाला विभाग	प्रबंधन का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणियाँ
सीबीआर 1	14.14	11.43	संधि का हस्तांतरण (विदेशी)	मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 2024-25 में की गई वसूली के बाद, एक सीमा पार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर 1) से लगभग 9.11 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है और शेष राशि का शीघ्र निपटान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।	समय पर वसूली सुनिश्चित किए बिना उस पक्ष को कारोबार सौंपते रहने से धन का अवरोध उत्पन्न हो गया है।
कुल	**47.25**	**42.65**			

अनुलग्नक IX

[पैरा 4.2.4.1 में संदर्भित]

विघटित या परिसमापन के अधीन सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं से लंबित देय राशि

(राशि ₹ में)

क्रमांक	पुनर्बीमाकर्ता का नाम	सीबीआर मुख्यालय	परिसमापन/बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत	प्राप्य राशि	निवल बकाया शेष
1.	पुनर्बीमा 10	लंदन	01 अक्टूबर 2020	अप्रैल 2013 से पहले	1,71,39,227.26
2.	पुनर्बीमा 11	सिंगापुर	13 अक्टूबर 2023	अप्रैल 2013 से मार्च 2023 तक	3,77,35,878.82
3.	पुनर्बीमा 12	वेलिंगटन	नवंबर 2018	अप्रैल 2013 से मार्च 2020 तक	1,07,57,986.51
4.	पुनर्बीमा 13	लंदन	23 अप्रैल 2015	अप्रैल 2018 से पहले	1,56,73,738.01
5.	पुनर्बीमा 14	लंदन	28 जुलाई 2015	मार्च 2020 से पहले (₹13.06 लाख)	13,44,626.08
6.	पुनर्बीमा 15	लंदन	30 अगस्त 2014	अप्रैल 2013 से मार्च 2022 तक	12,10,609.82
	कुल योग				**8,38,62,066.50**

अनुलग्नक X

(पैरा 7.1.1 में संदर्भित)

आईटीडीसी या उसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व में मौजूद संपत्तियों का विवरण

क्र.सं.	संपत्ति का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	अशोक होटल, नई दिल्ली	86,910 (21.476 एकड़)
2	होटल सम्राट, नई दिल्ली	16,487 (4.074 एकड़)
3	ग्वालियर में ज़मीन	7,971 (6 बीघे, 23 बिस्वा)
4	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, दिल्ली में कार्यालय	3,182
5	नारायणा, दिल्ली में गैराज-सह-कार्यशाला	7,162 (8,566 वर्ग गज)
6	पांच डीडीए फ्लैट	एमआईजी श्रेणी
7	ताज रेस्तरां आगरा	4,438
8	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	20,279 (5.011 एकड़)
9	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	30,453 (60 कनाल, 4 मरला)
10	जनशक्ति विकास केंद्र, दिल्ली	1,383
11	टेनिस कोर्ट की ज़मीन, दिल्ली	1,964
12	कोसी रेस्टोरेंट, मथुरा (उत्तर प्रदेश)	49,210 (12.16 एकड़)
13	होटल पंजाब अशोक (आईटीडीसी और पंजाब पर्यटन विकास निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम के अंतर्गत, जिसका नाम पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड है)	20,234 (5 एकड़)
14	होटल नीलाचल अशोक, पुरी (आईटीडीसी और ओडिशा सरकार के बीच उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम के अंतर्गत)	32,375 (8 एकड़)
15	होटल रांची अशोक (आईटीडीसी और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम, रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत)	10,886 (2.69 एकड़)
16	होटल पांडिचेरी अशोक (आईटीडीसी और पुडुचेरी सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के अंतर्गत, जिसका नाम पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है)	2,65,555 (65.62 एकड़)

अनुलग्नक XI

[पैरा 7.1.2.1 (क) में संदर्भित]

आईटीडीसी के पास संपत्ति दस्तावेजों की उपलब्धता

क्र. सं.	संपत्ति का नाम	दस्तावेज़ उपलब्ध हैं	आईटीडीसी का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	होटल सम्राट, नई दिल्ली	आवंटन पत्रों की केवल प्रतिलिपि ही उपलब्ध थी।	इस मामले पर एनडीएमसी के साथ चर्चा करने का प्रस्ताव है।	अचल संपत्ति पर कानूनी अधिकार स्थापित करने के लिए पट्टा विलेख या स्वामित्व विलेख का क्रियान्वयन आवश्यक है।.
2	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड स्थित कार्यालय	आवंटन पत्र की केवल प्रतिलिपि ही उपलब्ध थी।	स्कोप द्वारा आईटीडीसी के अनुमानित स्वामित्व के संबंध में जारी किए गए पत्र की प्रति उपलब्ध है।	आईटीडीसी के पक्ष में औपचारिक पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, जिसके कारण कानूनी अधिकार स्थापित करना कठिन है।
3	नारायणा में गैराज-सह-कार्यशाला	कोई अभिलेख नहीं	स्वामित्व विलेख की प्रतिलिपि उपलब्ध है। कुछ अभिलेख सीबीआई के पास हैं, जिनकी प्राप्ति के बाद जाँच की जा सकती है।	कंपनी के पास संपत्ति के स्वामित्व पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं थी।
4	जनशक्ति विकास केंद्र	कोई अभिलेख नहीं	आईटीडीसी ने भवन के स्वामित्व की जांच करने के प्रयास किए हैं।	पट्टा विलेख का निष्पादन कानूनी अधिकार स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

क्र. सं.	संपत्ति का नाम	दस्तावेज़ उपलब्ध हैं	आईटीडीसी का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
5	टेनिस कोर्ट भूमि	कोई अभिलेख नहीं	आईटीडीसी ने इमारत के स्वामित्व की जांच करने के प्रयास किए हैं।	पट्टा विलेख के क्रियान्वयन कानूनी अधिकार स्थापित करने के लिए आवश्यक है।
6	कोसी रेस्टोरेंट	कोई अभिलेख नहीं	पर्यटन मंत्रालय द्वारा आईटीडीसी को संपत्ति सौंपने की प्रक्रिया के तहत जांच करने पर पता चला कि राजस्व अभिलेखों में भूमि का प्रबंधन मथुरा के नहर विभाग द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय से (सितंबर 2024 में) संपत्ति का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है।.	उत्तर से यह स्पष्ट है कि आईटीडीसी के पास कोई कानूनी स्वामित्व नहीं है, और संपत्ति का स्वामित्व नहर विभाग के पास है।
7	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	केवल प्रतिलिपि	संयुक्त उद्यम साझेदार के पास मूल पट्टा विलेख की तलाश की जा रही है। हालांकि, संपत्ति विनिवेश की प्रक्रिया के उन्नत चरण में है।	इस उत्तर से कंपनी द्वारा दस्तावेजों के खराब प्रबंधन का संकेत मिलता है।
8	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केवल प्रतिलिपि	संयुक्त उद्यम साझेदार के पास मूल पट्टा विलेख की तलाश की जा रही है। हालांकि, संपत्ति विनिवेश की प्रक्रिया के उन्नत चरण में है।	इस उत्तर से कंपनी द्वारा दस्तावेजों के खराब प्रबंधन का संकेत मिलता है।

क्र. सं.	संपत्ति का नाम	दस्तावेज़ उपलब्ध हैं	आईटीडीसी का उत्तर	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
9	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केवल प्रतिलिपि	मूल स्वामित्व विलेख होटल पॉन्डिचेरी अशोक के पास उपलब्ध है।	उत्तर के साथ मूल स्वामित्व विलेख का कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया था।
10	ताज रेस्तरां आगरा	हस्तांतरण विलेख आईटीडीसी के नाम पर है।	मूल हस्तांतरण दस्तावेज उपलब्ध है और इसे लेखापरीक्षा के दौरान दिखाया गया था।	आईटीडीसी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के क्रियान्वयन न होने के मुद्दे पर आईटीडीसी मौन है।
11	ग्वालियर में भूमि	हस्तांतरण विलेख आईटीडीसी के नाम पर है।	लेखापरीक्षा के दौरान मूल रूप में उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।	आईटीडीसी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के क्रियान्वयन न होने के मुद्दे पर आईटीडीसी मौन है।

अनुलग्नक XII

[पैरा 8.1 में संदर्भित]

पेराली टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क की संग्रह न होने के कारण राजस्व का नुकसान।

वर्ष	अवधि		दिन	प्रतिदिन टोल संग्रह में होने वाली हानि (₹)	टोल संग्रह में कुल हानि (प्रति दिन टोल हानि x दिन) (₹)
	से	तक			
2021	26-07-2021	31-12-2021	159	3,87,999	6,32,43,837
2022 से सितंबर 2025	01-01-2022	30-09-2025	1,369		53,11,70,631
		कुल	**1,528**		**59,44,14,468**

नोट: टोल संग्रह 24 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था लेकिन 25 जुलाई 2021 को बंद हो गया । इसलिए, राजस्व हानि की गणना 26 जुलाई 2021 से की गई है।

कीझकुप्पम और यू. पोन्नालागरम टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क की संग्रह में विलंब के कारण राजस्व का नुकसान।

टोल प्लाजा का नाम	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी की तिथि	दैनिक प्रेषण राशि (₹)	टोल के वास्तविक प्रारंभ की तिथि	राजस्व हानि के दिन	राजस्व हानि (₹)
कीझकुप्पम	23-11-2021	2,04,000	15-03-2022	112	2,28,48,000
यू. पोन्नालागरम [2]	25-11-2021	2,50,000	20-08-2022	214	5,35,00,000
		3,11,151		53	1,64,91,003
					9,28,39,003

नोट: टोल राजस्व के नुकसान की गणना उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी की नियुक्ति की तारीख से लेकर दोनों टोल प्लाजा पर टोल के वास्तविक प्रारंभ होने की तारीख तक की गई थी।

[2] यू. पोन्नालागरम में टोल शुरू न होने के कारण, एजेंसी को जारी किया गया अनुबंध (एलओए) वापस ले लिया गया और 27 जून 2022 से एक नई उपयोगकर्ता शुल्क अभिकरण नियुक्त की गई।

अनुलग्नक-XIII

(पैरा 9.1 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर संग्रह

(रुपये लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का संक्षिप्त विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रबंधन द्वारा वसूल की गई राशि
विद्युत	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), नंगल	₹21.50 लाख के बकाया बिजली बिल की वसूली न होना	4.19
भारी उद्योग	बीएचईएल भोपाल-आईएमएम डिवीजन	नियम के विरुद्ध एलडी पर जीएसटी की वसूली ₹ 6.91 लाख।	12.55
भारी उद्योग	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	'वॉक-इन-इंटरव्यू' के आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण होने के कारण पांच कर्मचारियों को ₹216.34 लाख का अतिरिक्त वेतन और भत्ते का भुगतान किया गया।	2.96
आवास और शहरी कार्य	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	बीमा पॉलिसी में विलंब के कारण संविदाकार (डी.ई I0) से ₹6.23 लाख का वसूली न होना।	6.23
आवास और शहरी कार्य	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	एमएसीपी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना	9.62

मंत्रालय/विभाग का नाम	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का संक्षिप्त विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रबंधन द्वारा वसूल की गई राशि
कोयला	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	लाइसेंस की अवधि बढ़ाने में विलंब के कारण खेप की निकासी में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹89.72 लाख का अनावश्यक आवरोध शुल्क देना पड़ा।	96.7
कोयला	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	ईंधन आपूर्ति समझौते की शर्तों एवं नियमों के अनुसार कोयले की गैर-उठाई/कम उठाई के लिए ₹543.96 करोड़ का मुआवजा प्राप्त होना है।	755.24
इस्पात	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	हैंडलिंग संविदाकारों द्वारा गलत/त्रुटिपूर्ण डिलीवरी के कारण हुए नुकसान का वसूली लंबित है।	2.73
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - बेगुसराय/पूर्णिया	पश्चिम बंगाल के हल्दिया सर्कल में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू करने के कारण मूल्य वृद्धि पर ₹24.61 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जबकि पहले यह सूचकांक बिहार के मुंगेर-जमालपुर सर्कल में लागू होना चाहिए था।	398.87
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	डब्ल्यूपीआई का रूपांतरण पुरानी श्रृंखला से नई श्रृंखला में गलत तरीके से किया गया, जबकि इसे नई श्रृंखला से पुरानी श्रृंखला में परिवर्तित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत का अधिक निर्धारण हुआ।	518.7
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	पीसीओडी जारी करने के समय और बाद के संशोधनों के दौरान वास्तविक समापन लागत के बजाय अंतिम समापन लागत को ध्यान	3260

मंत्रालय/विभाग का नाम	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का संक्षिप्त विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रबंधन द्वारा वसूल की गई राशि
		में रखते हुए निकाली गई शेष लागत पर ब्याज का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	टोल शुल्क संग्रह एजेंसियों द्वारा टोल प्लाजा पर 30% पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की अनिवार्य शर्त का अनुपालन न करने और कर्मचारियों की अपर्याप्त तैनाती के लिए जुर्माना न लगाना।	49
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - कॉरिडोर प्रबंधन इकाई फरीदाबाद (मथुरा)	पैकेज I और II में मूल्य वृद्धि के गलत तरीके के कारण रियायतग्राही को ₹12.62 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।	829.92
वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईआरडीए विनियम का उल्लंघन करते हुए बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को कमीशन के रूप में ₹12.49 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।	9.27
वित्त	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	पात्र मूलधन राशि से अधिक दावों के निपटान के परिणामस्वरूप ₹42.89 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ।	46.45
		योग	**6002.43**
		लगभग	**60.02 करोड़**

अनुलग्नक-XIV

(पैरा 9.2 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सुधार/संशोधन

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	स्वतंत्र अभियंता पत्र की तिथि (अक्टूबर 2020) के आधार पर मूल्य सूचकांक गुणक (पीआईएम) को अपनाने के कारण, न कि बीजक दिनांक (सितंबर 2020) के आधार पर, सीपीआई संदर्भ माह को जून 2020 के 308 सूचकांक के बजाय सितंबर 2020 के 312 सूचकांक के साथ अपनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पीआईएम का निर्धारण 0.01% (अर्थात 1.06 के बजाय 1.07) अधिक हुआ है, जिसके कारण परियोजना लागत का निर्धारण भी अधिक हुआ है।	पीआईएम का मिलान और संशोधन करके इसे 1.07 से 1.06 कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण करने की लागत में ₹1.40 करोड़ की कमी आई है।
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बिहार में एनएच-107 के महेशखुंट-सहरसा-पूर्णिया खंड (पैकेज I और II) को दो लेन का बनाने के लिए दो अलग-अलग ईपीसी अनुबंध प्रदान किए हैं। अनुबंध के मूल्य	एनएचएआई ने 23 अक्टूबर 2024 को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है: ऐसे ईपीसी परियोजनाओं में जहां सर्कल और राज्यों आदि के बेमेल होने के कारण अस्पष्टता हो, वहां औद्योगिक

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
			समायोजन खंड में मूल्य वृद्धि की गणना के लिए गलती से पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दिया सर्कल के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि पूरी परियोजना बिहार में स्थित है। एनएचएआई ने श्रम मूल्य वृद्धि की गणना के लिए हल्दिया के सीपीआई सूचकांक का उपयोग किया। परिणामस्वरूप, एनएचएआई ने मूल्य वृद्धि के रूप में ₹24.61 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।	श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उस राज्य के निकटतम सर्कल का अपनाया जाना चाहिए जिसमें परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और पिछले भुगतानों की भी समीक्षा/समायोजन किया जाना चाहिए।
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड	मंत्रालय के आदेशों (16 फरवरी 2021) में यह निर्धारित किया गया था कि जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनके पास वैध फास्टैग नहीं है, उन्हें शुल्क के दोगुने के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (नियमों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 के नियम 7 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार	लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड को निर्देश जारी किए (सितंबर 2025) कि वह फास्टैग जुर्माने की राशि भारत की संचित निधि में जमा करे। तदनुसार, एनएचएलएमएल ने जनवरी 2026 में 2023-24 तक फास्टैग जुर्माने के रूप में एकत्र की गई पूरी ₹21.22 करोड़ की राशि भारत की संचित निधि में जमा कर दी। इससे

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
			इसे केंद्र सरकार (भारत की संचित निधि) में जमा करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) को एक रियायतकर्ता द्वारा एकत्र किए गए फास्टैग जुर्माने के रूप में ₹21.22 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड ने यह राशि भारत की संचित निधि को जमा नहीं की और वित्तीय विवरणों में इसे एनएचएलएमएल की परिचालन आय के रूप में दर्ज किया। इस प्रकार, एनएचएलएमएल ने मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन किया और फास्टैग जुर्माने के रूप में ₹21.22 करोड़ की राशि रोककर एनएच शुल्क नियम, 2008 का अनुपालन नहीं किया।	पहले, 2024-25 से संबंधित ₹3.41 करोड़ का फास्टैग जुर्माना जुलाई 2025 में जमा किया गया था।
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	2009 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के बाद, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने अपतटीय संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए ₹349 करोड़ में 23 तत्काल सहायता पोतों (आईएसवी) की पूरी तरह से	ओएनजीसी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय को निजी परिचालकों द्वारा छोड़ने से इनकार करने पर, 'अपतटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यय' नामक एक योजना तैयार करके वित्त मंत्रालय से विशेष बजटीय आवंटन प्राप्त करने का निर्णय

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
			निधिकरण और खरीद की, इस समझ के साथ कि लागत सभी अपतटीय ई एवं पी परिचालकों के बीच साझा की जाएगी। जुलाई 2015 में भारतीय नौसेना को जहाजों की डिलीवरी के बावजूद, मंत्रालय द्वारा औपचारिक लागत-साझाकरण तंत्र को अंतिम रूप देने में विफलता के परिणामस्वरूप ओएनजीसी की ₹136.84 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध है, साथ ही ₹15.39 करोड़ का संबंधित ब्याज नुकसान भी हुआ है।	लिया गया। इस योजना में ओएनजीसी को पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति और अपतटीय सुरक्षा के भविष्य के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव था। वित्त मंत्रालय ने प्रशासनिक मंत्रालय को सीएजी पैरा के आधार पर एक बार के अपवाद के रूप में ओएनजीसी को ₹152.23 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति करने और सीपीएसई को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि वे वित्त पोषण स्रोत की पहचान किए बिना ऐसे मामलों में व्यय न करें।
5.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	ओएनजीसी ने वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान दो दिन काम और दो दिन छुट्टी के पैटर्न पर काम करने वाले असम परिसंपत्ति के कर्मचारियों को 14 दिन काम और दो दिन छुट्टी के पैटर्न पर काम करने वाले उनके समकक्षों के समान घंटों के लिए अधोपरि के रूप में ₹233.13 करोड़	ओएनजीसी ने 1 फरवरी 2025 से दो दिन की ड्यूटी और दो दिन की छुट्टी के पैटर्न पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अधोपरि का भुगतान बंद कर दिया है। इससे कंपनी को सालाना लगभग ₹37.02 करोड़ की बचत हुई है।

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति संक्षेप में	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
			का भुगतान किया। समयोपरि भत्ते का भुगतान, 3 जनवरी 1992 को ओएनजीसी द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप नहीं है, जिसमें 14 दिन ऑन/ऑफ पैटर्न पर काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने का प्रावधान है, जबकि दोनों श्रेणियों के कर्मचारी समान घंटे काम करते हैं।	

अनुलग्नक XV
(पैरा 10.1 में संदर्भित)

पिछले पाँच वर्षों के लिए उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) का विवरण प्रस्तुत करता है जिनके लिए प्रथम कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ लंबित थीं।

क्र.सं.	प्रतिवेदन का वर्ष एवं संख्या	प्रतिवेदन का नाम	पैरा सं.
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
1	2024 का 2	अनुपालन लेखापरीक्षा	अध्याय I
2	2024 का 12	अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1
3	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1, 2.2 एवं 2.3
4	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1, 2.2, 2.3 एवं 2.4
	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग		
5	2024 का 12	अनुपालन लेखापरीक्षा	4.7
	कोयला मंत्रालय		
6	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	1.1,1.2 एवं 1.3
7	2025 का 35	निष्पादन लेखापरीक्षा	संपूर्ण प्रतिवेदन
8	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	1.1, 1.2 एवं 1.3
	भारी उद्योग मंत्रालय		
9	2023 का 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	अध्याय II
10	2024 का 12	अनुपालन लेखापरीक्षा	5.1
11	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1
12	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1
	वित्तीय सेवा विभाग		
13	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1
	इस्पात मंत्रालय		
14	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	5.1 एवं 5.2
15	2025 का 38	निष्पादन लेखापरीक्षा	संपूर्ण प्रतिवेदन
16	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	6.1 एवं 6.2
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय		
17	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	6.1

क्र.सं.	प्रतिवेदन का वर्ष एवं संख्या	प्रतिवेदन का नाम	पैरा सं.
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय		
18	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	7.1 एवं 7.2
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
19	2025 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	8.1,8.2, 8.3 एवं 8.4
20	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	7.1,7.2 एवं 7.3
	विद्युत मंत्रालय		
21	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1 एवं 3.2
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		
22	2025 का 39	अनुपालन लेखापरीक्षा	5.1

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-22-of-26

2026 की प्रतिवेदन संख्या 22 - संघ सरकार (वाणिज्यिक)